चतुर्थ माला, खंड 14, अंक 21

Fourth Series, Vol. XIV, No. 21

Friday, 22 March, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16-1-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 21—30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28—शुक्रवार, 22 मार्च, 1968 / 2 चैत्र, 1890 (शक)

No. 28—Friday, March 22, 1968 / Chaitra 2, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
778.	कृत्रिम वर्षा संबंधी प्रयोग	Experiments on Artificial Rain	1015
780.	गुजरात में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pakistani Infiltrators in Gujarat	1016
781.	"इंडियन एक्सप्रैस" द्वारा प्रकाशित एक नक्शे में काश्मीर को स्वतंत्र राज्य दिखाया जाना	Kashmir shown as Independent Entity in a map published by Indian Express	1019
782.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of Central Government Employees	1024
784.	दिल्ली में विज्ञान केन्द्र की स्थापना	Setting up of Science Centre in Delhi	1026
785.	गोविन्दपुर में पाकिस्तानी राइफलमैनों द्वारा अवैध प्रवेश	Trespass by Pakistani Riflemen in Govindpur	1027

अल्प सूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTION

11.	भारतीय मानक संस्था	Indian Standards Institution	1031

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.			
779.	राजनैतिक पीड़ित	Political Sufferers	1034
783.	सेना और सीमा सुरक्षा दल के बीच समन्वय	Co-ordination between Army and Border Security Forces	1035

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The + sign marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तारां० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
786.	गैर-सरकारी कम्पनियों को हवाई मार्गों का नियतन	Allotment of Air Routes to Private Companies	1035
787.	राष्ट्रवादी मिज़ो लोगों की हत्या करने का विद्रोही मिज़ो लोगों का षडयंत्र	Mizo Hostiles conspiring to kill Nationalist Mizos	1035
788.	दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल	Delhi Teachers' Strike	1036
789.	जलपाई गुड़ी में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना	Police Firing in Jalpaiguri	1036
790.	लचित सेना	Lachit Sena	1037
791.	दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकद्दमे	Cases against Delhi Police Personnel	1037
792.	आसाम का पुनर्गठन	Re-organisation of Assam	1038
793.	नेहरू विश्वविद्यालय	Nehru University	1038
794.	सचिवालय में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Secretariat	1038
795.	कोचीन जहाज कारखाना	Coching Shipyard	1039
796.	मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption Charges Against Ministeres	1039
797.	अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन	Ashoka Mehta Committee Report	1040
798.	कालीकट में मुस्लिम लीग का सम्मेलन	Muslim League Conference at Calicut	1040
799.	पुरातत्वीय खुदाई का प्रचार	Publicity of Excavations	1040
800.	अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय जलयान	Indian Vessels on International Routes	1040
801.	राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानियों की गतिविधियाँ	Activities of Pakistanis on Rajasthan Border	1041
802.	भारतीय जहाज़ों में कन्टेनर सेवा	Container Service on Indian Ships	1041
803.	राँची की घटनाओं संबंधी जाँच आयोग	Inquiry Commission on Ranchi Incidents	1042
804.	मदरै आन्दोलन	Madurai Agitation	1042

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
805.	विमान कम्पनियों की आय पर दोहरे कराधान को रोकने के बारे में लेबनान के साथ करार	Agreement with Lebanon re-aoviding of Double Taxation on Income of Airlines	1042
806.	कोयम्बटूर में माओ प्रचार सम्बन्धी इश्तहार	Mao Propaganda Posters in Coimbatore	1043
807.	लोक शिकायत आयुक्त	Public Grievances Commissioner	1044

अतारांकित प्र० संख्या

Unstarred Q. Nos.			
4718.	ललित कला अकादमी के विरुद्ध आरोप	Allegations ag :mi	1044
4719.	मध्य प्रदेश में डाकुओं के पास प्रतिरक्षा विभाग के हथियार	Defence weap Madhya Pradesh	1045
4720.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में हड़ताल	Indian Airline	1045
4721.	जनसंख्या वृद्धि तथा मृत्यु दर	Population Growth and Mortality Rates	1046
4722.	राष्ट्रीय राजपथ	National Highways	1047
4723.	दिल्ली विशवविद्यालय में पी० एच० डी० के छात्र	Ph. D. Students in Delhi University	1047
4724.	नव-वर्ष के आगमन के समय दिल्ली में लोगों के साथ छेड़छाड़	Molestation of persons in Delhi on the New Year's Eve	1048
4725.	पत्तनों का विकास	Development of Ports]	1048
4726.	आन्तरिक दंगे	Internal Disturbances .	1048
4727.	सड़कों के निर्माण के लिये सहायता	Aid for construction of Roads	1049
4728.	राजस्थान सीमा पर डाकुओं का उपद्रव	Dacoits-meanace on Rajasthan border	1049
4729.	पुननंवीकृत बैटरियों का प्रयोग	Use of reconditioned batteries	1050
4730.	कैरावेल विमान के लिये बैटरियां	Batteries for Caravelle	1050

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4731.	राज्यों का पुनर्गठन	States re-organisation	1051
4732.	गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा राजस्थान में विमान सेवा	Air Service in Rajasthan by Private company	1051
4733.	राजस्थान की सीमा पर तस्कर व्यापार और डकैती	Smuggling and Dacoity at Rajasthan border	1051
4734.	स्वर्गीय निजाम हैदराबाद द्वारा स्थापित किये गए न्यास	Trusts created by the late Nizam of Hyderabad	1052
4735.	दिक्चालन साधन	Navigational adis	1052
4736.	केन्द्रीय सड़क निधि से धन का नियतन	Central Road Fund Allocations	1053
4737.	काकीनाडा बन्दरगाह से निर्यात तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन	Export and foreign exchange earning from Kakinada port	1053
4738.	वेतन में महंगाई भत्ता मिलाया जाना	Merger of D.A. with the Pay	1054
4739.	मद्रास राज्य को नियत की गई धनराशि	Funds allocated to Madras State	1055
4740.	विस्थापित गैर-आसामी व्यक्ति	Displaced Non-Assamese	1055
4741.	क्रिकेट टीम को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Cricket Team	1055
4742.	गाँधी शताब्दि	Gandhi Centenary	1056
4743.	पाँडिचेरी के निकट अन्तर्राष्ट्रीय नगर	International Township near Pondicherry	1056
4744.	पाकिस्तानियों द्वारा भारतीयों का अपहरण	Kidnapping of Indians by Pakistanis	1056
4745.	राजस्थान में सीमा सड़क	Border Roads in Rajasthan	1057
4746.	राजस्थान में सीमा सड़कों का निर्माण	Construction of Border Roads in Rajasthan .	1057
4747.	नागाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था	Providing Employment to Nagas	1057
4748.	तकनीकी अर्हता प्राप्त नागा युवक	Technically Qualified Naga Youths	1058

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		विषय/SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4749.	विश्वविद्यालयों में पुलिस का प्रवेश	Police entry in Universities .	1058
4750.	दिल्ली के उपराज्यपल द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement by Lt. Governor, Delhi	1058
4751.	धोखाधड़ी से संबंधित मामलों को निपटाने के लिये सचिवालय संबंधी प्रक्रिया	Secretariat Procedure for disposal of Matters relating to Cheating	1059
4752.	विधान सभा में विद्रोही मिज़ों का चुना जाना	Rebel Mizo Elected in Legislative Assembly .	1059
4753.	उच्च न्यायालय पीठों में न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges on the High Court Benches	1059
4754.	आई० ए० एस० / आई० पी० एस० के लिए अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का चयन	Selection of Scheduled Tribes for I.A.S./I.P.S.	1059
4755.	सीमा क्षेत्रों की रक्षा	Defence of Border Areas	1060
4756.	सीमा क्षेत्रों का विकास	Development of Border Areas	1060
4757.	प्रशासनिक सुधार आयोग	Administrative Reforms Commission	1060
4758.	दिल्ली पुलिस लाइन्स में विशेष न्यायालयों की स्थापना	Setting up of Special Courts in Delhi Police Lines	1061
4760.	भाषा सम्बन्धी विवाद में सी० आई० ए० का कथित योगदान	CIA's Alleged Hand in Language Controversy	1061
4761.	जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य में भारतीय छात्र	Indian Students in German Democratic Republic	1061
4762.	आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Trespass by Pak. Nationals into Assam	1062
4763.	शिव सेना	Shiv Sena	1062
4764.	उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्रियों की दिल्ली में गिरफ्तारी	Arrest of Former U. P. Ministers in Delhi	1062
4765.	उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of High Court Judges	1063

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos		विषय/SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4766.	पाकिस्तानी डाकुओं द्वारा छापा मारना	Raid by Pak. Dacoits	1063
4767.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	I. A. C.	1063
4768.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान	U. G. S. Grants	1064
4769.	अपराधियों के साथ दिल्ली पुलिस की कथित साँठगाँठ	Alleged Collusion of Delhi Police with Criminals	1065
4770.	बलियापटम नदी के पश्चिमी तट की सड़क पर सड़क पुल	Road Bridge on West-coast Road on the Baliapatam River	1065
4771.	कोचीन पत्तन वर्कशाप	Cochin Port Workshop	1065
4772.	शहीदों के परिवारों को सहायता	Aid to Families of Martyrs	1066
4773.	आई० ए० एस० और आई० सी० एस०	I. A. S. and I. C. S.	1066
4774.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 9	National Highway No. 9	1066
4775.	किराये की वसूली	Recovery of Rent	1067
4776.	आगरा में पर्यटन सुविधायें	Tourist Facilities at Agra	1068
4777.	बिहार में हवाई अड्डे	Airports in Bihar	1068
4778.	राष्ट्रीय स्वस्थता कोर प्रशिक्षण केन्द्र	National Fitness Corps Training Centres	1068
4779.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	1069
4780.	हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के बाद लूटमार	Looting in Hyderabad after Police	1069
4781.	अस्पृश्यता	Untouchability	1069
4782.	पंजाब विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Punjab University Officers	1070
4783.	हिन्दी भाषी कर्मचारी	Hindi-Speaking Employees	1070
4784.	स्कूलों के लिये स्थान	Accommodation for Schools	1071
4785.	पश्चिम बंगाल में शिक्षा संबंधी योजनाएं	Educational Schemes in West Bengal	1071

अतारांकित प्र० संख्या Unstarred Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4786.	स्त्री-शिक्षा	Women's Education	1072
4787.	पश्चिम बंगाल में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा	Free Education upto VIII Class in West Bengal	1072
4788.	पाकिस्तानी बमों का पकड़ा जाना	Seizure of Bombs of Pakistan	1073
4789.	दिल्ली पुलिस	Delhi Police	1073
4790.	संयुक्त मोर्चा आन्दोलन	United Front Agitation	1073
4791.	बड़े पत्तनों का विस्तार	Expansion of Major Ports	1074
4792.	आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें	Text Books in Modern Indian Languages	1074
4793.	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार	Advisers to the Governor of Uttar Pradesh	1075
4794.	दिल्ली पुलिस आन्दोलन	Delhi Police Agitation	1075
4795.	तिहाड़ जेल, दिल्ली	Tihar Jail, Delhi	1075
4796.	कोचीन में पत्तन मास्टर का कार्यालय	Harbour Master's Office at Cochin	1076
4797.	होटल पुनर्विलोकन समिति	Hotel Review Committee	1076
4798.	सरकारी कर्मचारियों को यात्रा संबंधी रियायतें	Travel Concessions to Government Employees	1077
4799.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार	International Copyrights	1078
4800.	इटावा झांसी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ मानना	Etawah-Jhansi Road as National Highway	1078
4801.	भोपाल में पुरातत्वीय केन्द्र	Archaeological Centre in Bhopal	1079
4802.	अध्यापकों के वेतनमान	Pay Scales of Teachers	1079
4803.	गुजरात पुलिस द्वारा सैनिक कर्मचारियों को तंग किया जाना	Harassment of Military Personnel by Gujarat Police	1079
4804.	अध्यापकों के अधिकार	Teachers' Rights	1080
4805.	ब्रिटेन में संग्रहालय में पुरातत्व वस्तुओं का रखा जाना	Archaeological Exhibits in British Museum	1080
4806.	राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	Bridge on National Highway	1081
4808.	विमान निगम	Air Corporations	1081

अता० प्र० संख्या U. Q.] Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4809.	कोचीन प्रकाश-स्तम्भ	Cochin Lighthouse	1082
4810.	मैसूर में धार्मिक संस्थान तथा स्मारक	Religious Institutions and Monuments in Mysore	1082
4812.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए विमान	Planes for I. A. C.	1083
4813.	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कर्मचारी	Employees of Himachal Pradesh, Punjab and Haryana	1083
4814.	पालम हवाई अड्डे में प्रवेश शुल्क में वृद्धि	Increase of Admission fee at Palam Airport .	1084
4815.	'लामाइज्म' के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय	University for Study of Lamaism . .	1084
4816.	बिहार में अध्यापकों की हड़ताल	Strike by Bihar Teachers	1084
4817.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार सम्मेलन	International Copyright Conference . .	1085
4818.	पश्चिम बंगाल के सविनय अवज्ञा आन्दोलन	Civil Disobedience Movement in West Bengal	1085
4819.	कलकत्ता पत्तन	Calcutta Port	1086
4820.	'घेराओ' को वैध बनाना	Legalisation on 'Gherao'	1086
4821.	सरकारी अधिकारियों की विदेशी पत्नियाँ	Foreign wives of Government Officials .	1086
4822.	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें	D. T. U. Buses	1086
4823.	विदेशी पर्यटकों के लिए होटलों में ठहरने का स्थान	Hotel bed capacity for foreign tourists . .	1087
4824.	भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases	1088
4825.	देश में स्कूल	Schools in the country	1089
4826.	कुरुक्षेत्र में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centre at Kurukshetara . . .	1089
4827.	फीजी तथा मारिशस से भारतीय पर्यटक	Indian Tourists from Fiji and Maurititius .	1089
4828.	उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में नियुक्त जांच आयोग	Enquiry Commissions headed by retired High Court and Supreme Court Judges	1090

अ० प्र० सं०

U.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4829.	हिमालय में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in the Himalayas	1090
4830.	उपकुलपतियों की नियुक्ति	Appointment of Vice-Chancellors	1090
4831.	दिल्ली में पुलिस द्वारा बच्चों की पिटाई	Manhandling of children by Police in Delhi .	1091
4832.	पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में टाइप की मशीनों का गुम हो जाना	Loss of typewriters in the Ministry of Petroleum and Chemicals	1091
4833.	राजस्थान में एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spy in Rajasthan . . .	1092
4834.	दिल्ली पुलिस	Delhi Police	1092
4835.	वनस्पतिक उद्यान, लखनऊ	Botanical Gardens, Lucknow . .	1092
4836.	पुस्तकालयों का विकास	Development of Libraries . .	1093
4837.	दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी	Hindi in Delhi University . .	1093
4838.	अनुभाग अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	Deputation of Section Officers . . .	1093
4840.	अयस्कों का लदान	Loading of Ores	1094
4841.	पर्यटन स्थलों के लिए विमान सेवाएं	Air Services to Tourist Places .	1095
4842.	अंग्रेजी के अध्यापन में सुधार करने के लिए संस्थाएं	Institutes for improving English Teaching .	1096
4843.	गंगा नदी के लिए जहाज	Ships for Ganges	1096
4844.	विदेशी पर्यटकों के लिए होटल	Hotels for Foreign Tourists . . .	1097
4845.	अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन	All India Language Conference . . .	1097
4846.	राज्यों के साथ पत्रव्यवहार में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Correspondence with States	1097
4877.	मिजो समस्या पर वार्ता	Talks on Mizo Problem	1098
4848.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	
4849.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में नौवहन संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श	Discussion of Shipping Problems in UNCTAD	1098

अ० प्र० सं० U.Q.No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4850.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, रूरकेला	Regional Engineering College, Rourkela	1099
4851.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानें	Flights of I. A. C.	1099
4852.	बड़ी बन्दरगाहों का विकास	Development of Big Ports	1100
4853.	ओरिएण्टल अनुसंधान संस्था, जोधपुर से दुर्लभ पाण्डुलिपियों की चोरी	Theft of rare manuscripts from Oriental Research Institute, Jodhpur	1100
4854.	पत्तनों के लिये विशेष निधि	Special Fund for Ports	1101
4855.	सहकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार की नीति की आलोचना	Adverse criticism of policy of Government by its employees	1101
4856.	आसाम में मारे गए मिजो विद्रोही	Mizo Hostiles killed in Assam	1102
4857.	गांवों में सड़कें	Rural Roads	1102
4858.	शिक्षा पर व्यय	Expenditure on Education	1103
4859.	दिल्ली में लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं	Eve-teasing in Delhi	1104
4860.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12	National Highway No. 12	1104
4861.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 3	National Highway No. 3	1104
4862.	राज्यों में बहु-मार्गी (मलटीपल लाइन) राष्ट्रीय राजपथ	Multiple-line National Highways in States	1105
4863.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई	Length of Madhya Pradesh National Highway	1105
4864.	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों का विकास	Development of National Highways in Madhya Pradesh	1106
4865.	महिलाओं की शिक्षा	Women's Education	1106
4866.	राष्ट्रीय ध्वज का असम्मान	Insult to National Flag	1107
4867.	दिल्ली में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान	Accommodation for I. A. C. Employees in Delhi	1107

अ० प्र० सं० U.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4868.	भारतीय कला तथा स्मारकों के परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट	National Trust for Preservation of Indian Art and Monuments	1108
4869.	पाकिस्तानी पर्यटक	Pakistani Tourists	1108
4870.	शिक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के अधिकारी	Scheduled Caste Officers in Ministry of Education	1109
4871.	दिल्ली में सब-रजिस्ट्रार	Sub-Registrars in Delhi	1109
4872.	उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्री	Pilgrims of U. P.	1110
4873.	आसाम में हुए दंगे	Assam Disturbances	1110
4874.	आर्थिक आयोजन के अनुरूप शिक्षा	Economic Oriented Education	1110
4875.	दिल्ली में अवैध शराब की भट्टी	Illicit Distillery in Delhi	1111
4876.	जामिया मिलिया, नई दिल्ली में हड़ताल	Strike in Jamia Millia, New Delhi	1111
4877.	केरल में राष्ट्रीय राजपथ	National Highway in Kerala	1111
4878.	अन्तर्राज्यीय सड़कें	Inter-State Roads	1112
4879.	सड़क निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण	International Development Agency Credit for Road Construction	1112
4880.	दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी	Theft of Cars and Scooters in Delhi	1112
4881.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विस्तार	Expansion of International Airport	1113
4882.	पटना में पड़ी हुई कर्षनाव तथा बजरे	Trugs and Barges lying at Patna	1113
4883.	बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद	Begumpet Airport, Hyderabad	1114
4884.	विजयवाड़ा में हवाई अड्डा	Airport at Vijayawada	1114
4885.	उत्तर प्रदेश के स्कूल अध्यापकों की हड़ताल	U. P. School Teachers' Strike	1115
4886.	रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी	Rivers Steam Navigation Company	1115
4887.	काशी विद्यापीठ में अध्यापक	Teachers in Kashi Vidhyapeeth	1117

अता० प्र० सं० U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4888.	कोठारी आयोग	Kothari Commission	1117
4889.	दिल्ली के पोलिटेकनिकों में अनुसूचित जातियों के छात्र	Scheduled Castes in Delhi Polytechnics .	1117
4890.	समुद्रयानों की दुर्घटनाएं	Marine Accidents	1118
4891.	सतर्कता आयोग	Vigilance Commissions	1118
4892.	सीमा सुरक्षा दल	Border Security Force . . .	1119
4893.	बागडोगरा-दार्जिलिंग के बीच परिवहन व्यवस्था	Bagdogra-Darjeeling Transport Service .	1119
4894.	रांची में हवाई अड्डा	Ranchi Airport	1120
4895.	इम्फाल हवाई अड्डा	Imphal Airport	1120
4896.	वैज्ञानिक निकाय (पूल)	Scientists Pool	1120
4897.	महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission Report . . .	1122
4898.	सीमा सुरक्षा दल	Border Security Force	1122
4899.	केरल की 'गोपाल सेना'	Kerala's "Gopal Sena"	1122
4900.	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम	Central Road Transport Corporation . .	1123
4901.	'कोवालम' का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	'Kovalem' as Tourist Centre . . .	1124
4902.	इंटरव्यू द्वीपसमूह के पास मछली पकड़ने के विदेशी जलयान	Foreign Fishing Vessels near Interview Island	1124
4903.	अंदमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay	1124
4904.	अन्दमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay	1125
4905.	अन्दमान द्वीपसमूह	Andamans	1125
4906.	अन्दमान में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति असम्मान दर्शाया जाना	Disrespect shown to National Flag in Andamans	1126
4907.	मनीपुरी संगीत-नृत्य मंडली	Manipuri Ballet Troupe	1126
4908.	केन्द्रीय सड़क परिवह निगम	Central Road Transport Corporation . .	1127
4909.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company . . .	1128
4910.	हसनपुर-रेहड़ा सड़क	Hasanpur-Rehra Road	1129

अ० प्र० सं० U. S.Q.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4911.	उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल	High Schools in U. P. .	1129
4912.	हिन्दी टाइपराइटर	Hindi Typewriters	1130
4913.	मंत्रियों की कारों पर हिन्दी के अंकों वाली प्लेटें	Hindi numeral plates on Ministerial cars	1130
4914.	आर्थिक और अन्तर्राज्यीय सुधार योजना	Roads of Economic and Inter-State Importance	1130
4915.	केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत आवंटन	Allotment under Central Road Fund . .	1131
4916.	तटवर्ती सड़क परियोजना	Coastal road project	1131
4917.	इंजीनियरी शिक्षा को नया रूप देना	Reorientation of Engineering Education .	1132
4918.	हवाई अड्डों में घोषणाएं	Announcements at Airport. . . .	1132
4920.	भाषा सम्बन्धी आन्दोलनों में छात्रों द्वारा भाग लिया जाना	Students' involvement in the Language Agitations	1133
4921.	"जूनियर स्टेट्समैन" के सम्पादक मंडल में विदेशियों का होना	Foreigners in the Editorial Board of "Junior Statesman"	1133
4922.	न पहचानी गई आग लगाने वाली वस्तु	Unidentified inflamable object . . .	1134
4923.	मनीपुर सिलचर सड़क	Manipur-Silchar Road	1134
4924.	सिलीगुड़ी में गिरफ्तार सत्याग्रही	Satyagrahis arrested in Siliguri . . .	1135
4925.	नेपाल में पर्यटन	Tourism in Nepal	1135
4926.	पर्यटक गृह	Tourists Homes	1136
4927.	भारतीय सैनिक कालेज, देहरादून	Indian Military, college Dehradun .	1136
4928.	इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में भोजन व्यवस्था का ठेका देने के लिए टेंडर	Tenders for Catering Contract on I. A. C. and Air India . .	1137
4929.	जलगांव हवाई अड्डा	Jalgaon Aerodrome . .	1138
4932.	फीरोजाबाद में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Spy in Ferozabad .	1138

अ० प्र० सं० U. S.Q.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4933.	काली नदी पर पुल	Bridge over Kali River . . .	1138
4934.	इम्फाल हवाई अड्डा	Imphal Aerodrome	1138
4935.	नलगोंडा जिले से होकर आने वाले राष्ट्रीय राजपथ का मार्ग परिवर्तन	Diversion of National Highway in Nalgonda District	1139
4936.	मद्रास में बनाई गई हिन्दी फिल्मों का बम्बई में प्रदर्शन	Exhibition in Bombay of Hindi Films produced in Madras	1139
4938.	जम्बो जैट विमान	Jumbo Jets . . .	1140
4939.	व्यापारियों के हिसाब किताब आदि का पकड़ा जाना	Seizure of Records of Traders	1141
4940.	मक्का में हिन्दी तथा उर्दू की पढ़ाई	Study of Hindi and Urdu in Mecca .	1142
4941.	चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय संग्रहालय	National Museum at Chittorgarh	1142
4942.	आरक्षित पदों का भरा जाना	Filling up of Reserved Posts	1142
4943.	बुलन्दशहर में जारी किये गए हथियारों के लाइसेंस	Arms Licences issued in Bulandshahr . .	1143
4944.	विदेशी गुप्तचर	Foreign Spies . . .	1144
4945.	महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission Report . . .	1144
4946.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की रात्रि डाक विमान सेवा में यात्री सेवा	Passenger Service I. A. C. on Night Mail Service	1144
4947.	केन्द्रीय सचिवालय में परीक्षणात्मक योजना	Pilot Scheme in the Central Secretariat	1144
4948.	आसाम का पुनर्गठन	Reorganistaion of Assam . .	1145
4950.	बद्रीनाथ मन्दिर की मूर्ति की चोरी	Theft of Badrinath Temple Idol . .	1145
4951.	उदयपुर में विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाएं	Facilities to Foreign Tourists in Udaipur .	1146
4952.	शिक्षा मंत्रालय में समितियाँ	Committees in the Ministry of Education	1146
4953.	असैनिक कर्मचारियों के अधिकार	Powers of Civil Servants . . .	1147

अ० प्र० सं० U.S.Q.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4954.	केरल में शिक्षा का माध्यम	Education Media in Kerala	1147
4955.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रस्तावित आन्दोलन	Proposed Agitation by Central Government Employees . . .	1147
4956.	पालिटेकनिक संस्थाओं में छात्रवृत्तियाँ	Scholarships in Polytechnics .	1148
4957.	राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से नियतन	Central Road Funds to States .	1149
4958.	दिल्ली प्रशासन द्वारा परीक्षाओं का रद्द किया जाना	Cancellation of Examinations in Delhi Administration	1149
4959.	दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल	Delhi Teachers' Strike	1150
4960.	दिल्ली में हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु	Death of a person in Lock-up in Delhi	1151
4961.	दिल्ली में अपहरण का मामला	Kidnapping case in Delhi . .	1151
4962.	दिल्ली में एक आर्य समाज मन्दिर में पुलिस अधिकारियों का कथित प्रवेश	Alleged entry of Police Officers into an Arya Samaj Mandir in Delhi .	1152
4963.	संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Union Territories	1152
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .	1153
	दो संसद् सदस्यों को नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग में जाने से रोका जाना	Obstruction of two M.Ps. proceeding to British High Commission in New Delhi .	1'53
	सभा पटल पर रख गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	1155
	ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के बारे में	Re. Calling Attention Notice . .	1157
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from Sittings of the House	1158
	चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report .	1158
	प्राक्कलन समिति	Estimate Committee . .	1158
	अड़तालीसवाँ प्रतिवेदन	Forty-eighth Report .	1158
	सभा का कार्य	Business of the House . .	115f

अ॰ प्र॰ सं॰ U.S.Q.] विषय	SUBJCET	पृष्ठ/PAGES
पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में उद-घोषणा सम्बन्धी संकल्प स्वीकृत तथा पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Resolution re. Proclamation in Relation to West Bengal—adopted and West Bengal State Legislature (Delegation of Power) Bill	1159
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	1159
श्री चित्तरंजन राय	Shri Chittaranjan Roy	1159
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	1160
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	1161
श्री भजहरि महतो	Shri Bhajahari Mahato	1163
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	1163
लेखानुदानों की माँग (पश्चिमी बंगाल) 1968–69 तथा अनुपूरक अनुदानों की माँग (पश्चिमी बंगाल) 1967–68	Demands for Grants (On account) West Bengal 1968-69 and Demands for Supplementary Grants (West Bengal) 1967-68	1168
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced	1179
1. पश्चिमी बंगाल (लेखानुदान) विधेयक, 1968	West Bengal (Vote on Account) Bill, 1968	1179
2. पश्चिमी बंगाल विनियोग विधयक, 1968	West Bengal Appropriation Bill, 1968	1179
पश्चिमी बंगाल (लेखानुदान) विधेयक, 1968	West Bengal (Vote on Account Bill), 1968	1180
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	1180
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	1180
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	1181
श्री शिव नारायण	Shri Shoe Narain	1181
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	1181
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clause 2, 3, and 1	1183
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass .	1183
पश्चिमी बंगाल विनियोग विधेयक, 1968—पारित	West Bengal Appropriation Bill 1968 Passed	1183

U. S. Q. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
उत्तर प्रदेश सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में संकल्प	Resolution re. Proclamation in Relation to Uttar Pradesh . .	1183
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . .	1183
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhandey Rai .	1184
गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member till and Resolttions . . .	1185
चौबीसवाँ प्रतिवेदन	Twenty Fourth Report . .	1185
वामपक्षी साम्यवादी दल की गतिविधियों के बारे में संकल्प—नियम बाह्य ठहराया गया	Resolution re. Activities of Left Communits Party—Ruled Out of Order	1186
राष्ट्रमंडल के पृथक होने के बारे में संकल्प	Resolution re. Quitting the Commonwealth	1191
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes .	1191
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	1192
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	1193
श्री विद्याधर बाजपेयी	Shri Vidya Dhar Bajpai .	1194
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireshwar Kalita . .	1194
श्री बाकर अली मिर्ज़ा	Shri Bakar Ali Mirza	1195
श्री उमानाथ	Shri Umanath .	1195
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	1196
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kunwar Lal Gupta .	1197
श्री शशि भूषण बाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai	1197
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu .	1198
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	1195
भारत सेवक समाज के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Bharat Sewak Samaj .	1198
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani .	1198
श्री गुरुपाद स्वामी	Shri M. K. Gurupadaswamy . . .	1202

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

22 मार्च,1968|2 चैत्र, 1890 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
IX	नीचे से छठी पंक्ति में 4877 के स्थान पर 4847 पढ़िये ।
1039	नीचे से तेरहवीं पंक्ति में `श्री भक्त दर्शन` के स्थान पर `डा0 वी.के.आर.वी.राव` पढ़िये ।
1067	ऊपर से आठवीं पंक्ति में `थी` के स्थान पर `श्री` पढ़िये ।
1084	नीचे से 16वीं पंक्ति में `शर सिंह` के स्थान पर `शेर सिंह` पढ़िये ।
1089	ऊपर से 12वीं पंक्ति में `असनिक` के स्थान पर `असैनिक` पढ़िये ।
1099	नीचे से तीसरी पंक्ति में `461` के स्थान पर `4618` पढ़िये ।
1142	नीचे से तीसरी पंक्ति में `गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल` के स्थान पर `गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री के.एस.रामास्वामी` पढ़िये ।
1178	नीचे से पहली पंक्ति में `4,31,45,000` के स्थान पर `5,31,45, 000` पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 22 मार्च, 1968 / 2, चैत्र, 1890 (शक)

Friday, March 22, 1968/Chaitra 2, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Experiments relating to artificial rain

*778. **Shri Ramji Ram :**
Shri Molhu Prasad :

Will the Minister of of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the states in which experiments of artificial rain have been done ; and

(b) the names of the States whose climate is favourable to such experiments as also of those whose climate is not favourable to such experiments ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) experiments in artificial rain have been carried out in the following states in the past.

(*i*) Union Territory , Delhi.

(*ii*) Uttar Pradesh (Agra).

(*iii*) Rajasthan (Jaipur).

(*iv*) Kerala(Munnar), and

(*v*) Madras (Tiruchirapalli).

(b) Areas considered favourable for artificial rain :—

(*i*) **South Western Monsoon Period:** Entire area of the country some coastal regions.

(*ii*) **Noth-Eastern Monsoon period :** A part of Tamilnad and Andhra Pradesh.

(*iii*) **Winter Period :** Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Western Uttar Pradesh, and hill areas of Assam.

Before any commercial use can be made of the experiments of artificial rain, we will have to carry out pilot experiments in the above mentioned areas consecutively for five seasons.

Shri Molhu Prasad : May I know the amount of money, including foreign exchange so far spent on the experimentation in having the artificial rain, the number of foreign experts whose assistance has been received the names and number of officers with their designations who are working there and the total amount of momey spent on their pay and allowances? Do Government propose to drop this scheme and utilise the funds on small irrigation schemes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): Thre annual recurring and non-recurring expenditure of this project is Rs. 30,000 and Rs. 45,000 respectively. At the moment I do not have the information about the staff of this project. Small irrigation is a separate subject and I agree with the Hon. Member that small irrigation is more important than artificial rain, but still the later has its own advantages to the country. At present we are not spending much on artificial rain.

As far as I know, no foreign experts are working in this project at present. Of course, such experiments have been carried out in foreign countries and we obtain information from there.

श्री वेद व्रत बरुग्रा : क्या ग्रन्य लोगों की बैठकों को भंग करने के लिये इस कृत्रिम वर्षा के राजनीतिक स्तर पर प्रयोग किये जाने की कोई ग्राशंका है ?

डा० कर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि कृत्रिम वर्षा का राजनीतिक उपयोग किया जा सकता है, यद्यपि ग्रपने कृषि विकास के लिये हम निश्चय ही इसे उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। कृत्रिम वर्षा विश्व भर में ग्रभी ग्रारम्भिक ग्रवस्था में है।

Shri Maharaj Singh Bharati: In view of the fact that rainfall is directly related to humidity in the air, are there any apprehensions of this artificial rain in any way affecting the natural rains or causing hailstorm and thus doing more harm than good ?

Dr. Karan Singh : There is no such apprehension that if artificial rain is caused at a certain place, there will be no natural rain there. The artificial rain will in no way affect the natural rain. Wherever there danger of hailstorm, efforts are made to prevent it. It is still in an embryonic stage and we are only trying to make a head way.

श्री राणा : कृत्रिम वर्षा के एक तजुर्बे से कितने क्षेत्र में वर्षा होती है ?

डा० कर्ण सिंह : 500 वर्ग किलोमीटर में।

Shri N. K. Somani : May I know the reasons for not handing over this subject to the Ministry of Food and Agriculture in view of the fact that it is mainly related with food and agriculture ?

Dr. Karan Singh : The reason for this is that entire weather warning items are dealt with by the Indian Meteorological Department which is attached to my Ministry, but we take action after consulting the Ministry of Food in this matter.

गुजरात में पाकिस्तानी घुसपैठिये

\+

*780. **श्री तु० मु० सेट** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बड़ी संख्या म पाकिस्तानी घुसपैठिये पाकिस्तान के साथ लगने वाले गुजरात के सीमा क्षेत्र मे घुस ग्राये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सब को पकड़ लिया गया है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है और यदि हां, तो कब ; और

(घ) पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक अवैध रूप से भारत मे प्रवेश करने के लिये 18 फरवरी, 1968 को पकड़ा गया ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिये उचित उपाय किये गये हैं ।

श्री तु० मु० सेट : इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा दल द्वारा गश्त लगाई जाती है अथवा राज्य की पुलिस द्वारा ? पाकिस्तानियों से जब्त की गई नौकाएं यन्त्रीकृत हैं या गैर-यन्त्रीकृत और उनकी संख्या क्या है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हाल ही में इस कच्छ तटवर्ती सीमा पर नौसेना गश्त लगाती थी । तब तक वहां निरन्तर रूप से गश्त नहीं लगती थी । इस निरन्तर गश्त के बाद लगभग 31 नौकाएं पकड़ी गईं । उन में से कुछ यन्त्रीकृत है, किन्तु उनकी निश्चित संख्या मुझे ज्ञात नहीं हैं ।

श्री तु० मु० सेट : इन घुसपैठियों का उद्देश्य क्या था । कच्छ निर्णय के दिये जाने के पश्चात् घुसपैठ ने जोर पकड़ा है । अतः हम जानना चाहते है कि उनका सही उद्देश्य क्या था ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसका मैं सही स्पष्टीकरण तो नहीं कर सकता हूं । किन्तु प्राप्त जानकारी के आधार पर इतना कह सकता हूं कि यह कार्यवाही कुछ समय से चल रही थी । कच्छ फैसले से मैं इसको जोड़ना नहीं चाहूंगा । उनका उद्देश्य मछलियां पकड़ना, तस्कर व्यापार करना और कुछ और भी हो सकता है क्योंकि एक मामले में तट के पास बड़ी मात्रा में चान्दी दबी हुई मिली है ।

Shri Madhu Limaye : I was recently in Kutch and there I was told by officials that they do not have fast moving ships and boats and thus they are helpless to check it. The entire area from Bombay to Dwarika has become a big smuggling centre and is posing a danger to our security. Do Government propose to give fast crafts or helicopters to the Customs authorities or the police there ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । स्वभावतः गुजरात पुलिस के पास न तो तेज चलने वाली नौकाएं हैं और न ही हैलीकोप्टर हैं । इस मामले मे मैं सीमा शुल्क अधिकारियों पर निर्भर नहीं करूंगा । किन्तु मैं आपके दृष्टिकोण को समझता हूं और मैं सीमाशुल्क अधिकारियों से भी इस विषय पर बातचीत करूंगा । इस समय इस विषय पर सीमा सुरक्षा दल से लिखा पढ़ी की जा रही है । हम हैलीकोप्टर प्राप्त करने की भी योजना बना रहे हैं। जहां तक अपील करने का सम्बन्ध है, मुझे गुजरात सरकार को तथ्य प्राप्त करने होंगे ।

श्री मनुभाई पटेल : पाकिस्तानी राष्ट्रिक तस्कर व्यापार की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं या वहां पर मछली पकड़ने के अधिकार स्थापित करने के लिये ऐसा करते हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि अवैध तरीकों से वे मछली पकड़ने के अपने अधिकार स्थापित कर सकते हैं। इसमें उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी । मेरी आशंका यह है कि तस्कर व्यापार से उन्हें हमारी ओर सम्पर्क का स्थान स्थापित करने का अवसर मिलता है जिसे हमारे देश के हितों के विरुद्ध दुरूपयोग कि ा जा सकता है ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान हम पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है, क्या यह सच नहीं है कि अब घुसपैठ और सीमापार रुक रुक कर गोलियां चला कर हमें तंग करना चाहते हैं, यदि हां, तो ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? उदाहरणार्थ कच्छ क्षेत्र में घुसपैठ न केवल मछली पकड़ने के अधिकार स्थापित करने अपितु कच्छ क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार स्थापित करने के लिये भी की गई थी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान हम पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है । यदि मैं हां य ना में इसका उत्तर दूं, तो मैं अपने आप को तथा इस सभा को गुमराह करूंगा ।

श्री हेम बरुआ : सैनिक दृष्टि से हम सशक्त हैं ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वह एक अलग बात है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दें ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पाकिस्तान केवल छेड़-छाड़ ही नहीं करना चाहता, परन्तु कुछ और भी करना चाहता है । संगठित ढंग से तोड़-फोड़ करना एक ऐसी बात है जिस की ओर हमें ध्यान देना होगा और हम इस मामले में पूरी तरह सजग हैं ।

श्री हेम बरुआ : परन्तु तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये कौन से पग उठाये गये हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस बारे में उसे बातचीत करने को तैयार हूं परन्तु अब मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

श्री शान्ति लाल शाह : घुसपैठ चूंकि भूमि से ही नहीं समुद्र द्वारा भी हो सक ी है तो क्या मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे कि सीमा सुरक्षा बल का नौसेना विंग भी हो और उसके पास साज सामान से लैस जहाज हों जो हमारी ामुद्री सीमाओं की गश्त लगायें और देखें कि समुद्र द्वारा घुसपैठ न होने पाये ? तस्करी के अलावा कच्छ के तट से गोआ तक समुद्र द्वारा घुसपैठ भी रोका जाना है । तो क्या सीमा सुरक्षा बल को बेहतर और तेज चलने वाले जहाजों से लैस किया जायेगा ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह अच्छा सुझाव है परन्तु सीमा सुरक्षा बल का नौसेना विंग बनाने का हमारा विचार नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या सीमा सुरक्षा बल छोटे जल मार्गों से गश्त लगाने का कार्य सम्भाल सकता है और क्या इस प्रयोजनार्थ उ के पास आवश्यक साज-सामान होगा । स्वभावतः इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been stated that 31 boats have been seized. Have some documents or arms also been seized ? If so, what are the details in respect thereof. Such infilteration has been going on on Rajasthan border. Has the Governor of Rajasthan sent some report to the Ministry of Home Affairs in this connection ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो लोग कच्छ क्षेत्र में गिरफ्तार किये गये उनसे हथियार पकड़े जाने के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल ने संचार संबंधी कुछ समस्याओं के बारे में मेरे साथ चर्चा की है और एक दो बार लिखा भी है परन्तु इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ।

Shri Sheo Narayan : The Hon. Minister has stated that they have no jeeps. Whether Government propose to provide weapons to the common people there ? How many persons, out of the 400 persons arrested, are Pakistani soldiers ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो लोक गिरफ्तार किये गये उनमें सैनिक कर्मचारी नहीं थे। उनमें से कुछ लोग भारतीय राष्ट्रजन भी थे। मैंने यह नहीं कहा कि वहां हमारे पास जीपें नहीं हैं। प्रश्न यह है कि सीमा शुल्क अधिकारियों के पास जीपें हैं अथवा नहीं। मैं इस की जांच-पड़ताल करूंगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को हथियार देने के प्रश्न पर सदैव ध्यान से विचार करना होता है। हथियार देना और न देना दोनों ही जोखिम की बातें हैं। हथियार उचित छानबीन कर के ही देने होते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की रक्षा करने और गश्त लगाने के लिए पर्याप्त रूप से लैस नहीं है। क्या सरकार हमारी उन सीमाओं की रक्षा के लिए जो परिहार्य हैं प्रतिरक्षा को सहयोजित करने के बारे में विचार नहीं कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप का मतलब, प्रतिरक्षा के साथ तालमेल से है। स्वभावतः तालमेल हमेशा रखा जाता है।

Shri Bal Raj Madhok : I visited Kutch recently. I came to know that from near about Mandhuri, which includes Lakhpat area also, which is a two hundred mile long coast and which is quite near to Karachi, people used to come for smuggling goods and there was none to check them. I have come to know through a most authentic source that some restrictions have been imposed there on such activities only after the Border Security Force have been posted there. Some vigilance is being exercised because of the situation which has taken shape now. I want to know whether such vigilance would continue to be exercised in future as well so that infiltration may not take place. Whether the Hon. Minister would give assurance to this effect ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह बात सही नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल के वहां जाने के पश्चात् ही ऐसी बातों का पता चला। इससे पहले भी इस क्षेत्र में नौसैनिक गश्तें लगती थीं। नौसेना के समुद्र के इस भाग में जाने के पश्चात् ही कुछ नौकाओं के गैर-कानूनी ढंग से दाखिल होने का उन्हें पता चला था। जहां तक आश्वासन का सम्बन्ध है मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा।

"इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एक नक्शे में काश्मीर को स्वतंत्र राज्य दिखाया जाना

*761. श्री मधु लिमये : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विजयवाड़ा से प्रकाशित होने वाले दिनांक 21 अगस्त, 1967 के "इंडियन एक्सप्रेस" की ओर दिलाया गया है जिसमें मध्य और पूर्व एशिया के नक्शे में काश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य दिखाया गया है;

(ख) क्या सिकयांग और काश्मीर के बीच की परम्परागत सीमा को भी अस्पष्ट दिखाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें भविष्य में ऐसे नक्शे प्रकाशित न करने के बारे में चेतावनी दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया गया है कि भविष्य में ऐसे गलत नक्शे प्रकाशित करने से रोकने के लिये पत्र के सम्पादक के साथ इस संबंध में पत्र व्यवहार करे।

Shri Madhu Limaye : Is it an offence to print, sell or to otherwise circulate such wrong maps of Indian borders under the existing law ? If not, whether any law would be enacted in this connection so that action could be taken against these who show our borders as vague, our areas as independent States or who show our areas as belonging to other Countries ? Because, as you know, what was said about our areas in the text books published by the Rajasthan Government. They were the books approved by Government. These books also contained such things.

श्री यशवन्त राव चव्हाण: यह एक महत्वपूर्ण विषय है परन्तु वैधिक स्थिति सन्देहास्पद प्रतीत होती है । इसी कारण मैं इस समूचे मामले का परीक्षण करता रहा हूं कि क्या इसके लिए एक विशिष्ट वैधिक उपबन्ध करना आवश्यक होगा। एक अन्य बात मैं सभा को बताना चाहता हूं। दाण्डिक अपराध साबित करने के लिए यह सब से महत्व की बात है कि यह साबित किया जाये कि इरादा क्या था। ऐसे मामलों में, यह साबित करना बहुत कठिन है क्योंकि. . .

Shri Madhu Limaye : They have proved it. This gives rise to another question. First of all, Government should themselves come to a definite conclusion as to which are our borders, because Government spokesmen often say about our areas that the areas being claimed by others are disputable or that they have became a subject of controversy. Have the Government made arrangements to conduct a comprehensive survey so that a finalauthentic map of our borders could be placed before the people and the press, those who publish books and who publish geography books may not commit such a mistake within the country ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी हां, महासर्वेक्षक इस विशेष काम में लगे हुए हैं यह उसी विभाग का काम है ।

Shri Madhu Limaye : Will steps be taken to consider this question comprehensively by forming a committee or a commission of the Ministry of External Affairs, Ministry of Home Affairs or other Ministries concerned ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

Shri Chandrajeet Yadav : This map was printed on the 21st August, 1967. Have the Government directed the Government of Andhra Pradesh to look into it ? Have the Government of Andhra Pradesh called explanation from this paper as to the circumstances in which and the reasons for which such a map was published in that paper ? Has any reply been received thereto, if so the action taken after that ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है ।

श्री दीवान चन्द शर्मा : पहले संयुक्त राज्य संघ ने कुछ प्रकाशित किया जो कच्छ के मामले में हमारे हितों के प्रतिकूल था। उसके पश्चात् आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के सदस्यों ने कुछ किया जो हमारे हितों के विरुद्ध साबित हुआ। उसके पश्चात् मास्को ने भी ऐसे ही किया। अब भारत में ऐसा हुआ है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि भारत के राष्ट्रजन ऐसा काम क्यों करते हैं जो हमारे देश के लिए अहितकर है। यदि माननीय मंत्री ऐसी राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते तो क्या वह गृह-कार्य मंत्रालय को बन्द करने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर वह नहीं दे सकते।

श्री एस० कन्डप्पन : हमारे देश के प्रधान मंत्री के पद पर एक प्रसिद्ध महिला आसीन हैं जो नहीं जानतीं कि बेरुबाड़ी भारत का इलाका है अथवा पाकिस्तान का। अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रकार का नक्शा प्रकाशित हो। हाल ही में मैंने एक अन्य समाचारपत्र में देखा कि एक जम्मू निवासी को एक पत्र प्राप्त हुआ जिस पर पता इस प्रकार लिखा गया था "जम्मू, पाकिस्तान"। ऐसी बातें प्रायः होती हैं। यह गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा विचार के लिए एक बहुत गम्भीर विषय है और मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न गैर-सरकारी निकायों की इस गलत धारणा की दृष्टि से, चाहे वे पर्यटन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों अथवा छात्रों के लिए अथवा कालेजों के लिए अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों से एटलसें छापतें हों, क्या सरकार यह अनिवार्य कर देगी कि गैर-सरकारी निकाय इन नक्शों को छापने से पहले सरकार से या सम्बद्ध विभाग से अनुमति प्राप्त करें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सुझाव कुछ त्रुटिसंगत प्रतीत होता है। कभी कभी जब समाचार-पत्र पाठकों के प्रयोग के लिए छापते हैं—कभी कभी वे नक्शे न प्रकाशित कर रूपरेखा प्रकाशित करते हैं—तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाये? क्या हम समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगायें . . .

श्री एस० कण्डप्पन : आप यह अनिवार्य क्यों नहीं कर देते कि वे केवल प्रामाणिक नक्शों का ही प्रयोग करें?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्हें गलत नक्शे छापने की स्वतंत्रता कदापि नहीं है। जब मैं "स्वतंत्रता" की बात करता हूं तो मेरा मतलब किसी चीज़ को प्रकाशित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने से है; यदि प्रत्येक बार हम यह कहें कि प्रकाशित करने से पहले वे अनुमति लें तो उस सीमा तक स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लग जाता है। निश्चय ही उन्हें यह स्वतंत्रता नहीं है कि वे गलत नक्शे छपायें। यदि वे ऐसा करते हैं तो हम उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं इसी का परीक्षण किया जाना है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। इस समय यह एक सन्देहास्पद बात है।

श्री एस० कण्डप्पन : मेरा यह मतलब नहीं था। उदाहरणार्थ, कछातीवू के बारे में यहां प्रश्न उठाया गया था कि यह हमारे नक्शे में है या नहीं। परन्तु कोई नहीं जानता कि यह हमारे प्रामाणिक नक्शे में है या नहीं। अतः, क्या यह उचित नहीं है कि गैर-सरकारी निकायों को एक प्रामाणिक नक्शा सप्लाई किया जाये?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इससे मैं पूर्णतः सहमत हूं कि नक्शे प्रामाणिक ही होने चाहिएं। हम एक भिन्न बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि सरकार इस विषय का परीक्षण करने का प्रयत्न कर रही है। इससे पहले भी इस सभा के समक्ष ऐसी शिकायतें आई हैं। सरकार ने पहले इस विषय का परीक्षण किन कारणों से नहीं किया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसका परीक्षण किया गया था और हमारा ख्याल था कि यह स्थिति सन्देहास्पद है। एक या दो बार इसी समाचारपत्र के विषय में ऐसा हुआ है और उन्होंने कहा कि गलती हो गई थी और कि उन्होंने इस विशेष मामले को समाप्त कर दिया है। परन्तु, दुर्भाग्यवश ऐसा फिर हो गया है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि काश्मीर भारत का एक अंग है।

श्री दीवान चन्द शर्मा : एक औचित्य का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

Shri George Fernandes : I have before me volume 2 of "The Times Atlas of the World", which I have brought from the Parliament Library and which was printed by writing "Dedicated by gracious permission to her Majesty Queen Elizabeth II." It was placed in our Library in 1960. It contains acknowledgements of "The High Commission of India, London, Survey of India, Dehra Dun,U. P., Professor George Kuriyan, University of Madras, Oxford University Press, Bombay, Dr. M. Safi, Muslim University, Aligarh, Professor O. P. Bhardwaj, Punjab, University, Ludhiana, India, Professor P. Dayal, Patna University Professor S. P. Chatterjee, Calcutta University", which are written against their names in black letters.

This contains two maps. One at plate 29 and the other at Plate 31. On Plate 29 it has been written about Junagarh as follows :

"पाकिस्तान द्वारा दावा किया गया है--इसलिए विवादास्पद क्षेत्र"

It was placed in our Library in 1960 and was printed as : "Dedicated by gracious permission to her Majestly". And in plate No. 31 the same position has been indicated about Junagarh. The entire boundry of Kashmir has been shown in plate No. 31 as 'undefined frontier area'. Mr. Speaker, the most important things about this is that the Tribunal has given the award on this very basis. Kutch has also been shown as Disputed Border Line. The whole of the disputed border which has been shown in this map has been given to Pakistan. Big men and including the names of surveyor of India are also involved in this and the name of a University Professor is also there. This Atlas has been placed in our Library and it is our table in other countries also. We have lost our territory in the case on the basis of this map. Whether Government have taken any steps in this respect, whether Government will set this map on fire in protest ?

श्री कंवरलाल गुप्त : उन अधिकारियों को पदच्युत कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न में ऐसी कोई बात नहीं है,लेकिन यह गम्भीर विषय है, मैं नहीं जानता कि गृह-मन्त्री महोदय इस समय इस विषय पर कुछ कह सकते हैं कि नहीं। यह हमारी लाइब्रेरी में भी है ।

Shri George Fernandes : May I give it just now ?

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह लाइब्रेरी की प्रतिलिपि है ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें मामले की जांच करने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह गम्भीर विषय है। विषय की गम्भीरता पर अवश्य गौर किया जाना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मुझे अवश्य इस बात पर ध्यान देना होगा। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई सूचना नहीं है, मेरा अनुमान है कि इस विषय पर अवश्य ध्यान दिया गया होगा। आपकी अनुमति मिलती तो मैं स्वयं या इससे सम्बन्धित मंत्री इस पर वक्तव्य देंगे ।

श्री तिरुमल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रश्न को विदेशियों तथा भारतीयों द्वारा लापरवाही से हल किया जा रहा है तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में भी इस विषय पर पर्याप्त सतर्कता नहीं है क्या गृहकार्य मंत्री इस पर तत्काल गौर करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन सम्बन्धित तीन मंत्रालयों के परामर्श से एक प्रामाणिक नक्शा जारी किया जाय ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने कहा है कि यह गम्भीर मामला है और मैं इस पर ध्यान दूंगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जहां तक मुझे याद है कि यह प्रश्न इस सभा में दो-तीन वर्ष पहले उठाया गया था और यह बताया गया था कि एक विरोध पत्र भेज दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं क्या विरोध पत्र भेजने के बाद कोई कार्यवाही की गयी थी, यदि नहीं, तो क्यों ? सभा में नक्शे की इन त्रुटियों को बताया गया था ।

Shri Madhu Limaye : I want to remind you that Dr. Ram Manohar Lohia raised a discussion here on area of India .

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय रूप से उन्होंने यहां प्रश्न उठाया है, लेकिन इन सब बातों का उत्तर देने के लिए मेरे पास कुछ सूचना नहीं है, मैंने कहा है कि मैं इस पर गौर करूंगा और या तो मैं इस विषय पर यहां वक्तव्य दूंगा अथवा इससे सीधे सम्बन्धित मंत्रालय को इस पर वक्तव्य देने के लिए कहा जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुझाव दूंगा कि इस विषय पर हम आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं, अब इस पर प्रश्न पूछना ठीक नहीं है।

Shri Madhu Limaye : The duration should be short but it should be more than half an hour. Half-an-hour will not do.

अध्यक्ष महोदय : चाहे कुछ भी हो, मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि इससे गृह-कार्य मंत्री को भी कुछ समय मिल जायेगा । वे इनका बिना तैयारी के उत्तर नहीं दे सकते और एसी आशा भी नहीं की जा सकती, दूसरा मंत्रालय भी इस पर ध्यान दे सकेगा और हमें अच्छी सूचना देगा, इसलिए हम इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। इस प्रश्न के आधार पर माननीय सदस्य आसानी से आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। यदि बिना तैयारी के प्रत्येक सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो मैं नहीं समझता कि गृह-कार्य मंत्री किस प्रकार उत्तर देंगे ।

श्री हेम बरुआ : यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिससे गृह कार्य मंत्री अवगत न हों । इस विषय के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने कहा था कि उन्होंने एक विरोध पत्र भेजा था।

गृह-कार्य मंत्री केन्द्रीय सरकार के अंग हैं। गृह-कार्य को यह कहना कि वे हमारी सीमाओं के बारे में कुछ नहीं जानते, बड़ी आश्चर्यजनक बात है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य बिना तैयारी के प्रश्नों का उत्तर माँगते हैं तो गृह-कार्य मंत्री के पास इस समय इन प्रश्नों से सम्बन्धित कोई सूचना न होने के कारण वे उत्तर नहीं दे सकते। इसलिये यह श्रेयस्कर है कि हम उन्हें कुछ समय दें। तब हम इस विषय पर उपयोगी चर्चा कर सकेंगे और वे भी अच्छी सूचना दे सकेंगे।

श्री बी० चं० शर्मा : क्या वे जूनागढ़ के बारे में नहीं जानते ? क्या वे काश्मीर के बारे में नहीं जानते ? वे किसके लिये समय चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान

+

*782. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री न० कु० सांघी : श्री न० कु० साल्वे :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन मानों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अभी कर्मचारी दल के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : यह उत्तर देने का अनोखा ढंग है। यह सत्य है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं भेजी है लेकिन इसके साथ ही आयोग ने असैनिक सेवाओं के लिये एक अध्ययन दल बनाया था। उस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है इसलिये अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना सरकार के लिये अध्ययन दल द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने में कोई रुकावट नहीं है।

विषय के ब्योरे में न जाते हुये मैं अध्ययन दल द्वारा अपनी सिफारिशों में दिये गये तीन मूलभूत बहुत महत्वपूर्ण सुझावों को बताना चाहूंगा। पहला सुझाव उच्च प्रबंधकीय और तकनीकी पदों को भरने के लिये भारतीय असैनिक सेवा के गठन के सम्बन्ध में है। दूसरा सुझाव यह है कि अनुशासन बढ़ाने के लिये सारी प्रक्रिया का पुनर्विन्यास करने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिये उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन करने का सुझाव दिया है। तीसरा सुझाव प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिये आयु की अधिकतम सीमा 28 तक कर दी जाय ताकि

व्यावसायिक और तकनीकी स्नातक भी परीक्षाओं में बैठ सकें । क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना सरकार इन आधारभूत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य सुझावों पर विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्ययन दल प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और मेरा विचार है कि यदि इन रिपोर्टों पर आयोग के विचार करने से पहले सरकार कुछ कार्यवाही करे तो यह ठीक नहीं होगा । आयोग को बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, अध्ययन दलों की रिपोर्टों पर विचार करना होता है और तब हमें एकीकृत रिपोर्ट देनी होती है । अध्ययन दलों की रिपोर्टें संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं और हम आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हमें जैसे ही आयोग की रिपोर्ट मिलेगी हम उस पर पूरी तरह विचार करेंगे और निर्णय लेंगे ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : आयोग की एकीकृत रिपोर्ट पेश होने के बाद भी सरकार उन पर गौर करने में सालों लगाती है और हर प्रश्न का उत्तर इस ढंग से दिया जाता है कि "अभी मामला विचाराधीन है ।" क्या सरकार के ध्यान में अध्ययन दल की रिपोर्ट आयी है और यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन मान को संशोधित करने की जो सिफारिशें हैं, कहां तक उनके वेतन मानों में सुधार करती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर आयोग विचार करेगा । यदि सरकार आयोग द्वारा विचार करने से पहले ही इस मामले पर विचार करती है तो आयोग की क्या उपादेयता है ?

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : जब आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा तो सरकार कितनी अवधि के अन्दर इस पर निर्णय लेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस पर जल्दी से जल्दी विचार करेंगे ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Government have accepted the Socialist Pattern of Society but there is a difference of 1:40 in the minimum and maximum pay scales of the Government employees. May I hope that the Government will remove this difference by rationalising the pay scales and create such pay scales which may give a glimpse of the socialistic pattern of society.

Shri Vidya Charan Shukla : We will keep this in view while considering the pay scales.

श्री हिम्मतसिंहका : यदि सरकार को कोई उपयोगी सुझाव दिया जाये तो उसको केवल इसलिये लागू करने में क्या कठिनाई है कि अभी आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं ।

श्री चे० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों को युक्त संगत करने का काम इसलिये सौंपा गया है कि कर्मचारियों के वेतन मान को कम किया जा सके ?

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान आज निर्वाह-स्तर से भी नीचे हैं और क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई वेतन-मंडल या एक सर्वशक्ति सम्पन्न आयोग नियुक्त करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सदा की भांति माननीय सदस्य की आशंका निराधार है । हमने आयोग को यह प्रश्न वेतन मान घटाने के लिये या और किसी काम के लिये नहीं सौंपा है । यह रिपोर्ट कर्मचारी प्रशासन के सम्बन्ध में है । ये सब बातें रिपोर्ट में होंगी और रिपोर्ट प्राप्त होते ही हम इन पर विचार करेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

दिल्ली में विज्ञान केन्द्र की स्थापना

+

*784. **श्री देवव्रत बरुआ :**
श्री ए० रा० सिंह देव :
श्री बलराज मधोक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस की सहायता से दिल्ली में एक विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस केन्द्र की स्थापना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ग) इस केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क), (ख) और (ग) भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों की एक संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और उच्च शिक्षा की संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रूसी विज्ञान अकादमी के सहयोग से भारत में एक विज्ञान सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये । इस केन्द्र का मुख्य कार्य रूस में हुई वैज्ञानिक प्रगति और ज्ञान से सम्बन्धित साहित्य का उपलब्ध करना होगा और यह इंडियन नेशनल साइंटिफिक डाक्यूमेंट्स सेंटर, नई दिल्ली में स्थित होना चाहिये ।

आयोजना के ब्यूरो अभी तैयार होने हैं ।

श्री देवव्रत बरुआ : भारत में पूर्ण साज-सामान युक्त प्रयोगशालाएं और ऐसे विज्ञान केन्द्र बहुत कम हैं जहां प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को शोध-कार्य में मार्ग निर्देश मिल सके । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या भारत सरकार सोवियत वैज्ञानिकों के साथ भारत में भी उन केन्द्रों के अतिरिक्त जो स्थापित किये जा चुके हैं, शोध कार्य के लिये इस तरह के अधिक केन्द्र बनाने में सहयोग देगी ?

डा० त्रिगुण सेन : जी, नहीं । सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सहायता से देहली में या कहीं और कोई विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसका सम्बन्ध केवल सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ में उपलब्ध साहित्य और वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह से है । यह समझौता केवल वैज्ञानिक साहित्य के लिये ही है । हमारा ऐसा कोई केन्द्र स्थापित करने का विचार नहीं है ।

श्री देव दत्त बक्शी : क्या मैं राकेट-ज्ञान या अन्तरिक्ष अनुसंधान की स्थिति के बारे में जान सकता हूं ? मुझे पता चला है कि सरकार ने बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान को राकेट-ज्ञान पर अनुसंधान करने के लिये कुछ सहायता दी है लेकिन इस संस्थान के राकेट कभी ऊंचे नहीं गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी और रूस या किसी अन्य पश्चिमी देश से सहयोग लेगी जिसमें हमें इस कार्य में सहायता मिल सके ?

डा० त्रिगुण सेन : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, है बिड़ला संस्थान का एक वैज्ञानिक यह काम कर रहा है, हमने यह काम अभी आरम्भ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जो राकेट ऊपर नहीं जा रहे हैं उनके बारे में नहीं जानते ?

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि प्रस्तावित विज्ञान केन्द्र की स्थापना केवल वैज्ञानिक साहित्य को एकत्र करने के लिए की जा रही है। क्या एक केन्द्र की स्थापना किए बिना यह साहित्य एकत्र नहीं हो सकता ? यदि हमें रूस से या किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देश की सहायता चाहिये तो वह हमारी प्रयोग शालाओं को मजबूत बनाने में के लिए होनी चाहिये जहाँ कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष अनुसधान के क्षेत्र में या और किसी क्षेत्र में, जिसमें हमारे देश में ज्ञान की कमी है, शोध किया जा रहा हो। ऐसा करने की बजाय यहाँ छपी हुई सामग्री और साहित्य को एकत्र करने के लिए एक विदेश द्वारा नियन्त्रित केन्द्र की स्थापना करने से क्या लाभ है ?

श्री सु० कु० तापड़िया : राजनीतिक कारण हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : नहीं।

मेरे माननीय मित्र ने मेरी बात गलत समझी है। मैंने यह नहीं कहा कि हम यह एकत्र करने के लिए कोई नये केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं, देहली में पहले ही इंडियन नेशनल साइंटिफिक डाक्यूमेंटेशन सेन्टर है। केवल यह समझौता हुआ है एक रूस की विज्ञान एकादमी हमारा संस्थाओं को अपना वैज्ञानिक साहित्य और पत्रिकाएं उपलब्ध करायेगी। प्रस्ताव यह नहीं है कि हम एक नया केन्द्र खोलें बल्कि हमारा केन्द्र पहले से ही चल रहा है। इस प्रस्ताव में केवल साहित्य और वैज्ञानिक जानकारी का आदान-प्रदान ही वांछित है।

गोविन्दपुर में पाकिस्तानी राइफलमैनों द्वारा अवैध प्रवेश

*785. **श्री बी० चं० शर्मा :** **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा : **श्री देवेन सेन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान राष्ट्रजनों का एक गिरोह तथा ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक करीमगंज-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय क्षेत्र के गोविन्दपुर नामक स्थान में फरवरी, 1968 के अन्त में अवैध रूप से घुस आये थे और उन्होंने दो गडरियों तथा कुछ पशुओं का अपहरण किया था;

(ख) क्या पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कोई विरोध-पत्र भेज दिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 18 फरवरी, 1968 को गोविन्दपुर में दो भारतीय राष्ट्रिक मवेशी चराते हुये असावधानी से पाकिस्तानी सीमा में चले गये थे। ईस्ट पाकिस्तान राईफल्स के कर्मचारियों द्वारा वे गरफ्तार कर लिये गये ।

(ख) राज्य तथा क्षेत्रीय कमांडिन्ट स्तर पर उनके समकक्ष पाक प्राधिकारियों को विरोध-पत्र भेजे गये ।

(ग) मालूम हुआ है कि पाक प्राधिकारियों द्वारा दोनों भारतीय राष्ट्रिक रिहा कर दिए गए हैं। फिर भी उनमें से अबतक केवल एक भारत लौटा है ।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस वर्ष के आरम्भ से हमारे नागरिकों के अपहरण तथा पशुओं व अन्य वस्तुओं को उठा ले जाने की कितनी घटनाएं हुई हैं, तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या सीमा सुरक्षा दल को सशक्त कर दिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसी वर्ष घटी किसी अन्य घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, परन्तु मैं कह सकता हूं कि इस ओर सीमा सुरक्षा दल ने अपने प्रबन्ध बढ़ा दिये हैं।

श्री वी० चं० शर्मा : गृह-कार्य मंत्री महोदय ने कहा है कि दो आदमियों का अपहरण किया गया था तथा उनमें से एक भारत लौट आया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दूसरे व्यक्ति को स्वर्ग का अथवा संसार के किसी अन्य देश का मार्ग मिल गया है; तथा क्या सरकार ने उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने का कष्ट किया है जो कि एक भारतीय है तथा हमें बेहद प्रिय है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा, इन मामलों पर पाकिस्तान के अधिकारियों से बात-चीत की थी तथा इसके पश्चात् ही हमें जानकारी मिली है कि दोनों को रिहा कर दिया गया है तथा एक लौट आया है। दूसरे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है परन्तु हम इस मामले में आगे प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार का विचार है कि वह असम सरकार को यह निदेश दे कि कछार की सीमा पर स्थित समस्त पुलिस केन्द्रों में सशस्त्र पुलिस टुकड़ियां हों तथा क्या सरकार एक अधिक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करने जा रही है क्योंकि हाल ही में करीमगंज में हुए दंगों के समय सशस्त्र सिपाही न मिलने के कारण करीमगंज के उप-प्रभाग अधिकारी को बड़ी असमर्थता हुई ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : असम की अपनी हाल ही की यात्रा के समय मैंने यह प्रश्न उठाया था तथा उनके साथ फिर यह बात उठाऊंगा ।

Shri Deven Sen : Will the hon. Minister be pleased to state whether the kidnapping took place during night or day; and as stated that the East Pakistan Riflemen came strolling; then how for did they come in and whether they came across Indian Security Police or not ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह कहना बड़ा कठिन है कि हर इंच पर गश्त लगाई जाती है। स्वाभाविक ही है कि अलग-अलग चौकियां तथा पड़ताल चौकियां हैं तथा पशु तो दिन में ही चराये जाते हैं और भूल से तो निश्चय ही किसी अन्य क्षेत्र में जा सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Such instances take place generally everywhere, but too much infilteration is going in at Karimganj Border; that is why I want to ask whether people on these sensitive borders have been given weapon to ckeck these incidents, if so, how many ? Secondly, what steps have been taken to strengthen the Border Police ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : एक अन्य प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि सीमान्त-क्षेत्रों के लोगों को सशस्त्र करना एक दोधारू तलवार के समान है। जहां तक सीमा-पुलिस का सम्बन्ध है, सीमा-सुरक्षा दल को इस बारे में पूरी तरह सावधानी बरतने का काम सौंप रखा है। यह उनका काम है। मैं जानता हूं कि अधिकतर पूर्व की ओर के इस क्षेत्र में भी एक संस्था इस मामले में देख-भाल कर रही है।

श्री कंवर लाल गुप्त : उनको सशक्त बनाने के लिये आपने क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सारी सीमाओं के साथ-साथ पड़ताल-चौकियां स्थापित करना ही विशिष्ट उपाय है। यही एक विशेष चीज है जो की जा सकती है।

श्री रा० बरुआ : सक्रियता तथा साज-सामान की दृष्टि से सीमा सुरक्षा दल स्थानीय पुलिस से श्रेष्ठ नहीं है जिनके परिणामस्वरूप वह शत्रु के आने पर उसका प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला नहीं कर सकता। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्रालय इस पर विचार कर रही है तथा उसके साज-सामान की निपुणता व सक्रियता प्रश्न पर ध्यान दे रही है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : साजो-सामान के सम्बन्ध में मैं पहले ही एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि यह मामला उठाया जा चुका है। सीमा सुरक्षा दल एक नया दल है तथा समय समय पर सारे ही क्षेत्र में प्रबन्ध किया जाना है। इस मामले में, मैं समझता हूं, हमने पर्याप्त प्रगति कर ली है।

जहां तक सक्रियता की बात है, मैं समझता हूं सीमा सुरक्षा दल की स्थानीय पुलिस से तुलना करना सम्भवतः गलत है तथा हमने उन्हें पर्याप्त वाहन भी उपलब्ध कर दिये हैं।

श्री समर गुह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि 27 जनवरी को बिलोनिया जिले में एकिनपुर गांव के श्री सुकुमार राय तथा 30 जनवरी को, त्रिपुरा के सदर उप-प्रभाग में सिघाई गांव के सर्वश्री कापा उरंग, रबी उरंग, पासु उरंग, जागू उरंग तथा ब्रिजू उरंग का पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा अपहरण किया था, यदि हां, तो तब से अपहृत ये भारतीय नागरिक क्या अब तक रिहा हो गये हैं तथा भारत लौट आये

हैं ? यदि नहीं, तो उनको रिहा कराने तथा भारतीय प्रदेश में उन्हें वापस लाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इसके लिये मुझे विशेष सूचना चाहिये। इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : करीमगंज सीमान्त बड़ा अशान्त-सा क्षेत्र बन गया है तथा गृह-कार्य मंत्री भी इसे जानते हैं। गृह-कार्य मंत्री से मैं यह पूछना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में पाकिस्तानी लोगों की घुसपैठ रोकने के लिए तथा विध्वंस के कारणों के बारे में सम्पर्क स्थापित करने के लिये क्या विशेष उपाय किये हैं ? इन चीजों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये गृह-कार्य मंत्री ने कौन से विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जैसा कि मैंने कहा, इन मामलों में सामान्य उपाय तथा विशिष्ट उपाय एक समान ही होते हैं। विशिष्ट उपाय कुछ होते नहीं तथा सामान्य उपाय विशिष्ट उपायों से कम नहीं होते। प्रश्न तो यह है कि हमने देखना है कि सारे सीमान्त पर गैरकानूनी हरकतें करने का कोई योजनाबद्ध प्रयत्न न हो। गैरकानूनी हरकतों में तस्करी भी सम्मिलित है। तस्करी के माध्यम से ऐसे सम्पर्क भी स्थापित हो जाते हैं जो कभी-कभी राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होते हैं। अतः यह सारा मामला किसी सुगठित दल को सौंपा गया है। ठीक इसी उद्देश्य से सीमा सुरक्षा दल अस्तित्व में आया था। सम्पर्कों का जहां तक सम्बन्ध है उनको ठोस रूप में मिटाना तो बड़ा कठिन है क्योंकि सीमान्त में तो केवल एक छोटी सी नदी है। एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े अन्य व्यक्ति को चिल्ला कर निश्चय ही अपनी बात कह सकता है। कुछ खतरे तो पीठी-अनुगत ही हैं परन्तु हम इनके बारे में सचेत हैं।

श्री रंगा : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के विचार में यह बात तो है ही कि सीमा सुरक्षा के गुप्तचर अनुभाग को सशक्त बनाना है। इन मार्ग-पट्टों तथा सीमांकन-प्रस्तरों को लगाने के क्या क़दम उठाये गये हैं जिनको कि हम थोड़े-थोड़े समय के बाद अपने सीमांकन के लिये रखते हैं ? कुछ समय पहले जब मैं उस क्षेत्र में गया तो मुझे बताया गया था कि समय-समय पर ये उठा ले जाये जाते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि दूसरी ओर वाले इन्हें उठा ले जाते हैं। सीमा सुरक्षा दल के गुप्तचर अनुभाग के सशक्त करने के अतिरिक्त जल्दी जल्दी इन सीमांकन-प्रस्तरों को स्थापित करने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ? हम सबकी नज़रें सीमा सुरक्षा दल की ओर लगी हुई हैं। वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : कम से कम हाल ही में मुझे ऐसी कोई शिकायत अथवा जानकारी नहीं मिली है कि ये पत्थर आदि उठा ले गये हैं। मुझे याद है कि पश्चिम की ओर की ऐसी कुछ शिकायतों पर प्रतिरक्षा मंत्रालय कार्यवाही कर रहा था। पूर्वी क्षेत्र में तो मुझे ऐसी कोई विशेष बात नज़र नहीं आई है। यदि ऐसी कोई बात होती है तो अवश्य इस पर ध्यान देते हैं।

भारतीय मानक संस्था

11. श्री रबि राय : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नम्बियार : श्री म० ला० सोंधी :
श्री हेम बरुआ :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था के एक उप-निदेशक ने 8 मार्च, 1968 को कर्मचारी संघ के मंत्री को चाँटा मारा था ;

(ख) क्या उप-निदेशक के इस कृत्य के विरुद्ध कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय मानक संस्था के प्रबन्धक अधिकारियों द्वारा भारतीय मानक संस्था के कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है और श्रम आयुक्त के सामने मानी गई उनकी माँगों को बाद में स्वीकार नहीं किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था के कर्मचारियों को उनकी 8 से 10 वर्ष की सेवा हो जाने पर भी स्थायी नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद: (क) जी नहीं । भारतीय मानक संस्था के महा-निदेशक को भारतीय मानक संस्था के कर्मचारी संघ के महा मंत्री के पास से यह आरोप मिला था कि संस्था के एक निदेशक ने 8 मार्च, 1968 को उनके एक चाँटा मारा था । महानिदेशक ने इस आरोप की जाँच करवाई जो निराधार पाई गई ।

(ख) जी हाँ उपरोक्त आरोप के संबंध में एक प्रदर्शन किया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं । कर्मचारियों को सामान्यत: परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के पश्चात् जो भिन्न-भिन्न ग्रेडों में एक से लेकर 2 वर्ष तक की होती है, उन्हें स्थायी किये जाने पर विचार किया जाता है । यह परिवीक्षा अवधि जब तक पद स्थायी नहीं हो जाता तब तक के लिये बढ़ाई भी जा सकती है । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में जिसमें चपरासी, भंगी आदि शामिल हैं, स्थायी किये जाने के लिये कम से कम 5 वर्ष की सेवा की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है । इस समय एक चौकीदार 10 वर्ष से सेवा में है किन्तु उसे किसी छोटी मोटी कमी के कारण स्थायी नहीं किया गया और उसे इस आशा से सेवा में रखा जा रहा है कि उसमें सुधार हो जायगा

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Rabi Ray : It seems that the Indian Standards Institution has become a den of imperious officers. I want to ask from the hon. Minister why did he not mention about that on March 8, 1968, the Deputy Director Shri Bhatia slapped Shri G.K. Srivastava, the General Secretary of the I.S.I. Employees' Union, and surprisingly he suspended the latter after suspending him, and that 1600 employees of I.S.I. have been on strike since March, 11, 1968 ? I want to point out to him that it is not the first instance of this kind. On January, 19 also,

Shri J.N. Bhatia slapped Shri Amar Nath, a Junior Assistant. Later on, Shri Jagdish Mishra, a peon, was also slapped by a senior officer. In fact, it appears that particulary the Union workers are being harrassed. This strike has been going on under the nose of the Hon. Minister for the last 12 days ; and since the officers are behaving with human beings like animals, I would like to know from the hon. Minister whether he has made any provision for shunting out those officers who slapped the employees ? Has he held any investigation in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : I have replied to the questions put forward by the hon. member. As he mentioned that on such and such date the Deputy Director and other senior officers slapped the employees, I may say that we do not have any such complaint pending with us and the question of harassment does not arise. I have admitted that a complaint has been received about the incident on March 8, and you will be glad to know the strike has been called off there and the workers are returning to their work. I hope that such a question will not be put here so as agreement reached may not be effective.

Shri Rabi Ray : I want the hon. Minister to explain whether he is holding any investigations against then officers.

Shri F.A. Ahmed : The complaint will be inquired into and culprits will be punished for the wrong then proved.

Shri Rabi Ray : What is being considered about the demands put by the workers ? Is it a fact that Rs. 5,000 are spent in order to enable 10-15 officers of I.S.I. to pay commercial rent for their residences whereas the demand of the workers for an increase of 15% in their salaries is not acceded to ?

My second question is whether an amount of Rs. 40,000 has been spent on an air conditioning plant for those officers but it remained unused during the last summer as there was no power there. I want to know as to what action is being taken to meet the workers' demands?

Shri F.A. Ahmed : As regards the workers' demands, those were placed before the I.S.I. Management and a mutual agreement had been reached. The work is being done in accordingly, therefore, I did not find it necessary that we should approach the labour Commission for a decision. The agreement includes the issue of rents also and that issue too has been settled in accordance with the demands.

Shri Rabi Ray : The hon. Minister has not given an answer about that unused air-conditioning plant on which 40,000 rupees were spent.

Shri F.A. Ahmed : This question is related to the strike etc. and has been replied to. If the hon. Member gives a separate notice for it, I shall fetch the information.

Shri Rabi Ray : On one side, money is being wasted by officers, on the other hand, the ordinary demands of the workers are not being met.

श्री न. मिश्यार : प्रश्न के (ग). भाग में तो कहा गया है कि श्रम-आयुक्त के समक्ष कोई समझौता न हो सका था परन्तु यहाँ वक्तव्य में कहा गया है कि श्रम-आयुक्त के सामने समझौता हो गया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह वक्तव्य गलत है ? यदि हाँ, तो विवादार्थ विषयों को कर्मचारियों की माँगों के अनुसार तय कर लिया जायेगा जिनका संघ पहले से पहले ही मान्यता प्राप्त है ? यदि आवश्यकता हो होगी तो क्या सरकार श्रम-आयुक्त का इसमें सहयोग लेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : संघ को मान्यता देने का प्रश्न था और उसे अप्रैल, 1967 में ही मान्यता प्रदान कर दी गई है ।

जहाँ तक मांगों का सम्बन्ध है, वे संघ द्वारा एक माँग-पत्र में मिलाकर दी गई थीं । ये माँगे दोनों पक्षों के मध्य तय हो गई हैं तथा इन्हें लागू किया जा रहा है । जहाँ तक समझौते का मामला है उसमें श्रम-आयुक्त के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उन पर विचार-विमर्श करके उनको श्रम-आयुक्त के हस्तक्षेप के बिना ही तय कर लिया गया है ।

श्री हेम बरुआ : इस भारतीय मानक संस्था में न तो कोई मानक ही है तथा न कोई अनुशासन । वह तो एक ऐसी संस्था है जहां नौकरशाही है, लोकतंत्र का व्यवसायिक अपहरण होता है तथा नियमों और सरकार द्वारा संस्था का कार्य पूर्णतया उपेक्षित है । यह एक वैध कर्मचारी द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिये वैध कार्य करने की एक उदाहरण है कि एक उप-निदेशक द्वारा उसके मुंह पर चमाचा मारा गया है । सरकार ने उस अधिकारी के विरुद्ध कुछ नहीं किया । इस अपदूषण को इस संस्था से समूल नष्ट करने के लिये तथा संस्था में अनुशासन लाने के लिये क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह कहना ठीक नहीं हैं कि इस संस्था में मानक तथा अनुशासन नहीं है । यह तो मानक में सुधार करने का कार्य कर रही है ।

श्री हेम बरुआ : इसीलिये हमारे स्तर गिरते जा रहे हैं ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : क्या मैं यह बता दूं कि यह संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है । इसी कारण भारत में निर्मित वस्तुएं जिन पर भारतीय मानक संस्था की मुहर है, केवल भारत में नहीं प्रत्येक विदेशों में भी प्रथम श्रेणी के उत्पादन के रूप में भारी मात्रा में स्वीकृत की जाती हैं ।

अनुशासन तथा सम्बन्धित अधिकारी पर लगाये गये दोष के बारे में, मैं पहले ही कह चुका हुं कि मामले की जाँच हो रही है । यदि कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हेम बरुआ : जाँच किसके बारे में है । तमाचा मारने की बात सत्य है ।

अध्यक्ष महोदय : किसने किसको थप्पड़ मारा ?

श्री स० मो० बनर्जी : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि उनकी जानकारी है कि हड़ताल समाप्त हो गई है । कर्मचारियों के असन्तोष के कारणों में क्या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयत्न किया है ? यदि हाँ, तो प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित रखने के लिये वह क्या कदम उठाने का विचार करते हैं ? क्या उन कर्मचारियों को यह आश्वासन दे दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी को यह हड़ताल करने के कारण परेशान और संतप्त नहीं किया जायेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे हस्तक्षेप के कारण मामला तय हो गया है तथा कर्मचारियों ने अपने काम पर लौटना स्वीकार कर लिया है । मुझे आशा है कि वे दिनभर में यह कर लेंगे । मैं स्वयं मामले को देख रहा हूं तथा मुझे आशा है कि माननीय सदस्य कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे जोकि मेरे काम को कठिन बना दे । हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दो पक्षों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों और इस संस्थान में काम सुचारु ढंग से प्रगति करे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे प्रश्न करने से रोकने में क्या तुक है ? मैं तो इसे पहले ही पूछ चुका हूं अगर मुझे दूसरा प्रश्न नहीं पूछने दिया जा रहा । मैं जानना चाहता था कि क्या तंग न करेने का आश्वसान दे दिया गया है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य सब मामला मुझ पर छोड़ देंगे ।

श्री म० ला० सोंधी : इस संस्था की हालत संतोषजनक नहीं है, तथा मंत्री महोदय की इस बात पर सहमत होना कठिन है कि यह एक छोटी-सी घटना है तथा इसे भूल जाना चाहिये । यह मामूली घटना है परन्तु यदि इस पर ध्यान न दिया या तो इसी से कोई बड़ी घटना भी हो सकती है यदि यह हमारे लिये एक बुलावा है कि हम वहां जायें तथा मामले को देखें तो यह भी होना सरल है क्योंकि वहां असंतोष व्याप्त है ।

क्या आपने इस कार्यालय के कार्य करेने के ग के बारे में कोई जांच की है क्योंकि कर्मचारियों में यह धारणा व्याप्त है कि भारतीय मानक संस्था कुछ ऐसे ढंग से कार्य कर रही है जिससे कि व्यवसायिकों तथा सरमायेदारों की संस्था पर नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है तथा यह संस्था एक स्तरीय तथा अनुसन्धान करने वाली संस्था के रूप में कार्य नहीं कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यदि माननीय सदस्य के पास प्रस्तुत करने को सुझाव है तो मैं अवश्य उस पर विचार करूंगा परन्तु मेरी धारणा है कि संस्था, समस्त रूप में, बड़े ही सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और इस संस्था के काम को केवल देश में ही नहीं प्रत्युत बाहर भी प्रशंसा होती है

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Political Sufferers

*779. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the poor economic conditions of the political sufferers and their families ; and

(b) if so, the nature of assistance rendered to them by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. Government are aware that many political sufferers and their families are facing indigent circumstances.

(b) The responsibility for the grant of relief and rehabilitation facilities to political sufferers is primarily that of the State Governments who have formulated their own schemes of relief and render assistance to such sufferers in the form of pensions, cash grants, land grants, rehabilitation loans and educational concessions to their children. In individual cases of hardship, assistance is also given to political sufferers in the shape of non-recurring cash grants from the funds placed at the disposal of Home Minister as his Discretionary Grant.

सेना और सीमा सुरक्षा दल के बीच समन्वय

*783. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा दल को सुदृढ़ करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) उन्हें आधुनिक हथियार और उपकरण देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सेना और इस प्रकार के दलों में उचित सम्पर्क और समन्व रखा जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बटेलियनों का पुनर्गठन, विभिन्न पाठयक्रमों तथा संवर्गों में से उनको गुजरना, उपयुक्त स्थलों पर आवश्यक रिजर्व दल तैनात करना, उनके मनोबल को कायम रखने के लिये आवश्यक कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना आदि सरकार द्वारा की गई कुछ कार्यवाहियाँ सीमा सुरक्षा दल को सुदृढ़ करने के लिये हैं।

(ख) उत्तरदायित्वों के अनुरूप उनको हथियार तथा उपकरण प्रदान किये गये हैं।

(ग) जी हाँ, श्रीमान।

गैर-सरकारी कम्पनियों को हवाई मार्गों का नियतन

*786. **श्री हेम बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ हवाई मार्ग गैर-सरकारी कम्पनियों को देना चाहती है;

(ख) यदि हाँ, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कलिंग एयरवेज को गैर-अनुसूचित हवाई अड्डे देने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 551/68।)**

Mizo Hostiles conspiring to kill Nationalist Mizos

*787. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Swell :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some documents have been recovered from the Mizo rebels from which it becomes clear that Mizo rebels had chalked out a plan to kill nationalist Mizos ; and]

(b) if so, the action taken by Government against them ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) No such documents have been recovered from the Mizo hostiles. However, the Government are aware that the hostiles intimidate and harass innocent citizens in Mizo Hills district.

(b) The Security Forces have intensified their operations against the rebel Mizos.

दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल

*788. **श्री स० मो० बनर्जी : श्री देवेन सेन :**
श्री रामावतार शास्त्री : श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फरवरी 1968 में अध्यापकों की हड़ताल के समय बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किये गये सभी अध्यापकों को सेवा में वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक कितने अध्यापकों को सेवा में वापस नहीं लिया गया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). सभी अध्यापकों को, (सिवाय एक प्रधानाचार्य के) जिन्हें हड़ताल के सम्बन्ध में या तो मुअत्तिल कर दिया गया था अथवा जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं, डयूटी पर आने के अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रधानाचार्य के मामले पर विचार किया जा रहा है।

जलपाई गुड़ी में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना

*789. **श्री बे० कु० दास चौधरी :**
श्री बी० ना० कथ्यम :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 फरवरी को पश्चिम बंगाल के जलपाई गुड़ी नगर में पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में गोली चलाई गई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में बहुत से बेगुनाह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जब इंजीनियरिंग कालेज तथा पोलिटेकनिक, जलपाईगुड़ी के विद्यार्थियों के बीच गम्भीर झगड़े हुए और बार बार दी गई चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

लचित सेना

*790. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम में लचित सेना द्वारा बाँटे गये उन पर्चों की ओर दिलाया गया है जिनमें गैर-असामियों से 6 जून, 1968 से पहले आसाम छोड़कर चले जाने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन पर्चों के लेखकों तथा इनके वितरण के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) लचित सेना के प्रचार स्कंध द्वारा जारी किया गया एक ऐसा पर्चा ध्यान में आया है, जिसमें सारे गैर-असामियों को 30 जून, 1968 तक असम छोड़ जाने के लिये कहा गया था।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से यह प्रार्थना की है कि वह लचित सेना के साथ सम्बन्ध अनेकानेक खुफिया दलों तथा व्यक्तियों का पता लगाने तथा ऐसे पर्च और इश्तहार आदि बाँटने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करे। राज्य सरकार ने इन पर्चों के प्रचार के सम्बन्ध में संदिग्ध 29 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक नजरबन्दी अधिनियम के अधीन नजरबन्दी के आदेश जारी किये हैं, जिनमें से 20 व्यक्तियों को नजरबन्द किया जा चुका है।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें

*791. **श्री किकर सिंह :** **श्री राम चन्द्र ज० अमीन :**
श्री रा० बरुआ : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री श्रीकान्तन नायर : **श्री उमानाथ :**
श्री रा० की० अमीन : **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री ब० रा० परमार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल 1967 में हुए पुलिस आन्दोलन के कारण दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली के न्यायालयों में चलाये मुकदमे निर्णयाधीन हैं;

(ख) क्या इन मुकदमों को वापस लेने का सरकार का विचार है; और

(ग) इन मुकदमों पर अब तक कितना व्यय हो चुका है और नके निपटारे पर और कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) अब तक इन मामलों पर रु० 27,500 की राशि व्यय हुई है आगे रु० 14,767 प्रति मास व्यय होने का अनुमान है।

आसाम का पुनर्गठन

*792. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्ततः आसाम के पुनर्गठन का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेहरू विश्वविद्यालय

*793. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शीघ्र ही नेहरू विश्वविद्यालय खुल जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि जामिया मिलिया इस्लामिया तथा शिमला इन्स्टीट्यूट आफ ह्यूमैनीटीज को इसका अंग बनाने के सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) यथाशीघ्र विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) कुछ स्वायतशासी संस्थाओं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच लाभ दायक सम्पर्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क स्थापित किया जाए, इसके लिए एक समिति की स्थापना की गई है ।

सचिवालय में फालतू कर्मचारी

*794. **श्री लोबो प्रभु** :
श्री स० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने जिसे इस बात का अनुमान लगाने के लिये नियुक्त किया गया था कि सचिवालय में नियुक्त कितने कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं, अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी फालतू बताये गये हैं ; और

(ग) फालतू कर्मचारियों को धीरे-धीरे निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) सरकार ने अतिरिक्त कर्मचारियों का अनुमान लगाने के लिये कोई समिति नियुक्त नहीं की है । वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण दल सचिवालय समेत विभिन्न कार्यालयों का नियतकालिक अध्ययन करता

है तथा आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का पता लगाता है। अप्रैल, 1964 से किये गये अध्ययन के परिणामस्वरूप कर्मचारी निरीक्षण दल ने विभिन्न सचिवालय कार्यालयों में कुल 1145 पदों को कम करने की सिफारिश की है।

(ग) गृह-मंत्रालय में एक केन्द्रीय (अतिरिक्त कर्मचारी) एकक स्थापित किया गया है ताकि एकक को सूचित अतिरिक्त कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाया जा सके। अतिरिक्त कर्मचारियों को तेजी से दुबारा काम पर लगाने के उद्देश्य से नई भर्ती पर कुल पाबन्दी लगाई गई है कि केन्द्रीय एकक से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय कि उनके पास देने के लिये कोई उपयुक्त पात्र नहीं है। एकक को सूचित किये गये अतिरिक्त कर्मचारियों में से अधिकतर अन्य स्थानों में उपलब्ध रिक्तियों म फिर से काम पर लगा चुके हैं।

कोचीन जहाज निर्माण कारखाना

795. **श्री नायनार :**
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री एस्थात :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री 16 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कोचीन जहाज निर्माण कारखाने की पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट की जांच कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : अनुमानतः माननीय सदस्य मैसर्स मित्सुविशी हेवी इंडस्ट्रीज से प्राप्त हुई पुनरीक्षित विन्यास का उल्लेख कर रहे हैं जो सरकार के परीक्षाधीन है। इसके पूरा हो जाने पर मेसर्स मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत करने और पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बारे में परस्पर स्वीकार्य समझौता करने का प्रस्ताव है।

मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

*796. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा केन्द्र में मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायतें प्राप्त करने के लिये सरकार के पास कोई निष्पक्ष सामान्य अधिकरण है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अभिकरण का कार्य-क्षेत्र क्या है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन

*797. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रा० एवं विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम के पुनर्गठन के बारे में अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) : समिति के निष्कर्ष पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है क्योंकि समस्त मामले की परीक्षा की जा रही है ।

कालीकट में मुस्लिम लीग का सम्मेलन

*798. **श्री हेम राज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुस्लिम लीग ने कालीकट (केरल) में हाल में हुए अपने सम्मेलन में यह मांग की है कि मालाबार में एक मुस्लिम बहुसंख्यक जिला बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इस संबंध में सरकार के ध्यान में रिपोर्टें आई हैं ।

(ख) राज्य सरकार की पालघाट और काजीकोड जिलों के भागों को मिलाकर मल्लापुरम स्थित हैडक्वाटर एक नया जिला बनाने के पक्ष और विपक्ष में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं । राज्य सरकार द्वारा अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

पुरातत्वीय खुदाई का प्रचार

*799. **डा० रानेन सेन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्वीय विभाग द्वारा गत बीस वर्षों में की गई खुदाई और खोज-कार्यों के परिणाम को प्रकाशित न किये जाने के कारण जनसाधारण को इन में से अधिकांश के बारे में जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इनको प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त हुए परिणाम दर्शाने वाला एक व्यापक प्रकाशन छापने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) से (ग): विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 552/68 ।]**

अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय जलयान

*800. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों (हाई सी) पर कुल कितने भारतीय जलयान चल रहे हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्रों के समवायों के कितने जलयान हैं; और

(ग) भारतीय जलयानों की दरें अन्य समवायों के जलयानों की तुलना में कम हैं अथवा अधिक ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 29-2-1968 को औसतन 1565104 जी आर टी के 144 समुद्रपारीय व्यापार पोत थे ।

(ख) उपरोक्त में से औसतन 372195 जी आर टी के 42 पोत सरकारी क्षेत्र नौवहन कम्पनियों के थे ।

(ग) समुद्रपार व्यापारों में परिचालन करने वाली भारतीय नौवहन कम्पनियां अपने पोतों को लाइनर या ट्रैम्प के रूप में नियुक्त करती है । लाइनर व्यापार में,जो कान्फ्रैंसों या रेट समझौते द्वारा चालित होते हैं, उन्हें अन्य सदस्य लाइनों द्वारा उद्धृत भाड़े की दरें ही उद्धृत करनी पड़ती हैं । ट्रैम्प व्यापार में भाड़े की दरें मांग और सप्लाई के नियम के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं और उसमें भारतीय लाइन तत्कालीन बाजार दरें उद्धृत करते हैं ।

Activities of Pakistanis on Rajasthan Border

***801. Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of Rajasthan, after his tour of the border areas between Rajasthan and Pakistan, submitted a detailed report of his impressions during the tour, to his Ministry in which he laid stress on the need to strengthen security arrangements and exercise vigilance against the activities of Pakistan in Barmer border areas ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in that regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise. However, necessary security arrangements which are reviewed from time to time, have been made all along this border.

भारतीय जहाजों में कन्टेनर सेवा

*802. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन में आरम्भ की गई कन्टेनर सेवा से विदेशों में भारतीय माल की प्रतियोगी शक्ति को बढ़ाने में किसी भी प्रकार सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस सेवा के अन्तर्गत कितने प्रतिशत निर्यात हो रहा है; और

(ग) 1969-70 में इस सेवा के विस्तार के लिये क्या योजनायें हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारतीय नौवहन अभी तक कोई कन्टेनर सेवा चालू नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

रांची की घटनाओं संबंधी जांच आयोग

*803. **श्री रवि राय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस० पी० सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग ने 2 और 4 जनवरी, 1967 के बीच हुई घटनाओं की जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) यह पता चला है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस०पी० सिंह की अध्यक्षता में नियुक्त जांच आयोग ने निर्णय दिया है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए एतिहायती उपाय तर्कसंगत थे । विद्यार्थी उग्र थे और अनुशासनहीनता और गैर कानूनी कार्यवाइयां कर रहे थे इसलिए पुलिस और मजिस्ट्रेट को नियंत्रण से बाहर भीड़ को तितर बितर करने के लिए हथियारों का प्रयोग करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था । पुलिस और मजिस्ट्रेट ने नियंत्रण से बाहर विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने में कुशलता और शान्ति का प्रदर्शन किया और उकसाये जाने के बावजूद भी सराहनीय संयम के साथ काम किया और कम से कम शक्ति का प्रयोग किया ।

Madurai Agitation

*804. **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri K.M. Madhukar :
Shri R.R. Singh Deo :
Shri Bedabarta Barua :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision to boycott the oath taken on solidarity day and also the national song was taken in a meeting of the representatives of the students of the colleges in Madurai ; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan) : (a) The State Government have intimated that such a decision was taken by the representatives of the High School Students of Madurai.

(b) The State Government have reported that the decision taken by the students does not appear to have been given effect so far. The situation is calm and under close watch. The leaders of all political parties in the Madras Legislative Assembly have appealed to the students to desist from acts that would harm national unity.

विमान कम्पनियों की आय पर दोहरे कराधान को रोकने के बारे में लेबनान के साथ करार

*805. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान कम्पनियों की आय पर दोहरा कराधान रोकने के लिये लेबनान की सरकार के साथ कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) क्या अन्य देशों के साथ भी कोई ऐसा करार हुआ है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। यह करार, जिस पर 22 फरवरी, 1968 को हस्ताक्षर किये गये थे, भारत सरकार तथा लेबनान सरकार द्वारा अनुसमर्थित किये जाने के उपरान्त लागू हो जायेगा।

(ख) करार में, भारत और लेबनान में, दोनों देशों में से प्रत्येक को नामजद हवाई कम्पनी को दूसरे देश में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिचालन से होने वाली आय की पारस्परिक कर-मुक्ति की व्यवस्था की गयी है। यह करार, लागू होने के बाद, पिछले वर्षों के लिये निर्धारित की जाने वाली आयों के बारे में भी पूर्व-व्याप्तिसहित प्रभावी होगा।

(ग) एक इसी प्रकार का करार, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमानों के परिचालन से होने वाली आयों की पारस्परिक कर-मुक्ति तक सीमित है, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मौजूद है। इसके अलावा, आय पर दोहरे कर लगाये जाने से बचने के लिये भारत सरकार ने दस अन्य देशों के साथ व्यापक वैमानिक परिवहन से होने वाली आयों की पारस्परिक कर-मुक्ति की भी व्यवस्था की गयी है।

कोयम्बटूर में माओ प्रचार सम्बन्धी इश्तहार

*806. **श्री ब्रह्मानन्द जी :**
श्री देवराव पाटिल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1968 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि माओ त्से तुंग के विचारों को तमिल भाषा में बताने वाला एक बड़ा इश्तहार कोयम्बटूर में देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इश्तहार लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह सन्देह किया जाता है कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कुछ उग्रवादी तत्व ऐसे इश्तहार लगाने के जिम्मेदार हैं।

(ग) उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

लोक शिकायत आयुक्त

*807 **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक शिकायत आयुक्त ने कहा था कि पीड़ित व्यक्तियों ने यह शिकायत की है कि सरकारी नीतियों तथा प्रक्रियाओं को न जानने के कारण वे उचित व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के उन विभिन्न विभागों से जिनका जनता से सम्बन्ध है कहा है कि वे पुस्तिकाओं, इश्तहारों तथा समाचारपत्रों में उन प्रबन्धों का विस्तार से प्रचार करें जो उन्होंने जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के विभागों में से कुछ ने पहले ही आवश्यक विवरणिकायें आदि जारी कर दी हैं और अन्य से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। किन्तु केन्द्रीय सरकार के विभागों का, जिनका जनता से सीधा सम्पर्क नहीं है, ऐसी पुस्तिकायें जारी करने का विचार नहीं है ।

ललित कला अकादमी के विरुद्ध आरोप

4718. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ललित कला अकादमी में भ्रष्टाचार के संबंध में अब तक किन-किन व्यक्तियों को बर्खास्त या मुअत्तिल किया गया है या दण्ड दिया गया है और प्रत्येक ने कितनी राशि का गबन किया है ; और

(ख) इस अकादमी का वार्षिक व्यय और वार्षिक वेतन बिल कितना है और इसके 20 उच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनके वार्षिक वेतन तथा परिलब्धियां क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अकादमियों में भ्रष्टाचार या निधियों के दुरुपयोग का कोई मामला अभी तक नहीं पकड़ा गया है । ऐसी स्थिति में उक्त आधार पर बर्खास्तगी, निलम्बन या सजा देने का कोई मामला नहीं हुआ है ।

(ख) अकादमी के व्यय और 1954–55 से 1966–67 तक उसके वार्षिक वेतन बिल का ब्यौरा परिशिष्ट "क" में दिया गया है । प्रथम बीस अधिकारियों के नाम की सूची परिशिष्ट "ख" में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 553/68]**

मध्य प्रदेश में डाकुओं के पास प्रतिरक्षा विभाग के हथियार

4719. श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 28 फरवरी, 1968 को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा राज्य विधान सभा में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि प्रतिरक्षा विभाग के अर्ध-स्वचालित हथियार मध्य प्रदेश के डाकुओं के पास पहुंचे हैं;

(ख) क्या डाकुओं के पास ऐसे कारतूस पकड़े गये हैं जो सैनिकों को कभी जारी ही नहीं किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस विषय पर 28-2-1968 को विधान सभा में हुये मुख्य मंत्री के भाषण की एक प्रेस रिपोर्ट सरकार ने देखी है। रिपोर्ट के विवरण की पुष्टि राज्य सरकार से प्राप्त होनी है।

(ख) ऐसा कोई मामला रक्षा-मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है। फिर भी, राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होनी है।

(ग) रक्षा-मंत्रालय के पास अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में डाकुओं से 4 राइफलें, 2 स्टेनगन और एक कारबाइन मशीन थोमसन बरामद किये गये। इन हथियारों में से दो राइफलें पहचानी जा चुकी हैं। सन् 1965 के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध कार्यवाहियों में इनके गुम हो जाने की रिपोर्ट की गई थी। शेष हथियारों के सम्बन्ध में जांच चल रही है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में हड़ताल

4720. श्री बाबूराव पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन में कितनी हड़तालें हुईं तथा किन-किन तिथियों को;

(ख) उन कर्मचारी संघों के नाम क्या हैं और प्रत्येक संघ के कितने कर्मचारियों ने हड़तालों में भाग लिया;

(ग) नष्ट हुए श्रम-घण्टों तथा अन्य मूल्यवान क्षति के रूप में कारपोरेशन को कितने रुपये की हानि हुई;

(घ) कारपोरेशन में इतनी अधिक हड़तालें होने के क्या कारण हैं और क्या इन हड़तालों के जिनसे बार-बार यातायात ठप्प हो जाता है ठीक कारणों का पता लगाने के लिये सरकार एक समिति नियुक्त करने का विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित तालिका में अपेक्षित सूचना दी गयी है:—

क्रम संख्या	हड़ताल की तारीखें	यूनियन का नाम	प्रत्येक यूनियन के हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या
1	21/22 जनवरी, 1967	इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन्स एसोसिएशन (दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और मद्रास में मेकेनिक)	691
2	7 से 11 मार्च, 1967 .	इंडियन पायलाट्स एसोसिएशन (बंबई में पायलाट)	14
3	28 मार्च, 1967 .	इंडियन एयरक्राफ्ट टेकनीशियन्श एसोसियेशन, बंबई	399
4	17 मई, 1967 .	एयरकारपोरेशन्ज एम्प्लोईज़ यूनियन, कलकत्ता	231
5	11 से 19 अगस्त, 1967	बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और मद्रास में इंडियन एयरक्राफ्ट टेकनीशियन्स एसोसियेशन	1774

(ग) 20.12 लाख रुपये ।

(घ) और (ङ) समस्त हड़तालें ग़ैर-कानूनी थीं और सरकार ने कारपोरेशन के सब यूनियनों/एसोसियेशनों को एक परिपत्र जारी कर दिया है जिसमें उन्हें यह चेतावनी दी गयी है कि भविष्य में समस्त अवैध हड़तालों को बड़ी कड़ी दृष्टि से देखा जायेगा चाहे उन मांगों का औचित्य कैसा भी क्यों न हो जिनके कि समर्थन में वे हड़तालें की गयी होंगी । उनका ध्यान उस दण्डात्मक कार्यवाही की ओर दिला दिया गया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उनके खिलाफ़ की जा सकेगी ।

इस प्रकार की हड़तालों के कारण की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय दोनों एयरकारपोरेशनों के प्रबंधकर्ता तथा श्रम मंत्रालय विमानन उद्योग में श्रम संबंधों में सुधार करने के प्रयत्न कर रहे हैं ।

जनसंख्या वृद्धि तथा मृत्यु-दर

4721. डा० कर्णी सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि तथा मृत्यु-दरों के अन्तर्राज्यीय अन्तर के बारे में अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या निष्कर्ष निकला है और इस का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) 1951 और 1961 जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि तथा मृत्यु-दरों को बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 554/68]**

राष्ट्रीय राजपथ

4722. **श्री किरुतिनन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 के अन्त तक तमिलनाड (मद्रास राज्य) में कुल कितने राजपथ थे तथा उनकी लम्बाई कितनी थी;

(ख) मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राजपथों की उचित देखभाल के लिये वार्षिक कितने अनुदान अथवा धनराशि की आवश्यकता होती है; और

(ग) मद्रास राज्य में वर्ष 1968-69 में राष्ट्रीय राजपथों द्वारा कुल कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा तथा उसको पूरा किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) मद्रास राज्य में 7 राष्ट्रीय मुख्य माग हैं जिनकी कुछ लम्बाई 1030 मील है जैसे नीचे बतायी गयी है:—

राष्ट्रीय मुख्य माग संख्या	मील दूरी
4	77
5	29
7	385
45	234
46	81
47	137
49	87
कुल	1030

(ख) राष्ट्रीय मुख्य भागों की दशा के अनुसार राष्ट्रीय मुख्य भागों की देख रेख का अपेक्षित अनुदान प्रति वर्ष बदलता रहता है ।

(ग) देश के अन्य भागों की तरह मद्रास राज्य में 1968-69 में वित्तीय तंगी के कारण किसी नये निर्माण-कार्य का प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पी० एच० डी० के छात्र

4723. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल आफ इकानिमिक्स में उसकी स्थापना से लेकर अब तक पी०एच०डी० के लिये कितने छात्रों ने अपने नाम दर्ज कराए और कितने छात्रों ने पी०एच० डी० की उपाधि प्राप्त की; और

(ख) इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज में उसी अवधि में कितने पी०एच०डी० के छात्र थे और कितने छात्रों ने वह उपाधि प्राप्त की ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) क्रमशः 78 और 21

(ख) क्रमशः 195 और 46.

नव वर्ष के आगमन के समय दिल्ली में लोगों के साथ छेड़-छाड़

4724. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर—1 जनवरी, 1968 की रात को नई दिल्ली में अराजकता और लोगों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच से पता लगा था कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने में असफल रहे। संबंधित 6 पुलिस अधिकारी तत्काल मुअत्तिल किये गये, जिनमें एक राजपत्रित अधिकारी भी शामिल था, तथा सभी संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध औपचारिक विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

पत्तनों का विकास

4725. **श्री बे० अनात** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन योजनाओं के दौरान राज्यों को पत्तनों के विकास के लिये ऋण, अनुदान और सहायता के रूप में क्या सुविधाएं दी गई; और

(ख) राज्यवार और योजनावार आंकड़े क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख) विधान के अंतर्गत बड़े पत्तनों की श्रेणी में आने वाले पत्तनों के विकास और प्रशासन केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों का संबंध बड़े पत्तनों के अतिरिक्त अन्य पत्तनों से है। फिर भी भारत सरकार छोटे पत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण देती रहती है। प्रत्येक राज्य सरकार को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्रतिवर्ष दिये गये ऋण की राशियां अनुबंध 1, 2 और 3 में दी गयी हैं।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 555/68]

आन्तरिक दंगे

4726. **श्री लोबो प्रभु** :
श्री गिरिराज शरण सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 फरवरी 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 872 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि जिन राज्यों में आन्तरिक दंगे हुए हैं और जहाँ का प्रशासनिक ढांचा विफल हो गया है वहाँ संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन उनकी रक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर नहीं आती।

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सब राज्यों को इस आशय के निर्देश देने का है कि इस प्रकार के दंगों के लिये पुलिस और मजिस्ट्रेट को उत्तरदायी ठहराया जाये ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने दंगा करने वाले तत्वों के नेताओं की पहचान के लिये कैमरों के प्रयोग पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) भीतरी अशाँतियों से राज्यों को सुरक्षित रखने के उत्तरदायित्व के प्रति केन्द्रीय सरकार जागरूक है । किसी भी उत्पन्न गम्भीर अशान्ति के संबंध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ में निकटवर्ती संपर्क बनाये रखती है और राज्य सरकारों द्वारा माँगी जाने वाली प्रत्येक उपयुक्त सहायता देती है । क्योंकि लोक व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, लोक व्यवस्था में हुई किसी अशाँति के संबंध में पुलिस तथा विधि संस्थान से संबंधित अनुदेश जारी करने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने लोक व्यवस्था में होने वाली अशान्ति के निपटान के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऐसे उपाय अपनाने की सराहना की है ।

Aid for Construction of Roads

4727. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government had formulated a scheme for the construction of roads on some specific routes by giving some assistance ;

(b) if so, the details of those routes in Rajasthan ;

(c) the routes, out of them, on which the construction work has been completed and that on which the construction work is in progress ; and

(d) the routes on which work has not been started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) Central assistance for the construction of State Roads in Rajasthan is given in two ways (1) under the Central Aid Scheme for State roads of Inter-State or Economic Importance and (2) for the construction of strategic roads. The works in the second category are progressing satisfactorily in accordance with the priorities laid down. The particulars in regard to the works in the first category have been called for from the State Government, and will be laid on the table of the Sabha when received.

Dacoit-menace on Rajasthan border

4728. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Home **Affairs** be pleased to state :

(a) the measures adopted by Government to end the terror created by the dacoits in the border areas of Rajasthan and Madhya Pradesh ;

(b) whether Government contemplate to send military there in consultation with the above State Governments or on their own initiative ; and

(c) if so, by when ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):(a) Rajasthan and Madhya Pradesh Governments have reported that they have arranged for intensive policing in the affected areas. Necessary co-ordination is being maintained between the Police Officers of the adjoining Districts. The posts in these areas have also been equipped with additional communication facilities.

(b) to (d) : There is no such proposal under consideration since the State Governments have made adequate arrangements to tackle the docoity problems in their areas.

पुनर्नवीकृत बैटरियों का प्रयोग

4729. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में पुनर्नवीकृत बैटरियों का प्रयोग किये जाने की अनुमति महा निदेशक, असैनिक उड्डयन (डी०जी०सी०ए०) द्वारा दी जाती है ;

(ख) क्या पुनर्नवीयन विदेशी तरीके से किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के तकनीशियनों ने इस विधि का आविष्कार किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). विमानों पर पुनर्निर्मित बैटरियों के इस्तेमाल करने की सामान्य प्रथा नहीं है, क्योंकि बैटरी के खराब होने से पूरा इंजन खराब हो सकता है और इस प्रकार विमान की सुरक्षा और यात्रियों तथा विमान कर्मियों के जीवन को खतरा हो सकता है । इसलिए आई०ए०सी० के एक मैकेनिक द्वारा सुझाये गये तरीके से पुनर्निर्मित बैटरियों का लगाया जाना स्वीकार नहीं किया गया ।

कैरावेल विमान के लिए बैटरियां

4730. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1967 के पहले सप्ताह में वी०टी०-डी०पी०ओ० कैरावेल विमान आगरा में उतरा था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस विमान को फिर से चालू करने के लिये ग्राउन्ड पावर यूनिट को वहाँ ले जाया गया था ;

(ग) क्या वी०टी०-डी०पी०ओ० कैरावेल विमान में बैटरी नं० 16 तथा 1559 प्रयुक्त की गई थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या ये बैटरियाँ नई थीं अथवा पुरानी और उस समय कुल कितने घंटे चल चुकी थीं और ये बैटरियाँ कहाँ की बनी थीं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग) . जी, हाँ ।

(ख) इंजन को चालू करने के लिये एक विमान इन्जीनियर आवश्यक "इलेक्ट्रिकल लीड" के साथ डकोटा विमान से उड़ा अवश्य, परन्तु डकोटा को खराब मौसम के कारण दिल्ली वापस आना पड़ा । इंजीनियर बाद में आगरा पहुंचा ।

(घ) ये बैटरियां 'साफ्ट' निर्मित हैं। 4-7-1967 को विमान के आगरा उतरने के समय बैटरी नं० 16 ने 1117 घण्टे और 30 मिनट तथा बैटरी नं० 1559 ने 1599 घण्टे और 40 मिनट पूरे किये थे।

राज्यों का पुनर्गठन

4731. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता से ऐसी प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं कि सरकार को राज्यों का पुनर्गठन तोड़ देना चाहिये क्योंकि इससे प्रान्तीयता की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं और अनेक कठिनाइयां पैदा हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस संबंध में कुछ व्यक्तियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) सरकार के विचार में संकीर्णता के विरुद्ध सशक्त जनमत न कि राज्यों के पुनर्गठन का उत्क्रमण ऐसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध जो देश के किसी भी भाग में सर उठा रही हैं वास्तविक उपाय होगा।

Air service in Rajasthan by private company

4732. Shri Meetha Lal Meena :
Shri Onkar Lal Bohra :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that air service has been started, by a private company, in Rajasthan ;

(b) the terms agreed upon between the said company and Government in this connection ;

(c) the details about its time-schedule and the fare charged from one place to another ; and

(d) the revenue Government expect to earn therefrom ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). No regular service has been started to Rajasthan by any private company. A private company namely Jamair, which holds a Non-scheduled licence, has been flying to Rajasthan since the 20th February subject to each such flight being cleared by the Director General of Civil Aviation or the Controller of Aerodromes. As a Non-scheduled operator, Jamair is not required to have a time-schedule nor are the fares charged subject to approval of Government. The company is also not allowed to advertise its flights.

The only revenue which Government derives from these flights is by way of the normal airport charges .

Smuggling and Dacoity at Rajasthan Border

4733. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indians arrested for smuggling, dacoity and spying for Pakistan on the Rajasthan Border during 1966-67 ; and

(b) the action being taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 32, nill and 3, respectively.

(b) All the apprehended persons were handed over to the local police.

स्वर्गीय निजाम हैदराबाद द्वारा स्थापित किये गये न्यास

4734. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम द्वारा जो कुल न्यास स्थापित किये गये, उनकी संख्या क्या है, प्रत्येक न्यास में कितनी धन राशि लगाई गई और उसके उद्देश्य क्या थे तथा प्रत्येक न्यास किस किस्म के लोगों को लाभ पहुंचाता है ;

(ख) मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक न्यास की राशि को किस प्रकार लगाया गया अथवा उसका उपयोग किया गया और क्या इन न्यासों से होने वाली आय का वाँछित उद्देश्यों हेतु प्रयोग तथा वितरण किया जा रहा है ; और

(ग) प्रत्येक न्यास में सरकार द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों सहित न्यासियों की संख्या कितनी हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वर्गीय निजाम ने अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य आश्रित व्यक्तियों के लाभ और कुछ सामाजिक-धार्मिक तथा धर्मार्थ कार्यों के लिये 51 प्राइवेट न्यासों की स्थापना की थी । इनमें से छः न्यासों में भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, जिनसे संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 566/68]** शेष न्यासों से संबंधित पूरा विवरण सरकार के पास नहीं है ।

दिक्चालन साधन

4735. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिक्चालन साधनों की व्यवस्था करने के लिये प्रकाशगृहों के महानिदेशक के अनुमान के अनुसार विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या जहाज चालकों के लिये इन न्यूनतम साधनों के बिना लंगर डालने के वास्तविक स्थान के निकट आने में कठिनाई होती है तथा खतरा भी होता है ;

(ग) यदि जहाजों के कप्तान अपने जहाजों को दूर खड़ा करते हैं, तो मालवाहक नौकायें गहरे समुद्र तथा उसकी लहरों की भयानक परिस्थितियों में अपने आप को पाती हैं ; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने उनके मंत्रालय को वर्ष 1968 में अप्रैल से पहले पहले (1) सम्पर्क चैनल से रेत निकालने के लिये 10 लाख रुपये (2) 4.260 टन के यंत्रीकृत बजरों के निर्माण के लिये 6.5 लाख रुपये (3) दिक्चालन साधनों और (4) घाटों तथा रेलवे साइडिंग की व्यवस्था के लिये 3.5 लाख रुपये दिये जाने के लिये प्रार्थना की थी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) मालूम होता है कि यह प्रश्न आन्ध्र प्रदेश में काकीनाद के लघु पत्तन से संबद्ध है। बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तन विधान की समवर्ती सूची में आते हैं उनके विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सड़क निधि से धन का नियतन

4736. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **परिहवन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में केन्द्रीय सड़क निधि से आन्ध्र प्रदेश राज्य को कितनी राशि का नियतन किया गया ;

(ख) इस निधि में से आन्ध्र प्रदेश को अब तक कितनी राशि मिलनी चाहिए ;

(ग) इस वर्ष कितना धन देने का विचार है ;

(घ) उपरोक्त अवधि में केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मैसूर को कितना-कितना धन नियत किया गया ; और

(ङ) उपरोक्त अवधि में चीनी उपकर विकास सड़क निधि से उपरोक्त राज्यों तथा आन्ध्र प्रदेश को कितना-कितना धन नियत किया गया ?

परिवहन तथा नौवहन उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) और (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 557/68]**

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में आँध्र प्रदेश सरकार को 29.00 लाख रुपये की राशि देने का प्रस्ताव है।

(ङ) किसी भी राज्य की सड़कों के विकास के लिये भारत सरकार चीनी पर कोई उपकर वसूल नहीं करती है।

काकीनाडा बन्दरगाह से निर्यात तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन

4737. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अन्य समुद्रवर्ती राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) 1 जनवरी से अक्तूबर, 1967 तक काकीनाडा बन्दरगाह में लाई तथा वहां से ले जाई गई नई वस्तुओं के नवीनतम आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस बन्दरगाह से उस अवधि म कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई तथा सरकार को कितना सीमाशुल्क मिला तथा आन्ध्र प्रदेश में अधिक बन्दरगाह सुविधायें प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) आंध्र प्रदेश और अन्य समुद्रवर्ती राज्यों को पहली, दूसरी और तीसरी योजनावधियों में दी गई केन्द्रीय सहायता बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 558/68]**

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि 1 जनवरी, 1967 और 29 फरवरी, 1968 के बीच काकीनादा पत्तन पर 514180 मीटरी टन माल की धरा-उठाई की गई जिसका वस्तुवार विवरण नीचे दिया जाता है :—

		मीटरी टन
निर्यात	लौह धातुक	2,65,319
	पिग लौह	1,15,363
	तंबाकू	20,363
	सामान्य	31,135
		4,32,180
आयात	उर्वरक राक फास्फेट सहित	82,000
		5,14,180

(ग) राज्य सरकार ने बताया है कि 1-1-1967 से 29-2-1968 तक निर्यात की लागत लगभग 20 करोड़ रुपये थी और अर्जित सीमा शुल्क लगभग 2 करोड़ रुपये था।

विदेशी मुद्रा अर्जन से संबद्ध सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी दी जाएगी ।

चौथी योजना की रूपरेखा की 62 लाख रुपये की व्यवस्था के विरुद्ध काकीनादा पत्तन के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई। 1966-67 में चलती-फिरती क्रेने लेने, रेलवे ट्रैक पुनर्संरेखण, यांत्रिक बजरों के लिए इंजिन लेने इत्यादि, जैसे इस पत्तन के विकास कार्यों पर 18.5 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी थी।

वेतन में महंगाई भत्ता मिलाया जाना

4738. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय की संयुक्त सलाहकार परिषद् ने महंगाई भत्ते या उसके एक भाग को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में मिलाये जाने के प्रश्न को पंचनिर्णय को सौंप देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर पंचनिर्णय करने का काम किसे सौंपा गया है और पंच-निर्णय के निर्देश-पद क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Funds Allocated to Madras State

4739. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the funds, allocated by the Central Government in 1966-67 and 1967-68 to Madras State for the propagation of Hindi, have not been utilised for that purpose;

(b) whether Government have received any complaint in this regard ;

(c) whether Government propose to institute and inquiry in the matter ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Education Shri Sher Singh) : (a) to (d) Grants to non-Hindi speaking States for propagation of Hindi are given for (i) Appointment of Hindi Teachers and (ii) Establishment of Hindi Teachers Training Colleges, on the basis of actual expenditure incurred by them on 100% basis. During 1966-67, the Madras Government asked for a grant of Rs. 90,000 for appointment of Hindi Teachers and Rs. 77,900 for running the Hindi Teachers Training College which was duly sanctioned. During the current financial year *i. e.* 1967-68, the Madras Government have not so far claimed any assistance for appointment of Hindi Teachers. For running the Hindi Teachers Training College, a grant of Rs. 1,24,232 has been asked for out of which Rs. 50,000 has already been released and the balance to the extent admissible will be released before the end of the current financial year. The question of instituting any inquiry in the matter does not arise.

विस्थापित गैर आसामी व्यक्ति

4740. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम म हाल में हुए आन्दोलनों के फलस्वरूप कितने गैर-आसामी व्यक्ति विस्थापित हो चुके है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या योजना तैयार की गई है; और

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा और उसकी क्रियान्विति के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई सहायता दी जायेगी, तो कितनी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुहाटी और विजोयनगर में 26 और 27 जनवरी को दंगों में कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान से वास्तव में विस्थापित नहीं किया गया था हालांकि 5:5 गैर-आसामी प्रभावित हुए थे ।

(ख) और (ग) प्रभावित व्यक्तियों को उदार सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने बीस हजार रुपये की रकम स्वीकृत की है । इसके अतिरिक्त प्रभावित व्यक्तियों को ऋण देने के लिये ग्यारह लाख रुपये की रकम निर्धारित की गई है ।

क्रिकेट टीम को विदेशी मुद्रा

4741. **श्री यशपाल सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गई क्रिकेट टीम के लिए कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई थी; और

(ख) क्या उसे दी गई इस राशि के बारे में किसी व्यक्ति ने असंतोष प्रकट किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दौरे के लिए दस हजार आस्ट्रेलियाई-डालर पेशगी दिए गए थे, जो कि प्रवेश-धन के भारत के हिस्से में से समायोज्य होंगे।

(ख) जी नहीं।

Gandhi Centenary

4742. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Gandhi Centenary Committee has drawn up a programme for providing basic amenities in all the villages of the country by 1969 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the likely share of central expenditure under the scheme?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) Yes, Sir.

(b) The Sub-Committee constituted by the National Committee for the Gandhi Centenary for providing basic amenities for human living has proposed a programme for the provision of one lakh drinking-water wells in villages through the existing Government agencies and Panchayats and Community Development Organisations and with the active cooperation of the local people, by the 2nd October, 1969. A scheme is being worked out by the Sub-Committee and the central and State Governments will consider the same for implementation.

(c) It is not possible to indicate at this stage the position in respect of Central expenditure under the project.

पांडिचेरी के निकट अन्तर्राष्ट्रीय नगर

4743. **श्री ब्रह्माकर सूपकार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के निकट एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर बसाया जाने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है और इस व्यय को कौन वहन करेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) श्री अरविंद सोसायटी, पाँडिचेरी के द्वारा, जिसने इस प्रायोजना को अपने हाथ में लिया है तैयार की गई योजना की मोटी रूपरेखा के अनुसार 1968–73 की अवधि के प्रथम खण्ड पर 41,72,50,000 रुपये खर्च होने की सम्भावना है। भारत सरकार ने प्रायोजना की किसी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है और धन की व्यवस्था श्री अरविंद सोसायटी द्वारा ही की जाएगी।

Kidnapping of Indians by Pakistanis

4744. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistanis kidnapped 5 labourers from Shanghai Ghana area of Tripura on the 13th January, 1968 ; and

(b) if so, the action being taken by Government to being them back ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Border Roads in Rajasthan

4745. Shri Onkar Lal Berwa : Will the **Minister of Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of roads constructed in the border areas of Rajasthan so far against the target fixed, and the length of these roads ;

(b) the amounts paid to Rajasthan Government for the construction of the said roads so far and the dates when these payments were made ; and

(c) the periods for which the work on these roads was suspended and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Target dates for the completion of work have been laid down for 13 roads, having an aggregate length of 920 miles. Of these, 291 miles have been fully completed, 203 miles completed upto water-bound macadum stage, and the remaining 426 miles are in various stages of progress. Over and above this, out of a length of 690 miles of low-priority roads, work on 312 miles length of roads has also been completed.

(b) The amounts paid to the State Government towards reimbursement of the expenditure on the works in progress were Rs. 1 crore in 1965-66 and about Rs. 5·31 crores in 1966-67. A sum of Rs. 7 crores is likely to be paid during the current financial year.

(c) Work on these roads was never suspended. The requirements of road works are, however, reviewed from time to time by the Government. The latest review was made in June-July, 1967 and, as a result thereof, it was decided to concentrate attention on top-priority roads. Work on these roads is being continued, so as to ensure completion according to schedule.

Construction of Border Roads in Rajasthan

4746. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether any loan has been advanced to the contractors for the purchase of machinery for the construction of border roads in Rajasthan ; and

(b) if so, the amount realized from the contractors so far and the time by which the rest of the amount is likely to be realized?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and **(b)** : No, Sir. However, it is understood that the Government of Rajasthan have sold some machinery to the contractors in the interest of speedy execution of the works. The cost of the machinery is being recovered with interest from the running bills of the contractors. The whole amount due will be recovered in full before the completion of the works.

Providing Employment to Nagas

4747. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the arrangements made to provide employment to Nagas in other parts of India ; and

(b) the concrete steps taken by Government to promote cottage and other industries for Nagas as well as agriculture etc.?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Nagas, being Indian citizens, enjoy the same rights as other Indian citizens in the matter of employment in any part of Inlda.

(b) The matter concerns the State Government *vide* entries 14 and 24 in "List II- State List" in the Seventh Schedule of the Constitution.

Technically Qualified Naga Youths

4748. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of youths in Nagaland who are matriculates, graduates and who possess technical qualifications ;

(b) the number out of them who have been provided with jobs and those who are still unemployed ; and

(c) the steps being taken by Government to provide jobs to the said unemployed youths?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) According to 1961 Census, the number of youths, aged 15-34, in Nagaland who are matriculates, graduates and possess technical qualifications are 184, 63 and 6 respectively in Urban Areas. The corresponding information for Rural Areas is not available. However the total number of matriculates and above of all ages is 718 in Rural Areas.

(b) The number of unemployed youths in Urban Areas is 36 matriculates, 8 degree holders and 2 possessing technical qualifications. In Rural Areas the total number of unemployed persons who are matriculates and above is not available. However, there are 39 youths who were unemployed, irrespective of qualifications.

(c) Information has been called for from the Nagaland.

विश्वविद्यालयों में पुलिस का प्रवेश

4749. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 16 फरवरी, 1968 को प्रधान मंत्री से मिला था और उसने मांग की थी कि पुलिस द्वारा शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों की पूर्व आज्ञा के बिना शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन को पश्चिम बंगाल सरकार के पास उसकी सम्मति के लिए भेज दिया गया है ।

Statement by Lt. Governor, Delhi

4750. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the recent statement made by the Lt. Governor of Delhi criticising the Jan Sangh members ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Yes, Sir. As the statement was not correctly reported, the Lt. Governor had subsquently clarified it to say that it was not his intention to criticise the Jan Sangh members.

धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिये सचिवालय संबंधी प्रक्रिया

4751. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमों के अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारी को कागजात अपने अधीनस्थ, कर्मचारी को लौटाने या जिम्मेदारी से बचने की छूट है जब धोखाधड़ी का कोई मामला/पत्र/फाइल उसके सामने रखा जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सही सही क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) यह विषय कल्पना पर आधारित है तथा सही प्रक्रिया बताने के लिये मामले के तथ्य और स्थितियां जानना आवश्यक है। हां, निर्णय करने के लिये सक्षम कोई अधिकारी जिम्मेदारी से बचने का प्रयत्न करे तो उसके विरुद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है ।

Rebel Mizo elected in Legislative Assembly

4752. **Shri Bramhanandji** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a rebel Mizo leader has been elected as a Member of the Legislative Assembly from Aijal East ; and

(b) if so, the reasons for allowing such persons to contest election as indulge in anti-national activities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) On 22nd January, 1968, Shri John F. Manliana has been declared elected to the Assam State Legislative Assembly from the Aijal East constituency. The Government have no power to disallow any citizen of India from contesting an election if he is otherwise qualified under law to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State.

उच्च न्यायालयपीठों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

4753. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालय पीठों मे न्यायाधीशों की नियुक्ति करने मे जन्म स्थान को भी बड़ा महत्व दिया जाता है; और

(ख) इस बात को कब से महत्व दिया जाने लगा है तथा किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० ए० एस०/आई० पी० एस० के लिए अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का चयन

4754. **श्री दे० अमात** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष आई० ए० एस०/आई० पी० एस० के लिये अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोगों का चयन किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 559/68]

Defence of Border Areas

4755. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to stae :

(a) whether Government propose to modify their policy in regard to the administration of the border areas of North-East Frontier in view of the increased anti-national activities there ; and

(b) if so, the details in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Development of Border Areas

4756. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the extent to which the Central Government are responsible for the development of persons living in the area along the 700 miles long Rajasthan border with Pakistan ;

(b) whether his Ministry have made some special arrangements in this regard ; and

(c) if not, whether the backwardness of this area would not endanger the security of the country in the time of crisis?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) As in the other States, development programmes in the areas Rajasthan, including those bordering Pakistan, are undertaken by the State Government, and assistance in respect of Plan Programmes is rendered by the Central Government on approved patterns. Besides such assistance, Government of India have also sponsored and financed the construction of roads in the border areas of Rajasthan. Every effort has been taken to ensure the security and integrity of our borders.

Administrative Reforms Commission

4757. **Shri Sharda Nand** :
Shri N. S. Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the total number of members constituting various Study Groups of Administrative Reforms Commission and the number of members out of them belonging to Congress and the opposition, separately, as also the number of non-politicians?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : There are 230 members in all the Study Teams, Working Groups etc. of whom 37 belong to Congress and 11 to other parties. The number of non-politicians is 182.

दिल्ली पुलिस लाइन्स में विशेष न्यायालयों की स्थापना

4758. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री बी० शं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली वकील परिषद् ने यह मांग की है कि गत वर्ष अप्रैल में हुए पुलिस आन्दोलन के दौरान मुअत्तिल किये गये पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिये नई पुलिस लाइन्स में पांच विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाये ;

(ख) क्या उन्होंने दिल्ली में न्यायपालिका और कार्यपालिका को शीघ्र पृथक किये जाने की भी मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इन मांगों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र में न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने के लिये संसदीय विधान बनाने के प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है ?

CIA'S Alleged hand in Language controversy

4760. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that C. I. A. has a hand in the language agitations in the country ;

(b) whether it is also a fact that the language agitation is being launched by the National Council of University Students of Indla which receives financial assistance from U. S. Dominated Organisation 'International Students' Conference (as reported in Blitz dated 2nd December 1967) ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government have no information that the C. I. A. had a hand in the language agitation.

(b) As far as Government are aware, the National Council of University Students of India did not play any part in the recent language agitation.

(c) Does not arise.

Indian Students in German Democratic Republic

4761. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of Indian Students receiving education in the German Democartaic Republic ;

(b) the number of students out of them in the techmical and non-technical fields, separately ; and

(c) the number of engineers from the public and the private sectors in India, who have so far gone there to receive higher education?

The Minister of Education (Dr Triguna Sen) : (a) Fifteen students were receiving education/training in German Democratic Republic as on 1-1-1967.

(b) All of them were in technical fields.

(c) The information is not available.

आसाम में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

4762. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 पाकिस्तानियों का एक गिरोह आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त पर भारतीय क्षेत्र में कछार जिले के महादेवपुर गांव में अवैध रूप से घुस आया था और फरवरी, 1968 में एक रविवार की रात को उन्होंने वहां डाका डाला था;

(ख) यदि हां, तो सम्पत्ति की कितनी हानि हुई है; और

(ग) ऐसी क्या कार्यवाही की गई है कि आसाम राज्य में ऐसी घटनाएं न घटें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 4 फरवरी, 1968 को रात के एक बजे सशस्त्र डाका डालने की एक रिपोर्ट जिस में लगभग 6000 रु० की सम्पति को हानि हुई कछार जिला (असम) ग्राम महादेवपुर के निवासी द्वारा गुमरा पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई थी ।

(ग) सीमा पर नियमित गश्त की जा रही है ।

शिव सेना

4763. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1967 में बम्बई में शिव सेना का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री से मिला था और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) श्री बाल थेकरे तथा उन के भाई ने प्रधान मंत्री से 9 दिसम्बर, 1967 को भेंट की थी और दो ज्ञापन दिये थे एक शिव सेना के उद्देश्य और लक्ष्य के संबंध में और दूसरा महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के संबंध में ।

(ग) तर्क संगत आर्थिक सामाजिक शिकायतें भी गलत तरीकों से हल नहीं की जा सकती हैं जो कि केवल क्षेत्रीय भेदों को बल देती हैं ।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्रियों की दिल्ली में गिरफ्तारी

4764. **श्री शिवचंडिका प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के दो मंत्रियों ने जो 1967 के अन्त में कानून भंग करने के लिये दिल्ली आये थे और जिन्हें कारावास का दण्ड दिया गया था उस अवधि के लिये वेतन और भत्ते भी लिये थे;

(ख) क्या उन के सचिवों निजी सहायकों तथा चपरासियों ने भी जो उस समय उन के साथ दिल्ली आये थे उस अवधि के लिये वेतन और भत्ते लिये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या वे इस के अधिकारी थे और यदि नहीं तो क्या उन से इस राशि को वापस करने के लिये कहा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

4765. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी पद्धति है कि उच्च न्यायालय बैंच के लिये केवल एक तिहाई न्यायाधीशों की सेवाओं से तथा दो तिहाई न्यायाधीशों की वकील परिषद से नियुक्त की जाती है;

(ख) पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय बैंचों में सेवा तथा वकील परिषद् से नियुक्ति किये गये न्यायाधीशों का वर्तमान अनुपात क्या है; और

(ग) क्या इस सुस्थापित प्रक्रिया की कभी अवहेलना की गई है और यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सेवाओं से 7 तथा वकील परिषद् से 4 ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Raid by Pak Dacoits

4766. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first week of February some Pakistani dacoits raided a village near Dinajpur in West Bengal and carried away some cattle with them ;

(b) if so, the heads of cattle carried away by Pakistani dacoits during the last one year ; and

(c) the steps taken by Government to prevent such incidents?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) 356 heads of cattle were carried away by Pakistani dacoits during the year 1967 from the West Dinajpur border.

(c) Patrolling on the border areas has been intensified and vigilance is being maintained.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

4767 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को अब भी घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1965, 1966 और 1967 में कितना घाटा हुआ है; और

(ग) इस घाटे को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 1964—65 और 1965—66 के वर्षों में आई० ए० सी० को क्रमशः 133·01 लाख रुपये और 32·33 लाख रु० का

लाभ हुआ। 1966–67 के दौरान आई० ए० सी० को मुख्यतया रुपये के अवमूल्यन के कारण 423.50 लाख रुपये की हानि हुई। चालू वित्तीय वर्ष (1967–68) में कारपोरेशन के वित्तीय परिणामों में पर्याप्त सुधार होने की आशा है।

(ग) किराये और भाड़े 1.8.1967 से बढ़ाये गये। कारपोरेशन ने व्यय में किफायत करने एवं और अधिक दक्षता हासिल करने के लिये नयी कार्यविधियां निकालने की दृष्टि से विभिन्न अध्ययन आरम्भ किये हैं। इस के अतिरिक्त, मुख्य मार्गों पर धारिता को बढ़ाने के लिये, और लाभप्रद विमानों को बदल कर उन के स्थान पर दूसरे विमान लाकर विमान बेड़े का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रस्ताव कारपोरेशन के विचाराधीन है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान

4768. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1967 में विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए कुछ धनराशि नियत की है,

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिये कितनी राशि नियत की गई है, और

(ग) इस नियतन का आधार क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों को विकास अनुदानों का आवंटन आयोजना अवधि के लिये करता है, वार्षिक आधार पर नहीं। विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त दौरा समितियों की सिफारिशों और आयोग के पास सम्भावी निधियों की उपलब्धता के आधार पर आवंटन का निर्णय किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों (जिन में "समझे जाने वाले" विश्वविद्यालय भी शामिल हैं) को 1966-67 से 1970-71 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित रकमें मंजूर की गई हैं :

विश्वविद्यालय का नाम	(रुपये लाखों में)
1. आगरा	61.36
2. इलाहबाद	70.93
3. अलीगढ़	156.30
4. बनारस	158.67
5. गोरखपुर	57.52
6. लखनऊ ..	73.30
7. रुड़की	44.25
8. अवारणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय	19.46
9. काशी विद्यापीठ . .	25.81
10. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	11.05

किन्तु वर्तमान साधनों की स्थिति को देखते हुए, आयोग ने उपर्युक्त अनुमोदित आबंटनों का 70 प्रतिशत तक ही अनुदान का निर्णय किया है।

अपराधियों के साथ दिल्ली पुलिस की कथित सांठगांठ

4769. श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री अब्राहम :
श्री पी0 राममूर्ति :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1968 को दिल्ली महानगर में एक पार्षद् द्वारा की गई इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली की पुलिस ने सभी प्रकार के अपराधियों के साथ सांठगांठ करके दिल्ली नगर को अपराधियों का "स्वर्ग" बना दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नगर निगम के सदस्य द्वारा दिये गये मनतव्य की पुष्टि में कोई साक्ष्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है । वस्तुतः राजधानी में अपराध की स्थिति नियंत्रण में है और पिछले वर्ष की तुलना में 1967 के दौरान सभी प्रकार के घृणित अपराधों में कमी हुई है ।

वलियापटम नदी के पश्चिमी तट की सड़क पर सड़क पुल

4770. श्री प0 गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वलियापटम नदी के पश्चिमी तट की सड़क पर एक सड़क पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल सरकार से इस बारे में कोई प्रस्ताव हुआ है ;

(घ) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) पुल लगभग 1260 फीट लंबा होगा और इसमें लगभग 60 लाख रुपये की लागत प्राक्कलित की जाती है ।

(ग) और (घ) केरल सरकार परियोजना के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता के लिए जोर दे रही है किन्तु भारत सरकार के लिए यह सहायता देना मौजूदा वित्तीय संकट के कारण संभव नहीं है । मामले पर और विचार किया जा रहा है :

कोचीन पत्तन वर्कशाप

4771. श्री प० गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री विश्वानाथ मेनन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम पत्तन के चीफ मैकेनिकल इंजिनियर ने कोचीन पत्तन के पत्तन वर्कशाप की संस्थाओं के बारे में कोई जांच की है ;

(ख) : यदि हां, तो उसने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) : उन सिफारिशो को क्रियांवित्त करने में कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क): कोचीन पत्तन अधिकारियो के अनुरोध पर विशाखापत्तनम् के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ने 1962 में एक अध्ययन किया था और कोचीन पत्तन के यांत्रिक अनुभाग के पुर्नगठन के बारे में उस पत्तन अधिकारियों को एक रिपोर्ट पेश की थी ।

(ख) विशाखापत्तनम पत्तन के मुख्य यांत्रिक इंजिनियर की मुख्य सिफारिशें इन विषयों से संबंध है--पृथक इकाइयों के रूप से चलने वाले वर्कशाप और ड्राई डाक का एकीकरण कुछ पदो जिन में उच्च कुशल और अधीक्षकीय संवर्ग भी शामिल है, के बनाने और उनका दर्जा बढ़ाना अतिरिक्त संयंत्रो और मशीनो का प्राप्त करना और वर्कशाप भवन में परिवर्तन और वृद्धि करना ।

(ग) ड्राई डाक और वर्कशाप के एक इकाई में एकीकरण के लिए कोचीन पत्तन ने सब आवश्यक उपाय कर लिए हैं : ग्यारह अतिकुशल और 32 अधीक्षकीय और अन्य पद बनाए गये हैं जिन में से 13 पदों पर नियुक्तियां कर ली गयी हैं । सब पदो के लिए नियुक्ति नियम बना लिए गये हैं । अतिरिक्त संयंत्र और मशीने प्राप्त करने के लिए पत्तन अधिकारियो ने उपाय किये हैं । वर्कशाप भवन को परिवर्तित और परिवर्धित किया जा रहा है ।

Aid to Families of Martyrs

4772. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to give some benefits, in the Fourth plan, to the parents or guardians of the martyrs who had laid down their lives in the struggle for Independence ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affars (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b): Assistance is already being given by State Governments in the form of pensions, land grants, Cash grants and other rehabilitation benefits to the dependents of those who laid down their lives in the freedom stuggle. Small lump sum cash grants are also given from the Home Minister's Discretionary Grant in individual cases of hardship. No proposals for further assistance are under consideration.

I. A. S. and I. C. S.

4773. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the number of I. A. S. and I. C. S. belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes at present in each State?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : A statement giving the information is laid on the Table of the House. (*Placed in Library. See No. LT*—560/68)

National Highway No. 9

4774. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to widen the "National Highway No. 9" from Bombay to Madras ; and

(b) if so, the time by which the above proposal would be implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b) : National Highway No. 9 connects Poona and Vijaywada *via* Hyderabad. The Hon'ble Member presumably refers to National Highway No. 4, which connects Bombay and Madras *via* Poona. If so, it is proposed to consider during the Fourth Five-Year Plan Period proposals for widening to two lanes such sections of single-lane carriage way where the traffic volume will be more than 3000 passenger car units per day

किराये की वसूली

4775. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या गृह कार्य मंत्री 23 फरवरी 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1832 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस आधार पर तथा किस विशिष्ट प्राधिकार के अन्तर्गत समझौता शुल्क के रूप में प्रति वर्ष एक महीने का किराया वसूल किया जा सकता है और यह शुल्क किस तारीख से देय होगा ;

(ख) क्या इस विषय पर कोई अधिसूचना प्रकाशित की गई है और यदि हां तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या रिहायशी मकानों में खोली गई दुकानों के लिये भी भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा इसी प्रकार के शुल्क मांगे जाते हैं ;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या व्यापारिक इमारतों के लिये अधिक सम्पत्ति कर के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए समझौता शुल्क छोड़ने का सरकार का विचार है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) दिल्ली नगर अधिनियम 1957 की धारा 468 के अधीन संबंधित नगर निगम अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन दण्ड दिया जाने वाला किसी भी अपराध का समझौता करने का अधिकार है। एक समान नीति अपनाने की दृष्टि से आयुक्त ने प्रति वर्ष एक मास का किराया समझौता शुल्क के रूप में निश्चित किया है। यह शुल्क रिहायशी भवन को दुकानों के रूप में बदलने की तिथी से लिया जाता है यदि यह परिवर्तन तीन वर्ष की अवधि से पूर्व किया गया हो तो पिछले तीन वर्षों के लिये ही वसूली की जाती है। इन मामलों को अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं होती।

(ग) जी हां श्रीमान्। भूमि तथा विकास अधिकारी दुरुपयोग के दाम वसूल करता है।

(घ) रिहायशी जगह को वाणिज्य के लिये प्रयोग करने से सरकार (पट्टेदार) तथा पट्टा करने वाले के बीच स्वीकृत पट्टे की शर्तें भंग होती हैं तथा पट्टे की शर्तों में की गई प्रत्याशा से अधिक आय पट्टे पर लेने वाले को होती है जिसके अधीन उस स्थान का उपयोग केवल रिहायशी उद्देश्य से किया जाता है।

(ङ) रिहायशी मकानों के दुरुपयोग के संबंध में ही यह समझौता-शुल्क वसूल किया जा रहा है तथा यह उस सम्पति कर से भिन्न है जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 114 के अधीन वसूल किया जाता है और समझौता-शुल्क की वसूली समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आगरा में पर्यटक सुविधायें

4776. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा में पर्यटकों के लिये समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने के मामले में केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समन्वय नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में हवाई अड्डा

4777. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हवाई अड्डों के विकास तथा उन के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : निम्नलिखित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है :—

(i) रांची हवाई अड्डे पर 16.90 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक टर्मीनल बिल्डिंग और सम्बन्द्ध पार्किंग प्रागण तथा टैक्सी ट्रैक का निर्माण ;

(ii) जमशेदपुर में एक नये हवाई अड्डे का निर्माण, जहां कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड का अपना हवाई अड्डा एफ–27; वाईकाउण्ट, इत्यादि, की किस्म के विमानो के लिए अपर्याप्त है । नये हवाई अड्डे पर अनुमानत: 80 लाख रुपया खर्च होगा ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्यताकोर प्रशिक्षण केन्द्र

4778. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाड़ावाला तथा सरीस्का स्थित राष्ट्रीय स्वस्थता कोर प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख): जी नहीं। किन्तु इन प्रशिक्षण केन्द्रों को चलाने का प्रश्न राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के विकेन्द्रीकरण से जुड़ा हुआ है, जो अभी भी विचाराधीन है ।

पारादीप पत्तन

4779. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या पारादीप में एक सामान्य मालघर बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ग) इस प्रस्ताव पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(घ) इस माल-घर का निर्माण कब आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) से (घ). पारादीप पत्तन में एक सामान्य माल वर्थ 2.9 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

हैदराबाद पुलिस कार्यवाही के बाद लूटमार

4780. श्री मधु लिमये : क्या गृह-कार्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के बाद सशस्त्र सेनाओं के कुछ अनुशासनहीन लोगों द्वारा की गई लूटमार आदि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) क्या शिकायत करने वाले लोगों में आन्ध्र प्रदेश की विधान परिषद् के सदस्य हाफिज अबू यूसुफ भी थे ;

(ग) क्या हाफिज अबू यसुफ की सम्पत्ति लूटी जाने के आरोपों समेत लूटमार के इन आरोपों के बारे में कोई जाँच का आदेश दिया गया था यदि हाँ, तो सशस्त्र सेनाओं के अनुशासनहीन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) लूटमार से शिकार हुए व्यक्तियों को सामान्यतया और विशेषतया हाफिज अबू यूसुफ को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो कितना ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री अबू यूसुफ ने सेना के कुछ कर्मचारियों द्वारा सम्पत्ति की लूट के आरोपों की की गई जाँच से संबंधित कुछ पत्रों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की थीं । आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्रार्थना की जा रही है कि निवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों के आधार पर ममले में और आगे जाँच की जाय ।

Untouchability

4781. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the attention of Government has been drawn to the speeches made at the Conference of Hindu Mahasabha held at Baroda where even untouchability has been supported;

(b) whether the attention of Government has also been drawn to the articls appearing in the monthly journal "Kalyan" in which such ideas have been expressed for the past few years; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government of Gujarat have reported that the Hindu Mahasabha Conference did not support untouchability.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

पंजाब विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4782. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ये अधिकारी शिक्षा मंत्रालय के सचिव तथा अन्य अधिकारियों को डाक्टोरेट की सम्मानार्थ उपाधियाँ देकर अपना सेवा-काल बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं ;

(ग) क्या नये उपकुलपति को नियुक्ति करने से पहले हरियाणा और पंजाब के प्रशासनों से परामर्श किया जायेगा ; और

(घ) क्या भाग (क) और (ख) में उल्लिखित आरोपों की जाँच कराई गई हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री पी० एन० कृपाल को मेरी सहमति से विश्वविद्यालय से डाक्टोरेट की डिग्री प्राप्त हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों को सम्मानार्थ डाक्टोरेट की उपाधियां प्रदान करने के विश्वविद्यालय के किसी प्रस्ताव की सरकार को जानकारी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि ऐसी कार्रवाई विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के सेवा काल की अवधि को बढ़ाने के लिये अनुमति प्राप्त करन के उद्देश्य से की गई है।

(ग) पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार, कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाती है। उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि इस मामले में वे हरियाणा और पंजाब की सरकारों से परामर्श करें।

(घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित शिकायतों की जाँच की जा रही है। भाग (ख) में लगाए गए आरोपों के बारे में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

Hindi Speaking Employees

4783. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 651 on the 16th February 1968 and state :

(a) the names of the Departments or Offices of the Central Secretariat which have adequate number of Hindi speaking employees and of those who have received training in Hindi so as to be in a position to send replies in Hindi to letters addressed in Hindi language

(b) the names of the Departments of the Central Secretariat which have been instructed to do correspondence with the Hindi speacking States in Hindi at their own intiative also; and

(c) the names of the Departments of the Central Secretariat which have decided to use Hindi language while corresponding with one another ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Instructions are already in force that Hindi communications received in various Ministries and Departments of the Central Government either from State Governments or individuals are to be replied to in Hindi. Almost all the departments have necessary staff for this purpose. When necessary it would also be supplemented.

(b) Instructions on this subject will be issued shortly.

(c) Instructions regarding use of Hindi for Official purposes apply equally to all Ministries and Departments. According to the provisions of the Official languages (Amendment) Act, 1967, where Hindi or English language is used for purposes of communication between one Ministry or Department, a translation of such communication in the English language or, as the case may be, in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the concerned Ministry/Department have acquired a working knowledge of Hindi.

स्कूलों के लिये स्थान

4784. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के शहरी एवं देहाती क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक और मिडिल स्कूल टूटी फूटी इमारतों में चल रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देहाती क्षेत्रों के बहुत से स्कूलों में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है तथा शुद्ध पेय जल का प्रबन्ध भी नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन स्कूलों की दशा सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि प्राथमिक स्तर पर लगभग 70 प्रतिशत स्कूल और सैकेंडरी स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत स्कूल संतोषजनक इमारतों में नहीं चल रहे हैं।

(ख) जी हाँ। आमतौर पर स्थिति ऐसी है।

(ग) शिक्षा की जिम्मेदारी, जिसमें प्राथमिक / सैकेंडरी स्कूलों की इमारतों का निर्माण और उनमें सफाई तथा पीने के पानी की व्यवस्था करना भी शामिल है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट जिसमें स्कूलों की इमारतों के संबंध में सिफारिशें भी शामिल है, राज्य सरकारों के पास भेजी जा चुकी हैं।

पश्चिमी बंगाल में शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं

4785. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का है ;

(ख) क्या कूच बिहार नगर में एक बी० टी०. कालेज खोलने की पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्वीकृत योजना को कार्यरूप देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है, और

(ग) यदि हाँ, तो यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्तुत की गई शैक्षिक योजनाओं पर भारत सरकार पात्रता के आधार पर विचार करेगी ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से पता चला है कि कूच बिहार में एक बी० टी० कालिज शरू करने का प्रस्ताव उस सरकार के विचाराधीन है । इस संस्था को केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव अभी पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

स्त्री शिक्षा

4786. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन स्थानों में लड़कियों के लिये स्कूल तथा कालेज खोलने का है जहाँ लड़कों के लिये शिक्षा की सुविधायें हैं, किन्तु लड़कियों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, और

(ख) यदि हाँ, तो जिला तथा सबडिविजनों में किस आधार पर ऐसी शिक्षा संस्थाएं खोलने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). लड़कियों के स्कूल और कालिज शुरू करने के संबंध में सरकार की नीति निम्नलिखित है :—

(i) प्राथमिक	सह शिक्षा संस्थाएं ।
(ii) माध्यमिक और स्नातक से नीचे की शिक्षा	लड़कों और लड़कियों के लिए अलग संस्थाएं जहाँ यह प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टियों से सम्भव हो ।
(iii) स्नातकोत्तर स्तर	सह शिक्षा संस्थाएं ।

राज्यों में इसका संबंध राज्य सरकारों से है ।

पश्चिमी बंगाल में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा

4787. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र की नीति के समान पश्चिमी बंगाल में आठवीं कक्षा तक निः शुल्क शिक्षा देने के लिये एक योजना भेजी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1968-69 से उक्त योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वीकृत किया है कि पश्चिम बंगाल में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए पहले साल में 6.3 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

(ख) और (ग). चूंकि शिक्षा राज्य विषय है इसलिए अन्य राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल सरकार को भी आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल करने की सलाह दी गई है।

पाकिस्तानी बमों का पकड़ा जाना

4788. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकमंगलूर में हाल ही में पुलिस द्वारा पाकिस्तान में बने कुछ बम पकड़े गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल). (क) से (ग). मैसूर की सरकार पूछताछ करने पर पता लगा है कि हाल ही में चिकमंगलूर पुलिस द्वारा ऐसे कोई बम नहीं पकड़े गये हैं। हाँ, 6-1-68 को मकान में विस्फोट हुआ था। इस संबंध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। उनके विरूद्ध भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा पांच के अधीन मामला दर्ज किया गया है तथा जांच की जा रहा है।

दिल्ली पुलिस

4789. **श्री देवेन सेन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति भवन तथा विभिन्न मंत्रियों की कोठियों में दिल्ली पुलिस के स्थान पर सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप दिल्ली पुलिस में रोजगार के अवसर कम हो गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). गत वर्ष अप्रैल में हुए पुलिस के आन्दोलन के संबंध में कुछ पुलिस कर्मचारी मुअत्तिल होने और उसके परिणाम-स्वरूप दिल्ली पुलिस में हुई रिक्तियों के कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल की कुछ टुकड़ियाँ राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री निवास स्थान तथा अन्य स्थानों सहित दिल्ली में गार्ड ड्यूटी पर लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के लिये रोजगार के अवसर कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त मोर्चा आन्दोलन

4790. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हाल में के संयुक्त मोर्चा आन्दोलन के सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा राज्य के कारावास में रखा गया ;

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नजर बन्द किया गया ;

(ग) उस राज्य में जब से राष्ट्रपति शासन हुआ है तब से लेकर अब तक कितने लोगों को रिहा किया गया है तथा पुलिस के कितने मामलों को वापिस लिया गया है ; और

(घ) कितने व्यक्ति अब भी कारावास में हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है, और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बड़े पत्तनों का विस्तार

4791. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बड़े पत्तनों के विकास तथा विस्तार के लिये 1967–68 में कुल कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये नियत राशि पूरी खर्च की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) 1967–68 में मौजूदा बड़े पत्तनों के और मंगलौर तथा तूतीकोरिन के बड़े पत्तन के रूप में विकास करने के लिये स्वीकृत किया हुआ सम्पूर्ण उदव्यय 43.48 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्तमान सूचनाओं के अनुसार स्वीकृत आँवटन के विपरीत 1967–68 में संभाव्य व्यय लगभग 34·30 करोड़ रुपये है।

(ग) स्वीकृत आवंटन के पूर्ण उपयोग न किये जाने का कारण कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे कलकत्ता की हल्दिया डाक स्कीम, बम्बई की डाक विस्तार और बलार्ड पियर डाक स्कीम, मद्रास की बाहरी पत्तन परियोजना, कोचीन पत्तन के लिये नये निकर्षक के क्रयादेश में देरी, किफायत के उपाय के रूप में कलकत्ता में कुछ निर्माण कार्यों के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना, विशाखापत्तनम पत्तन से संबद्ध कुछ कार्यों को छोड़ दिया जाना जो व्यौरेवार परीक्षा में अनावश्यक समझे गये, के बारे में जैसी पहिले आशा की जाती थी उसकी अपेक्षा कम प्रगति का होना है।

आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें

4792. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की कोई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :(क) और (ख) प्राथमिक और माध्मिक कक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का काम राज्य सरकारों ने पहले ही अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शुरू कर दिया है। शिक्षा के विश्वविद्यालय-स्तर लिए पाठ्य पुस्तकें और पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए भारत सरकार का प्रस्ताव राज्य सरकारों को छः वर्ष की अवधि तक तुल्य भाग आधार पर सहायता देने का है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे इसके लिए अपनी योजनाएं तैयार करें।

उत्तर प्रदेश के राज्य पाल के सलाहकार

4793. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के लिये कुछ सलाहकार नियुक्त करने का है क्योंकि वह एक एक बहुत बड़ा राज्य है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन सलाहकारों का चयन अथवा नियुक्ति किस आधार पर की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). वर्तमान में सरकार का उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिये सलाहकार नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली पुलिस आन्दोलन

4794. श्री किकर सिंह :
श्री रा० बरुआ
श्री श्रीकान्तन नायर :
श्री रा० की० अमीन
श्री द० रा० परमार :
श्री मोहन स्वरुप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 में हुए पुलिस आन्दोलन में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के विरूद्ध मुकदमे प्राय : गुप्त रूप से चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो अपराधियों को अपने बचाव के लिये उचित सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जिन न्यायालयों में ये मुकदमे चल रहे हैं क्या उनमें सशस्त्र पुलिस तैनात की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) कानून के अनुसार अपने बचाव की सभी आवश्यक सुविधाएं अभियुक्तों को दी जा रही हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

तिहाड़ जेल, दिल्ली

4795. श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री चक्रपाणि :
श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 फरवरी, 1968 को दिल्ली के दैनिक समाचार-पत्र "स्टेट्समैन" मे प्रकाशित हुए एक पत्र की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति ने तिहाड़ जेल के एक कर्मचारी के सम्बन्ध म जो किसी व्यक्ति से धन लेने के बाद मुलाकात कराने के लिये सहमत हुआ था भ्रष्टाचार के मामले का आंखों देखा हाल वर्णन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ;

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला है और उस कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) तिहाड़ जेल मे भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) : दिल्ली प्रशासन द्वारा मामले की जांच की गई थी जिन्होंने सूचित किया है कि आरोप सही नहीं था।

कोचीन में पत्तन मास्टर का कार्यालय

4796. **श्री अनिरुद्धन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री एस्थोस :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन मे पत्तन मास्टर के कार्यालय से कोई भी वी० एच० एफ० संचार व्ययवस्था स्थापित नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) कोचीन मे हारबर मास्टर के कार्यालय मे वी० एच० एफ० संचार सुविधा लगाने के प्रश्न पर मेसर्स भारत एलेक्ट्रोनिक्स लि० बंगलोर के परामर्श से कोचीन पत्तन ट्रस्ट ने विचार किया। इस कंपनी ने पत्तन ट्रस्ट को 156 से 174 एमसी/एस रेंज फ्रीक्वेंसी में काम करने वाले दो नम्बर एम० एफ० 841 सेट देने किये। मार्च 1968 के शुरू में कोचीन पत्तन ट्रस्ट से वी० एच० एफ० सेट के प्रचालन के लिये पत्तन ट्रस्ट को आवश्यक फ्रीक्वेंसी के पक्के आवंटन के लिये अनुरोध प्राप्त हुआ था और मामले के बाबत भारत सरकार वायरलेस सलाहकार के साथ बात चीत की जा रही है।

होटल पुनर्विलोकन समिति

4797. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री रवि राय :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल पुनर्विलोकन तथा सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति कब की गई थी ;

(ख) समिति के निर्देश-पद क्या थे ;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि नहीं, तो इसके कब प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(घ) इस समिति ने सर्वेक्षण के लिये किन-किन स्थानों का सुझाव दिया है ; और

(ङ) क्या उन स्थानों की, जिनका सर्वेक्षण किया जाना है, सूची में केरल मे कोवलम के पर्यटन केन्द्र को सम्मिलित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) होटल पुनरावलोकन व सर्वेक्षण समिति का 22 नवम्बर, 1967 से गठन किया गया है।

(ख) समिति के विचाराणीय विषय अनुबन्ध में दिये गये है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 561/68]।

(ग) : अभी नहीं । समिति से अपना कार्य 6 महीने के अन्दर अर्थात 22—5—1968 तक पूरा कर देने का अनुरोध किया गया है। परन्तु कार्य के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए यह सम्भव है कि समिति समय की अवधि को बढ़ाने के लिये आग्रह करेगी।

(घ) समिति द्वारा निम्नलिखित स्थानों के सर्वेक्षण का सुझाव दिया गया है :—

आगरा, अहमदाबाद, अजन्ता, इलोरा, औरंगाबाद, बम्बई, बंगलौर, भूबनेश्वर, कलकत्ता कोचीन, अर्नाकुलम, दार्जिलिंग, दिल्ली, गुल्मर्ग, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू खजुराहो, कांचीपुरन्, कोणार्क, मदुराई, मद्रास, महाबलीपुरन्, मैसुर, पुरी श्रीनगर, तन्जोर, त्रिवेन्द्रन्, उदयपुर वाराणसी तथा अन्य ऐसे स्थान जिन्हें समिति सर्वसम्मति से इस सूची में जोड़ना चाहे।

(ङ) त्रिवेनद्रम को उन स्थानों की सूची में सम्मिलित किया गया है जिन का मार्च, 1974 के अन्त तक अतिरिक्त होटल शैय्याओं की आवश्यकता की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना है। कोवालन् त्रिवेद्रन् से केवल सात मील की दूरी पर है तथा त्रिवेन्द्रन् पर किया जाने वाला अपेक्षित सर्वेक्षण कोवालन् पर भी उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं को दृष्टि मे रखेगा।

सरकारी कर्मचारियों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें

4798. श्री विश्म्भरन् : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को यात्रा सम्बन्धी क्या रियायत दी गई हैं, जिनका अपना नगर उनके कार्य-स्थल से 250 मील से अधिक दूरी पर है ;

(ख) क्या सरकार ये रियायतें दो वर्षों में एक बार देने के स्थान पर, जैसा कि इस समय है, प्रति-वर्ष देने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या ये रियायत कर्मचारियों की माताओं को भी देने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्रीय सरकार के वे सभी कर्मचारी जो नियमित छुट्टी के अधिकारी है यात्रा सम्बन्धी रियायतों के पात्र हैं। इस योजना के अधीन अपने कार्य के स्थान से नियमित छुट्टी पर अपने निवास-स्थान को जाने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवारों का प्रथम 400 किलोमीटर (श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिये 160 किलोमीटर) का सम्पूर्ण किराया वहन करना पड़ता है तथा शेष दूरी के वास्तविक किराये की सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार

4799. **श्री शिवचन्द्र झा :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टाकहोम चार्टर और विश्व प्रतिलिप्यधिकार सम्मेलन की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकारों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Etawah-Jhansi Road as National Highway

4800. **Shri Ramavtar Sharma :**
Shri Y.S. Kushwah :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government have agreed to the road from Etawah city of Uttar Pradesh to Jhansi *via* Bhind, Gwalior being treated as a National Highway;

(b) whether Central Government are now responsible for the maintenance of the said road;

(c) if not, by when they would become responsible for its maintenance; and

(d) by whom the work of improving the said road would be undertaken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (*a*) and (*b*) No, sir.

(c) and (d) The road from Etawah city to Jhansi, via Bhind and Gwalior, is a State road lying partly in Uttar Pradesh and partly in Madhya Pradesh. Its improvement and maintenance is, therefore, primarily the responsibility of the State Governments concerned.

ARCHAEOLOGICAL CENTRE IN BHOPAL

4801. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Birla Bros. are going to open an archaeological centre of their own in Bhopal in which ancient inscriptions, idols and books would be collected;

(b) if so, whether any senior officer of the Archaeological Department of the Ministry of Education has been sent to assist Birlas in opening the archaeologocial Centre ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) This Ministry has no information.

(b) Does not arise.

Pay Scales of Teachers

4802. Shri Shashibhushan Bajpai : Will the Minister of Education be pleased to state the difference between the present pay scales of teachers in the Union Territories and the pay scales as suggested by the Kothari Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : Statement giving the information based on the available data is enclosed. [*Placed in Library. See No. LT-562/68*].

गुजरात पुलिस द्वारा सैनिक कर्मचारियों को तंग किया जाना

4803. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० कि० अमीन :
श्री व० रा० परमार :
श्री राम चन्द्र ज० अमीन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य विधान सभा में प्रतिपक्षी दल के नेता ने गुजरात राज्य की पुलिस द्वारा सैनिक कर्मचारियों के तंग किये जाने की एक घटना का उल्लेख किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि घटना की जांच की गई है और हैड कांस्टेबल को जो पुलिस स्टेशन का इनचार्ज था मुअत्तिल कर दिया गया है । मामले में आगे विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

अध्यापकों के अधिकार

4804. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० कि० अमीन :
श्री द० रा० परमार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने अभी हाल में जयपुर में हुई अपनी बैठक में सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के पदों को ग्रहण करने तथा चुनाव लड़ने के लिये अध्यापकों के अधिकारों के बारे में शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदनों में व्यक्त किये गये विचारों से सहमति व्यक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने फरवरी, 1968 में जयपुर में हुई अपनी बैठक में इस विषय में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :—

"विश्वविद्यालयों का सिफारिश के लिये उपस्ताव किया कि जहां अध्यापक जन सेवा के विभिन्न पदों के लिये चुनाव लड़ सकते हैं और उस काम के लिये उन्हें उचित छुट्टी दी जाती है जहां यह भी समझा जाना जाहिये कि एक बार चुन जाने के बाद अध्यापकों को या तो अपने काम से इस्तीफा दे देना चाहिए या लम्बी छुट्टी ले लेनी चाहिए। बोर्ड की राय में आवश्यक था ताकि चुने गए अध्यापक जिन निकायों के सदस्य हों उनके कार्य में अपना पूरा योग दे सकें और जिस संस्था से वे संबद्ध हैं उसके प्रति भी न्याय कर सकें। क्योंकि अध्यापन और जन-जीवन दोनों ही उनमें कार्य कर रहे व्यक्तियों के समय और ऊर्जा की ही भारी अपेक्षा रखते हैं इसलिये इन दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश से अच्छे परिणामों की सम्भावना नहीं की जा सकती और बोर्ड उसके पक्ष में नहीं था।

(ख) इस मामले में कार्यवाई करने का काम राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों का है।

Archaeological Exhibits in British Museum

4805. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6068 on the 19th July, 1967 and states :

(a) the efforts being made by Government to obtain the lists or catalogues of the Indian Archaeological exhibits in the British Museum; and

(b) the names of the articles in respect of which the lists have been prepared and whether copies thereof would be laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) Factors like establishing the origin, ownership, reaction of the present owners, political and emotional aspects and legal and other rights have to be considered before any effective efforts can be made. In this regard the matter is being taken up with the appropriate authorities for obtaining information.

(b) The relevant information will be laid on the Table of the House when it is available with the Government.

Bridge on National Highway

4806. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present bridge on National Highway in Khalghat village on Narbada river in Madhya Pradesh remains closed to traffic for days together during the rainy season;

(b) if so, the time by which the construction of a new bridge in place of the existing one whose life-span has expired would be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) It is not a fact that the bridge has outlived its normal span of life, although it is a fact that the bridge is not wide and strong enough for modern traffic. The construction of a new bridge in place of the existing one has been accepted in principle and will be taken up as soon as adequate funds are available, after the allocations for National Highways under the Fourth Five Year Plan are finalised.

विमान निगम

4808. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री 16 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान निगमों के सम्बन्ध में माँगी गई जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्ष में जिन जिन सम्भरण कर्त्ताओं को ठेके दिये गये उनके नाम तथा प्रत्येक सम्भरणकर्ता को दिये गये ठेकों की वार्षिक राशि क्या है और यह ठेके किस प्रकार से दिये गये तथा यदि ये ठेके बिना निविदायें माँगें दिये गये तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों में विमान चालकों को विमान में छोड़े गये सामान को घर ले जाते अथवा हवाई अड्डे के जलपान गृहों को बेचते हुए पकड़ा गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना अभी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोचीन प्रकाश-स्तम्भ

4809. श्री अ० क० गोपालन :
श्री नायनार :
श्री चक्रपाणी :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन प्रकाश-स्तम्भ को वहाँ से हटा कर समुद्र तट के और निकट के स्थान पर ले जाने के सम्बन्ध में प्रकाश-स्तम्भ महानिदेशक द्वारा जाँच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) महानिदेशक की मुख्य सिफारिश मौजूदा दीपघर के बजाय पुलिस के कुछ निकटतर नये स्थान पर एक नया 150 फीट का ऊंचा दीपघर मीनार बनाने की और सामान्य ऋतु की दिशा में 19 मील के क्षेत्र तक 4 मिलियन कैंडिल की तीव्रता के सक्रिय प्रकाश पुंज पैदा करने में सूक्ष्म नवीन विद्युत् चालित प्रकाश उपस्कर के अधिस्टापन की है ।

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा के उपलब्ध न होने के कारण नवीन परियोजना को अभी तक मंजूर करना संभव नहीं हो सका है ।

मैसुर में धार्मिक संस्थान तथा स्मारक

4810. **श्री कृष्णन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धार्मिक संस्थानों और महत्वपूर्ण स्मारकों के लिये मसूर राज्य समूचे भारत में अन्य राज्यों को तुलना में सर्वप्रथम है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन संस्थानों की देखभाल करने के लिये मैसूर में कोई डिवीजनल कार्यालय स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) कानून के द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की धार्मिक संस्थाओं अथवा स्मारकों को छोड़ कर बाकी के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। राज्य में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की संख्या सब से ज्यादा नहीं है ।

(ख) मैसूर के लिये एक अलग सर्किल बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और इसकी कार्यान्विति निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान

4812. श्री कंवर लाल गुप्ता :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार आधुनिक बड़े विमान खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समस्या का अध्ययन करने के लिये कुछ देशों को एक विशेषज्ञ दल भेजा गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दल के निष्कर्ष क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। अधिक धारिता वाले अतिरिक्त विमानों की खरीद के प्रश्न पर गौर से विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के तीन अफसर कुछ विमानों के प्रारम्भिक मूल्यांकन के लिये विदेश गये हैं ।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कर्मचारी

4813. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन होने पर हिमाचल प्रदेश को कितने सरकारी कर्मचारी दिये गये थे ;

(ख) हिमाचल प्रदेश में हरियाणा अथवा पंजाब के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो अपने-अपने राज्यों को वापस जाना चाहते हैं ;

(ग) पुनर्गठन के समय हिमाचल प्रदेश के कितने कर्मचारी हरियाणा अथवा पंजाब को दिये गये थे ; और

(घ) हरियाणा अथवा पंजाब में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो हिमाचल प्रदेश वापस आना चाहते हैं ?

गृह-काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (घ). अन्तिम रूप से 9357 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश को और 1,01,767 कर्मचारी हरियाणा या पंजाब को आवंटित किये गये। पंजाब या हरियाणा को आवंटित किये गये कर्मचारियों में से 1,343 ने हिमाचल प्रदेश को आवन्टित होने का अभ्यावेदन दिया है तथा हिमाचल प्रदेश को आवन्टित किये गये कमचारियों में से 3,1‌46 ने हरियाणा या पंजाब को आवंटित होने का अभ्यावेदन किया है। इनमें वह संख्या शामिल नहीं हैं जो क्षेत्र परिवर्तन के साथ साथ स्वतः ही आवंन्टित किये गये। प्रश्न के भाग (ख), (ग) तथा (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थाई निवास से सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

Increase of Admission fee at Palam Airport

4814. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government have increased the admission fee for the visitors to the Palam Airport from 50 Paise to one rupee from January, 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether some people have expressed resentment in this regard; and

(d) if so, whether Government propose to revise their decision?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The fee was enhanced from 50 Paise to one ruppee in order to discourage more effectively over-crowding in passenger lounges, and also to earn further revenue.

(c) and (d). Government are not aware of any serious resentment in any quarter, and there is no proposal to review this decision.

लामाइज्म के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय

4815. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लामाइज्म में शिक्षा देने हेतु तिब्बती शरणार्थियों के लिये एक विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर शिक्षा संस्था खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) उच्चतर तिब्बतन अध्ययन संस्थान को संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के घटक स्कन्ध के रूप में खोला गया था और उसने 1 जनवरी, 1968 से काम करना शुरू किया था। संस्थान को 85000 रुपये की राशि का आबंटन किया जा चुका है। संस्थान का उद्देश्य लामावाद की शिक्षा देना है। छात्रों की वर्तमान संख्या 100 है।

Strike by Bihar Teachers

4316 **Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Education be pleased to state:**

(a) whether the Central Government are aware that about 1,50,000 teachers of Bihar, who are working in 52,000 educational institutions, propose to go on strike with effect from the 19th March to stress their just and genuine demands; and

(b) the reaction of the Central Government in the matter ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) A telegram has been received from the General Secretary. All India Secondary Teachers' Federation, Patna that the teachers have gone on strike.

(b) The matter primarily concerns the State Government. We have, however, asked for a report from the State Government.

International Copyright Conference

4817. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri George Ferendes :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the nature of topics that came up for discussion in the International Copyrights Conference, held in Geneva in January last and the main conclusions arrived at ;

(b) the names of the countries which have not recognised Stockholm Protocol;

(c) its likely impact on India; and

(d) the action taken to persuade them to agree to it ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) In December, 1967 and not in January, 1968, the Permanent Committee of the Berne Union and the Inter-governmental Committee of the Universal Copyright Convention met in Geneva and considered some items of common interest, the possible revision of the Universal Copyright Convention and the possible steps for implementing the Stockholm Protocol.

(b) So far as is known, no developed country has made any declaration admitting the application of the Stockholm Protocol to works emanating from that country.

(c) It is not clear whether the impact referred to is that of the Stockholm Protocol on India or that of the developed countries not admitting the Protocol. In any case, both questions are under study.

(d) As was decided at the meeting in Geneva, the Secretariat of the Berne Union has issued a circular letter to all member States asking for certain information on the basis of which further steps can be considered for bringing the Protocol into operation.

पश्चिम बंगाल के सविनय अवज्ञा आन्दोलन

4818. **डा० रानन सेन :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सम्बन्ध में हाल में अब भी कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा करने का राज्यपाल द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद भी कुछ विधायक अब भी जेलों में नजरबन्द हैं ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के बाद सिलीगुड़ी क्षेत्र में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) संयुक्त मोर्चे द्वारा चलाये गये आन्दोलनों के सम्बन्ध में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन अभी तक नजरबन्द राजनैतिक कार्यकर्ताओं की संख्या 49 है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) राष्ट्रपति शासन अधिघोषित होने के बाद दार्जिलिग जिले में 7 व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं ।

कलकत्ता पत्तन

4819. डा० रानेन सेन : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन में भीड़-भाड़ कम करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किये गय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और ख). फिलहाल कलकत्ता पत्तन में न तो पोतों की भीड़-भाड़ है और न माल ही की, अतः उन्हें दूर करने के उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

Legalisation on 'Gherao'

4820. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while speaking at a public meeting, the Marxist Communist leader, Shri A. K. Gopalan, demanded the legalisation on 'Gherao' as reported in the Hindi daily 'Nav-Bharat Times', dated the 19th December, 1967; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government do not intend to undertake any legislation to change the existing law on the subject.

Foreign Wives of Government Officials

4821. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 4632 on the 5th July, 1967 and state whether the information regarding foreign wives of Ministers, Ministers of States, Gazetted Officers of Government of India and Indian Ambassadors has since been collected and when the same would be laid on the Table .

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The information has since been collected and furnished to the Department of Paliamentary Affairs on 14th March, 1968 for laying it on the Table of the House to fulfil the assurance. However, a copy of the statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. [Placed in Library *see* No. LT-563/68.]

D. T. U. Buses

4822. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4630 on the 5th July, 1967 and state:

(a) the number of incidents of pick pocketing, of misbehaviour by disorderly elements and of attack on conductors and drivers in D.T.U. buses prevented by the police during 1965-66 and 1966-67;

(b) whether it is a fact that the Delhi Police personnel either refuse to help a lady against harassment caused to her in a bus or express their inability to act in this regard; and

(c) if not, the number of ladies and passengers so rendered assistance during 1966-67?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Statistics about such incidents prevented by the Police are not maintained. However, figures of cases registered with the Police in this connection are as follows :—

	1965-66	1966-67
(i) Cases of pick-pocketing in buses and Bus Stands . .	230	193
(ii) Cases of mis-behaviour by disordarly elements.. . .	..	..
(iii) Cases of attacks on Conductors & Drivers in D.T.U. buses. .	18	22

(b) No, Sir.

(c) 58 persons were arrested for eveteasing and melestation of women in buses and at bus stops, during the period from 1-4-1966 to 10-3-1968.

विदेशी पर्यटकों के लिये होटलों में ठहरने का स्थान

4823. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के होटलों में विदेशी पर्यटकों के लिये ठहरने के स्थान के बारे में जांच करने और होटलों की ऐसी क्षमता बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या हैं और प्रतिवेदन देने के लिये उसे कितना समय दिया गया है ; और

(ग) होटलों में शय्याओं की संख्या बढ़ाने के लिये कितने राज्यों का सर्वेक्षण किया गया है और क्या हिमाचल प्रदेश भी उनमें से एक है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) चौथी योजना के अन्त अर्थात् मार्च, 1974 तक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर अन्य बातों के साथ होटल-शय्याओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने तथा ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए उपयुक्त होटलों के आकार व प्रकार के बारे में सिफारिश करने के लिए एक 'होटल पुनरालोकन व सर्वेक्षण समिति' स्थापित की गयी है।

(ख) समिति के विचारणीय विषय अनुबंध में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 564/68] समिति को छः महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है लेकिन कार्य के परिमाण को दृष्टि में रखती हुए समिति समय की अवधि बढ़ाने के लिए कह सकती है।

(ग) विचारणीय विषयों का उल्लेख करने वाले पैराग्राफ के उपपैरा (ii) में समिति द्वारा सर्वेक्षण किये जाने वाले पर्यटन केन्द्रों की सूची दी गयी है। इसमें समिति को इस सूची में ऐसे अन्य केन्द्रों को जोड़ने का अधिकार भी दिया गया है जिनके बारे में समिति सर्व सम्मति से सहमत हो।

भ्रष्टाचार के मामले

4824. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध 31 जनवरी 1968 तक भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ख) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये तथा कितने मामलों पर जांच की जा रही है ;

(ग) कितने मामले आय-कर अधिकारियों, सीमा शुल्क अधिकारियों, सेना पुलिस, सरकारी उपक्रमों और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध हैं तथा उनमें कितने राजपत्रित अधिकारी हैं; और

(घ) कितने मामलों में दोष सिद्ध हुआ तथा क्या दण्ड दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष पुलिस संस्थान खण्ड ने जनवरी, 1967 से जनवरी, 1968 तक की अवधि में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 852 मामले दर्ज किये।

(ख) 33 मामलों में मुकदमें चलाये गये हैं, तथा 470 मामलों की जांच हो रही है।

(ग) उपरोक्त (क) में दिये गये 852 मामलों में से 169 मामले निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध थे:—

	मामलों की संख्या	सम्बन्धित राज-पत्रित कर्मचारियों की संख्या
आयकर के अधिकारी . . .	26	17
सीमा शुल्क के अधिकारी . . .	19	6
मिलिटरी पुलिस . .	—	—
सरकारी संस्थान . . .	111	60
लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी . .	13	16

(घ) अब तक निर्मित छः मुकदमों में छः व्यक्तियों को दोषी किया गया है : दिया गया दण्ड इस प्रकार है :—

एक को एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया

एक को छः मास के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया

एक को तीन मास के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया

एक को दो मास के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया

एक को एक मास के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया

एक का दोष तो सिद्ध हो गया, परन्तु उसे अपराधियों की परिवीक्षा के अधिनिमम के अधिनियम के खण्ड 4 के अधीन छोड़ा गया।

देश में स्कूल

4825. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या कितनी है और इन्टरमिडिएट, स्नातक उपाधि तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन स्कूलों तथा कालेजों में इस समय कितने छात्र पढ़ते रहे हैं ;

(ग) इनमें से कितनी संस्थाएं गैर-सरकारी हैं और कितनी सरकारी; और

(घ) प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अध्यापक नियुक्त हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) सूचना अनुबंध में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 565/68**]

कुरुक्षेत्र में पर्यटन केन्द्र

4826. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ब्रह्मसरोवर का जीर्णोद्धार करने के पश्चात कुरुक्षेत्र (हरयाणा) में एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कुरुक्षेत्र मुख्यतः देशीय पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए इसके विकास की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा तैयार व क्रियान्वित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता :

Indian Tourists From Fiji and Mauritius

4827. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Indians permanently living in countries like Fiji, Mauritius etc. come here every year in large numbers considering India as a place of their pilgrimage ;

(b) whether Government are also aware that inspite of being foreign tourists, they are not treated properly in our Government offices and comparatively more importance and respect is shown to the white foreign tourists ; and

(c) if so, the steps Government propose to take to stop such discrimination ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. All visitors to Tourist Offices irrespective of nationality are accorded every courtesy.

(c) No instances of discrimination have been reported. Any specific instance brought to notice will be looked into immediatley.

Enquiry Commissions Headed by retired High Court and Supreme Court Judges

4828. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of Home Affairs to state :

(a) the number of Enquiry Commissions appointed by the Central Government under the Chairmanship of working or retired Judges of High Court after independence, till the end of 1967 ; and

(b) the number of such judges, out of them who have been appointed judges of Supreme Court and the number of those appointed as Ambassadors in foreign countries?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya] Charan Shukla) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हिमालय में पर्यटक केन्द्र

4829. **श्री सीताराम केसरी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमालय में स्थित अनेक छोटे पर्यटक केन्द्रों की ओर पर्यटक आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि वहां पर परिवहन तथा आवास की सुविधाओं का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार होटल तथा विश्राम गृह बनाने तथा परिवहन के प्रबन्ध करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) हिमालय में बहुत से छोटे छोटे पर्यटन केन्द्रों पर केवल देशी पर्यटक ही जाते हैं, क्योंकि "आंतरिक रेखा" विनियमों ('इनर लाइन' रेगुलेशन्स) के कारण विदेशियों के उस रेखा से परे जाने पर सुरक्षा के प्रयोजन से पाबंदी लगायी गयी है। उन देशी पर्यटकों के लिये जो हिमालय के अधिक दूरस्थ भागों में जाने का साहस करते हैं आधारभूत सुविधायें मौजूद हैं, और ज्यों ज्यों मांग बढ़ती जाती है इन सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना है ।

उपकुलपतियों की नियुक्ति

4830. **श्री सीताराम केसरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का चयन तथा नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था विवादास्पद विषय बन गया है जिस के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों के प्रशासन में कमज़ोरी आ गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपकुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक जैसी संहिता तथा प्रक्रिया बनाने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ख) सरकार को पास इस बात की सूचना नहीं है। फिर भी उपकुलपति की नियुक्ति के लिये उपयुक्त पद्धति तैयार करने के प्रश्न पर विश्वविद्यालयों

के लिए आदर्श अधिनियम संबंधी समिति और शिक्षा आयोग द्वारा विचार किया जा चुका है और इन्होंने इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। अब उन सिफारिशों पर विचार करने और उन्हें कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों का है, जो कि राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं।

दिल्ली में पुलिस द्वारा बच्चों की पिटाई

4831. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 फरवरी, 1968 को दिल्ली में दरियागंज पुलिस ने स्कूल के कुछ बच्चों को पीटा था और उन्हें हिरासत में ले लिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह गड़बड़ी तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने स्कूल के कार्यसंचालन के बारे में हस्तक्षेप करना चाहा;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने बेगुनाह बच्चों को पकड़ लिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को गाली देने पर दरियागंज स्थित एक स्थानीय स्कूल के एक शिक्षक तथा एक विद्यार्थी के पिता के बीच झगड़ा हुआ था। सूचना मिली है कि 17 फरवरी, 1968 को स्कूल के विद्यार्थी उस पिता के निवास स्थान के समीप एकत्रित हुए तथा मकान पर पथराव किया। इस पर दिल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज किया जिस की जाँच की जा रही है। मामले की जाँच के दौरान पांच विद्यार्थी गिरफ्तार किये गये।

(ग) जी, नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में टाइप की मशीनों का गुम हो जाना

4832. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में टाइप की कुछ मशीनों के गुम हो जाने के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी;

(ख) क्या यह सच है कि टाइप की ये मशीनें उस मंत्रालय के एक अधिकारी की साँठगाँठ से चावड़ी बाजार में किन्हीं व्यापारियों को बेची गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुलिस थाने में दर्ज कराई रपट के आधार पर कुछ फराशों पर दोष लगाया गया है और इस अधिकारी के अनुरोध पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) से (घ) टाइप की मशीनें गुम होने के सम्बन्ध में दो मामले दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये हैं। मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। संबंधित मंत्रालय के चौथी श्रेणी के कुछ कर्मचारियों का जाँच से सम्बन्ध था। उन में से किसी को पीटा नहीं गया।

Arrest of Pak Spy in Rajasthan

4833. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in 'Hindustan Daily' dated the 25th February, 1968 that a Pakistani spy has been arrested in Munabao area in Rajasthan ; and

(b) if so, the enquiries made by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) It is learnt from the Government of Rajasthan that a Pakistan national was arrested on the 20th February, 1968 and a case under Section 14 of the Foreigner's Act has been registered against him at Police Station Girab, District Barmer. The case is under investigation.

Delhi Police

4834. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Deven Sen :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of police constables, head constables, sub-inspectors and inspectors who were removed from service, suspended and prosecuted respectively as a result of the agitation launched by the police officials in Delhi recently ; and

(b) the number of police officials against whom departmental enquiries were instituted and the number of those against whom department enquiries are still pending?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : A statement is attached. [*Placed in Library. See No. LT—566/68*]

Botanical Gardens, Lucknow

4835. **Shri Hukam Chand Kachawai** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a grant of Rs. 28,00,000 was sanctioned by his Ministry during 1967-68 for the National Botanical Gardens, Lucknow, Uttar Pradesh, which is under the Council of Scientific & Industrial Research ;

(b) whether it is also a fact that a grant of 3·50 lakhs of rupees was sanctioned by his Ministry to the Indian Botanical Gardens, Calcutta, which is under the Botanical Survey of India, during 1967-68 ; and

(c) if so, the reasons for the differentiation in the amounts sanctioned?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Out of a total grant of Rs. 1770.903 lakhs to the Council of Scientific & Industrial Research, CSIR sanctioned Rs. 27·121 lakhs for its National Botanical Gardans at Lucknow.

(b) The amount sanctioned for the Indian Botanical Gardens, Calcutta is Rs. 9·328 lakhs.

(c) The amount sanctioned for each Garden is according to its programmes of work, stage of development and other scientific factors. The Lucknow Garden has been with CSIR since 1953. The Calcutta Garden was taken over by the Botanical Survey of India only in 1963.

पुस्तकालयों का विकास

4836. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड फाउन्डेशन ने पुस्तकालयों के विकास के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों को कुछ अनुदान दिये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कितना अनुदान दिया गया है और उस में से (एक) पुस्तकों की खरीद तथा (दो) कर्मचारियों की भर्ती पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ; और

(ग) इस अनुदान का राज्यवार निर्यतन किस प्रकार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : उपेक्षित सूचना शिक्षा मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी

4837. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हाल में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये किये गये निर्णय के परिणामस्वरूप अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के बहुत से योग्य अध्यापकों की सेवाओं से उसे वंचित होना पड़ेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन की सेवाओं का पूर्ण उपयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुभाग अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

4838. **श्री य० अ० प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के संवर्ग के केवल उन अधिकारियों को ही राज्यों में प्रशासन कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है जिन की सेवा का रिकार्ड बहुत अच्छा अथवा उत्तम होता है ;

(ख) क्या संतोषजनक ढंग से प्रशिक्षण पूरा हो जाने के पश्चात अधिकारियों को पहले से उच्च/उत्तम कार्यभार सौंपा जाता है ;

(ग) क्या अधिकारियों को संतोषजनक ढंग से प्रशिक्षण पूरा करने के लिये कोई अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दी जाती हैं ;

(घ) क्या संतोषजनक ढंग से प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति के मामले में कोई प्राथमिकता दी जाती है ;

(ङ) गृह-कार्य मंत्रालय में विशेष वेतन अथवा विशेष भत्ता वाले अनुभाग अधिकारियों के पदों की संख्या कितनी है ; और

(च) उन पदों को भरने का तरीका क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) आवश्यक नहीं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) अनुभाग अधिकारी की श्रेणी से उच्चतर श्रेणियों में पदोन्नति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी 1 तथा चयन श्रेणी में पदोन्नति) विनियमों के अनुसार गोपनीय रिकार्ड के आधार पर जिन प्रशिक्षण की अवधि में उन के कार्य भी शामिल हैं की जाती है।

(ङ) केवल अनुभाग अधिकारी का एक पद ।

(च) पद भरने की कोई निर्धारित पद्धति नहीं है। विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की संख्या बड़ी संख्या में आचरण पुस्तिकाएँ रखने से सम्बन्धित अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिये विशेष वेतन दिया जाता है ।

अयस्कों का लदान

4840. श्री देवकी नन्दन पटोदिया : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अयस्कों को सर्वाधिक लदान दर 1,500 टन प्रति घंटा है जब कि ब्राज़ील, आस्ट्रेलिया और मलयेशिया के बन्दरगाहों में औसत लदान क्षमता 4,000 टन प्रति घण्टा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में अल्प लदान क्षमता और पत्तन सुविधाओं के कारण विदेशों में भारतीय अयस्कों की प्रतियोगी शक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो भारत में विभिन्न पत्तनों में लदान क्षमता को बढ़ाने तथा अधिक अच्छी घाट सेवा प्रदान करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव) : (क) विशाखापत्तनम और पारादीप के पत्तनों पर लौह धातु को यांत्रिक लदाई की सुविधा की व्यवस्था कर दी गई है । अन्य पत्तनों पर लदाई हाथों द्वारा या अर्धयाँत्रिक तरीकों से होती है। पारादीप और विशाखापत्तनम के धातु लदाई संयंत्रों में क्रमशः प्रति घंटा 2700 टन और 2500 टन की क्षमता है मगर व्यवहार में कई कारणों से उन की लदान क्षमता अपेक्षया कम है ।

(ख) किसी सीमा तक यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कच्चे लोहे की प्रतियोगिता लादने की अपर्याप्त क्षमता और उपलब्ध लदान सुविधा से प्रभावित होती है। इस के कई कारण हैं जैसे अन्य देशों में गहरे डुबाव और उच्च लदान दरों के कारण पत्तनों में सप्लाई के नये साधनों का होना, धातुक में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का खरीदार का बाजार होना, धातुक खरीदारी की अन्य देशों में सप्लाई के साधनों के लिये तरजीह जहाँ बड़े आकार के धातुवाहन लदान कर सकते हैं ।

(ग) व्यवस्था की गई सुविधाओं के या प्रस्तावित सुविधाओं के ब्यौरे नीचे दिये जा रहे हैं। ये लदान क्षमता में वृद्धि करने और घाट सुविधा के बारे में है :—

(1) **कलकत्ता** : हुगली नदी से नीचे कलकत्ता से 65 मील पर हल्दिया में एक नई घिरी डाक व्यवस्था बनाई जा रही है। डाक सिस्टम में सात घाट होंगे जिन में एक घाट कच्चे लोहे के लिये होगा। इसमें आधुनिक लौह धातु में संयंत्र होगा जिस की क्षमता प्रति टा 3000 टन होगी और वार्षिक लगभग 3 मिलियन टन है डाक बन रहा है और इस के 1971 तक बन जाने की आशा की जाती है। धातुक लदान संयंत्र की सप्लाई के लिए शीघ्र ही ठेका दे दिया जायेगा।

(2) **पारादीप** : पारादीप पत्तन के विकास की प्रथम प्रवस्था पूरी हो गई है, जिसमें एक लौह धातुक घाट और प्रति घंटा 2500 टन की क्षमता का यांत्रिक धातुक लदाई-संयंत्र होगा जो वार्षिक लगभग 2 मिलियन टन का निर्यात करेगा।

इसकी विकास की व्यवस्था विचाराधीन है। इसमें 50000 डी डब्ल्यू टी के पोत की बजाय 60000 डी डब्ल्यू टी के पोत के ठहरने की व्यवस्था है। इस में वार्षिक 2 मिलियन टन की धातु लदाई सुविधा की बजाय 4 मिलियन टन की व्यवस्था की जायेगी।

(3) **विशाखापत्तनम** : इस समय इस पत्तन में दो लौह धातुक लदाई संयंत्र हैं जिसकी क्षमता प्रति घटा 2700 टन है। संयंत्र की क्षमता 4.5 मिलियन टन वार्षिक है और कुछ सुधारों के करने से इस की क्षमता 6 मिलियन टन वार्षिक हो जायेगी।

(4) **मद्रास** : एक नया बाहरी पत्तन बन रहा है (धातुक तथा तेल डाक)। यह 1968 तक तैयार हो जायेगा। इस में प्रारम्भिक अवस्था में 77000 डी डब्ल्यू टी के पोत आ सकेंगे और बाद में 100,000 डी० डब्ल्यू टी के।

बाहरी पत्तन में एक आधुनिक यांत्रिक धातुक लदाई संयंत्र लगाने का विचार है जिस की क्षमता प्रति घंटा 6000 टन होगी और 5 मिलियन टन धातुक लौह की प्रति वर्ष धरा उठाई कर सकेगा। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष सलाहकार नियुक्त किये हैं। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मद्रास ट्रस्ट द्वारा सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव भेजेगी। नया संयंत्र मार्च, 1971 तक काम करने लगेगा।

(5) **मारमोगाव** : इसके आधुनिकीकरण में एक लौह धातुक घाट की व्यवस्था और लौह धातुक निर्यात के लिये आधुनिक सुविधायें करना है। पत्तन में 45 फीट बाव के ोत आ सकेंगे और प्रति घंटा 6000 टन की क्षमता की आधुनिक लौह धातुक लदान सुविधा होगी। चूंकि परियोजना में पर्याप्त विदेशी मु ा लगेगी अतः अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से विदेशी मुद्रा के बारे में पहुंच की गई है कि परियोजना के अंश की पूर्ति के लिए कुछ सहायता करे। ऋण सहायता प्राप्त होने हर आगे कार्यवाही की जायेगी।

पर्यटन स्थलों के लिये विमान सेवाएं

4841. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विकास परिषद ने यह सुझाव दिया है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को प्राथमिक पर्यटक मार्गों पर अधिक विमान चलाने चाहियें और जिन स्थानों पर अन्य विमान नहीं उतर सकते वहां यात्री हैलीकोप्टर चलाने चाहियें : और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) आई० ए० सी० का अपने विमान बेड़े में वृद्धि करने और विद्यमान डकोटा विमानों को बदल कर उन के स्थान पर एच० एस० 748 (अवरो) विमान लाने का विचार है। हैलीकोप्टर सेवायें चालू करने का अभी तुरन्त कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंग्रेजी के अध्यापन में सुधार करने के लिये संस्थाएं

4842. **श्री रवि राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अंग्रेजी अध्यापन में सुधार करने संबंधी कितनी केन्द्रीय संस्थाएं हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) यह संस्थायें कब प्रारम्भ की गई थीं और इन के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इन संस्थाओं में कितने विदेशी और कितने भारतीय अध्यापक काम कर रहे हैं; और

(घ) इन संस्थाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी रशि खर्च की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) एक (केन्द्रीय इंगलिश संस्थान, हैदराबाद)।

(ख) वह नवम्बर, 1958 में स्थापित किया गया था और उसके उद्देश्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) भारत में अंग्रेजी अध्यापन के स्तरों को सुधारना, अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था करना, विषय के अध्यापन में अनुसंधान की व्यवस्था करना, अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, विशेष योग्यता पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, सैमीनारों आदि की व्यवस्था करना और सुविधा देना;

(ii) परीक्षाएं लेना और शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान करना;

(iii) विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करना;

(iv) ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्यों के प्रवर्द्धन के लिए पत्रिकाओं और सावधिक प्रकाशनों की व्यवस्था करना।

(ग) फिलहाल दो विदेशी अध्यापक और उन्नीस भारतीय अध्यापक संस्थान में काम कर रहे हैं।

(घ) 1967-68 के दौरान केन्द्रीय इंगलिश संस्थान, हैदराबाद को 9.34 लाख रुपये मंजूर किए गए थे।

Ships for Ganges

4843. **Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state the size of the ships that would be able to enter Ganges from Calcutta as well the distance upto which they would be able to enter after the completion of Farakka Barrage?**

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : After the completion of Farakka Barrage and ancillary works, inland vessels with drafts of 8 ft to 9 ft will be able to enter the Ganges from Calcutta upto a distance of about 245 miles almost throughout the year.

विदेशी पर्यटकों के लिये होटल

4844. श्री महाराज सिंह भारती : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने होटलों में तथा उनके कितने कमरों में विदेशी पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था है तथा गत तीन वर्षों में इन होटलों में प्रतिदिन ठहरे विदेशी पर्यटकों की औसतन संख्या क्या है; और

(ख) क्या उपरोक्त होटलों में जब उसमें विदेशी पर्यटक नहीं होते हैं भारतीय पर्यटक भी उस समय ठहरते हैं; यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में ऐसे मामलों का दैनिक औसत क्या रहा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) देश में 221 होटल, जिनमें कुल 16' 426 शय्याएं हैं, ऐसे हैं जिनका अनुमोदन एक स्टार या इससे ऊंचे अन्तर्राष्ट्रीय अंकन (रेटिंग) के लिए योग्य के रूप में किया गया है । इन होटलों द्वारा प्रस्तुत आवास व्यवस्था विदेशियों और भारतीयों, दोनों को उपलब्ध है । विदेशी और भारतीय पर्यटकों द्वारा इन होटलों में ठहरने के बारे में तुलनात्मक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि होटलों से इस प्रकार की सूचना की अपेक्षा नहीं की जाती ।

All India Language Conference

4845. Shri Valmiki Chaudhary : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have been invited to participate in the All-India Language Conference to be held at Kanpur in March, 1968 for evolving a formula on national language ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Use of Hindi in Correspondence with States

4846. Shri Valmiki Chaudhary : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any letter or circular to the effect that the letters addressed to Central Government in Hindi should be replied in Hindi ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

मिज़ो समस्या पर वार्ता

4847. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **गृह–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के तीन अधिकारियों के एक दल ने मिज़ो समस्या पर आसाम के अधिकारियों से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालय के तीन अधिकारी असम, नागालैण्ड और मनीपुर अपने मंत्रालयों से सम्बन्धित नवीनतम सूचना प्राप्त करने के लिये दौरे पर गये थे । उस दृष्टि से उनकी यात्रा उपयोगी सिद्ध हुई थी ।

पारादीप पत्तन

4848. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तलकर्षकों (ड्रेजरों) न मिलने के कारण पारादीप पत्तन में रेत गाद जमा होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) और (ख) पूर्वी घाट के नीरस्त बहाव में परादीप पत्तन की पनघट दीवारों के बनने से अवरुद्ध हो जाने के फलस्वरूप प्रवेश जलमार्ग और लागून में रेत भर गया है । इन स्थानों पर के निकर्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेत को दूर करने के लिये ठेका निकर्षण द्वारा और कलकत्ता पत्तन कमिश्नरों से ो बार ड्रेजर धार लेकर तदर्थ प्रबन्ध किये गये । तब तक जनवरी 1968 में पत्तन का अपना ड्रेजर प्राप्त हो गया और उसे काम पर लगाया गया है । इसके अलावा परादीप पर केन्द्रीय सरकार के लघु पत्तन किर्षण एवम् सर्वेक्षण संगठन के एक ड्रेजर को भी काम पर लाया गया है । इस प्रकार परादीप पर रेत जमा होने की समस्या के हल के लिए इस समय दो ड्रेजर हैं ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में नौवहन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श

4849. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में विकासशील देशों में नौवहन उद्योग के विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है; और

(ख) नौवहन के संवर्द्धन तथा विकास के लिये विकसित देशों ने विकासशील देशों को क्या सहायता देने का बचन दिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी राव): (क) और (ख) विकासशील देशों में नौवहन उद्योग के विकास की समस्याओं पर सं० रा० व्यापार और विकास परिषद् की

चौथी समिति ने विचार-विमर्श किया और उसने इस विषय पर कई प्रस्ताव भी पास किये हैं। परन्तु विकसित देश नौवहन के उत्थान एवम् विकास के लिए विकासशील देशों को क्या सहायता देंगे, यह चौथी समिति की सिफारिशों से सं० रा० व्यापार और विकास परिषद् के पूर्ण अधिवेशन जो चालू है द्वारा विचार किये जाने के बाद ही मालूम होगा।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, रूरकेला

4850. श्री महाकार सूपकार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने रूरकेला स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज का दर्जा बढ़ा कर उसे भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) संशोधित चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना की व्यवस्थाओं के अनुसार यह मामला निश्चित किया जाएगा।

Flights of I. A. C.

4851. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the flights of the planes in the service of Indian Airlines Corporation were delayed and punctuality was not observed in 1967-68 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the percentage of flights where punctuality was observed?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). There were 4618 delays exceeding 30 minutes during the period April to December 1967 aginst a total of about 30,278 take-offs, due to the following causes :

1.	Bad weather	750
2.	Engineering	934
3.	Crew	6
4.	Operational	90
5.	Air Traffic Control	56
6.	Traffic	178
7.	Customs, immigration and health	7
8.	Connecting services (Consequential)	1,979
9.	Catering	2
10.	Surface transport	35
11.	Miscellaneous	581
	Total	4,61

(c) During this period 85% of the flights were operated either without any delay or with a delay not exceding 30 minutes.

Development of Big Ports

4852. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an additional amount of five crores of rupees is proposed to be allocated in the next financial year for the development of big ports ;

(b) if so, the ports on which the said amount is likely to be spent ; and

(c) the details of the amount spent in 1967-68?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) . The overall outlay approved for the development of major ports during 1968-69 is Rs. 42·72 crores of which the Central Government assistance is limited to Rs. 17·75 crores and the balance is expected to be met by the Ports from their own resources. While the bulk of this provision will be utilised for the development and modernisation of facilities at the existing eight major ports, a sum of Rs. 16·62 crores is earmarked for two large supplementary projects in the exising major ports of Calcutta and Madras and the development of Tuticorin and Mangalore as Major ports as follows :---

	(Rs. in crores)
New Dock System at Haldia	11·62
Madras Outer Harbour Scheme	3·00
Tuticorin Port Project	1·00
Mangalore Port Project	1·00
	16·62

(c) According to present indications, an amount of Rs. 34·30 crores is likely to be spent during 1967-68 against an approved allocation of Rs. 43·48 crores as detailed below :—

		(Rupees in crores)
1.	Calcutta (includihg Haldia)	12·14
2.	Bombay	8·65
3.	Madras	4·20
4.	Cochin	1·68
5.	Visakhapatnam	2·29
6.	Kandla	0·39
7.	Mormugao	0·70
8.	Paradip	2·25
9.	Tuticorin	1·00
10.	Mangalore	1·00
		34·30

ओरिएण्टल अनुसंधान संस्था, जोधपुर से दुर्लभ पाण्डुलिपियों की चोरी

4853. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर स्थित ओरिएण्टल अनुसंधान संस्था से 'कल्प सूत्र' जसे कुछ प्राचीन तथा मूल्यवान दुर्लभ पाण्डलिपियां चुरा ली गई हैं ;

(ख) उन्हें बरामद करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी चोरियां न होने देन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) संस्थान के निदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार कल्प-सूत्र की चार चित्रात्मक पाण्डुलिपियों चोरी हो गई है ।

(ख) मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई थी और विभागीय जांच भी की गई थी ।

(ग) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) पाण्डुलिपियों पर पहचान चिन्ह लगाए जा रहे हैं ।

(2) मूल्यवान पाण्डुलिपियों को दोहरे ताले में रखा जाता हैं ।

(3) एक पूर्णकालिक स्थायी निदेशक नियुक्त कर दिया गया है ।

(5) सभी पाण्डुलिपियों की वार्षिक जांच की पद्धति लागू की जा रही है । इनकी संख्या एक लाख से ऊपर है ।

(5) सभी पाण्डुलिपियों को वैज्ञानिक आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(6) पाण्डुलिपियों की देखभाल के लिए और अधिक कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है ।

पत्तनों के लिये विशेष निधि

4854. श्री बी० चं० शर्मा : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में सुझाव दिया था कि विकासशील देशों में पत्तनों के आधुनीकरण के लिये समुचित राशि का एक विशेष कोष बनाया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). दूसरी उन्स्ताद की चौथी समिति से भारत ने विकासमान देशों में पत्तनों के शीघ्र विकास और आधुनिकीकरण के लिये व्याज की कम दर पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिये उचित मात्रा के विशेष निधि स्थापित किये जाने का सुझाव दिया था । समिति ने सफारिश की है कि विकसित देशों की सरकारें सीधे या अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा पत्तनों के शीघ्र विकास और आधुनिकीकरण तथा विकासमान देशों में आन्तरिक परिवहन सुविधावों के बारे में विकासमान देशों की प्रार्थनाओं पर अनुकूल विचार करें । इस पर सम्पूर्ण कांफ्रेंस द्वारा विचार किया जाना है ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार की नीति की आलोचना

4855. श्री बी० चं० शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारी संघों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने के विरुद्ध चेतावनी दी ह;

(ख) क्या हाल में ऐसे कोई मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आचार नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण अथवा उसके अपने नाम से या किसी अन्य नाम से प्रकाशित पत्र में अथवा प्रेस को भेजे गये किसी पत्र में अथवा किसी सार्वजनिक वार्ता में कोई तथ्य अथवा मन्तव्य का ऐसा वर्णन नहीं करेगा जिसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की चालू नीति अथवा गतिविधि की आलोचना हो । सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें सेवा संगठनों (सरकारी कर्मचारियों के फेडरेशन/संगठन सहित) ने ऐसे मामलों पर संकल्प पारित किये और वक्तव्य तथा/अथवा राय प्रकट की जिनसे उन कर्मचारियों द्वारा उपर्युक्त नियम को भंग किया गया, जिन्होंने निजी रूप से अथवा कर्मचारियों के संगठनों (फैडरेशनों/संघों सहित) के कार्यकारी सदस्य के रूप में अथवा ऐसे संगठनों द्वारा जारी की जाने वाली पत्रिकाओं के सम्पादक/प्रकाशक/कार्यालय सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किये थे अथवा उपर्युक्त गतिविधियों में भाग लिया था । अतः ऐसे अनुदेश जारी किये गये हैं जिनमें आचार नियमों की व्यवस्थाओं की ओर सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया गया है, कि आधार नियमों के उलंघन के परिणामस्वरूप संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

आसाम में मारे गये मिजों विद्रोही

4856. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के मिज़ो पहाड़ी जिले में 23 फरवरी, और 25 फरवरी, 1968 के बीच भारतीय सुरक्षा दल द्वारा दो मिज़ों विद्रोहियों को मारा गया और उनसे कुछ शस्त्र, गोला बारूद तथा मूल्यवान दस्तावेज बरामद किये ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार के दस्तावेज बरामद हुए; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कायवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मिज़ो पहाड़ियों मे इस अवधि में सुरक्षा दलों ने दो मिज़ों विद्रोहियों को मारा । उन्होंने विद्रोहियों से एक बन्दूक भी बरामद की। कोई दस्तावेज नहीं पकड़े गये ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गांवों में सड़कें

4857. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या देश के गाँवों में सड़कों का सुधार करने के लिये की कोई संयुक्त योजना तैयार की गई है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग) : अभी तक नहीं श्रीमान जी। फिर भी भारत सरकार ने ग्रामीण सड़कों के बारे में देश की आवश्यकताओं का अभिनिर्धारण करने और उनके विकास के लिये प्रवस्थित कार्यक्रम का सुझाव देने के लिये एक व्यक्ति की समिति स्थापित की है समिति अभी तक अपना अध्ययन कर रही है और आशा है कि निकट भविष्य में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

शिक्षा पर व्यय

4858. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता का बिचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) जनता के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिये, गुण और मात्रा में पर्याप्त, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर शिक्षा आयोग ने विचार किया था जिसने शिफारिश की भी कि कुल शिक्षा व्यय प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया जाय और आजकल के 13 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सन 1986 तक 54 रुपये प्रति व्यक्ति तक बढ़ा दिया जाय, ये सिफारिश इस धारणा पर आधारित हैं कि आगामी बीस वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जायेगी और शिक्षा के लिये राष्ट्रीय आय के अनुपात में राष्ट्रीय आय के वर्तमान 3 प्रतिशत की जगह 6 प्रतिशत आँवटित किया जायेगा।

(ग) चौथी पंच वर्षीय योजना (1966–71) में शिक्षा के लिये जो 1210 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी वह मोटे तौर से इन्ही धारणाओं पर आधारित थी। लेकिन उन गम्भीर आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए जिन में से देश गुजर रहा है, पहले तीन वर्षों (1966–69) में शिक्षा का कुल व्यय 300 करोड़ रुपये से बढ़ने की सम्भावना नहीं है। इस से मात्रा और गुणात्मक रूप में शिक्षा के सभी विकास कार्यक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

अब नई चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने की कोशिश की जा रही है जो अप्रैल 1969 में शुरू होगी, इस नई योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों को शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी और शिक्षा के लिये पहले से अधिक धन आँवटित करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी साधनों, जैसे स्थानीय

प्राधिकारों, स्वयंसेवी संगठनों स्थानीय समुदायों और जनता से धन और अंशदान के रूप में अधिकतम धन जुटाने का भी प्रयास्तस किया जायेगा।

दिल्ली में लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं

4859. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले गुन्डों आदि के विरुद्ध हाल ही में आरम्भ किये गये अभियान में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चला कर उन्हें दण्ड दिया गया है तथा क्या दण्ड दिया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 1-1-1968 से 15-3-1968 की अवधि में 1576 व्यक्तियों को लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिये गिरफ्तार किया गया ।

(ख) 817 व्यक्तियों को विभिन्न राशियों के जुर्माना किये गये, 5 व्यक्तियों को न्यायालय के उठने तक का दण्ड दिया गया तथा शेष 5 व्यक्ति दण्डित किये गये तथा विभिन्न अवधियों की सजा काटने के लिये कारावास भेजे गये ।

National Highway No 12

4860. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no road from Tendkera to Belkher in Madhya Pradesh on the National Highway No. 12 ;

(b) whether the Central Government have not accepted the estimates of the upper layer of the road ; and

(c) if so, the resons therefor?

The Deputy Minister of the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The road from Tendkhera to Belkher is divided into two sections. In the first section *i. e.* between Tendkhera and the junction with National Highway No. 26, further progress on preparation and sanction of road estimates awaits finalisation of the sites for bridges over two rivers falling on this section. The sites are being investigated and surveyed by the State Government. For second section, estimates for land acquisition and earth-work have been sanctioned and works are in progress, but estimates for the upper layer *i. e.* for soling, metalling and black topping have yet to be received from the State Government.

National Highway No. 3

4861. Shri G C Dixit : Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to stare :

(a) whether keeping in view the proposal to discontinue the Gwalior-Shivpuri narrow gauge line in Madhya Pradesh . Government propose to broaden and strengthen the Gwalior-Shivpuri portion of the National Highway No. 3 and also to reconstruct the weaker bridge s situated thereon ; and

(b) if, so, the details thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Even independently of the proposal to dismantle the Gwalior-Shivpuri narrow gauge line in Madhya Pradesh, the draft Fourth Five Year Plan proposals for National Highways had contemplated the widening and strengthening of the crust, where necessary in certain sections of the Agra-Bombay road, National Highway No. 3, including Gwalior-Shivpuri Section and the reconstruction of weak minor bridges and culverts on that Highways. After the plan proposals and allocations are finalised, further details will be worked out and *inter-se* priority of projects fixed in the light of the funds available.

Multiple-line National High ways in States

4862. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the length of the multiple-line National Highways in States like Kerala, Madras, Punjab, Himachal Pradesh and Manipur is more than fifty per cent of their total lengths ;

(b) whether it is also fact that the length of the multiple-line national highways in Madhya Pradesh is only 5 per cent which is one of the least ;

(c) whether it is also a fact that the bridges and culverts are yet to be constructed on many national highways; and

(d) if so, the reasons for such differentiation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Presumably, the member is referring to multi-lane National Highways. A steatement giving the required information is attached. [*Placed in Library. See No. LT*-567/68)

(b) No, Sir, the length of multi-lane National Highways in Madhya Pradesh is 12%.

(c) and (d). Presumably the member is referring to bridges and culverts on National Highways in Madhya Pradesh. Under the first three plans, attention was concentrated mainly on the construction of bridges at unbridged crossing on National Highways in all the States and the replacement of weak bridges or culverts was deffered due to paucity of funds. Five major bridges have already been completed and work is in progress on four bridges, on National Highways in Madhya Pradesh. The reconstruction of some of the weak bridges and culverts in all the States, including Madhya Pradesh, will be considered for inclusion in the draft of the Fourth Plan.

Length of Madhya Pradesh National Highways

4863. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Transport and Shipping** be plessed to state :

(a) whether it is a fact that the length of National Highways in Madhya Pradesh is 1662 miles which is about 11 per cent of the total mileage ;

(b) whether it is also a fact that the condition of the National Highways in Madhya Pradesh is comaparatively worse than those in other States ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) the length of the National Highways in Madhya Pradesh is 1669 miles. This is about 11 per cent of the total mileage of the National Highways in India.

(b) The conditon of National Highways in Madhya Pradesh is no worse than that of National Highways in other States, so far as the standards of construction and maintenance are concerned ; only the percentage which the length of multi-lane roads in Madhya Pradesh bears to the total length of National Highways in Madhya Pradesh is comparatively low.

(c) The number of vehicles using the roads in Madhya Pradesh is comparatively much less than that in many other States and, therefore, the need for having multi-lane roads is correspondingly less.

Development of National Highways in Madhya Pradesh

4864. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the amount spent annually on the development of national highways in Madhya Pradesh and in the whole of India ;

(b) whether it is a fact that only ½ to 2½ per cent of the amount spent in the entire country is spent in Madhya Pradesh ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). A statement indicating the expenditure incurred on National Highways in Madhya Pradesh and in the entire country is attached. [*Placed in Library. See No. LT-568/68*]. It shows that the percentage of expenditure on National Highways in Madhya Pradesh during the last twelve years has varied between 0.56% and 6.29% of the total expenditure on such Highways in the country. Allotments of funds for National Highways are based on the actual requirements for approved works of development of such Highways and not on prorata distribution between the States, either on the basis of the areas or populations of the States or on the length of National Highways in the States. Subject to the availability of funds, the requirements, indicated by the Government of Madhya Pradesh or by any other State Government, for that matter or the development of the National Highways in the State, have been met satisfactorily and equitably.

Women's Education

4865. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Education** be pleased of state :

(a) the main topics discussed at the meeting of the National Council of Women's Education held in Delhi this month and the recommendations made by it ; and

(b) the recommendation made by the Council in regard to the progress in the programmes regarding Women's Education ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) A statement is attached.

STATEMENT

At its Tenth Meeting held in Delhi on the 19th and 20th February, 1968, the National Council for Women's Education reviewed various relevant Central and Centrally sponsored

schemes and discussed measures to accelerate the progress of girls and women's education. It resolved that the education of girls and women should received a very high priority in the Fourth Plan. It recommended that efforts should be concentrated on the following programmes during the Plan period :—

(1) Expansion of the education of girls at the lower primary stage with a view to ensuring that 90 per cent of girls in the age-group 6—11 are provided with five years of education by the end of the Plan.

(2) Conscious and systematic attempts to vitalise teaching and other activities in Primary schools.

(3) Preparing girls from rural areas as primary teachers by providing education and training through a system of scholarships at the Middle and the Secondary stages.

(4) Preparation of girls for different vocations and occupations.

(5) Increasing employment opportunities on a part-time and full-time basis.

(6) Setting up special machinery for the education of girls and women at the State and Central levels.

The Council considered that an integrated approach to education is essential . if progress is to be achieved at any particualr stage of education. Thus the expansion and improvement of primary eduacation need the supporting programmes of pre-school education at one end and the education of adults at the other. While pre-school education will develop mental alertness in children and prepare them for schooling, adult education will create right attitudes to education among men and women and a keen desire to educate their children. Education at the two ends, pre-primary and adult, will ensure that the intervening age-groups are educated. The two programmes will also provide opportunities for full-time and part-time work to many educated women who remain unemployed and are unable to utilise the education they have received.

Insult to National Flag

4866. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are considering to introduce a Bill for awarding severe punishment to the persons showing disrespect to the Natioanl Flag and the National Anthem ; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) : The matter is under consideration.

दिल्ली में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान

4867. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को दिल्ली में रिहायशी मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं है:

(ख) क्या यह भी सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल 1964 में किसी समय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री

से मिला था जिन्होंने उस कारपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को उपयुक्त रिहायशी मकान देने के लिये आश्वासन दिये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो वह आशवासन क्या थे, उनको अब तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं, तथा कब तक उनके पूरे हो जाने की सम्भावना है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के प्रतिनिधि दिसम्बर, 1965 में प्रधान मंत्री से मिले थे। इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन यथासंभव अधिक से अधिक कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था करने का हर प्रयत्न कर रही है। कारपोरेशन ने दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिये 410 क्वार्टर बनाने तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था के लिये जमीन ले ली है। जैसे ही शेष औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं, निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

भारतीय कला तथा स्मारकों के परिरक्षण के लिये राष्ट्रीय ट्रस्ट

4868. श्री रा० स्व० विद्यार्थी क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय को भारतीय कला तथा स्मारकों के परिरक्षण के लिये एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐतिहासिक महत्व के बहुत से स्मारक और वस्तुएं नष्ट होते जा रहे हैं और छोटी कला वस्तुओं का तस्कर व्यापार हो रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो एक राष्ट्रीय ट्रष्ट बनाने के लिये मंत्रालय को प्राप्त सुविधाओं पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) संरक्षण के उपयुक्त स्मारकों और कला वस्तुओं को एनसेंट मान्युमेंटस एण्ड आरकियोलोजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1958 और राज्य सरकारों के तद्नुरूप अधिनियम के अधीन लिया जाता है तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा जिसमें भी सम्बन्धित हो, संरक्षित किये जाते हैं। भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों की सीमा में महत्वपूर्ण स्मारकों की आवश्यक मरम्मत कराता है।

एनटीक्विटीज (एक्सपोर्ट कंट्रोल) एक्ट, 1947 के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के अलावा पुरावशेषों का निर्यात करने पर प्रतिबंध है। इस पर भी, समय समय पर, विदेशों को पुरावशेषों की तस्करी के मामले सरकार को पता लगे हैं और ऐसे मामलों में उपयुक्त कार्यवाई की जा रही है।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

पाकिस्तानी पर्यटक

4869. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले पाँच वर्षों में वर्षवार तथा राज्यवार कितने पाकिस्तानी पर्यटक भारतीय पर्यटन केन्द्र में आयें;

(ख) ऐसे पर्यटक कितने हैं जो अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं गये हैं;

(ग) क्या सरकार भारत में उनकी गतिविधियों पर निगाह रख रही है; और

( ) उक्त अवधि में कितने पाकिस्तानी पर्यटकों को उनकी भारत-विरोधी गतिविधियों के लिये गिरफ्तार किया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Scheduled Caste Officers in Ministry of Education

4870. Shri Ram Charan : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the number of Deputy Educational Advisors, Assistant Educational Advisors, Education Officers and Assistant Education Officers in the Ministry of Education; and

(b) the number of those officers among them who belong to Scheduled Castes/Tribes ?

The Minister of Education (Dr Triguna Sen) : (a) and (b) The required information is given below :—

Designation	Number of officers	Number belonging to Scheduled Castse Tribes
Deputy Educational Advisor	12	Nil
Assistant Educatioanl Advisor	26	5
Education Officer	17	2
Assistant Education Officer	15	2

Sub-Registrar in Delhi

4871. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Bramhanandji :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that threre were three sub-Registrar in Building Registrar Office in Delhi ;

(b) whether one more Sub-Registrar has been appointed recently ;

(c) whether it is also a fact that a new office is being opened in Shahdara for the said fourth Sub-Registrar; and

(d) if so, the justification therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There are at present three Sub-Registrars in Delhi. The Offices of two Sub-Registrars are located in Old Courts Buildings, Kashmere Gate, and one at Asaf Ali Road, New Delhi.

(b) to (d) In view of the increase in the volume of work, the Delhi Administration are considering a proposal to appoint one more Sub-Registrar. They are also considering the question as to where the office of the new-Sub-Registrar should be located.

Pilgrims of U. P.

4872. Shri Brahmanandji : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ignorant piligrams visiting the places of piligrimage in U. P. are implicated in false cases of dacoity, etc., by the police there; and

(b) if so, the steps taken by Government to check such actions on the part of the Police ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Information is being collected from Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of thr House.

Assam Disturbance

4873. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a plot for creating riots on the 26th January was hatched in a secret meeting held on the 24th January, 1968 before the disturbances actually took place in Assam ;

(b) whether it is also a fact that some prominent Chinese officials and Pakistani officials had also participated in the said meeting ;

(c) whether it is also a fact that the shops owned by pro-Pakistan and pro-China people were located by the rioters; and

(d) if so, the action taken by Government against the pre-Pakistan and pre-China elements in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the information received from the State Government, a decision to boycot Republic day celebrations of 26th January at Gauhati was taken in a meeting held in camera of the All Gauhati Students Union. No decision is known to have been taken at this meeting to organise riots on January, 26.

(b) No, Sir.

(c) There is no information so far that the shops owned by alleged pro-Pakistan and pro-China people were not looted by the rioters.

(d) Does not arise.

Economic-oriented Education

4874. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the suggestions made by Dr. Atma Ram, DG., CSIR while delivering his convocation address at Banaras Hindu University to the effect that the pattern of scientific and technical education in the country should be modified in conformity with the economic planning; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr Triguna Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) The suggestion is good and is being followed in formulating schemes for the expansion and development of technical education.

Illicit Distillery in Delhi

4875. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an illicit distillery is functioning in the capital which sells its products as English wine ;

(b) whether it is also a fact that the local police is aware of the said distillery ;

(c) if so, whether Government propose to investigate the matter; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such unstance has come to notice of Government .

(b) to (d). Do not arise.

Strike in Jamia Millia, New Delhi

4876. Shri Bal Raj Madhok : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Student's Union of Jamia Millia had given a call for strike some time back ;

(b) whether it is also a fact that the authorities of Jamia Millia expelled about 10 students, including the office-bearers of the Union from the College following the above call;

(c) whether it is further a fact that all those students excepting one have now been readmitted to the college; and

(d) if so, the reasons for refusal of readmission to this student ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) No, Sir.

(b) Ten students, including one office bearer of the Students' Union, were expelled from the college for gross misconduct.

(c) and (d). Five students have been readmitted, while three others have been permitted to appear for their examinations as private students. The remaining two students have not been re-admitted. The Jamia authorities have been not considered them worthy of lenient punishment because of the gravity of the charges against them.

केरल में राष्ट्रीय राजपथ

4877. श्री वासुदेवन नायर : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजपथों के लिए अधिक धन देनें के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो 1968–69 के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) बजट के पास हो जाने के बाद 1968–69 के लिये आवंटन निश्चित किया जायेगा ।

अन्तर्राज्यीय सड़कें

4878. श्री वासुदेवन नायर : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यीय सड़कों के निर्माण और संधारण के लिए 100 प्रतिशत अनुदान देने की नीति का पुनरीक्षण कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नीति क्या है ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस पुनरीक्षण के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों का केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम सड़कों के रख रखाव के लिये सहायता अनुदान नहीं देता क्योंकि यह सम्बन्धित राज्य सरकार का दायित्व है । निर्माण/सुधार कार्यों के लिये उस कार्यक्रम के अधीन दी सहायता 33 1/3 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक परिवर्तित होती रही है और प्रत्येक मामले में शत प्रतिशत सहायता नहीं दी जाती । राष्ट्रीय विकास परिषद में इस विषय पर हुए विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने जनवरी, 1967 में कुछ सिद्धान्त विभिन्न राज्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये बनाये थे जिनके अनुसार आर्थिक महत्व या अन्तर्राज्यीय राज्य सड़कों को सम्पूर्ण उद्व्यय का 1/3 होना चाहिये । महत्वपूर्ण पुलों के बारे में सहायता की राशि प्रत्येक मामले के महत्व पर तय की जायेगी । फिर भी चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया जायेगा जो 1 अप्रैल, 1969 से प्रारम्भ होने का अनुसूचित है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सड़क निर्माण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण

4879. श्री म० ला० सोंधी : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिये विश्वबैंक के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से बड़ा ऋण उपलब्ध हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चित राशि मिली है और भारत में किस प्रकार इसको उपयोग में लाया जा रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी

4880. श्री म० ला० सोंधी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त, 1967 से 31 जनवरी, 1968 तक की अवधि में राजधानी में कारों तथा स्कूटरों की चोरी के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितनी कारें तथा कितने स्कूटर चुराये गये और इससे पहले के छै महीने की अवधि के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) कितने अपराधियों को पकड़ा तथा दण्डदिया गया है और कितनी कारें तथा स्कूटर उनके मालिकों को वापिस लौटाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—569/68]

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विस्तार

4881. श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री अनिरुद्धन :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विस्तार करने के बारे में हवाई अड्डा विस्तार तालिका ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग). आशा है अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्र समिति, जो कि जम्बो जेट और एस एस टी विमानों के चालू करने के संदर्भ में चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर विचार कर रही है, अपनी अन्तरिम रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत कर देगी ।

पटना में पड़ी हुई कर्षनावें तथा बजरे

4882. श्री कामेश्वर सिंह : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में विभिन्न प्रकार की कर्षनावों का एक बड़ा बेड़ा बेकार पड़ा है

(ख) यदि हां, तो सरकार को उसके संधारण पर कितनी हानि हुइ ह ; और

(ग) क्या सरकार उत्तर बिहार में कोयला भेजनेके लिये इन कर्षनावों तथा बजरों का उपयोग करने का विचार कर रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). दो पुश टाग यूनिट, जिनमें एक टग है और चार बजरा हैं, बकसर और राज महल के बीच गंगा में उथले डुबाव के पानी के चलने की तकनीकी शक्यता मालूम करने के लिये प्रायोगिक कनहार सेवा चालू करने के लिये प्राप्त किये गये थे । ये पता चला कि ये सेवायें 1960 और 1962 में चलाई

गई थी यद्यपि तकनीकी तौर पर ठीक थी अप्रयाप्त यातायात अर्जन के कारण हानिकर थीं। इसलिये उन्हें बन्द कर दिया गया। बाद में पटना और इलाहाबाद के बीच ये कोयला ले जाने के काम में लाई गई, मगर यह भी बन्द कर दी गई क्योंकि यह अन्य परिवहन के साधनों से सस्ती नहीं थी। फिर ये यूनिटें राष्ट्रीय मुख्य मार्ग बनाने में गंगा के पार सामग्री ले जाने के काम में लाई गई।1965 से ये कभी कभी अन्य दलों के सामान ले जाने और बिहार सरकार के बाढ़ सहायता काम में लाई गई। चूंकि ये यान गंगा में पूरी तौर से लगे नहीं थे उन्हें अन्य स्थान पर उपयोग में लाये जाने पर विचार किया गया। इसमें बिहार सरकार की सलाह ली गई थी। उन्हें कलकत्ता भेजने का निश्चय किया गया जहां वे 1967 में बाढ़ के समय खाद्यान्न इत्यादि परिवहन करने का काम करते रहे। बाद में बिहार सरकार तथा अन्यों के प्रतिवेदन पर उन्हें कलकत्ता स्था-स्थानान्तरित करना रोक लिया गया। नदी में वाणिज्यिक सेवा चलाने की दृष्टि से अलाहाबाद और राजमहल के बीच कोयला इत्यादि ले जाने के लिए सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य सरकारों की सहायता से किया जारहा है। इन पोतों के रख रखाव पर औसतन 1.77 लाख रुपये का व्यय किया जा रहा है।

बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद

4883. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्यन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे के आस-पास गैर-सरकारी भूमि और इमारतों का अर्जन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा. कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विजयवाड़ा में हवाई अड्डा

4884. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्यन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के निकट गौनावरन में एक हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो 1968-69 में इस परियोजना के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विजयवाड़ा के निकट गन्नावरम् में पहले से ही एक हवाई अड्डा मौजूद है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के स्कूल अध्यापकों की हड़ताल

4885. श्री एस्थोस :
श्री भगवान दास :
श्री नम्बियार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतनमानों के बारे में कोठारी आयोग द्वारा की गई सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये सारे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों ने हाल में 24 घंटे की भूख हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कुछ प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बारे में रिपोर्ट मिली है कि वेतनमानों के सम्बन्ध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने एक दिन की भूख हड़ताल का अवलम्बन किया लिया है।

(ख) यह मामला मुख्यत राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

4886 श्री रमानी :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के फालतू कर्मचारियों के लिये पुनः रोजगार के अवसर ढूंढ़ने के हेतु अर्थोपाय खोजने के लिये कलकत्ता पत्तन आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में स्थापित की गई समिति के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और अन्य बातों के अलावा उसकी मुख्य सिफारिशें निम्न हैं :—

(1) फिर से नियुक्त किये जाने के लिये, 55 वर्ष की उम्र में ढील दी जानी चाहिये।

(2) फालतू क्लर्कों, जिन्होंने नदीवाष्प नौचालन कम्पनी में कम से कम 10 वर्षों तक की नौकरी की है और गैर-मैट्रिक हैं, उन्हें मैट्रिक के बराबर समझा जाना चाहिये अर्थात् यद्यपि वे मैट्रिक नहीं हैं फिर भी क्लर्कों की नौकरियों के लिये उनका विचार किया जाना चाहिये।

(3) फालतू कर्मचारियों को अपने को रोजगार कार्यालय में भरती किये जाने पर के लिये समझाना चाहिये और कार्यालय को ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर मनोनीत करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। पच्छिमबंगाल, विशेषकर आसाम तथा बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारों के प्रार्थना की जानी चाहिये कि अपने नियंत्रणाधीन रोजगार कार्यालयों को अपने यहां भरती किये फालतू व्यक्तियों को उसी प्राथमिकता के आधार पर मनोनीत करें।

(4) केन्द्रीय अन्तर्देसी जल परिवटन निगम को प्रत्येक फालतू व्यक्ति को एक वैयक्तिक पत्र लिखने की सलाह दी जानी चाहिये जिसमें इस तथ्य का प्रमाणपत्र दिया गया हो कि नदी वाष्प नौचालन कंपनी के बन्द होने के दिनांक से वह नियुक्ति में नहीं है और उसे उस पत्र के आधार पर कितना शीघ्र हो सके उसे उपयुक्त रोजगार कार्यालय में अपने को पंजीकृत करा लेने की सलाह दी जानी चाहिये।

(5) सार्वजनिक उधम व्यरो से प्रार्थना की जानी चाहिये कि वह विभिन्न सरकारी क्षेत्र से स्थानों में नदी वाष्प नौचालन कंपनी के फालतू व्यक्तियों के लिये रिक्त स्थानों का एक कोटा आरक्षित करने के लिये कहें।

(6) कलकत्ता और गोहाटी या शिलांग में उपयुक्त अधिकारी तैनात किये जाने चाहिये जो निरंतरता के आधार पर गैर-भर्ती व्यक्तियों का पुनर्वास करें।

(7) फालतू व्यक्तियों को किसी वैकल्पिक व्यापार या व्यवसाय में पुनर्वास करने की दृष्टि से उनके उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय से एक स्कीम बनाने की प्रार्थना की जानी चाहिये।

(ग) इसके परिणामस्वरूप, नदी-वाष्प नौचालन कंपनी के बन्द होने से पूर्व उसके 8170 कर्मचारियों में से अभी तक सरकार और उसकी एजसियों की सहायता से केन्द्रीय अन्तर्देसी जल-परिवहन निगम और विभिन्न गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र से स्थानों में 5180 व्यक्ति लगा लिये गये हैं। सार्वजनिक उधम व्यूरो ने समस्त सरकारी क्षेत्र से स्थानों को सूचित कर दिया है कि जहां कहीं रिक्त स्थान हों या भविष्य में होने की संभावना हो तो फालतू व्यक्ति यदि उपयुक्त हों तो अधिमान्यता के आधार पर जहां तक संभव हो उन्हें नौकरी पर लगा लिया जाये। केन्द्रीय अन्तर्देसी जल परिवहन निगम भी जब कभी उसे कोई रिक्त स्थान की अधिसूचना मिलती है तो फालतू व्यक्तियों के उनके प्रतिवेदान मांगता है। श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ने रोजगार कार्यालयों को आदेश दे दिये हैं कि फालतू व्यक्तियों को पंजीकृत किया जाये और उन्हें हर सभव नौकरी की सहायता दी जाये। उक्त मंत्रालय ने कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर और डाक लैबर बोर्ड को अनुज्ञा देनी है कि रोजगार सेवाओं के हस्तक्षेप किये बिना कर्मचारियों को भरती किया जाये तथा पुनर्प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था भी विचाराधीन है। कलकत्ता और शिलांग क्षेत्रों में फालतू कर्मचारियों के पुनर्वास के लिये वहां अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। जैसा कि समिति ने सिफारिश की है, आसाम, पच्छिमबंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि अपने नियंत्रणाधीन रोजगार कार्यालयों को फालतू व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर मनोनीत करने का प्राधिकार दें। उन्हें

उम्र और शैक्षणिक योग्यता में ढील देना संभव नहीं हो सका है क्योंकि शैक्षणिक योग्यता में इस प्रकार की ढील भूतपूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड तथा शार्टकमीशन्ड अधिकारियों को भी नहीं दी गई है।

Teachers in Kashi Vidyapeeth

4887. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that teachers appointed in Kashi Vidyapeeth have been working on temporary basis for the last many years and their term expired on December, 1967;

(b) if so, their number and educational qualifications of each ;

(c) whether it is also a fact that in December, 1967, candidates were called for interview from various parts of the country for the appointment of new teachers;

(d) if so, their number and educational qualifications of each and the number of candidates appointed out of them; and

(e) if not, the reasons for not selecting any candidates out of them and for retaining the old temporary teachers ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Kothari Commission

4888. Shri Nihal Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government had appointed Kothari Commission in 1964 for revision of pay scales of teachers;

(b) if so, the total amount spent on it;

(c) the number of Indian and foreign experts on the Commission; and

(d) the names of the States where the recommendations of the Commission have been implemented and the amount given by Central Government to various States in this regard ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (d). A statement is attached.

[*Placed in Library. See No. LT-570/68*]

दिल्ली के पोलिटेक्निकों में अनुसूचित जातियों के छात्र

4889. श्री निहाल सिंह :
श्री रामसिंह अयरवाल :

क्या शिक्षा मंत्री 23 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में पोलिटेक्निकों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और निम्न आय वर्ग के छात्रों को कितनी प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाती है ;

(ख) वर्ष 1967–68 में छात्रवृत्तियों के लिये दिल्ली में प्रत्येक पोलिटेक्निक में प्रथम वर्ग पाठ्यक्रम के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और निम्न आय वर्ग

के विद्यार्थियों से कुल कितने आवेदन पत्र आये थे और कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये; और

(ग) उम्मीदवारों की आय का सत्यापन सरकार शपथ आयुक्त अथवा तहसीलदार के अलावा और किन-किन स्रोतों तथा साधनों के माध्यम से करती है?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 571/68]**

समुद्रयानों की दुर्घटनाएं

4890. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 के द्वितीय सप्ताह में कलकत्ता और सागर द्वीपों के बीच समुद्रयानों की विशेषकर यात्री पोतों की कितनी दुर्घटनाएं हुई जिसमें डेक का टूट जाना भी शामिल है,

(ख) क्या इनमें किसी सरकारी उपक्रम का कोई स्टीमर भी शामिल था; और

(ग) दुर्घटना को रोकने के लिये मुख्य जल परिवहन अधिकारी ने क्या पूर्वोपाय किये थे?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 13 जनवरी, 1968 को कलकत्ता और सागर द्वीपों के बीच एक समुद्री दुर्घटना होने की रिपोर्ट मिली है। एक बजरे के डेक आधार को, जिसे एम० वी० राजन द्वारा खींचा जाना था, के टूटने से दुर्घटना हुई। दुर्घटना के समय यात्री आएटरामघाट जेट्टी पर पात पर चढ़ रहे थे। उक्त बजरा जो जेट्टी जिससे होकर यात्री बाहर की ओर, खींचने वाले एम० वी० राजन जिसकी 400 यात्रियों की क्षमता है सहित तीन पोतों चर चढ़ने के लिये गुजर रहे थे, जेट्टी के सबसे निकट था। जब एम० वी० राजन लादा जा रहा था तो उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ लग गयी। चूंकि उसमें यात्रियों के चढ़ने पर अस्थायी नियंत्रण था अतः उक्त बजरे में यात्रियों की भीड़ जमा हो गयी और विशेषकर डेक के उस भाग से जिसमें लकड़ी तख्ते लगे थे। इससे अत्यधिक भार के कारण आधार टूट गया जिससे दुर्घटना हो गयी।

(ख) जी नहीं।

(ग) यात्रियों को गंगासागर पर ले जाने का सामान्य प्रबन्ध बजरा टोइंग नियम 1953 जो पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी किये, के अधीन आता है। दुर्घटना-ग्रस्त बजरे पर के प्रबन्ध का निरीक्षण और सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जल-परिवहन विभाग ने किया था। दुर्घटना की जांच की पूरी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी गयी है जिसमें भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए उचित पूर्वोपाय बताये गये हैं।

सतर्कता आयोग

4891. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में सतर्कता आयोग के सही सही कृत्य क्या हैं;

(ख) क्या इन में से किन्हीं आयोगों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) क्या राज्य सरकारें उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही हैं;

(घ) क्या सतर्कता आयोग पर अनुचित दबाव डालने के किसी प्रयास की अब तक कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, ता उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ग) से (ङ) : राज्य के सतर्कता आयोग के संबंधित मामले पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

(ख) जी, नहीं, श्रीमान् ।

सीमा सुरक्षा दल

4692. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में तैनात सीमा सुरक्षा दल के सैनिकों ने 23 जनवरी, 1968 अथवा उस के आस पास अपनी बैरकों में दंगा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो किस के द्वारा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बागडोगरा दार्जिलिंग के बीच परिवहन व्यवस्था

4693. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एवरेस्ट मोटर्स में यात्रियों को बागडोगरा-दार्जिलिंग ले जाने के सम्बन्ध में किन नियमों तथा शर्तों पर समझौता हुआ है;

(ख) हिन्दुस्तान कार में अधिकतम कितने यात्रियों को ले जाये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

	रुपये प्रति व्यक्ति
(i) एकतरफा यात्रा	17
वापसी यात्रा . . .	32
(ii) ड्राइवर को मिला कर 5 सीटों वाली पूरी कार :	
एकतरफा यात्रा	67
वापसी यात्रा	125
(iii) ड्राइवर को मिला कर 6 सीटों वाली पूरी स्टेशन वैगन :	
एकतरफा यात्रा	80
वापसी यात्रा	145

बागडोगरा और दार्जिलिंग के बीच अपने यात्रियों को वहन करने में मेसर्स एवरेस्ट मोटर्स द्वारा अर्जित आय पर कारपोरेशन 10% कमीशन लेने का हकदार है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रांची हवाई अड्डा

4894. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रांची हवाई अड्डे पर अग्निशामक उपकरण किसी संभाव्य घटना का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे पर आग बुझाने के पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रांची हवाई अड्डे पर इस समय 30-40 गैलन की धारिता वाला एक "फोम ट्रेलर" है। इस संबंध में कमी की पूर्ति करने वाले एक क्रैश टेण्डर द्वारा बढ़ाने के बारे में कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं। क्रैश टेण्डर के तीन हफ्तों के अन्दर रांची पहुंच जाने की आशा है।

इम्फाल हवाई अड्डा

4895. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इम्फाल हवाई अड्डे में जो एक ही एम्बुलेंस गाड़ी है, वह अगस्त 1967 से खराब पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उस गाड़ी की मरम्मत कराने अथवा उस के स्थान पर दूसरी गाड़ी देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इम्फाल हवाई अड्डे पर एम्बुलेंस 8-8-1967 से 7-10-1967 तक और फिर 9-2-1968 से 12-3-1968 तक सेवा के लिए अनुपयुक्त रही। एम्बुलेंस को सेवा के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी और अब यह कार्योपयोगी स्थिति में है। एम्बुलेंस के सेवा के लिए अनुपयुक्त रहने की अवधि के दौरान एक काम चलाऊ एम्बुलेंस उपलब्ध थी ।

वैज्ञानिक निकाय (पूल)

4896. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक निकाय (पूल) में इस समय कितने चिकित्सा छात्रों तथा वैज्ञानिकों के नाम रोजगार प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) इस निकाय (पूल) में से अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(ग) इस निकाय में शेष व्यक्तियों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) वैज्ञानिकों के पूल में कोई मैडिकल विद्यार्थी नहीं है। वैज्ञानिकों के पूल में 1-2-1968 को 396 व्यक्ति थे, जिन में 133 मैडिकल व्यक्ति भी शामिल थे।

(ख) 1-2-1968 को उपलब्ध सूचना के अनुसार रोजगार मिलने पर 1793 पूल अधिकारियों ने पूल छोड़ दिया था ।

(ग) पूल अधिकारियों की नियमित रोजगार में नियुक्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:—

(1) व्यक्तिगत विशेषज्ञता के क्षेत्र में रिक्त स्थानों का होना;

(2) सामान्य भर्ती प्रक्रिया; और

(3) सम्बन्धित वैज्ञानिकों की वैयक्तिक अभिरुचि ।

अनुसन्धान तथा अन्य संस्थाओं में तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पूल अधिकारियों की नियमित रोजगार में नियुक्ति के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) सरकारी विभागों तथा संस्थाओं में अधिसंख्य पदों की सृष्टि की जाती है जिन में विदेशों में काम कर रहे तथा पढ़ने वाले वैज्ञानिकों में से योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर शीघ्रता से अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है;

(2) उन संस्थाओं को जो सरकारी नहीं हैं और जहां पूल अधिकारी एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं, यह परामर्श दिया जाता है कि उपयुक्त मामलों में उन पूल अधिकारियों को नियमित रोजगार देने के लिए अधिसंख्य पदों की सृष्टि करें ;

(3) समुचित प्रायोजक निकायों की सिफारिश पर सरकारी विभागों/संस्थाओं के अन्तरिक्त अन्य संस्थाओं में अधिसंख्य पदों की सृष्टि से जो व्यय होता है उसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् उठाता है;

(4) विदेशों से लौटने वाले उच्च योग्यता प्राप्त कार्मिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का नेशनल रजिस्टर सहायता देता है;

(5) उच्च योग्यता प्राप्त कार्मिकों के विवरण मासिक टैक्नीकल मैनपावर बुलेटिन में प्रकाशित होते हैं जिसे सम्पूर्ण भारत में लगभग 3000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटा जाता है;

(6) योग्यता, अनुभव आदि ब्यौरे को सूचित करने वाली पूल अधिकारियों की वर्गीकृत सूचियों का संकलन होता है और उनको पूल डाइरेक्टरियों (निर्देशिकाओं) के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा उन को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में नियोजक एजेंसियों में व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है;

(7) पूल अधिकारियों को उपयुक्त अधिसूचित रिक्त स्थानों के लिए निर्दिष्ट किया जाता है;

(8) आर्मी मेडिकल कोर तथा इंजीनियरी कोर में भर्ती के लिए पूल अधिकारियों की सिफारिशें की जाती हैं; तथा

(9) पूल अधिकारियों को अपने रुचि के किसी भी पद के लिए आवेदन पत्र भेजने की स्वातंत्रता है ।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

4897. **श्री प्रगाड़ी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र मैसूर केरल सीमा विवाद विषयक महाजन प्रतिवेदन पर जनमत जानने के लिये दिसम्बर, 1967 में एक बैठक बलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) समय समय पर राज्यों के बीच उठने वाले सीमा सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिये राष्ट्रीय आधार पर एक मत सिद्धान्त निर्धारित करने की संभावना जानने की दृष्टि से 21 दिसम्बर, 1967 को संसद् में विरोधी दल के नेताओं की एक बैठक हुई ।

(ख) विचार विमर्श सामान्य प्रकार का रहा और कोई निर्णय नहीं किये गये ।

सीमा सुरक्षा दल

4898. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान से आई कुछ जातियों को सीमा सुरक्षा दल में भर्ती करने के प्रस्ताव के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री से उन्हें कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सीमा सुरक्षा दल में भर्ती के लिये पूर्व पाकिस्तान से आई हुई जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ।

केरल की "गोपाल" सेना

4899. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल की गोपाल सेना के स्वयंसेवकों को भूतपूर्व सैनिकों तथा राष्ट्रीय कैडट कोर के कैडटों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सेना को सरकारी संरक्षण मिल रहा है और उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये कोई कारगर कार्यवाही नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ भूतपूर्व सैनिकों की सेवायें (सी० पी० एम०) द्वारा स्थापित स्वयंसेवक दलों को प्रशिक्षण देने के लिये उपयोग की जा रही हैं। परन्तु एन० सी० सी० के केडटों के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं हैं।

(ख) राज्य सरकार ने यह बताया है कि स्वयं-सेवक दलों को कोई सरकारी संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । उनके पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में स्वयं-सेवकों ने भाग लिया है ।

(ग) सी० पी० (एम०) द्वारा संगठित स्वयं-सेवकों की गतिविधियों पर केन्द्रीय सरकार कड़ी निगरानी रख रही है ।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम

4900. श्री गणेश घोष :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के वे ड्राइवर और खलासी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में कलाईकुन्डा में नियुक्त किया गया था, 9 फरवरी, 1968 से हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं; और

(ग) इस विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) जी हाँ।

(ख) मजदूरों की मुख्य माँगें हैं कि उन्हें मजदूरी और भत्ता 30 जुलाई, 1964 का निदेशक मंडल की बैठक में स्वीकृत मजदूरी व भत्ते के अनुसार मिलना चाहिये। इस में निगम द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षित दरों के विपरीत माल भत्ता, लदान और उतराई प्रभार भी शामिल हैं अर्थात् (1) मजदूरी 5 रु० प्रतिदिन (2) टन भार भत्ता—30 पैसे प्रति मीट्रिक टन। (3) पारी भत्ता—3 रुपये प्रति पारी और (4) तीन रुपये प्रतिदिन जहाँ टरमिनल पर सफाई का समय जो ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर परिस्थिति के कारण 24 घंटे अधिक हो जाता है।

(ग) मामले पर केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम मजदूर यूनियन कलकत्ता के अध्यक्ष से विचार विमर्श किया गया था । इसके परिणामस्वरूप पारी भत्ते को 3 रुपये से 4 रुपया प्रतिदिन बढ़ाने का और टन भार को 30 पैसे से 40 पैसे बढ़ाने का समझौता हो गया है । मजदूर कोई विकल्प जो उन्हें लाभदायक होगा स्वीकार कर सकेंगे। यह भी तय किया गया है कि निगम मजदूरों के लिये टट्टी, पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और हड़ताल जल्दी से जल्दी समाप्त कर दी जायेगी । इसी आधार पर केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम और उसकी मजदूर यूनियन में भी औपचारिक समझौता हो जायेगा । ये निर्णय यूनियन के अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित कर दिये गये हैं और उनकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जा रही है । आशा की जाती है कि समझौता सबको सन्तोषजनक सिद्ध होगा।

कोवालम का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

4901. **श्री नायनार :**
श्री एस्योस :
श्री ग्रनिरूद्धन :
श्री ग्र० क० गोपालन :

क्या **पर्यटन तथा ग्रसैनिक उड्डयन** मंत्री 23 फरवरी, 1968 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 1696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोवालम का एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने की ब्यौरेवार योजना को इस बीच ग्रन्तिम रूप दे दिया है; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ग्रभी नहीं।

(ख) एक संयुक्त योजना होने के कारण जिस पर बड़ा भारी खर्चा ग्रायेगा, समुद्री लहरें, वायु की गति, भूमि की रचना, इत्यादि जैसी बहुत सी प्रारंभिक सूचनाग्रों का संकलन करना पड़ेगा। इनके ग्राँकड़ों को प्राप्त करने के लिए पहले से कार्यवाही शुरू कर दी गयी है जोकि एकत्रित किये जाने के बाद प्रायोजना का डिजाइन तैयार करने तथा उसका क्रियान्वयन करने के लिए चुने गये वास्तुविदों के पास भेज दी जायेगी ।

इंटर द्वीपसमूह के पास मछली पकड़ने के विदेशी जलयान

4902. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 1964 ग्रथवा 1965 में किसी समय मछली पकड़ने वाले तीन विदेशी जलयान लगातार कई दिनों तक इंटरव्यू द्वीप के पास खड़े देखे गये थे;

(ख) क्या समय पर सूचना मिल जाने पर भी प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर में तैनात दो पुलिस नावों में से किसी भी नाव को लगभग 3–4 दिन तक इंटरव्यू द्वीप समूह नहीं भेजा ; ग्रौर

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रन्ततोगत्वा जब नौ सेना की एक गश्ती नाव वहाँ भेजी गई, तो केवल एक ही विदेशी जलयान पकड़ा जा सका ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) । (क) 4–3–1965 को विदेशी किश्तियों का एक जोड़ा इन्टरव्यू ग्राईलैंड के निकट देखा गया था।

(ख) ग्रौर (ग) पुलिस की दोनों किश्तियाँ ड्यूटी पर ग्रन्य क्षेत्रों में दूरी पर थीं। इस लिये भारतीय जल सेना की मदद माँगी गई। 10–3–1965 को जल सेना के एक जहाज ने उन विदेशी किश्तियों में से एक को इन्टरव्यू ग्राईलैण्ड के निकट पकड़ा।

ग्रंडमान विशेष वेतन

4903. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर में भर्ती किये गये कुछ सरकारी कर्मचारियों (पुरुष तथा महिलाग्रों) को उत्तर/मध्य ग्रन्दमान में नियुक्त किये जाने पर उत्तर मध्य ग्रंदमान विशेष वेतन नहीं दिया गया था; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो उन सभी कर्मचारियों को जिनकी भर्ती दक्षिण अंदमान में की जाती है और नियुक्ति उत्तर/मध्य अंदमान में की जाती है, यह विशेष वेतन किस आधार पर नहीं दिया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) पोर्ट ब्लेयर में भर्ती किये गये और उत्तर मध्य अंदमान को स्थानान्तरण के आधार पर लगाये गये दक्षिण अंडमान अथवा मुख्य भूमि के निवासी पुरुष तथा स्त्री सभी सरकारी कर्मचारियों को इन क्षेत्रों में मिलने वाले विशेष वेतन से वंचित नहीं किया गया था। परन्तु उत्त /मध्य अंडमान के निवासियों को, यद्यपि पोर्ट ब्लेयर में भरती किये गये हों उत्तर/मध्य अंडमान में मिलने वाला विशेष वेतन उन क्षेत्रों में नियुक्ति के समय नहीं दिया गया था। क्योंकि वे उन क्षेत्रों के निवासी ही थे।

अंदमान विशेष वेतन

4904. श्री गणेश : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2405 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गृहकार्य मंत्रालय के दिनांक 22 जनवरी, 1951 के पत्र में निहित आदेश (एक) अन्तिम और बिना शर्त वाले हैं;

(दो) उसमें यह उपबन्ध है कि अन्दमान और निकोबार द्वीपों में पैदा हर व्यक्ति, किन्तु जो मुख्य भारत भूमि से भर्ती किये गये हैं, चाहे उनको किन्ही भी परिस्थितियों में भर्ती किया गया हो, अन्दमान विशेष वेतन के हकदार नहीं होंगे; और

(तीन) उन आदेशों का निर्वचन करने और उसे लागू करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उसमें कुछ जोड़ देने या निकाल देने, हस्तक्षेप करने या स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करने की कोई गुंजाइश है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (एक) से (तीन) "मुख्य भूमि से भर्ती किये गये व्यक्तियों" की परिभाषा 22 जनवरी, 1951 के आदेशों में नहीं की गई है । अधीनस्थ अधिकारियों ने इन शब्दों का अर्थ अन्दमान विशेष वेतन देने की पृष्ठ भूमि में निहित तर्क को दृष्टि में रखत हुए लगाया है, अर्थात् इस द्वीप समूह में सेवा के हेतु मुख्य भूमि से कर्मचारी प्राप्त करने के लिए यह एक प्रोत्साहन है ।

अंदमान द्वीपसमूह

4905. श्री गणेश : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य अन्दमान में रंगात में 20 फरवरी, 1968 को स्थानीय राजनीतिक दलों के तत्वाधान में एक सार्वजनिक सभा हुई थी;

(ख) क्या मुख्य भारत भूमि के नेताओं ने राजनैतिक भाषण दिये थे ;

(ग) क्या अंदमान प्रशासन के एक राजपत्रित अधिकारी ने उस बैठक का सभापतित्व किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रशासन के राजपत्रित अधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की थी । मामले की जाँच प्रशासन के द्वारा की जा रही है ।

अन्डमान में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति असम्मान दर्शाया जाना

4906. **श्री गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि मध्य अंदमान में बजलंगता में 26 जनवरी, 1968 को ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का असम्मान किया गया था;

(ख) क्या 16 अगस्त, 1967 को ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर बजलंगता से वैसी ही शिकायत आई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) से (ग) गणतंत्र दिवस, 1968 को बजलंगता स्थित फारेस्ट रेंज हैड क्वार्टर्स में जब फारस्ट रेंज अफसर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो रस्सी खींच कर टूट गई तथा ध्वज नीचे गिर पड़ा। स्वतंत्रता दिवस, 1967 को इस स्थान पर एक फोरेस्ट गार्ड द्वारा ध्वजारोहण समारोह पर ध्वज के खम्भे के चरखी वाले भाग में रस्सी अटक गई। जोर से खींचने पर रस्सी चटाख से टूट पड़ी और ध्वज नीचे गिर पड़ा। दोनों मामलों में विस्तृत जाँच की गई थी और मालूम हुआ कि ये घटनाएं आकस्मिक थीं तथा जानबूझ कर नहीं की गई थी ।

अनुदेश जारी किये गये हैं कि ध्वजारोहण समारोह के लिये अपेक्षित चरखी, रस्सी तथा अन्य साज-समान को औपचारिक समारोह से पहल ठीक प्रकार से जाँच लेना तथा पूर्वाभ्यास कर लेना चाहिए ।

मनीपुरी संगीत-नृत्य मंडली

4907. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेणी कला संगम की मनीपुरी संगीत नृत्य मण्डली विदेश यात्रा पर गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मंडली में कितने कलाकार तथा अन्य व्यक्ति शमिल हैं;

(ग) इस यात्रा में वे किन किन देशों में जायेंगे; और

(घ) इस यात्रा पर कुल कितना व्यय होने की अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (घ) श्री संवजोत सिंह के नेतृत्व में रूमानिया को गए त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली के 12 सदस्यीय मनीपुरी नृत्य दल की यात्रा भारत सरकार द्वारा इन्डो-रूमानिया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रायोजित की गई थी । सभी 12 सदस्य कलाकार हैं । रूमानिया की यात्रा के बाद अब दल अपने खर्च पर यूरोप की यात्रा कर रहा है जिसमें आस्ट्रेलिया, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस का दौरा शामिल है । इस यात्रा

के बाद भारत सरकार पुनः दल की जिम्मेदारी लेगी और अप्रैल-मई, 1968 में सांस्कृतिक कार्यकलाप के अन्तर्गत लिबिया, और मिस्र सहित उत्तरी अफ्रीका के उसके दौरे को आयोजित करेगी। हवाई किराये और सामान के भाड़े पर सरकार का कुल 63600 रुपये व्यय होने का अनुमान है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम

4908. श्री रमानंद : श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री भगवान दास : श्री नम्बियार :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के ड्राइवरों और खलासियों को 30 जुलाई, 1965 से पहले यातायात भत्ता मिला करता था;

(ख) यदि हाँ, तो किस दर से ;

(ग) क्या सरकार ने 30 जुलाई, 1965 से यातायात भत्ता देना बन्द कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस भत्ते को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ।

(ख) दरें नीचे दी जाती हैं :—

(क) ट्रक चलाने के काम पर लगा एक ड्राइवर को, अपने मुख्य कार्यालय से 25 मील के अर्धव्यास के भीतर के क्षेत्र में किसी एक दिन का सीमित रहता है। उसे उस दिन के लिए तीन रुपये यातायात भत्ता मिलता है।

(2) जब ड्राइवर गाड़ी चलाने के ऐसे काम पर लगाया जाता है जो उसके मुख्य कार्यालय से 25 मील के अर्धव्यास से आगे ले जाता है तो उसे निम्न आधार पर भत्ता मिलता है :—

(1) प्रति ट्रक मील 2.25 पैसे।

(2) ब्रह्मपुत्र या गंगा पार करने में प्रत्येक घाट के लिए 4 रुपये नदी पार करने में चाहे कितना ही समय लगे।

(3) प्रत्येक टरमिनल पर जहाँ कोई ट्रक लादी जाती है या खाली की जाती है, 3 रुपये।

(4) यदि ड्राइवर के बस से बाहर की स्थिति के करण किसी टरमिनल पर 24 टे से अधिक ठहरना पड़े तो 3 रु० उसे प्रतिदिन अतिरिक्त राशि दी जायेगी।

(5) पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात गंगतोक, कलिंगपोंग, बड़ापानी, शीलांग, चेरापूंजी इत्यादि में चालन के लिए एक पैसा प्रति मील के लिए और राशि दी जाएगी।

(6) जहाँ किसी ड्राइवर को मरम्मत या सर्विसिंग के अधीन की गाड़ी पर लगाया जायगा वहाँ उसे दैनिक मजदूरी दी जाएगी और अन्य भत्ते नहीं दिए जाएगे।

(7) यातायात भत्ता अन्य सब भत्तों, रात्रि बाहर भत्ता, समयोपरि भत्ता इत्यादि, के स्थान में दिया जाता है। दूसरे शब्दों में ड्राइवर 5 रुपये दैनिक मजदूरी और यातायात भत्ते के अलावा किसी अन्य भत्ते के हकदार नहीं है।

8 96 (Ai) LSD—8.

(8) खलासियों को 1·75 रुपये प्रतिदिन लाइन भत्ता मिलता है ।

(ग) जी नहीं । फिर भी ड्राइवरों के यातायात भत्ते सहित ड्राइवरों की मजदूरी संरचना का पुनरीक्षण किया गया जिन्हें नरगुडी (कटक) से परादीप पत्तन तक खनिज लौह लाने के लिए नियुक्त किया जाता है, पुनरीक्षति दरें नीचे दी जा रही हैं :—

(1) 5 रुपये मजदूरी प्रतिदिन ।

(2) 30 पैसे प्रति मीटरी टन के हिसाब से टनभार भत्ता ।

(3) यात्रा (पि) भत्ता 2 रुपये प्रति यात्रा

(4) 3 रुपये प्रति दिन और दिया जाता है उस हालत में जहाँ ड्राइवर के बस से बाहर स्थिति के कारण किसी टरमिनल पर 24 घंटे से अधिक रुकना पड़े ।

रगुंडी—परादीप प्रचालन अक्तूबर 1967 में शुरू किये गये और ऊपर दी गई पुनरीक्षित दरें निगम के अध्यक्ष तथा मैनेजिंग निदेशक द्वारा ड्राइवरों के प्रतिनिधियों के साथ प्रयोगात्मक यात्राएं (पि) करने के बाद लागू की गईं । यह दरें निगम के निदेशकों के बोर्ड द्वारा दिसम्बर 1967 की अपनी बैठक में मंजूर की गई ।

(घ) यातायात भत्ता बंद नहीं किया गया है फिर भी नरगुडी—परादीप और कलाईकुंडा-हल्दिया प्रचालनों में जिनमें खनिज लौह की ढुलाई होती है के लिए ऊपर (ग) में पुनरीक्षित मजदूरी से संरचना लागू की गई है । यह पुनरीक्षण ड्राइवरों द्वारा किये गये जाने वाले प्रचालनों की प्रकृति की दृष्टि से किया गया है क्योंकि वे निगम के अन्य क्षेत्रों में होने वाले प्रचालनों से मूलतः भिन्न है । खनिज लौह के ढुलान में ड्राइवरों की निम्न मदों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है जब कि अन्य क्षेत्रों में जिम्मेदारी है :—

(1) लादे गये कजों की गिनती ।

(2) ढोये जाने वाले माल की रास्ते में क्षति न होने देने के लिए माल का लारियों में उचित तरह से भरना ।

(3) वास्तविक गिनती द्वारा गंतव्य स्थान पर सुपुर्दगी और माल की कमी तथा क्षति की जिम्मेदारी ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

4909. श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
श्री प० गोपाल :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 30 मई, 1967 और 16 फरवरी, 1968 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 872 और 733 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाँच में कुछ कानूनी मामले अन्तर्गत हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका स्वरूप क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दोनों पूर्व उल्लखित प्रश्नों के उत्तर में पहले ही बताया गया है कि कुछ प्रश्न संबद्ध हैं ।

(ख) कानूनी प्रश्न ये हैं :—

(1) भारतीय क़ानून और अंग्रेजी कानून के अन्तर्गत डा० तेजा और कुछ विदेशी संबद्ध पार्टियों की अपनी अपनी कानूनी देयता का निर्धारण, और

(2) जिन पार्टियों को देयता के लिये बाध्य किया जाएगा उनसे धन की वसूली करने के लिये कानून तथा अन्य उपाय क्या किये जा सकते हैं या किये जाने चाहिए। इनमें भारत तथा विदेशों में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार करना भी शामिल है।

Hasanpur-Rehra Road

4910. Shri Parkash Vir Shastri : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision was taken to construct a road from Hasanpur to Rehra, District Moradabad, U. P. during the Third Five Year Plan period;

(b) whether it is also a fact that there is no other road in the said area and floods occur there every year ;

(c) whether it is also a fact that four mile area of that road from Chhapra to Rehra has not been constructed ;

(d) if so, whether any proposal is under consideration to expeditiously complete that incomplete work by giving that priority; and

(e) if so, the time by which the said remaining part would be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) The Hasanpur-Rehra road is a State road and the U. P. Government are, therefore, concerned with its construction. It is understood that they have already completed a 10 mile road along this route. The Rehra village, which is four miles away, is still to be connected with the road. A proposal for constructing this four-mile road is under the consideration of of the State Government.

High Schools in U. P.

4911. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether there is no Government High School in the area along the bank of the Ganges in Hasanpur Tehsil of Distric Moradabad in U. P. even though its population runs into lakhs;

(b) whether it is also a fact that the private schools there are in a very unstable condition for want of funds; and

(c) if so, the steps being taken so far, for constructing a Government High School in that financially weak area on the basis of the information received ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) This primarily concerns the State Government of U. P. and the Government of India has no information on the subject.

हिन्दी टाइपराइटर

4912. श्री मयावन :
श्री दीवीकन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों में हिन्दी के बहुत से टाइप राइटर बेकार पड़े हैं क्योंकि उनमें अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के बदले हिन्दी के अंक हैं;

(ख) क्या इन मशीनों के क्रय के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे सभी टाइपराइटरों का उपयोग किया जा रहा है । अंक या तो हाथ से भर दिये जाते हैं या अंग्रेज़ी टाइपराइटरों पर टाइप कर दिये जाते हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठते, क्योंकि ऐसे टाइपराइटर तब खरीदे गये थे जबकि बाजार में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों वाले टाइपराइटर उपलब्ध नहीं थे ।

मंत्रियों की कारों पर हिन्दी के अंकों वाली प्लेटें

4913. श्री मयावन :
श्री दीवीकन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों की कारों पर लगी हुई नम्बर प्लेटों पर हिन्दी में अंक लिखे हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कानून की अवहेलना करने के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

आर्थिक और अन्तर्राज्यीय सुधार योजना

4914. **श्री मयावन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक तथा अन्तर्राज्यीय सुधार योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए वित्त प्रदान करने की कसौटी क्या है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मद्रास राज्य में कितने निर्माण-कार्य चल रहे हैं; और

(ग) जिन निर्माण कार्यों की मद्रास सरकार ने सिफारिश की क्या वे सभी इस योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) मोटी तौर पर निम्न किसी एक या अधिक श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले पुलों/सड़कों के बारे में अन्त र्ज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों को केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन सहायता अनुदान के लिये विचार किया जाता है;

(1) सीधे संचार के लिये जो अन्तर्राज्यीय सड़क/पुल जरूरी समझे जाते हैं।

(2) नये क्षेत्रों के खुलने के लिये अपेक्षित सड़कें/पुल जहाँ निकट भविष्य में रेलवे सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

(3) वे सड़कें/पुल जो शीघ्र आर्थिक विकास में योगदान दे सकती हैं जैसे पहाड़ी या पिछले क्षेत्र और वे क्षेत्र जहाँ खोज के लिये बहुमूल्य साधन हों।

(ख) तीन।

(ग) संभवतः माननीय सदस्य के विचार में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अधीन सहायता अनुदान के लिये राज्य सरकार के प्रस्ताव हैं । यदि ऐसा है तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उन पर निर्णय लिया जा सकता है

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत आवंटन

4915. **श्री मयावन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में केन्द्रीय सड़क निधि (आरक्षित सामान्य) के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी राशि का आवंटन किया गया था;

(ख) विभिन्न कार्यों के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से आवंटन की मुख्य कसौटी क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत मद्रास राज्य में कितने निर्माण कार्य हैं?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 572/68]** ।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों का आवंटन सड़कों/पुलों के निर्माण या मौजूदा सड़क/पुल के सुधार पर किया जाता है जिससे संतुलित सड़क-जाल का विकास हो । केन्द्रीय सड़क निधि (सामान्य) आरक्षित से सहायता मुख्यतः इनके लिये ी जाती है । (1) नये क्षेत्र के विकास के लिये सड़कों का सामान्य सुधार और पुल बनाने या पक्का करने की या जिन सड़कों का विकास मूल्य हो उनकी योजना, और (2) वे स्कीमें जिनमें एक राज्य से अधिक को लाभ हो जैसे दो राज्यों के बीच नदी सीमा पर पुल का निर्माण या अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़क का निर्माण।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तटवर्ती सड़क परियोजना

4916. **श्री मयावन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी तट पर मद्रास से कन्या कुमारी तथा तटवर्ती सड़क बनाने की परियोजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उस परियोजना की अब स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सर्वप्रथम कब कार्यवाही आरम्भ की गई थी और इस परियोजना के लिए अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग). जी हाँ जून 1965 में मद्रास सरकार ने 1.4 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर ईस्टकोस्ट सड़क को राष्ट्रीय मुख्यमार्ग मानने के लिये स्कीम की भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति चाही थी । चूंकि चतुर्थ योजना आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद भारत सरकार ने ईस्टकोस्ट रोड पर महाबलिपुरम और मरकानम के बीच 25 मील के गायब टुकड़े के बनाने के लिये लागत को 50 प्र० श० के बराबर सहायता अनुदान देना स्वीकार किया । इसमें शर्त अधिकतम सीमा 16 लाख रुपये की है जो अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अधीन दिया गया है । शेष लागत की पूर्ति राज्य सरकार करेगी । मद्रास सरकार ने गायब टुकड़े पर काम शुरू कर दिया है और उसमें प्रगति हो रही है ।

इंजीनियरी शिक्षा को नया रूप देना

4917. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी शिक्षा को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है जिसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण आदि पर अधिक जोर दिया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) और (ख). कुछ पालिटैकनीकों में उद्योग के सहयोग से सेंडविच पाठयक्रमों की व्यवस्था की गई है । न पाठयक्रमों का जोर उद्योग में पर्याप्त प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देने पर है । इस कार्यक्रम का क्रमशः ऐसी अन्य संस्थाओं में भी चलाने का प्रस्ताव है जहाँ औद्योगिक सहकार उपलब्ध है ।

हवाई अड्डों में घोषणाएं

4918. **श्री सम्बन्धन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई अड्डों में विमानों के आने और जाने की घोषणा उसी भाषा में करने की कोई योजना है जिस क्षेत्र में वह हवाई अड्डा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कब आरम्भ की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). आई० ए० सी० द्वारा घोषणाएं पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़कर जहां कि घोषणाएं हिन्दी के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं में की जाती हैं, पहले हिन्दी में और बाद में अंग्रेजी में की जाती हैं।

एयर इंडिया वाले दिल्ली के अलावा अन्य हवाई अड्डों पर घोषणाएं अंग्रेजी में करते हैं। दिल्ली में उनकी घोषणाएं अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में की जाती हैं।

भाषा सम्बन्धी आन्दोलनों में छात्रों द्वारा भाग लिया जाना

4920. **श्री समर गुह :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में भाषा संबंधी आन्दोलन में छात्रों ने प्रमुख रूप से भाग लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों की बजाय देशभक्ति तथा रचनात्मक कार्यों में छात्रों की रुचि उत्पन्न करने के लिये भारतीय छात्रों की राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन करने के बारे में सरकार की कोई योजना है जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भाग लें और जिसका उद्देश्य भाषायी विवादों तथा राष्ट्रीय एकता की समस्या के बारे में छात्र समुदाय में एक समन्वित दृष्टिकोण उत्पन्न करना हो ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में भाषा संबंधी आन्दोलनों में छात्रों ने भाग लिया है ।

(ख) ऐसे किसी सेमिनार का आयोजन करने का प्रस्ताव नहीं है । सरकार का संबंध युवकों के कार्यकलापों को देशभक्तिपूर्ण तथा रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ देना है । इस प्रयोजन के लिए विकसित किये जाने वाले कार्यकलापों में, राष्ट्रीय सेवा योजना उल्लेखनीय है, जिसके लिए 1968-69 वर्ष के बजट प्राक्कलनों में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और जो अगले शैक्षिक वर्ष से लागू की जाएगी ।

"जूनियर स्टेट्समैन" के सम्पादक मंडल में विदेशियों का होना

4921. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टेट्समैन लिमिटेड कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले "जूनियर स्टेटसमैन" के सम्पादक मंडल या उसके संवाददाताओं में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विदेशी पारपत्र है या जो विदेशी राष्ट्रजन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका या उनके पूर्ववृत्त क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) यह बताया जाता है कि एक ब्रिटिश राष्ट्रिक श्री डसमोण्ड डोईग का 'जूनियर स्टेटसमैन' के प्रकाशन से संबंध है ।

(ख) श्री डसमोण्ड डोईग का जन्म इलाहाबाद में सन 1920 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में उसने भारतीय सेना में सेवा की थी । सन 1946 में सेना से मुक्त होने के बाद उसने स्टेटसमैन लिमिटेड कलकत्ता में प्रवेश किया और तब से वह उस समाचार-पत्र में कार्य कर रहा है ।

न पहचानी गई आग लगाने वाली वस्तु

4922. **श्री स्वैल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस समाचार के बारे में जांच की है कि मनीपुर के नम्बोल गांव में एक झोंपड़ी पर एक अनाभिज्ञात वस्तु गिर पड़ी और निकलते हुये सूर्य की किरणें पड़ने पर उसमें आग लग गई और झोंपड़ी जलने लगी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक प्रेस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आयी है। इम्फाल पुलिस स्टेशन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी, 1968 को सवेरे ग्राम ककियाल, पुलिस स्टेशन बिशनपुर में एक मकान की छप्पर वाली छत पर एक चमकीला पदार्थ गिरता हुआ देखा गया। कुछ घन्टो के पश्चात उस मकान में आग लग गई। लांगपोक के प्रधान ने, जिन्होंने उसी दिन शाम के लगभग साढ़े चार बजे पुलिस को यह रिपोर्ट दी थी, मिट्टी से पलस्तर किया हुआ और अनियमित आकार का एक छोटा सा सफेद ठोस पदार्थ भी प्रस्तुत किया। यह पदार्थ उस मकान के आंगन में मिला था, जिसमें आग लगी थी। पुलिस की जांच की गई। डी० एम० कालेज, इम्फाल में रसायनिक के प्रोफेसर ने जिससे इस सम्बन्ध में सलाह ली गई थी, यह राय बताई कि पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत की गई वस्तु एक प्रकार का फारफोरस था। परन्तु इस संबंध में विशेषज्ञ की राय मांगी गई है, तथा वह अभी आनी है।

मनीपुर–सिलचर सड़क

4923. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री 23 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर में जिरीबाम के रास्ते सिलचर तक सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने में सीमा सड़क संगठन को कितना समय लगेगा; और

(ख) इस सड़क को सब मौसमों में चालू रखने योग्य बनाने के लिये कितने पुलों का निर्माण करना पड़ेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) मनीपुर सिलचर मार्ग के इम्फल-जिरीबाम (जो न्यू कचार रोड के नाम से जाना जाता है) का विकास मनीपुर पी० डब्ल्यू० डी० से सीमान्त सड़क संगठन को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक सीमान्त सड़क संगठन इम्फल-जिरीबाम अनुभाग का निर्माण पूरा करलेगा क्योंकि यह निम्न पर निर्भर करता है :—

(1) सर्वेक्षण के परिणाम जो अभी किये जा रहे हैं।

(2) काम के लिये धन की उपलब्धता और

(3) कितनी शीघ्रता से सीमान्त सड़क संगठन द्वारा इम्फल में अपना संगठन बनाया जाता है।

(ख) तुपुल, इयेई, इरुगं बरक, मकरू और जिरी नदियों पर 6 बड़े पुलों का निर्माण किया जाना है।

सिलीगुड़ी में गिरफ्तार सत्याग्रही

4924. **श्री देवेन सेन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी 1968 में सब डिवीजन न्यायालय, सिलीगुड़ी में गिरफ्तार उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो पश्चिमी बंगाल सम्पदा अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत सीधे शिकमी आने जाने के अधिकार की मांग कर रहे थे;

(ख) क्या यह सच है कि इन प्रभावित व्यक्तियों में से अधिकांश बिहार से पश्चिमी बंगाल में मिलाये गये क्षेत्र में बटाई पर खेती करते थे और वहां उन्हें बिहार पट्टेदारी अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा काश्त की जा रही भूमि पर उन्हें पट्टेदारी के अधिकार प्राप्त थे;

(ग) क्या यह सच है कि जमींदार सशस्त्र होकर तथा स्थानीय पुलिस के साथ मिल कर खेतों के धान बलपूर्वक ले लेते हैं, लोगों को पीटते हैं तथा कई प्रकार से आतंकित करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो बिहार से मिलाये गये क्षेत्र में बटाई पर फसल उगाने वालों के वास्तविक अधिकार क्या हैं और उनकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है, और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नेपाल में पर्यटन

4925. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में पर्यटन के विकास कार्य में सहायता करने के लिये सरकार ने नेपाल सरकार से बातचीत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) कितनी धन राशि देने का विचार है और क्या वह धन राशि ऋण के रूपमें दी जायेगी और यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या होंगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री की हाल की नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के कुछ सुझावों पर बातचीत हुई। इन सुझावों में ये बातें शामिल थीं—पर्यटन वृद्धि विषयक प्रचार कार्य में क्षेत्रीय सहयोग, तीर्थ यात्रियों के लिये सुविधाओं में सुधार, दोनों देशों के बीच यातायात, तथा नेपाल के पर्यटन विकास कार्य में उसे तकनीकी परामर्श एवं सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव।

बातचीत प्रारम्भिक किस्म की थी तथा सहायता के स्वरूप एवं मात्रा के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

पर्यटक गृह

4926. **श्री वि० नरसिम्हा राय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में पर्यटक गृहों का विकास करने तथा उन्हें विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों के उपयोग के योग्य बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिये आंध्र प्रदेश में किन किन स्थानों का विकास किया जायेगा ; और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है, तथा इस पर कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पिछले 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारें ऐसे पर्यटन केन्द्रों पर जहां कि होटल आवास की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, पर्यटक बंगले बनाती रहती है। विदेशी तथा उच्च आय वर्ग के देशीय पर्यटकों के लिए उपयुक्त श्रेणी I के पर्यटक बंगलों की वित्तीय व्यवस्था व निर्माण केन्द्रीय सरकार द्वारा 22 केन्द्रों पर किया गया। निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों के लिए उपयुक्त श्रेणी II पर्यटक बंगले राज्य सरकारों के द्वारा बनाये गये, इन बंगलों की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया। इन बंगलों का प्रबन्ध संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

अवकाश केन्द्रों पर मध्यम आय-वर्ग के देशीय पर्यटकों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा पर्यटक अवकाश गृहों/कैम्पों की स्थापना भी की गयी । इनकी वित्तीय व्यवस्था राज्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्णतया राज्य सरकारों द्वारा की गयी और ये उनके द्वारा ही संचालित किये जाते हैं।

(ख) पर्यटन सम्बन्धी चौथी पंच वर्षीय योजना के मसौदे की रूप रेखा में, योजना के भाग II के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिए उस राज्य सरकार से परामर्श करके निम्नलिखित स्कीमें सम्मिलित की गयीं :—

(i) नागार्जुनसागर कोंडा क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का समेकित विकास ।

(ii) हैदराबाद का समेकित विकास ।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित स्कीमों के ब्यौरे की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारतीय सैनिक कालिज, देहरादून

4927. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने राष्ट्रीय सैनिक कालेज, देहरादून में दाखिल हुए मनीपुर के केडेटों को छात्रवृत्ति की मंजूरी देने के लिये बार बार निवेदन किया है ;

(ख) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय से इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करने के लिये कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (ग). जी हां। मणीपुर सरकार ने, मणिपुर संघीय क्षेत्र के कैडेटों को जो राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज, देहरादून में दाखिल कर लिये गये हैं, छात्रवृत्तियां देने के लिये नियमों का मसौदा भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा है। नियमों का मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में भोजन व्यवस्था का ठेका देने के लिये टेंडर

4928. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये **भोजन व्यवस्था** का ठेका देने के लिये टेंडर मांगे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो टेंडर देने वालों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ठेका किसको दिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). आई० ए० सी० ने खानपान की व्यवस्था के ठेके के लिये कोई टेण्डर नहीं मंगवाये। एयर इंडिया ने चयनात्मक आधार पर (सिलेक्टिव बेसिस) पर निम्नलिखित होटलों और रेस्टोरेण्टों से टेंडर मंगवाये हैं :—

1. एम्बैसेडर होटल
2. गेलौर्ड रेस्टोरेण्ट
3. सन एन् सैण्ड होटल
4. रिट्ज होटल
5. ताज महल होटल
6. नटराज होटल
7. वोल्गा रेस्टोरेण्ट
8. अशोक होटल
9. इम्पीरियल होटल
10. क्लेरिजेज होटल
11. ओबराय इंटरकान्टीनेन्टल होटल

(ग) ठेके को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

जलगांव हवाई अड्डा

4929. **श्री सैयद अली :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जलगांव में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिये मंजूरी काफी पहले से दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य के कब आरम्भ होने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Arrest of Pakistani Spy in Ferozabad

4932. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news appearing in the daily "Sainik" Agra dated the 11th January, 1968, that a person suspected to be a Pakistani spy was apprehended in Ferozabad;

(b) if so, whether it is a fact that some maps were in his possession; and

(c) the factual position in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) A diagram was recovered from his possession, but it was not found to be of any security significance.

(c) There was no arrest of any suspected Pakistani spy. One resident of district Gaya, Bihar was arrested at Ferozabad on 10th January, 1968 under section 170 of the Indian Penal Code. The case is reported by the State Government to be under investigation.

Bridge Over Kali River

4933. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that transport facilities are not available in several villages in the absence of a bridge, in front of Kharkhauda over Kali river in Hapur Tehsil, District Meerut;

(b) whether Government have received some letters or Memoranda in regard to the construction of the said bridge; and,

(c) if so, when a final decision, is likely to be taken in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be lai d on the Table of the Sabha in due course.

इम्फाल हवाई अड्डा

4934. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इम्फाल के हवाई अड्डे पर डकोटा के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विमानों को उतरने के लिये इस अड्डे के कब तक तैयार हो जाने की सरकार को आशा है ; और

(ख) अगरतला में हवाई अड्डे के भवन का निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) विकास कार्य चालू है और आशा है जल्दी ही पूरे हो जायेंगे। उसके बाद इम्फाल के लिए मौजूदा डकोटा विमानों के स्थान पर एवरो फ्रेण्डशिप विमानों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा ।

(ख) अगरतला के टर्मीनल बिल्डिंग के इस वर्ष के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

नलगोंडा जिले से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजपथ का मार्ग परिवर्तन

4935. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है क्योंकि आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजपथ सूर्यपेट की भीड़ भाड़ वाली मुख्य सड़कों से होकर गुजरता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सड़क में इस वर्ष प्रस्तावित परिवर्तन की मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दुर्घटनाओं की वृद्धि के बारे में भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). मोड़ सड़क के निर्माण के लिये भूमि की अवाप्ति के लिये प्राक्कलन सितम्बर 1965 में मंजूर कर लिया गया था और अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है । चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद और उसके लिये निर्माण कार्य के लिये धन की व्यवस्था करने के बाद मोड़ सड़क के लिये स्वीकृति दी जायेगी ।

मद्रास में बनाई गई हिन्दी फिल्मों का बम्बई में प्रदर्शन

4936. **श्री मुरासोली मारन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1968 को बम्बई में हुई उस घटना का ब्यौरा क्या है जिसके कारण मद्रास में बनाई गई एक हिन्दी फिल्म का प्रदर्शन रद्द किया गया था ;

(ख) क्या बम्बई में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कोई पूर्वोपाय किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार को देश के अन्य भागों में इस घटना के कारण संभावित प्रतिक्रिया के बारे में मालूम है और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर 26 फरवरी, 1968 को शिव सेना के प्रमुख, श्री बाल ठाकरे, ने एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के फिल्म प्रदर्शकों को जब तक दक्षिण के प्रदर्शक हिन्दी में बनी फिल्मों का प्रदर्शन शुरू नहीं करते, तब तक मद्रास में बनी हिन्दी फिल्मों को प्रदर्शित न करने की चेतावनी दी। 28 फरवरी, 1968 को शाम के लगभग 6 बजकर 25 मिनट पर, शिव सेना के उम्मीदवार श्री भाई शिंगरे, जो बम्बई के चिंचवौली क्षेत्र से म्युनिसिपल चुनाव लड़ रहे हैं, अपने समर्थकों सहित गणेश टाकीज, लालबाग, बम्बई के व्यवस्थापक से मिले और उन्हें परामर्श दिया कि वे श्री ठाकरे की मद्रास में बनी हिन्दी फिल्मों को प्रदर्शित न करने की अपील पर ध्यान दें। इस पर व्यवस्थापक ने फिल्म का आखिरी शो रद्द कर दिया और लगभग 50 टिकटधारियों को पैसे वापस कर दिये। उसी दिन "जय हिन्द" और "लोटस" के मालिकों को, जहाँ मद्रास में बनी फिल्म "दो कलियाँ" दिखाई जानी थी, शिव सेना के समर्थकों ने टेलीफोन पर धमकी दी कि वे फिल्म का प्रदर्शन न करें क्योंकि वह फिल्म मद्रास में बनाई गई थी। मालिकों ने पुलिस की सहायता माँगी जो उन्हें दी गई। उस दिन नगर में कोई दुर्घटना नहीं हुई।

फिल्मों को शान्तिपूर्वक दिखाने में जिस किसी भी स्रोत से कोई रुकावट होगी उसे दूर करने के लिए पुलिस सहायता देने का आश्वासन दिया गया है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये ऐतिहाती कार्यवाही कर ली गई है।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से, जो सतर्क है, सम्बन्ध बनाये हुए है।

जम्बो जैट विमान

4938. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा कब तक जम्बो जेट विमान प्राप्त किये जाने की आशा है ;

(ख) प्रत्येक जम्बो जेट विमान कितने यात्री ले जा सकता है ;

(ग) क्या भारतीय हवाई अड्डों से यातायात क्षमता का कोई सर्वेक्षण किया गया है ताकि जम्बो जेट विमान चलाने से घाटा न हो ; और

(घ) कौन-कौन से हवाई अड्डे जम्बो जेट विमानों के आने जाने के लिये उपयुक्त हैं और क्या इन हवाई अड्डों पर वर्तमान सुविधायें जम्बो जेट विमानों के चलाने से सम्भावित यात्री यातायात को सम्भालने के लिये पर्याप्त हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) एयर इण्डिया इस समय दो जम्बो जेट विमानों की खरीद के लिये ऋणों के बारे में बातचीत कर रहा है। यदि बातचीत सफल हो गई तो इन विमानों के 1971 के पहली तिमाही में मिल जाने की आशा है।

(ख) लगभग 350।

(ग) इन जुम्बो जेटों के सम्भावित यातायात तथा इनके परिचालन के आर्थिक पहलू का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियाँ जुम्बो जेट ले रही हैं तो जब तक एयर इण्डिया भी अपनी विमान सेवाओं में जुम्बो जेट चालू न कर दे, तो वह औरों के मुकाबले में अपनी स्थिति को बनाये नहीं रख सकेगा।

(घ) चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, अर्थात, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली अड्डे मद्रास में टर्मिनल सुविधाओं में सुधार के प्रश्न पर जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा, जिनमें से कि बहुत सी निःसन्देह रूप से इस प्रकार के विमानों का प्रयोग करेंगी, पीछे नहीं छोड़ दिया जाना चाहता तो इस हालत में उसे इस प्रकार की सुविधायें देनी पड़ेंगी, या एयर इण्डिया जुम्बो जेट विमान ले या न ले।

व्यापारियों के हिसाब-किताब आदि का पकड़ा जाना

4939. **श्री जुगल मण्डल** : क्या गृह-कार्य मंत्री 23 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिनके रिकार्ड पुलिस द्वारा पकड़े गये थे ; और

(ख) उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिनका पुलिस ने चालान किया है तथा अन्य मामलों की जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 573/68]**

(ख) निम्नलिखित व्यक्तियों के दिल्ली पुलिस द्वारा चालान किये :—

1. श्री हरबंस लाल
2. श्री राम निवास पुत्र थानाराम
3. श्री चोटू राम
4. श्री दामोदर दास
5. श्री राम निवास पुत्र दामोदर दास
6. श्री ज्ञानी राम
7. श्री श्याम सुन्दर
8. श्री मिट्ठन लाल
9. श्री श्रीचन्द
10. श्री फूल चन्द
11. श्री गंगा दास

अन्य मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। यथासंभव जांच पड़ताल पूरी कर ली जायगी।

मक्का में हिन्दी तथा उर्दू की पढ़ाई

2440. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब के धार्मिक पर्यवेक्षण विभाग ने मक्का में हिन्दी और उर्दू की कक्षायें आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या वहां पर हिन्दी तथा उर्दू के अध्यापक भेजने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने विदेशों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये स्वयं ऐसे अध्यापक भेजने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय संग्रहालय

4941. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के चितौड़गढ़ किले में एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस संग्रहालय में 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक स्वतन्त्रता सेनानियों के सभी उपलब्ध उपकरण रखे जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

आरक्षित पदों का भरा जाना

4942. **श्री कृष्णन्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आश्वासनों के बावजूद सरकार के कई विभागों में अभी आरक्षित रिक्त स्थानों पर सामान्य जातियों के उम्मीदवार रखे जा रहे हैं ; और

(ख) विभिन्न निगमों तथा बोर्डों में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण हेतु किन सिद्धान्तों को अपनाया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिये इन जातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में स्तर में कुछ छूट देते हुये विचार

किया जाता है और अपेक्षित न्यूनतम स्तर वाले उम्मीदवारों को चुन लिया जाता है। फिर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति पात्रता के स्तर में छूट देने के बावजूद भी उनके लिये रक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये अभी नहीं मिलते हैं। वे रिक्तियां जिनके लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित तक आदिम जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं उनके आरक्षण बाद के भर्ती के दो वर्ष तक आगे बढ़ाकर रद्द कर दिये जाते हैं और अन्य व्यक्तियों द्वारा भर दिये जाते हैं। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार के प्रश्न को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री एम० आर० यार्डी की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल को सौंपा गया था और सरकार इस दल की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

(ख) सन् 1954 में गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों को कहा गया था कि यदि संबंधित परिनियम के ऐसे निदेश जारी करने की व्यवस्था हो तो वे अपने अधीन उन परिनियत निकायों को आदेश दें कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षित पदों के सम्बन्ध में यदि आदेशों पर पालन नहीं कर रहे हों तो पालन करें। परिनियम के अधीन आरक्षण के आदेशों का पालन करने हेतु निदेश जारी नहीं किये जा सकते हों तो मंत्रालयों से यह प्रार्थना की गई थी कि वे उन आदेशों को अपनाने के लिये परिनियत निकायों को लिखें। सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के सम्बन्ध में मार्च 1964 में प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित मंत्रालयों से गृह मंत्रालय ने यह प्रार्थना की थी कि वे अपने अधीन संस्थानों को केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में किये गये आरक्षणों के आधार पर अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षणों की व्यवस्था करें। मंत्रालयों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 169 सरकारी क्षेत्र के संस्थानों तथा परिनियत और अर्द्ध-सरकारी संस्थान 140 संस्थान / निकायों ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण कर दिये या उनके लिये सहमति दी है। गृह मंत्रालय शेष संस्थानों/निकायों से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही कर रही है।

Arms Licences issued in Bulandshahr

4943. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the District Magistrate, Bulandshahr had issued new licences guns and revolvers etc. in large number during the Indo-Pak. conflict ;

(b) if so, the total number of new licences issued and the types of persons to whom such licences were issued during the period from 1963 to 1967;

(c) whether it is also a fact that some licences were issued even to those persons whose loyalty to the nation wasd oubtful; and

(d) if so, the reasons for issuing licences to such persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d). The information is being collected from the Government of U. P. and it will be laid of the Table of the House.

Foreign Spies

4944. Shri Meetha Lal Meena : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many foreign spies have established themselves at holy places in hills like Rishikesh, Lakshmanjhoola etc. in the garb of saints or their disciples; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Government do not have any such information. The Government are, however, maintaining constant vigilance in regard to espionage activities.

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

4945. श्री धीरेन्द्रनाथ देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और मैसूर के सीमा विवाद के बारे में शीघ्र ही उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब बुलाई जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की रात्रि डाक विमान सेवा में यात्री सेवा

4946. श्री रा० रा० सिंह देव : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार शीघ्र ही अपनी रात्रि-डाक विमान सेवा में यात्री सेवा आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). आई० ए० सी० का अपनी रात्रिकालीन विमान-डाक सेवाओं पर 15-4-1968 से जबकि वे वाईकाउण्ट विमानों द्वारा परिचालित की जानें लगेंगी, यात्रियों को ले जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सचिवालय में परीक्षणात्मक योजना

4947. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न विभागों में आजमाई गई परीक्षणात्मक योजना उपयुक्त पाई गई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को अन्य विभागों में भी लागू करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" में हो, तो इस योजना की असफलता के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सन् 1956 में अनेक मंत्रालयों में लागू की गई परीक्षणात्मक अनुभाग योजना, इसके कार्यान्वयन के पुनरीक्षण के आधार पर, 1962 में बन्द की गई थी। इस योजना के अधीन एक परीक्षणात्मक अनुभाग में तीन अनुभाग अधिकारी तीन उच्च श्रेणी लिपिक तथा तीन निम्न श्रेणी लिपिक जिनमें से एक या दो स्टेनोटाइपिस्ट हों रखने का विचार था। प्रत्येक मामले में टिप्पण अनुभाग अधिकारियों द्वारा ही शुरू किया जाना था जिन्हें कि साधारण मामले अन्तिम रूप से निपटाने का अधिकार दिया गया था। पुनरीक्षण से यह पता लगा कि अनुभाग अधिकारियों का योगदान एक औसत सहायक की क्षमता से अधिक नहीं था और अनुभाग अधिकारी पर्याप्त काम अन्तिम रूप से नहीं निपटा सके थे। फिर भी परीक्षणात्मक अनुभाग एक संशोधित रूप में रक्षा मंत्रालय में चल रहे हैं।

इस स्थिति में इस योजना को विस्तृत करने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त ढांचे में सुधार लाने का सारा प्रश्न प्रशासनिक सुधार आयोग के विचाराधीन है।

आसाम का पुनर्गठन

4948. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पुनर्गठन के बारे में आसाम के मुख्य मंत्री से हाल ही में दिल्ली में विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि आसाम के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्।

(ग) इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय करने की आवश्यकता सभी दलों ने समझी है। आशा है कि इससे पुनर्गठन का आधार बनाने में सहायता मिलेगी जिससे असम की समस्त जनता को अधिकतम संतोष मिलेगा।

बद्रीनाथ मन्दिर की मूर्ति की चोरी

4950. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बद्रीनाथ की प्रसिद्ध मूर्ति चुरा ली गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या इस चोरी के पीछे राष्ट्र-विरोधी लोगों/अन्तर्राष्ट्रीय चोरों का हाथ है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी चोरियों को रोकने की दृष्टि से एक जांच आयोग नियुक्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क ; तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Facilities to Foreign Tourists in Udaipur

4951. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the special facilities extended by the Central Government to attract foreign tourists at Udaipur; and

(b) whether any special provision has been made in the next year's Budget for developing places of natural beauty and providing tourist facilities at Udaipur and if so, the amount thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr Karan Singh) : (a) The following facilities have been provided at Udaipur for the convenience of tourists :—

(i) Udaipur has been placed on the regular air service between Bombay and Delhi.

(ii) The Central Government has released a subsidy of Rs. 3.30 lakhs to the State Government for beautification of the island in Fatehsagar Lake.

(iii) The Central Government has given a further subsidy of Rs. 1,21,800 for the improvement of the approach road to the Sasbahu Temple near Udaipur.

(iv) A Tourist Bungalow Class II has also been constructed at Udaipur by the State Government with 50% subsidy by the Central Government.

Besides these, the Department of Tourism has produced a folder and insert on Udaipur and a guide-book on Rajasthan. This literature is distributed to prospective visitors and travel agents by our overseas Tourist Offices. Indian Missions and sales offices of Air India. A colour film on Udaipur is also widely screened by our overseas Tourist Offices. Attractions of Udaipur features in the travel advertisements released by the Department of Tourism, and there have been number of articles in popular periodicals and newspapers in different parts of the world.

(b) In the Annual Plan for 1968-69, the following schemes have been included :

(i) Improvements to the Sajjangarh Palace at Udaipur.

(ii) Extension of Tourist Bungalow (Class II) at Udaipur.

Committees in the Ministry of Education

4952. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Education** be pleased to state the names of members of Committees and Sub-Committees on different subjects at Central level constituted by the Ministry and the number of such Committees and Sub-Committees ?

The Minister of Education (Dr Triguna Sen) : The total number of Committees and Sub-Committees on different subjects at Central level constituted by the Ministry of Education

to 38. A statement showing the names of members of these Committees and Sub-Committees is attached. [*Placed in Library. See No. LT-574/68.*]

असैनिक कर्मचारियों के अधिकार

4953. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने 7 मार्च, 1968 को यह सुझाव दिया था कि आयोजना को सफल बनाने के लिये असैनिक अधिकारियों के अधिकार कम करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इस मामले पर विचार किया है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

केरल में शिक्षा का माध्यम

4954. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में शिक्षा के माध्यम के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जहां तक विद्यालय शिक्षा में शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है यह मामला राज्य सरकार को निश्चय करना है और कालिज स्तर पर इसका निश्चय केरल विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रस्तावित आन्दोलन

4955. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने मूल्यों में तेजी से होने वाली वृद्धि के विरोध में एक आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) मूल्यों में होने वाली इस अत्यधिक वृद्धि को रोकने अथवा कर्मचारियों के लिये उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) कुछ केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संगठनों द्वारा मल्यों में वृद्धि के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ करने की धमकी से सम्बन्धित खबरें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) गजेन्द्र गदकर आयोग द्वारा सिफारिश की गई दरों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति अतिरिक्त महंगाई भत्ते के रूप में स्वीकृत कर दी गई है।

पालिटेक्निक संस्थाओं में छात्रवृत्तियां

4956. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तीन पालिटेक्निक संस्थाओं के छात्रों को प्रतिशतता के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा वर्ष 1967-68 में प्रत्येक पालिटेक्निक संस्था में प्रत्येक वर्ग अर्थात् योग्यता, योग्यता एवं साधन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों और निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिये पृथक् पृथक् कितने प्रतिशत छात्रवृत्तियां नियत की गई हैं;

(ग) वर्ष 1966-67 में छात्रवृत्तियां देने के लिये इन तीनों संस्थाओं को कुल कितनी धनराशि दी गई है और चालू वर्ष के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि दो श्रेणियां, अर्थात् अनुसूचित जातियां तथा कम आय वर्ग के छात्रों को गत वर्ष दी गई छात्रवृत्तियां उनकी असन्तोषजनक प्रगति को दृष्टि में रखते हुए बन्द कर दी गई है, हालांकि वे कम नम्बर लेकर उत्तीर्ण हो गये थे, और यदि हां, तो ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन श्रेणियों के छात्रों को केवल मात्र कम आय के आधार पर ही छात्रवृत्तियां देने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। निम्न आय-वर्ग के मामले को छोड़कर, जिनके मामले में छात्रवृत्तियों की संख्या का निर्धारण धन की उपलब्धता के अनसार प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

(ख) छात्रवृत्तियों का आवंटन निम्न प्रकार है :—

योग्यता छात्रवृत्तियां . . .	कुल विद्यार्थियों का 5 प्रतिशत
योग्यता-एवं-आय छात्रवृत्तियां . . .	कुल विद्यार्थियों का 15 प्रतिशत
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित कबीलों के लिये छात्रवृत्तियां	उम्मीदवारों के पात्र होने पर शत-प्रतिशत।

(ग) **योग्यता और योग्यता-एवं आय छात्रवृत्तियां :—**

1966-67	1,90,000 रुपये
1967-68	2,09,100 रुपये

अनुसूचित जाति, अनुसूचित कबीले और निम्न आय वर्ग छात्रवृत्तियां :—

पालटेक्निकों के लिये अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है। सभी विषयों के लिये तथा सभी विद्यार्थियों के लिये समग्र रूप से योजना हेतु बजट व्यवस्था निम्नांकित है :—

1966–67	4.55 लाख रुपये
1967–68	5.6 लाख रुपये

(घ) और (ङ). जी नहीं।

राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से नियतन

4957. **श्रीमती मिनिमाता अगम दास गुरु :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क निधि से विभिन्न राज्यों को धन का नियतन उसी अनुपात में दिया जा रहा है जिस अनुपात में उन राज्यों में पैट्रोल की खपत होती है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार को प्रति वर्ष कितनी राशि नियत की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। विमानन में हुई खपत के अलावा आवंटन पेट्रोल की खपत के अनुपात से किया जाता है।

(ख) आवंटन वर्ष प्रतिवर्ष के हिसाब से अलग अलग होता है। पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार को देय राशि जो अस्थायी तौर पर निकाली गई है इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन रु०
1964–65	11.98 लाख
1965–66	15.81 लाख
1966–67	17.57 लाख

दिल्ली प्रशासन द्वारा परीक्षाओं का रद्द किया जाना

4958. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अपने इस निर्णय की घोषणा की है कि पांचवीं, आठवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को छोड़ कर अन्य सभी कक्षाओं की परीक्षायें इस वर्ष नहीं होंगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ष ही ऐसा हुआ करेगा ; और

(घ) क्या यह सच है कि शिक्षकों और माता-पिताओं ने इस निर्णय का विरोध किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) यह प्रश्न दिल्ली प्रशासन के सा.क्रय रूप से विचाराधीन है ।

(घ) ऐसी किसी बात की जानकारी दिल्ली प्रशासन को अभी तक नहीं है ।

विवरण

वे मुख्य कारण, जिनकी वजह से पांचवीं, आठवीं, और ग्यारहवीं श्रेणी को छोड़कर वर्ष के अन्त में अन्य कक्षाओं की नियमित परीक्षा को छोड़ दिया गया है, ये हैं :—

(i) वर्ष के दौरान हुए कई संघर्षों के कारण, जिसमें हाल में ही अध्यापकों का संघर्ष भी शामिल है, विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो सकी थी ।

( ) माता-पिता को डर था कि कहीं उन छात्रों से जो हड़ताल के दिनों में नियमित रूप से स्कूलों में जाते रहे बदला न लिया जाय । यदि यह डर गलत भी सिद्ध होता तो फेल होने वाल बच्चों के माता-पिता अध्यापकों के विरुद्ध दोषारोपण करते जिससे स्कूल में काफी तनातनी पैदा हो जाती । इन परिस्थितियों में विद्यार्थियों और अध्यापकों के समान हित में और स्कूलों के सुचारू परिचालन के लिए यह निर्णय किया गया कि सब लड़कों को पास कर दिया जाय ।

(iii) इसके अतिरिक्त प्रशासन परीक्षा-प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करने की बात सोच रहा है । इस दिशा में सन् 1965 से काम शुरू हो गया है । जब से औपचारिक परीक्षाओं से अधिक जोर आन्तरिक मूल्यांकन पर दिया जाने लगा है । औपचारिक वार्षिक परीक्षाओं को खत्म करने के लिए भी यह प्रयोगात्मक अवसर लेने का प्रयास किया गया है । मूल्यांकन और आंतरिक निर्धारण के लिए विस्तृत योजना, जिसके आधार पर भविष्य में पास किया जाएगा, बनाई जा चुकी है ।

दिल्ली के अध्यापकों की हड़ताल

4959. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रवि राय :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस अवधि में दिल्ली के शिक्षक हड़ताल पर थे, उस अवधि के वेतन के भुगतान का मामला खटाई में डाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री से मिला था ;

(ग) यदि हां, तो इस का व्यौरा क्या है ; और

(घ) शिक्षकों को उपरोक्त अवधि का वेतन कब मिल जाएगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (घ) : उन अध्यापकों को जो 2 मार्च, 1968 को अथवा उस से पहले काम पर आ गये थे, फरवरी, 1968 के पूरे मास के वेतन की अदायगी के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं । जो अध्यापक 2 मार्च, 1968 के बाद ड्यूटी पर आये थे उन के वेतनों की अदायगी का प्रश्न अभी भी प्रशासन के विचाराधीन है और आशा है कि इस मामले में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

(ख) और (ग). एक प्रतिनिधि मण्डल, 13-3-1968 को शिक्षा मंत्री से मिला था जिस ने अन्य बातों के साथ-साथ हड़ताल की अवधि के अध्यापकों के वेतन की अदायगी संबंधी प्रश्न पर बातचीत की थी और उन्हें बताया गया था कि दिल्ली प्रशासन मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है ताकि अध्यापकों को कोई आर्थिक हानि न हो । हड़ताल के दौरान प्रशासन द्वारा अध्यापकों की अनुपस्थिति की अवधि के लिए समंजन करने के बारे में बहुत सी सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है । अन्तिम निर्णय दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका जैसे अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर के किया जाएगा ।

दिल्ली में हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु

4960. श्री म० ला० सोंधी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हवालात में एक व्यक्ति मरा हुआ पाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस व्यक्ति की मृत्यु पुलिस द्वारा बहुत मारपीट किये जाने के कारण हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच करने के लिए आदेश दे दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसने इस मृत्यु के मामले में जांच की है, यह निष्कर्ष निकाला है कि यह मृत्यु जीर्ण दुष्पोषण तथा केचेक्सिया के कारण हुई थी ।

दिल्ली में अपहरण का मामला

4961. श्री म० ला० सोंधी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 दिसम्बर, 1967 को दिल्ली में काश्मीरीगेट स्थित मुख्य डाकघर की चारदीवारी से कौशल्या देवी नामक एक बालिका का अपहरण कर लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस बालिका का पता लगाने और उसे उस के वैध अभिभावकों को लौटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली में काश्मीरी गेट स्थित मुख्य डाकघर की चारदीवारी के एक निवासी ने 2 दिसम्बर, 1967 की रात को स्थानीय पुलिस थाने में अपनी भतीजी श्रीमती कौशल्या देवी के कथित अपहरण के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई ।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/366 के अधीन एक मामला पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया था ।

मामले की बड़ी जांच की जा रही है ।

Alleged entry of Police Officers into an Arya Samaj Mandir in Delhi

4962. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some senior Police Officers had entered with shoes the Arya Samaj Mandir, Subhash Nagar, New Delhi on the 27th February, 1968;

(b) whether it is also a fact that they did not pay any heed when prevented by the local Arya Samaj Secretary and manhandled him badly ;

(c) if so, the reasons for the Police Officers violating the sanctity of the said temple; and

(d) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. The Secretary of the local Arya Samaj Mandir obstructed the Senior Officers of Delhi Administration in performing their duties at the main gate of the temple. He was arrested on the spot.

(c) and (d). Do not arise.

संघ राज्य क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता

4963. श्री गार्डिलिंगन गौड़ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो अपने विकास के लिये केन्द्रीय सरकार पर निर्भर हैं और जिनके पास अपने संसाधन नहीं हैं ; और

(ख) उन्हें वर्ष 1966-67 में कितनी सहायता दी गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सभी संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डलों के साथ नामतः हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोआ, दमन व दीव तथा पाण्डीचेरी जिनकी अपनी संचित निधि है अपने विकास कार्यों के लिये केन्द्र पर निर्भर करते हैं क्योंकि उन के अपने साधन इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त नहीं हैं । उनकी राजस्व प्राप्तियां जमा कर ली जाती हैं और उन के सभी खर्चे भारत की संचित निधि से किये जाते हैं ।

(ख) योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये 1966-67 में संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल के साथ को दी गई केन्द्रीय सहायता को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 575/68]** अन्य संघ के बजट जिन के अलग से विधान मण्डल नहीं है केन्द्रीय बजट के भाग होते हैं अतः उन को केन्द्रीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1362 के उत्तर में वृद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO U. S. Q. NO. 1362

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : 22-11-1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1362 के खण्ड (ख) और (ग) का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि --"दिल्ली कालिज आफ इंजीनियरिंग के 22 छात्रों [बी० एस० सी० इंजी०--13, बा० ई० (टैक)--2 और एन० डी० इन इंजी०--7] को छात्रवृतियां नहीं दी गई थीं क्योंकि सम्बंधित छात्रों के मां-बाप की आय छात्रवृत्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक थी और नियमों के अनुसार वे छात्रवृत्तियों के पात्र नहीं थे।

सही स्थिति यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों के छात्रों को छात्र-वृत्तियां देने के लिए आय-सीमा नहीं है। सभी संबंधित छात्रों (17 न कि 22) को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दो संसद् सदस्यों को नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग में जाने से रोका जाना

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

> "दो संसद् सदस्यों को 19 मार्च, 1968 को नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायोग में एक ज्ञापन पेश करने के लिये वहां जाने से रोका जाना।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, तुगलक रोड, नई दिल्ली ने 18 मार्च, 1968 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधादेश की घोषणा की जिसके अनुसार चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के कुछ विशेष क्षेत्र शामिल किये गये हैं। 19 मार्च को प्रातःकाल 11.15 बजे सर्वश्री कुण्डू और राम चरण, संसद् सदस्य और श्री ब्रजमोहन तूफान के नेतृत्व में 18 व्यक्ति तीनमूर्ति के निकट एकत्र हुए और एक जलूस के रूप में तीन मूर्ति मार्ग की ओर गये। वे स्वतन्त्रता सेनानियों को प्राणदण्ड देने के विरोध नारे लगा रहे थे। उन्हें तीनमूर्ति

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

तथा कौटिल्य मार्ग के चौराहे के पास पुलिस ने रोक लिया। जहां निषेधादेश लागू थे, वहां उनको अधिकारियों ने बताया कि निषेधादेश के कारण उन्हें तितर-बितर हो जाना चाहिये। उन्हें यह भी बताया गया कि यदि 3 या 4 व्यक्ति ब्रिटिश हाई कमिशन में ज्ञापन ले जायें तो कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। फिर भी प्रदर्शनकारियों ने आग्रह किया कि वे एक जलूस के रूप में ब्रिटिश हाई कमीशन में जायेंगे। जब सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की चेतावनी की उपेक्षा की गई तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अधीन गिरफ्तार कर लिया।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह एक ऐसा उदाहरण है जबकि देश के नागरिकों को रोडेशिया जैसे शासन के प्रति रोष प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की गई। ब्रिटिश उच्चायोग ज्ञापन प्राप्त करने के लिये अपना प्रतिनिधि भेजने को तैयार था। उन्होंने पूछा था कि वे लोग किस मार्ग से आ रहे हैं ताकि उनसे ज्ञापन प्राप्त किया जा सके। यह घटना 19 तारीख को घटी। लेकिन सरकार ने 18 मार्च से धारा 144 लागू कर दी थी। जब यह विदित था कि यह प्रदर्शन केवल ज्ञापन को देने पर लिये किया जा रहा था और यह प्रदर्शन शान्तिपूर्ण होगा तो धारा 144 लागू करने की क्या आवश्यकता थी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जहां तक इस विशेष विषय का प्रश्न है माननीय सदस्यों को विदित ही है कि इस मामले में हमारा रवैया उन से मेल खाता है। कई बार यह प्रदर्शन हिंसात्मक प्रदर्शनों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंसात्मक प्रदर्शनों पर नियंत्रण करने से अच्छा है कि प्रदर्शन को रोक दिया जाये। इसके साथ ही हम यह चाहते थे कि ज्ञापन को सुविधापूर्वक उच्चायोग को दिया जा सके इसीलिए सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने 3 चार व्यक्तियों को उच्चायोग को ज्ञापन देने के लिये कहा। लेकिन उन्होंने जलूस के रूप में वहां जाने का आग्रह किया। अतः यह दुर्भाग्यपूर्ण कर्त्तव्य करना पड़ा।

श्री बे० कृ० दासचौधरी (कूच-बिहार) : हमारे देश में लोकतन्त्र प्रणाली है। तथापि हमारे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगायी जा रही हैं जबकि लन्दन में एशियाई प्रदर्शनकारियों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध ब्रिटिश प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर प्रदर्शन करते समय नहीं लगाये गये थे। परन्तु यहां पर जब रोडेशिया शासन के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये समाजवादी युवक समाज ने प्रदर्शन का आयोजन किया तो धारा 144 लागू कर दी गई। अतः हमें संघ बनाने और वाक-स्वातन्त्र्य के क्या अधिकार मिले। क्या सरकार इस बात की जांच करगी कि सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने यह गैर-काननी और अनुचित आदेश क्यों जारी किये ?

श्री चव्हाण : आदेश गैर-कानूनी नहीं हैं। अतः जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : देश में लोकतंत्रात्मिक तरीके से सार्वजनिक संघों और राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक विरोध प्रकट करना आवश्यक है। स्वतन्त्रता सैनानियों ने धारा 144 का नमक कर की भांति विरोध किया था। क्या ब्रिटेन के हाइड पार्क की तरह नई दिल्ली के

किसी क्षेत्र को भी वाक् स्वातन्त्र्य पर लगाये गये प्रतिबन्धों से मुक्त किया जायेगा ? क्या सरकार का धारा 144 को समाप्त करने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दिल्ली में हाईड पार्क की तरह का एक क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री कुण्डू (बालासोर) : सरकार ने रोडेशिया में स्वतन्त्रता सेनानियों को फांसी दिये जाने के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति न देकर हमें अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करने दिया है। यह जानते हुए कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जायेगा किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह भी बताया गया था कि यह तो केवल रोष प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। ब्रिटिश उच्चायोग कार्यालय ने भी सूचित किया था कि वह हम से ज्ञापन लेने को तैयार हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि:

"ब्रिटिश प्रशासन को आइन स्मिथ सरकार को कड़ी चेतावनी देनी चाहिये कि यदि रोडेशिया सरकार स्वतन्त्रता संग्राम के अन्य सेनानियों को फांसी देने का कार्य नहीं रोकती तो ब्रिटिश सरकार वहाँ अपनी सेना भेजकर लोकतन्त्र को कायम रखेगी"।

लेकिन कांग्रेस सरकार ने ऐसा करने नहीं दिया (अन्तर्बाधाएं) सरकार को धारा 144 का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिये। क्या श्री चह्वाण इस ज्ञापन को स्वीकार कर सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रदर्शकारियों से कहा गया था कि दो या तीन व्यक्ति ज्ञापन देने के लिये उच्चायोग कार्यालय जा सकते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जबकि, प्रदर्शन जिनमें संसद् सदस्य भी शामिल थे हिंसात्मक प्रदर्शनों में परिवर्तित हो गये। हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि कोई संकट उत्पन्न न हो जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

डा० त्रिगुण सेन : मैं राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्था, बम्बई, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 546-68]**

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या चार) की एक प्रति, जो उत्तर प्रदेश के

राज्यपाल द्वारा 30 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 547-68]**

(2) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 7 मार्च, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(83)/67-फिन(ई) (आई) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 548-68]**

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखेंगे :—

(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) 16वाँ संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1738 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) 14वाँ संशोधन विनियम, 1967 जो दिनाँक 16 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1739 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) जी०एस०आर० 1786 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये।

(चार) जी०एस०आर० 1787 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किये गये।

(पाँच) जी० एस०आर० 1788 जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2090-67]**

(2) निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 376 की एक प्रति जो दिनाँक 2

मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 27 जनवरी, 1968 की जी०एस०आर० 149 का शद्धिपत्र दिया गया है ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० 549-68]

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति:--

(क) उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अध्यादेश, 1968 (1968 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 28 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ख) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक कार्यकर्ता जाँच अध्यादेश, 1968 (1968 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या III) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 28 जनवरी, 1968 को प्रख्यापित किया गया था। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 550/-68]

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

RE: CALLING ATTENTION NOTICE

श्री समर गुह : (कन्यई) : मैंने ध्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे 60 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मैं उन सबको स्वीकार नहीं कर सकता । (अन्तर्बाधाएं)

श्री समर गुह : यह बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा हैं उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री समर गुह : **

यदि वे सब 50 सदस्यों जिन्होंने ध्यान दिलाने वाली सूचना के नोटिस दिये हैं उस प्रकार उठ कर बोलने लगेंगे,तो ससद्.................(अतर्बाधाएं)

श्री समर गुह : **

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not Recorded.

श्री समर गुह : **

अध्यक्ष महोदय : या तो सभा को स्थगित करना पड़ेगा या सदस्य स्वयं नियंत्रित हो जायें। मैं मजबूर हूं ।

सदस्यों की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

चौथा प्रतिवेदन

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल): मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय---पेट्रोकैमिकल्स के बारे में प्राक्कलन समिति का 48वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 25 मार्च, 1968 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा

(1) आज की कार्यसूची से बकाया रहे सरकारी कार्यों पर विचार किया जाना ।

(2) अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967

(संयुक्त समिति को सौंपना)

बैंकिंग विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 1967

(प्रवर समिति को सौंपना)

मोटर गाड़ियां (संशोधन) विधेयक, 1965:

(संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव)

संविद् श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) विधेयक, 1967

(प्रवर समिति को सौंपना)

**कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not Recorded.

पांडिचेरी (विधियों का विस्तारण) विधेयक, 1967

(विचार तथा पारित करना)

कीटनाशी विधेयक, 1967, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(आगे विचार करना तथा पारित करना)

सिविल प्रतिरक्षा विधेयक, 1967

(विचार तथा पारित करना)

निम्नलिखित मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान 27 मार्च, 1968 से आरम्भ किया जायेगा:--

(एक) गृह कार्यमंत्रालय

(दो) प्रतिरक्षा मंत्रालय

बिहार के बारे में 28 फरवरी, 1968 को श्री नाथ पाई द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर के बुधवार, 27 मार्च, 1968 को 6 बजे म० प० पर आगे चर्चा ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रस्ताव पर चर्चा किये जाने का प्रश्न है हम इसके समय नियत करेंगे । उन्होंने केवल सभा के सामने जो कार्य है उसके बारे में उल्लेख किया है । समय नियत किये जाने आदि बातों के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति के अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।

पश्चिमी बंगाल संबंधी उद्घोषणा संकल्प तथा पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1968

RESOLUTION RE: PROCLAMATION IN RELATION TO WEST BENGAL AND WEST BENGAL STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS)—*contd.*

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

श्री चितरंजन राय (जयनगर) : पश्चिमी बंगाल में हुई घटनाओं का तर्क संगत निष्कर्ष राष्ट्रपति शासन और संविधान का रद्द किया जाना नहीं है । यह केन्द्रीय सरकार की उस सांठ गांठ का परिणाम है जब संयुक्त मोर्चा सरकार को गिराने का प्रयास किया गया था ।

पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार को अनुच्छेद 164 (1) के अन्तर्गत विघटन किया गया । विधान सभा को आमन्त्रित करने के पश्चात् सरकार को बर्खास्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता । ऐसा उन्होंने इसलिये किया कि उन्हें कुछ संदेह था कि सभा में उनका बहुमत नहीं है । यदि केन्द्रीय सरकार का देश में लोक तांत्रिक सिद्धांत को कायम करने का इरादा होता तो राष्ट्रपति शासन को टाला जा सकता था । इसके बावजूद भी श्री अजय मुखर्जी को सत्तारूढ़ कर दिया जाता और सभा में उनके बहुमत की परीक्षा की जाती तो यह

गलती ठीक की जा सकती थी। बहुत दुःख की बात है कि केन्द्रीय सरकार धीरे धीरे नौकरशाही पर रहने की बात को बढ़ावा दे रही है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

दल बदलने की प्रवृत्ति ने हमारी राजनीति को दूषित कर दिया है। यह बीमारी कांग्रेस दल ने शुरू की है। यह सब अपने लाभ के लिए किया जाता है। भारत की राजनीति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि भारतीयों का भविष्य धूमिल हो गया है। अतः हम इस विधेयक और संकल्प का समर्थन नहीं कर सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हारबर) : केन्द्रीय सरकार की ओर से जवाब देने के लिए श्री चव्हाण सदन में उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रयत्न करूंगा कि गृह-कार्य मंत्री सभा में उपस्थित हों। (अन्तर्बाधायें) जब किसी मंत्रालय से सम्बन्द्ध किसी मामले पर चर्चा की जा रही हो तो कम से कम उस मंत्रालय के राज्य मंत्री या उप मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिये। यह उन्हें सूचित कर दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में आकर पूंजीपतियों की सहायता करने के लिए पश्चिमी बंगाल में लोक तन्त्र का गला घोंट दिया। इस पर काफी धनराशि खर्च हुई है। 35,000 व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया जिन पर राज्य को प्रति दिन डेढ़ लाख रुपये से अधिक रकम व्यय करनी पड़ती है। पुलिस बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल पर भी काफी धनराशि खर्च होती है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि जिससे कांग्रेस को पुनः सत्ता प्राप्त हो सके और वह पूंजीपतियों के प्रति अपना दायित्व पूरा कर सके। पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार ने 10 लाख मन अनाज वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था; तत्पश्चात् घोष मंत्रालय ने सत्तारूढ़ होते ही उसे घटाकर 7 लाख मन कर दिया, लेकिन वास्तव में उसने अब तक केवल 2 लाख मन की वसूली की है, वहाँ जो कुछ हो रहा ह उसे दृष्टि में रखते हुए, वहाँ मध्यावधि चुनाव करने की नितांत आवश्यकता है, और इस प्रयोजन के लिये एक निश्चित तारीख की घोषणा की जानी चाहिए। मतदाता सूची का संक्षेपतः पुनरीक्षण करके मध्यावधि चुनाव किये जा सकते हैं, हरयाणा में मध्यावधि चुनाव कराने में सरकार ने कोई देर नहीं की है लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में वह सुस्त है। आखिर पश्चिम बंगाल के प्रति यह सौतेला रवैया तथा दुहरी नीति क्यों अपनायी जा रही है ?

पश्चिम बंगाल में 20 फरवरी को परिषद् स्थगित कर दी गई थी लेकिन उसका सत्रावसान नहीं किया गया वह अब भी कायम है, इसीलिये परिषद् के सदस्य अनिश्चित काल के लिये वेतन तथा दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं और इस पर राज्य को लगभग 50,000 रुपये प्रति माह खर्च करने पड़ेंगे।

इससे बुरी बात यह है कि हमें धोखा दिया जा रहा है । कांग्रेस तथा बड़े बड़े पूंजीपतियों का विरोध करने वाले राजनैतिक तथा अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है । पी० डी० एक्ट का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है । समाज-विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है और विरोधी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को किसी न किसी बहाने जेल में ठोसा जा रहा है । इसके अलावा वे लोग साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने तथा बढ़ावा देने की फिर वही पुरानी नीति अपना रहे हैं । कलकत्ता में हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगे में कुछ कांग्रेसियों का गहरा हाथ था ।

मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले गृह कार्य मंत्री ने संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया । वे दल-भावना से इतने अधिक प्रेरित हैं कि उन्होंने अगामी राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन सूची से इस राज्य के अध्यक्ष का नाम निकालने की सोची है । वर्ष 1956 में ऐसी ही परिस्थितियों में उड़ीसा के अध्यक्ष को उसी पद पर कायम रखा गया था । लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में दुहरी नीति अपनायी जा रही है ।

अध्यक्ष को हटाने के लिये सरकार ने संविधान का अनुच्छेद 179 निलम्बित कर दिया, यह कोई अनुषांगिक परिवर्तन नहीं है बल्कि मूलभूत तथा मौलिक है जो वह नहीं कर सकती थी । इस मामले में इस अनुच्छेद का कोई भी उपबन्ध लागू नहीं होता अतएव अध्यक्ष का हटाया जाना सरकार की ओर से दूसरी अवैध कार्यवाही है । वास्तव में गृह कार्य मंत्री ने अध्यक्ष को हटाकर विधान सभा के लिये प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा कर दी हैं और वित्तीय उलझनें पैदा कर दी हैं । वास्तव में बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर ही अध्यक्ष को हटाया गया है ।

पश्चिम बंगाल प्रशासन को सलाह देने के लिये सरकार ने अब तक कोई सलाहकार समिति नहीं बनाई है जैसा कि हरियाणा के मामल में किया गया है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वहां के प्रशासन को सलाह देने के लिये गृहकार्य मंत्री को एक ऐसी समिति बनानी चाहिए जिसमें कुछ संसद सदस्य तथा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हों और जो मध्यावधि चुनाव खत्म होने तक पश्चिम बंगाल की सेवा कर सकें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

T e Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the clock

[**Shri G. S. Dhillon in the Chair**
श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए]

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का समर्थन करते हुए भी मैं महसूस करता हूं कि राष्ट्रपति का शासन लागू करना संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की एक प्रकार की अप्रत्यक्ष निन्दा है । एक के बाद एक जारी होने वाली ये उद्घोषणाएं एक दिन भारत म संसदीय लोकतंत्र को समाप्त कर देंगी । मेरे दल ने विधान सभा को भंग करने की मांग नहीं की थी बल्कि चन्द दिनों के लिये इस आशा से राष्ट्रपति के शासन की मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में भीड़-तंत्र

का वातावरण बदला जा सके और लोगों में कुछ समझदारी आये ताकि संसदीय लोकतंत्र चलाने के लिये वहां उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके।

देश म एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में निर्वाचित विधान-सभा को लुड़काने का दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण पैदा करने के लिये विरोधी दल भी कुछ हद तक जिम्मेदार है बल्कि इसके लिये मुख्यत: कांग्रेस जिम्मेदार है। बीस वर्ष तक लगातार राज्य करने के कारण कांग्रेस के मस्तिष्क में एक प्रकार का शक्ति-विकार उत्पन्न हो गया है और वह संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं को भूल गई है, इतने राज्यों में सत्ता गंवा देने के कारण कांग्रेस अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठी है और इस कारण उसमें भारी असन्तोष व्याप्त है, अब वह किसी न किसी तरह पुनः सत्ता प्राप्त करने के फिराक में है और उसे सत्ता की भूख लग गई है। यही कारण है कि कांग्रेस ने लगभग सभी गैर-कांग्रेसी राज्यों में उपद्रव करने की कोशिश की है।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार ने कुछ गलतियां जरूर की हैं और उसके शासन काल में विध्वंसक तत्वों को बल मिला है और समाज विरोधी तत्व भी पनपे हैं लेकिन कांग्रेस ने इन तत्वों को दबाने में मदद देने के बजाय कुछ संवैधानिक दांव-पेच अपना कर "सरकार के प्रसाद" वाक्यांश का सूक्ष्म विश्लेषण करने की कोशिश की है और राज्यपाल द्वारा अलोकतंत्री ढंग से विधान सभा को बुलाये जाने तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा से पूछे बिना मंत्रिमंडल को बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही को उचित ठहराने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र की आत्मा की निदर्यता से हत्या की है और देश में व्याप्त वर्तमान स्थिति के लिये वही जिम्मेदार है, इसलिये आज यदि लोगों का संसदीय लोकतंत्र तथा राजनैतिक दलों से विश्वास उठ गया है तो इसके लिये कांग्रेस ही मुख्यत: जिम्मेदार है।

कांग्रेस ने कुछ अल्पसंख्यक सरकारों को सत्तारूढ़ करने का मूर्खतापूर्ण तरीका अपनाया, ये सरकारें कठपुतली की भांति काम करती थी। उनमें न तो आत्म-विश्वास की भावना थी और न ही अपने में स्थिरता की भावना जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन में अस्थिरता की भावना पैदा हो गई और जनता का उनसे विश्वास उठ गया। अतः आज स्थिति यह है कि देश में ऐसी कांग्रेस सरकारें अथवा कांग्रेस समर्थन-प्राप्त मंत्रालय स्वतः एक-एक करके लुढ़क रहे हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष की कार्यवाही का सम्बन्ध है, उन्होंने एक राजनैतिक चाल खेली है, वह सभा का निष्पक्ष रूप से कार्य-संचालन करने में ही केवल असफल नहीं हुए हैं अपितु उन्होंने राज्यपाल की शक्ति तक को चुनौती दी है। उन्होंने विधान सभा के सदस्यों को सभा में राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने का अवसर न देकर पश्चिम बंगाल विधान सभा के अधिकार को ही हड़प लिया। संविधान के अनुच्छेद 176(1) के अनुसार अध्यक्ष का कर्त्तव्य था कि वह पश्चिम बंगाल विधान सभा तथा परिषद् के संयुक्त सत्र में राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के बारे में सभा को सूचित करते, किन्तु बाद में अनुच्छेद 176(2) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल विधान परिषद् में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि राज्यपाल ने संयुक्त सत्र के समक्ष वास्तव में भाषण दिया भी या नहीं। यदि उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि राज्यपाल ने संयुक्त सत्र में भाषण दिया था अथवा नहीं, तो उनकी इस बात से पश्चिमी बंगाल विधान सभा की दूसरी बैठक अवैध हो जाती है और इससे उनका अपना फैसला भी अवैध हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने कई असंगत तर्कहीन तथा परस्पर

विरोधी कदम उठाये और वह विधान सभा की कार्यवाही को ठप्प करने को, उन्होंने एक ओर तो राज्यपाल की मंत्रालय बर्खास्त करने की कार्यवाही को अवैध बताया और उसे चुनौती दी और दूसरी ओर उसी राज्यपाल से पश्चिम बंगाल में पी० डी० एफ० कांग्रेस मंत्रालय को उन्हीं तरीकों से बर्खास्त करने तथा राष्ट्रपति शासन लागू करवाने के लिये कहा। इस प्रकार उनके कार्य की सराहना नहीं की जा सकती।

आज पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव की मांग के बारे में प्रश्न यह नहीं है कि वहां पर मध्यावधि चुनाव संभव है अथवा नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि क्या राज्य में स्थिरता है या नहीं और क्या लोग राजनैतिक दलों तथा संसदीय प्रणाली में पुनः विश्वास करने लग गये है अथवा नहीं। आज वहां केवल यह मांग है कि राष्ट्रपति का शासन जारी रहे, इसलिये सरकार को इन समस्याओं पर—संसदीय लोकतंत्र की समस्याओं पर मौलिक रूप से विचार करना चाहिए।

देश में आज संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के समक्ष जो समस्या है उसे सुलझाने के लिये सभी राजनैतिक दलों और राष्ट्रीय नेताओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए, अध्यक्ष (स्पीकर) महोदय को भी राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों की एक बैठक बुलानी चाहिए और अध्यक्षों के अधिकारों कार्यों और कर्त्तव्यों पर पुनः प्रकाश डालना चाहिए। राज्यपाल और अध्यक्ष के कर्त्तव्यों की परिभाषा करने और पिछले बीस वर्षों में संविधान के प्रवर्तन में जो कठिनाइयां पैदा हुई हैं उन्हें दूर करने के लिये अविलम्ब एक संविधान सभा बुलायी जानी चाहिए और संविधान में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए ताकि हर चीज स्पष्ट हो जाये, और देश की गिरती हुई संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को संभाला जाये।

श्री भजहरि महतो (पुरुलिया) : बंगाली में बोले। (spoke in Bengali)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the Chair***]**

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : तर्क तथा आरोप वही हैं जो कुछ दिन पहले इस सभा में पश्चिम बंगाल के मामले पर विचार विमर्श करते समय लगाये गये थे। ये आरोप लगाये गये हैं कि कांग्रेस बुरे राजनैतिक उद्देश्यों से काम कर रही है और वह देश में अस्वस्थ राजनैतिक वातावरण पैदा कर रही है। किन्तु यह आरोप निराधार है। गत चुनावों में पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में विरोधी दल आपस में लड़ते रहे और एक दूसरे के कार्यक्रम की आलोचना तथा निन्दा करते रहे। किन्तु जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपने सभी सिद्धान्तों को किनारे लगा कर और चाहे जैसे भी हो, गुटबन्दी बना कर सत्ता हथियाने की कोशिश की और इस प्रकार संयुक्त मोर्चे अथवा संयुक्त विधायक दल सरकारें बनीं। दुर्भाग्य से मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस सरकारों को गिराने का खेल शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ कांग्रेसियों के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश, हरयाणा तथा मध्य प्रदेश में सरकारें गिराने का प्रयत्न किया और अपनी हरकतों में कामयाब हुये। ये सब बातें किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं थीं। यह केवल सत्ता लिप्सा थी। वे जिस तरह भी हो, कांग्रेस मंत्रालयों को गिराकर सत्ता हथियाना चाहते थे। विपक्षी नेता स्वयं यह कह रहे हैं कि इन सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया और

कपने कार्यक्रमों का अनुसरण तथा पालन नहीं किया और वे केवल पद-पिपासु हैं । इससे पता चलता है कि यह आरोप लगाना कितना निरर्थक है कि देश में वर्तमान स्थिति के लिये केवल कांग्रेस तथा केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है ।

जहां तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का सम्बन्ध है, इसके लिये न तो राज्यपाल दोषी है और न ही कांग्रेस अथवा केन्द्र बल्कि स्वयं संयुक्त मोर्चा सरकार दोषी है । जनता को उससे जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई और वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में स्वतः असफल रही । वास्तव में हम यह चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय शासन को न बदला जाये और अन्तिम क्षण तक हमारा प्रयत्न भी यही रहा । अनेक वर्गों से यह मांग आई कि पश्चिम बंगाल में सरकार को बहुत पहले बर्खास्त किया जाना चाहिये था किन्तु हमने ऐसा नहीं किया । हम उस क्षण तक रुके रहे जब तक कि वहां लोकतंत्र सरकार का जारी रखना असम्भव नहीं हो गया । वहां के अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय के कारण हमें यह दुखद कार्यवाही करनी पड़ी और इसमें किसी की जीत नहीं है । यह हर व्यक्ति की विशेषतः खुद पश्चिम बंगाल के लोगों की पराजय है ।

राज्यपाल के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं व न केवल बिल्कुल गलत हैं बल्कि उनके पीछे कोई राजनीतिक चाल है । ये आरोप निराधार हैं । मैं माननीय सदस्यों को यह कहता हूं कि वे मुझे बतायें कि राज्यपाल ने क्या गलत बात की है ताकि मैं उस बारे में जांच कर सकूं ।

जहां तक केन्द्र और राज्यपाल के बीच सांठगांठ का सम्बन्ध है मैंने केवल यही कहना है कि इस तरीके से लगाये गये आरोप देश के लिये हानिकारक हो सकते हैं । मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने विचार में या कार्य में पश्चिम बंगाल के बारे में ही क्या देश के किसी भी भाग में ऐसी चाल नहीं चली है । इसलिये मेरे विचार से ऐसी बात कहना बिल्कुल गलत है । मैं केवल उन्हीं प्रश्नों का उल्लेख कर रहा हूं जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं । एक प्रश्न राज्यपाल की कार्यवाही की संवैधानिकता अथवा असंवैधानिकता के बारे में भी उठाया गया था । इस बारे में मैं अपनी राय प्रकट नहीं कर रहा हूं । कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को रिकार्ड किया गया है । उसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि राज्यपाल ने जो भी कार्यवाही की वह न केवल संवैधानिक ही थी बल्कि पूर्ण रूप से वैध भी थी अतः असंवैधानिकता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

एक प्रश्न पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव के बारे में भी उठाया गया था । इस बारे में कई विचार व्यक्त किये गये हैं । श्री समर गुह ने ठीक ही कहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ लोग अवश्य यह चाहते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन रहे । परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार यह बिल्कुल नहीं चाहती कि वहां पर आवश्यकता से थोड़े दिन भी अधिक तक राष्ट्रपति शासन जारी रहे । हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां पर मध्यावधि चुनावों में देर हो । हमने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मध्यावधि चुनाव कराने के लिये तारीख निश्चित करें । मुख्य चुनाव

आयुक्त ने सभी बड़े राजनीतिक दलों से परामर्श करने के बाद हमें यह लिखा है कि राज्य में आम राय यह है कि चुनाव नवम्बर में हों। उनका विचार नवम्बर के पहले पखवाड़े में चुनाव कराने का है जिसके लिये उन्होंने दो तारीखें दी हैं। समय आने पर हम निश्चित तारीख की घोषणा कर देंगे।

अब मैं कुछ शब्द विधेयक के बारे में कहूंगा जो सभा के समक्ष हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत जब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है पश्चिम बंगाल राज्य के लिये कानून बनाने के अधिकार प्राप्त कर लेगा। इस काम में राष्ट्रपति की सहायता करने के लिये हम 60 सदस्यों की एक समिति बना रहे हैं। हम इस समिति में जहां तक सम्भव हुआ संसद् में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को रखने का प्रयास करेंगे। यह समिति केवल परामर्शदात्री समिति होगी तथा किसी भी कार्यवाही को करने से पहले इस समिति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और मुझे आशा है कि सभा इस संकल्प और विधेयक को अवश्य पारित करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को सभा के मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधियां बनाने की पश्चिम बंगाल राज्य के विधान मण्डल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड दो पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड दो विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3—राष्ट्रपति को विधान बनाने सम्बन्धी राज्य विधान सभा की शक्तियां प्रदान करना

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2, 3 और 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक संशोधन संख्या 7 और 9 का सम्बन्ध है, वे संशोधन वैसे ही हैं जो पहले प्रस्तुत किये जा चुके हैं। वही स्थिति श्री दांडेकर के संशोधन संख्या 10 की है। श्री सेक्वीरा और श्री चित्तरंजन राय उपस्थित नहीं हैं। अतः ये सब संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत भारत की संचित निधि में से किये जाने वाले खर्च सम्बन्धी कोई विधेयक तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति उस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश न कर दे। परन्तु राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश नहीं की है।

इसके अतिरिक्त नियम 69(1) में कहा गया है कि खर्च सम्बन्धी विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये।

हम देखते हैं कि प्रस्तुत विधेयक में संसत्सदस्यों की एक समिति बनाने की कल्पना की गई है। इसलिये इस सम्बन्ध में निश्चित ही कुछ खर्च होगा। इस विधेयक के लिये वित्तीय ज्ञापन की भी आवश्यकता है परन्तु ऐसा कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये मेरा यह कहना है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश और वित्तीय ज्ञापन के बिना विचार नहीं किया जा सकता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Apart from the points raised by Shri Banerjee I would like to draw the attention to 69(2) where in it is said that "clauses or provisions in Bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India shall be printed in thick type or italics." That two has not been done.

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक में किसी बात पर भारत की संचित निधि में से कुछ भी खर्च नहीं होगा। जहां तक स्थिति का सम्बन्ध है यह एक संसदीय समिति है तथा इस समिति पर होने वाले खर्च को लोक सभा सचिवालय और संसद्-कार्य विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। मैं प्राधिकार से कह रहा हूं कि इस सम्बन्ध में भारत की संचित निधि में से कोई खर्च नहीं होगा। यही कारण है कि इसके लिये राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

Shri Madhu Limaye : As far as Consultative Committee on Kerala is Concerned, I am sure, involved expenditure. Shri Ram Sewak Yadav who represented us is fully aware of the fact.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। यदि कुछ खर्च होता है तब इस बारे में अवश्य विचार किया जायेगा। यदि वह स्पष्ट तौर पर यह आश्वासन दे सकते हैं कि कोई खर्च नहीं होगा केवल तभी मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर सकता हूं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने स्पष्ट ब्यान दिया है और मैं उसे फिर दुहराता हूं कि संचित निधि में से कोई खर्च नहीं होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा ब्यान या तो पंत जी की ओर से या फिर विधि मंत्री की ओर से आना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने स्पष्ट ब्यान दे दिया है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : यह एक संविहित समिति है। इसलिये इस पर लोक सभा सचिवालय खर्च करे यह जरूरी नहीं है। अतः यह खर्च भारत की संचित निधि में से किया जायेगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I want to give the true picture so that you may draw your own conclusion. When there was President's Rule in Kerala a Consultative Committee was appointed at that time. I was a member of that Committee. The travelling and such other allowances were given to the members of the Committee.

Shri Madhu Limaye : Even if a single pie will be spent out of the demands of Lok Sabha the Minister will be answerable to that. Hence he should clarify the position attentively.

Shri Vidya Charan Shukla : It is quite clear that the Members of the Consultative Committee will get travelling allowance etc. but they will be paid the amount to whichever House they may belong to.

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : बात केवल यह है कि संसद् सदस्यों को इस समिति का सदस्य बनाया जाता है। जब उन्हें समितियों का सदस्य बनाया जाता है तो उन्हें संसत्सदस्य वेतन तथा भत्ते अधिनियम के अन्तर्गत भत्ते आदि दिये जाते हैं। अतः उन्हें इस समिति के सदस्य होने के नाते भत्ते आदि दिये जायेंगे न कि इस विधेयक के संदर्भ में।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बताना चाहता हूं कि यह संसदीय समिति नहीं है। यदि यह संसदीय समिति है तो निश्चय ही लोक सभा सचिवालय इसके भुगतान के बारे में उत्तरदायी है। परन्तु यदि यह समिति संसद् के सदस्यों की बनाई गई है तो यह संसदीय समिति नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरा प्रश्न साधारण ही है। जब संसत्सदस्यों को किसी समिति का सदस्य बनाया जाता है तो क्या उन्हें इस विशिष्ट विधेयक के उपबन्धों के परिणामस्वरूप भत्ते मिलते हैं याकि संसत्सदस्य वेतन तथा भत्ते अधिनियम के अनुसार। मान लीजिये यह अधिनियम न होता तब इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था की जानी थी कि भुगतान किस रूप में कितना दिया जायेगा। परन्तु उस अधिनियम के होने के कारण ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे स्पष्टीकरण चाहिये। ऐसी समितियों के सदस्यों को जो संसदीय नहीं होती हैं कैसे भुगतान किया जाता है।

Shri Madhu Limaye : Sir, it is not a Parliamentary Committee as it is not fulfilling the conditions of a Parliamentary Committee which have been laid down in Rule 2. The Committee will not work under the direction of the Speaker nor will it present its report to the House.

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरा निवेदन यह है कि हमने पहले भी इस तरह की बहुत सी समितियां नियुक्त की हैं और इन सभी समितियों का खर्च लोक सभा के बजट अनुदानों में से लिया गया था। इसीलिये इन सभी विधेयकों में किसी के साथ भी वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया। अतः यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय समिति की परिभाषा स्पष्ट है। इसलिये उसे ध्यान में रखते हुए और दूसरे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह संसदीय समिति नहीं है मैं यह महसूस करता हूं कि जब तक वित्तीय ज्ञापन पेश नहीं किया जाता तब तक विधेयक पर आगे विचार नहीं किया जा सकता।

लेखानुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल), 1968-69 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पश्चिम बंगाल), 1967-68

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (WEST BENGAL), 1968-69 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (WEST BENGAL), 1967-68

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही तय हो चुका है कि वर्ष 1968-69 के लिये लेखानुदानों की मांगें (पश्चिमी बंगाल) तथा वर्ष 1967-68 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पश्चिमी बंगाल) बिना चर्चा के पास की जायेंगी। इसलिये मैं कटौती प्रस्तावों को लेता हूं।

वर्ष 1968-69 के लिये पश्चिम बंगाल के बजट सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
12	1	श्री भगवान दास	फालतू भूमि को भूमिहीन श्रमिकों तथा निर्धन किसानों में बांटने में असफलता।	100 रुपये
12	2	श्री भगवान दास	व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से धान को ट्रकों में एक जिले से दूसरे जिले में लाने-ले जाने को रोकने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
12	3	श्री भगवान दास	अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को जिनके परिणाम-स्वरूप निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को कठिनाई हो रही है रोकने में असफलता ।	100 रुपये
19	4	श्री भगवान दास	दुर्गापुर प्रदेश में कालेज-शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
19	5	श्री भगवान दास	जिला बर्दवान में मनकर में कालेज-शिक्षा की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
19	6	श्री भगवान दास	जिला बांकुरा के सोनामुरकी हाई स्कूल के लिये अनुदान मंजूर करने में असफलता ।	100 रुपये
20	7	श्री भगवान दास	दुर्गापुर क्षेत्र में जनता के लिये एक आम अस्पताल की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
22	8	श्री भगवान दास	कृषि श्रमिकों के लिये वर्ष भर रोजगार की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
26	9	श्री भगवान दास	दुर्गापुर क्षेत्र में जिन किसानों की भूमि औद्योगिक विकास के लिये अर्जित कर ली गई थी उनको मुआवजा देने में असफलता ।	100 रुपये
26	10	श्री भगवान दास	बांकुरा जिले में नये उद्योगों का विकास करने में असफलता ।	100 रुपये
27	11	श्री भगवान दास	कुटीर उद्योगों के लिये सरकार से सहायता न मिलना ।	100 रुपये
30	12	श्री भगवान दास	आधुनिकीकरण के कार्यों के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।

1	2	3	4	5
30	13	श्री भगवान दास	दुर्गापुर स्थित स्टैण्डर्ड वैगन बम्पर और एशियाटिक आक्सीजन कारखानों को, जो बन्द पड़े हैं, पुनः खोलने में असफलता ।	100 रुपये
31	14	श्री भगवान दास	बर्दवान और बांकुरा जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पीने के पानी के कुओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
31	15	श्री भगवान दास	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पर्याप्त शिक्षा सुविधा की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
33	16	श्री भगवान दास	बर्दवान जिले के अयोध्या बनकटी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये नहर बनाने में असफलता ।	100 रुपये
12	17	डा० रानेन सेन	साम्प्रदायिक और गुण्डा तत्वों से प्रभावी रूप से निबटने में प्रशासन की असफलता ।	100 रुपये
12	18	डा० रानेन सेन	राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने में असफलता ।	100 रुपये
14	19	डा० रानेन सेन	जेलों की दशा सुधारने में असफलता	100 रुपये
15	20	डा० रानेन सेन	पुलिस की ज्यादतियों और दमनकारी तरीके तथा विभाग में फैला भ्रष्टाचार ।	100 रुपये
19	21	डा० रानेन सेन	विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगों के प्रति न्याय करने और उनकी हालत सुधारने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
20	22	डा० रानेन सेन	अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता।	100 रुपये
21	23	डा० रानेन सेन	गांवों में स्वास्थ्य तथा सफाई, जल-निस्सारण और जल-संभरण की स्थिति में सुधार करने में असफलता।	100 रुपये
22	24	डा० रानेन सेन	किसानों की दशा सुधारने और खाद्यान्न तथा नकदी वाली फसलों समेत कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में असफलता।	100 रुपये
22	25	डा० रानेन सेन	किसानों के लिये समय पर बीज, खाद, उर्वरक, ऋण और सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
23	26	डा० रानेन सेन	मत्स्यपालन में सुधार करने और लोगों को मछली उपलब्ध कराने में असफलता।	100 रुपये
24	27	डा० रानेन सेन	बृहत्तर कलकत्ता दुग्ध सप्लाई योजना को बृहत्तर कलकत्ता में दूध सप्लाई करने में असफलता और सप्लाई किये गये दूध की किस्म में गिरावट।	100 रुपये
25	28	डा० रानेन सेन	पश्चिमी बंगाल में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने और उसका विस्तार करने में असफलता।	100 रुपये
26	29	डा० रानेन सेन	राज्य में छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों को संरक्षण देने में असफलता।	100 रुपये
27	30	डा० रानेन सेन	कुटीर उद्योगों का विकास करने तथा उन्हें संरक्षण देने में असफलता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
29	31	डा० रानेन सेन	सामुदायिक विकास परियोजनाओं की असफलता ।	100 रुपये
30	32	डा० रानेन सेन	गम्भीर बेरोजगारी तथा छटनी, जबरी छुट्टी, उद्योगपतियों द्वारा कारखानों का बन्द किया जाना तथा तालाबन्दी तथा कर्मचारियों के पक्ष में कार्य-साधक रूप में कार्य किये जाने में असफलता ।	100 रुपये
30	33	डा० रानेन सेन	दूसरे राज्य की तुलना में इस राज्य में कर्मचारियों की मजूरी का निम्न स्तर ।	100 रुपये
31	34	डा० रानेन सेन	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने तथा उन्हें निर्धारित कोटे के अनुसार नौकरियां देने में असफलता ।	100 रुपये
33	35	डा० रानेन सेन	राज्य में सिंचाई सम्बन्धी उचित सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
33	36	डा० रानेन सेन	खंगसावारी परियोजना का कार्य पूरा करने में असफलता ।	100 रुपये
33	37	डा० रानेन सेन	नगरों में सस्ती बिजली देने में असफलता ।	100 रुपये
33	38	डा० रानेन सेन	कृषि-प्रयोजनों के लिये सस्ती बिजली देने में असफलता ।	100 रुपये
33	39	डा० रानेन सेन	ग्रामों में बिजली पहुंचाने में असफलता ।	100 रुपये
35	40	डा० रानेन सेन	जल सम्भरण, जल निकासी, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की दृष्टि से बृहत्तर कलकत्ता क्षेत्र में सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
38	41	डा० रानेन सेन	दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में पर्याप्त उपाय किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
45	42	डा० रानेन सेन	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास करने तथा उन्हें भूमि और नौकरियाँ देने तथा उन्हें बेदखल किये जाने से बचाने में असफलता ।	100 रुपये
	43	डा० रानेन सेन	शरणार्थी बस्तियों को नियमित करने में असफलता ।	100 रुपये
2	44	श्री मुहम्मद इस्माइल	रिश्तेदारों को भूमि का हस्ताँतरण और बेनामी हस्ताँतरण की अनुमति देकर जमींदारी प्रथा को ज्यों का त्यों बनाये रखना	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
30	45	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिम बंगाल के लिये उपभोक्ता मूल्य देशनाँक के सम्बन्ध में एक व्यक्ति के आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित न करना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
30	46	श्री मुहम्मद इस्माइल	विदेशी तेल कम्पनियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को जोकि विद्युत् संगणकों के लगाये जाने के बाद लागू की गयी है, समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
30	47	श्री मुहम्मद इस्माइल	प्राइवेट कैरियर ट्रांसपोर्ट (रोडवेज) के कर्मचारियों के कार्य और रहन-सहन की दशा को विनियमित करने के लिये कानून बनाना ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
30	48	श्री मुहम्मद इस्माइल	अतिरिक्त महंगाई भत्ते और बदली प्रथा आदि से संबंधित पटसन श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच चल रहे विवाद में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने	100 रुपये

1	2	3	4	5
			में असफलता जिसके कारण पटसन उद्योग में सभी श्रमिक संघों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल का आह्वाहन किया गया है।	
30	49	श्री मुहम्मद इस्माइल	"कालटैक्स" के उन कर्मचारियों को जो कार्यालय उपकरणों के हटाये जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हो गये हैं पुनः नौकरी दिलाने में असफलता।	100 रुपये
30	50	श्री मुहम्मद इस्माइल	इण्डियन इलैक्ट्रिक वर्क्स और उसके प्रबन्धकों के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करने में असफलता।	100 रुपये
30	51	श्री मुहम्मद इस्माइल	भूतपूर्व रिवर स्टीम नेवीगेशन के सभी कर्मचारियों को नई कम्पनी में खपाने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप बहुत से लोग बेकार हो गये हैं।	100 रुपये
30	52	श्री मुहम्मद इस्माइल	डनलप रबड़ कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों को निर्वाचन द्वारा वर्क्स कमेटी का गठन करने पर बाध्य करने में असफलता।	100 रुपये
30	53	श्री मुहम्मद इस्माइल	आकस्मिक श्रमिकों को 6 मास की सेवा के पश्चात स्थायी बनाने के लिये कार्यवाही करने में असफलता।	100 रुपये
30	54	श्री मुहम्मद इस्माइल	सेक्सबी एण्ड फार्मर कं० लिमिटेड में सरकार के परामर्श के बावजूद बिना उचित कारण बताये बड़े पैमाने पर होने वाली छटनी।	100 रुपये
30	55	श्री मुहम्मद इस्माइल	सेक्सबी एण्ड फार्मर कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी समिति के अधिकाँश सदस्यों को	100 रुपये

1	2	3	4	5
			वास्तविक कार्मिक संघ गतिविधियों के लिये चार्ज-शीट देना तथा उनका निलम्बन ।	
30	56	श्री मुहम्मद इस्माइल	ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा सरकार के परामर्श के बावजूद 'फरनेस' विभाग बिना किसी उचित कारण के अकस्मात् बन्द कर दिया जाना ।	100 रुपये
30	57	श्री मुहम्मद इस्माइल	कार्मिक संघों द्वारा बार-बार प्रयत्न किये जाने पर भी बहुत से कारखानों का पुन: न खोला जाना ।	100 रुपये
30	58	श्री मुहम्मद इस्माइल	श्रमिकों की छंटनी और प्रबन्धकों की प्रोत्साहन योजना के मानने के लिये उन पर दबाव डालने के लिये बर्न एण्ड कम्पनी द्वारा हावड़ा और कुल्टी में तालाबन्दी की घोषणा करना ।	100 रुपये
30	59	श्री मुहम्मद इस्माइल	टैक्समेको लिमिटेड बैलधारिया द्वारा बहुत से कर्मचारियों को जबरी छुट्टी देने की घोषणा जिसके परिणामस्वरूप हजारों श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा खतरे में पड़ गई है ।	100 रुपये

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 1—59 कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The Cut Motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये पश्चिम बंगाल के लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें सभा के मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	4—निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	3,05,000
2	9 भू-राजस्व	1,95,72,000
	76—भू-राजस्व—अन्य विविध क्षतिपूर्ति और समर्पण	9,61,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
2	92—भू-राजस्व—जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के सम्बन्ध में भूमि-धारियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी . . .	1,16,66,000
3	10—राज्यीय उत्पादन शुल्क . . .	28,22,000
4	11—गाड़ियों पर कर	5,72,000
5	12—बिक्री कर	18,89,000
6	13—अन्य कर और शुल्क	7,00,000
7	14—स्टाम्प	6,84,000
8	15—रजिस्ट्री फीस . . .	20,24,000
9	16—ऋणों और अन्य देनदारियों पर ब्याज . .	20,00,000
11	18—संसद्, राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र के विधान मंडल .	15,91,000
12	19—सामान्य प्रशासन	1,96,43,000
13	21—न्याय प्रशासन	54,58,000
14	22—जेल	71,80,000
15	23—पुलिस	6,07,15,000
16	26—विविध विभाग दमकल सेवा . .	25,26,000
17	26—विविध विभाग दमकल सेवा को छोड़ कर . .	1,24,74,000
18	27—वैज्ञानिक विभाग . . .	26,000
19	28—शिक्षा	14,66,87,000
20	29—चिकित्सा	5,66,30,000
21	30—लोक स्वास्थ्य	2,82,99,000
22	31—कृषि—कृषि	5,06,37,000
	95—कृषि—कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय. . .	1,22,53,000
23	31—कृषि—मीन क्षेत्र . . .	26,87,000
24	33—पशुपालन	65,01,000
	124—पशुपालन सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय—बृहत्तर कलकत्ता दुग्ध पूर्ति योजना . .	2,41,77,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
25	34—सहकारिता	40,03,000
26	85—उद्योग-उद्योग	1,04,16,000
	96—उद्योग-औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	58,23,000
27	35—उद्योग-कुटीर उद्योग . . .	66,36,000
	96—उद्योग—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय —कुटीर उद्योग	4,65,000
28	35—उद्योक-सिंकोना	17,04,000
29	37—सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य . . .	1,51,03,000
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय—सामुदायिक विकास प्रयोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	4,47,000
	सामुदायिक विकास प्रायोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्यों के अनुसार ऋण और अग्रिम .	10,53,000
30	38—श्रम और नियोजन . . .	1,51,27,000
31	39—सामाजिक और विकास संबंधी विविध संगठन—अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण . . .	51,11,000
32	39—सामाजिक और विकास संबंधी विविध संगठन—अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को छोड़कर	49,32,000
33	42—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	2,40,52,000
	43—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी सम्बन्धी निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) .	27,17,000
	44—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी संबंधी निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) .	1,28,44,000
	98—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं, बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	84,66,000
	99—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं, सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी संबंधी निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) .	16,61,000
	100—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी संबंधी निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)	11,88,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
34	50—सरकारी निर्माण कार्य	5,19,83,000
35	51क—बृहत्तर कलकत्ता विकास योजना	19,78,000
	106क—बृहत्तर कलकत्ता विकास योजना पर पूंजी परिव्यय	62,33,000
36	53—बन्दरगाह और नौचालन	5,16,000
37	57—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	19,64,000
	114—सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पंजी परिव्यय	3,50,000
38	64—दुर्भिक्ष सहायता	2,00,00,000
39	65—पेंशनों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	66,28,000
	120—पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी	1,86,000
40	67—भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	50,000
41	68—लेखन-सामग्री और छपाई	36,91,000
42	70—वन	89,94,000
43	71—विविध—अंशदान	1,25,80,000
44	71—विविध—अन्य विविध व्यय	1,82,72,000
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,92,93,000
45	71—विविध—विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये अशोध्य ऋण जो बट्टे खाते डाल दिये गये	50,00,000
	71—विविध—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	1,24,02,000
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	21,66,000
	विस्थापित व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम	16,67,000
46	78—विभाजन-पूर्व की अदायगियां	1,000
47	78क—राष्ट्रीय संकट से सम्बंध व्यय	1,29,28,000
48	98—बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय—दामोदर—नदी घाटी प्रायोजना	1,44,62,000
49	103—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	2,35,64,000
50	124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,80,64,000
52	राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम	4,31,45,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968–69 के लिये पश्चिम बंगाल के अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें सभा के मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
3	10—राज्यीय उत्पादन शुल्क . .	12,67,000
4	11—मोटर गाड़ियों पर कर . .	1,17,000
8	15—रजिस्ट्री फीस . .	6,60,000
14	22—जेलें .	24,86,000
28	35—उद्योग—सिंकोना	6,89,000
29	37—सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	25,89,000
32	39—अनुसूचित आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को छोड़ कर सामाजिक और विकास संबंधी विविध संगठन	3,09,000
38	64—दुर्भिक्ष सहायता	4,55,22,000
40	67—भारतीय नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते . .	15,000
43	71—विविध—अंशदान	99,26,000
45	71—विविध—विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये वसूल न हो सकने वाले ऋण जो बट्टेखाते डाल दिये गये . .	4,92,000
52	राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम	1,08,84,000

पश्चिम बंगाल (लेखानुदान) विधेयक, 1968

WEST BENGAL (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1968

पुरस्थापन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से में प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के एक भाग की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

'कि वित्तीय वर्ष 1968–69 की एक भाग की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

पश्चिम बंगाल विनियोग विधेयक, 1968

WEST BENGAL APPROPRIATION BILL, 1968

पुरस्थापन

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967–68 की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

पश्चिम बंगाल (लेखानुदान) विधेयक, 1968

WEST BENGAL (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1968

विचार करने का प्रस्ताव तथा पारित किया जाना

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि वित्तीय वर्ष 1968–69 के एक भाग की सेवाओं के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 के एक भाग की सेवाओं के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) According to the Civil Budget Estimates Government of West Bengal would collect Rs. 6.36 crores from Land Revenues and 13.41 crores in the form of Excise Duty and similarly they are expected to collect Rs. 57.20 crores in the form of Sales Tax. It has also been stated that Rs. 5.75 crores would be spent for collection of land revenues. It would be observed from these figures that there is very little gap between income and expenditure thereon. Our party had rightly suggested abolition of land revenues in West Bengal as the same would help the poor peasants financially. If more vigorous efforts are made to realise the taxes, there will be no need of imposing fresh taxes. The position of financial resources can be improved to great extent by realisation of Excise Duty and Sales Tax.

We regret that even United Front Government could not abolish land revenue in West Bengal.

It has been envisaged in our constitution that Primary education would be made free and compulsary after 15 years. But nothing has been done in this regard. Even today fee is being charged in the Government Primary Schools in West Bengal. It is a matter of regret that even United Front Government has not done this job. I had drawn the attention of the Government towards the fact that during the last 17 years not a single new primary school has been opened for the general public. Morever Congress Government have not taken any effective steps to replace English by Bengali in the working of High Court of Calcutta and other Government offices.

Shri Sheo Narayan (Basti) : The Sanyukt Socialist Party plead welfare of Harijans and formers but during the period of United Front Governments in the various states the condition of Harijans has deteriorated. Five Harijans have been killed in Madhya Pradesh but no enquiry has been conducted.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं इस खर्च का विरोध करता हूं। यद्यपि पश्चिमी बंगाल में उद्योगों और पूंजी का भारी जमाव है तथा वहां की प्रति व्यक्ति आय देश में सब से कम है। वहां पर जीवन निर्वाह का खर्च अत्यधिक है। फिर वहां पर देहातों में मकान बनाने तथा पानी आदि की व्यवस्था की उपेक्षा की गयी है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम की भी अवहेलना की गयी है क्योंकि वह किसी गैरसरकारी व्यक्ति के साथ साजिश किये हुए हैं और केन्द्र ने भी इस कार्य की उपेक्षा की है।

पश्चिम बंगाल में नकद फ़सलें उगाई जाती हैं, इसलिये वहां अनाज की कमी रहती है। केन्द्रीय सरकार अनाज के मामले में वहां की जनता पर राजनीतिक दबाव डालना चाहती है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पश्चिम बंगाल में जहां तक भूमि राजस्व का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1937 से लेकर वही भूमि राजस्व चल रहा है अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस अवधि म कृषि सम्बन्धी पदार्थों के मूल्यों की वृद्धि की तुलना में राजस्व में कोई वृद्धि नहीं हुई है। श्री मधुलिमये 5,87,16,000 रुपये के जो आंकड़े दिये हैं उनमें विभिन्न प्रकार के अन्य खर्च भी सम्मिलित

है। जैसे प्रशासन पर 98 लाख रुपये का खर्च है, फिर सरकारी सम्पदा के प्रबन्ध का 2.11 लाख रुपये का खर्च, बन्दोदस्त तथा रिकार्ड संचालन का 74 लाख रुपये, भूमि सम्बन्धि रिकार्ड का 77,000 रुपये का खर्च, भूतपूर्व ज़मीनदारी सम्पदा पर 4,10,69,000 रुपये का खर्च सम्मिलित है। भूमि राजस्व के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को विचार करना चाहिये क्योंकि यदि वे भूमि राजस्व को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ही विकास कार्यों के लिये संसाधन जुटाने के लिये वैकल्पिक साधन ढूंढने होंगे।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, देहाती क्षेत्रों में वह निःशुल्क है -- पुरूलिया को छोड़कर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। देहाती क्षेत्रों म 14 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिये शिक्षा निःशुल्क है।

जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वहां पर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी है। फिर भी 13 नगरपालिकाओं ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है। कलकत्ता निगम ने भी कुछ निःशुल्क प्राथमिक पाठशालायें खोली हैं जिनमें 65,000 विद्यार्थियों के लिये स्थान उपलब्ध है। अन्य स्कूलों मे लगभग 1,65,000 बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो निःशुल्क नहीं हैं।

यह कहना उचित नहीं कि शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया है। शिक्षा पर काफी खर्च हो चुका है और आगामी वर्ष के लिये राज्य की शिक्षा योजना के सम्बन्ध म 7.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें 3.50 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के लिये रखे गये ह। प्राथमिक स्कूलों की स्थापना के लिये 88 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 348 (i) के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। जहां तक विश्वविद्यालयों की भाषा का सम्बन्ध है, वे स्वयत निकाय हैं और इस सम्बन्ध म उन्हें स्वयं निर्णय करना होगा। जहां तक प्रशासन द्वारा भाषा के प्रयोग का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल की विधान सभा ने एक कानून पास किया था जिसके अनुसार प्रशासन में बंगाली भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव म वहां पर अंग्रेजी और बंगला दोनों भाषाओं का प्रयोग हो रहा है।

श्री ज्योतिमय बसु ने बंगाल की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चहता हूं कि हम जिस अवधि के बजट की चर्चा कर रहे हैं उस अवधि म बंगाल में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। परन्तु शायद माननीय सदस्य उसे अपनी सरकार नहीं मानते।

वास्तव में बंगाल में स्थिति बहुत गम्भीर है। कलकत्ता की कुछ अपनी विशिष्ट समस्यायें हैं। कलकत्ता की जनसंख्या काफी है और फिर वहां शरणार्थी समस्या भी है। निश्चय ही वहां से देश को काफी राजस्व प्राप्त होता है। परन्तु जिस अवधि में वहां संयुक्त मोर्चा सरकार थी उस अवधि में वहां उत्पादन में काफी कमी हुई थी और बहुत से जनदिन बेकार चले गये थे। बंगाल की समृद्धि के लिये वहां पर शान्ति और राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। सभी मामलों का निर्णय विधान सभा में किया जाना चाहिये। सड़कों पर नहीं। सभी दलों को हिंसा को त्याग देना चाहिये। आर्थिक विकास के लिये यह कुछ आवश्यक बातें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिये पश्चिमी बंगाल की संचित निधि से उस राज्य की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों को निकाल जाने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के साथ जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, Schedulde, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उत्तर प्रदेश संबंधी उद्घोषणा के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE.* PROCLAMATION IN RELATION TO UTTAR PRADESH

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है"

माननीय सदस्यों को भली भांति ज्ञात है कि किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है तथा विधान सभा को स्थगित किया गया है। अन्ततः उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को जब यह ज्ञात हो गया कि वह राज्य की सरकार नहीं चला सकते हैं, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इस के बाद मिली-जुली सरकार के विभिन्न घटकों के वक्तव्यों से राजनीतिक स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि राज्यपाल यह निश्चित नहीं कर सका कि क्या कोई विशिष्ट राजनितिक दल वहाँ पर स्थायी सरकार बना सकता है। वास्तव में विधान मंडल के कांग्रेस दल के नेता तथा अन्य दलों के नेताओं द्वारा यह दावे किये गये थे कि वे स्थायी सरकार बना सकते हैं, परन्तु राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई स्थायी सरकार नहीं बनाई जा सकती।

प्रश्न यह है कि यदि उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में सरकार बन जाती है, तो इस उद्घोषणा को सभा के सामने लाने की क्या आवश्यकता है? यदि उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार बन जाती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि वहां किस दल की सरकार बनती है, हम तो चाहते हैं कि चाहे किसी दल की सरकार बने, वह स्थायी सरकार होनी चाहिये। इस संकल्प को तथा उस विधेयक को जिसे मैं सोमवार को पेश करूंगा, सभा के सामने इस लिये लाया जा रहा है क्योंकि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत इन के लिये सभा की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। यदि उत्तर प्रदेश में कोई दल सरकार बना लेता है तो हमें खुशी होगी तथा ऐसा होने पर यह विधान रद्द समझा जायेगा।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the Chair.*]

जहाँ तक उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है उस के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। मैं माननीय सदस्यों से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह कोई ऐसी बात न कहे जिस से वहाँ लोकप्रिय सरकार बनने में कठिनाई पैदा हो।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 26 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

Shri Jharkhandey Rai (Ghosi) : The imposition of President's rule in U. P. is most uncalled for and unjustified. It is a part of the countrywide campaign which has been started by the Congress party to murder democracy in the country. Formerly also when there was a test of strength between the Congress and the U. F. in the Legislative Assembly, the Congress

party there tried its utmost to oust the U.F. Government and they also resorted to such means as bribing or threatening the MLAs' or offering them ministerial posts, if they defected, but all their efforts ended in smoke. The no confidence motion against the U.F. Government was defeated by a big margin and it was proved that U.F. Government enjoyed the majority support in the Legislative Assembly.

The resignation of Ch. Charan Singh was an internal matter of that Party. It had no bearing on the Party position in the Legislative Assembly and as such it was necessary that the party should have been given a chance to form a new popular Government there. If there was any doubt aboutthe strength of that party that could have been ascertained on the floor of the House when the Assembly was summoned. It could have been easily proved whether the U.F. or the Congress enjoyed the majority support in the Legislative Assembly. The Governor, on the other hand, recommended on the investigation of Central leaders, that President's rule should be imposed there, which is against democracy.

So far as the question of defections is concerned much has already been said about it. The question is as to who started this game. I say that this game was first started by the Congress party. The Congress party has been in power since independence and it is the largest political party in our country. I want to ask the leaders of the Congress party whether they did not welcome Shri Ashok Mehta and his colleagues when they defected from their party and joined Congress. So it was Congress which was responsible for starting this game of defections which had become so common in our country.

Sir, it is unnecessary to continue President's rule in U.P. I want to say that the U. F. enjoys clear majority there and they are in a position to form Government. If there is any doubt about the majority of U. F. then the Legislative Assembly may be summoned and it will be decided on the floor of the House whether U.F. has got the majority support or not. It does not matter that some party have left U.F. and they are not willing to join Government. The fact is that U.F. has got the support of all parties, whether they join Government or not is a different matter. Though the Communists and Socialists have withdrawn from U. F. Government, but they have made it clear that they will continue to support U.F. Government. So, I request that the President's rule should be withdrawn from U.P. and U. F. should be allowed to form Government .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखें ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

चौबीसवां प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun : (East Delhi) I beg to move :

"That this House agrees with the Twenty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th March, 1968."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से, जो 20 मार्च, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

वामपन्थी साम्यवादी दल की गतिविधियों के बारे में संकल्प--जारी

RESOLUTION *RE.* ACTIVITIES OF LEFT COMMUNIST PARTY—*Contd.*

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं आप का ध्यान श्री प्रेम चन्द वर्मा द्वारा 8 मार्च, 1968 को प्रस्तुत किये गये संकल्प की ओर दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"इस सभा की राय है कि भारत के वामपन्थी साम्यवादी दल को अवैध घोषित कर दिया जाये चूंकि इसकी गतिविधियों से देश की एकता, अखण्डता एवं सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हो गया है।"

इस संकल्प के बारे में मेरी पहली आपत्ति यह है कि देश में वामपंथी साम्यवादी दल नाम का कोई दल नहीं है। इसलिये सभा में इस प्रकार के संकल्प पर चर्चा नहीं की जा सकती। सभा किसी काल्पनिक विषय पर चर्चा नहीं कर सकती।

मैं आप का ध्यान नियम 186 की ओर दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :

"कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इस के लिये वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात कि :

(1) उस में साफ तौर से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा ;

(2) उसमें प्रतर्क अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे ;

(3) उस में व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उन के आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा ;

(4) वह किसी हाल ही में घटित विषय तक निर्बन्धित रहेगा ;

(5) उस में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा " इत्यादि इत्यादि ।

नियम 173 (1) इस प्रकार है :

"(1) वह स्पष्टतया और सुतथ्यतया व्यक्त किया जायेगा ।

चुनाव आयोग की निर्देशिका में केवल निम्न दलों को अन्तर्राज्यीय दल माना गया है : —

"इण्डियन नेशनल कांग्रेस, स्वतंत्र दल, भारत का साम्यवादी दल, भारत का साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), भारतीय जनसंघ, प्रजा समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल तथा भारत की रिपब्लिकन पार्टी ।

उस निर्देशिका में वामपंथी साम्यवादी दल नामक किसी दल का उल्लेख नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि इस नाम का कोई दल ही नहीं है । अतः जब उस नाम का कोई दल ही नहीं है, जो संकल्प में दिया गया है, तो संकल्प पर चर्चा कैसे हो सकती है । सभा में किसी काल्पनिक विषय पर चर्चा नहीं हो सकती ।

यदि इस संकल्प पर चर्चा करनी है, तो इस दल का संशोधित रूप इस प्रकार होना चाहिये : —

"इस सभा की राय है कि जिन व्यक्तियों ने भारत के साम्यवादी दल को छोड़ दिया है, उन पर पाबन्दी लगाई जाये ।"

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री स० मो० बनर्जी ने इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । उन्होंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक संशोधन भी पेश किया है । जब वह इस प्रस्ताव को ही अग्राह्य मानते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में संशोधन कैसे पेश कर सकते हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब एक प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी जाती है तथा इसे अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राह्य घोषित किया जाता है, तो वह प्रस्ताव सभा की सम्पत्ति बन जाती है और क्या किसी माननीय सदस्य द्वारा उस की ग्राह्यता के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : जब किसी विषय पर चर्चा की जा रही हो, तो कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता है कि चर्चाधीन विषय नियमानुकूल नहीं है। इसमें कोई अनुचित बात नहीं है । जब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं तो वह क्यों नहीं उठा सकते है ।

श्री मी० र० मसानी (राजकोट) : मेरी राय में इस संकल्प की ग्राह्यता के बारे में आप का निर्णय बिलकुल ठीक है और मैं समझता हूं कि यह संकल्प पूर्णतया उपयुक्त है । नियम 171 में कहा गया है कि संकल्प सिफारिश अथवा मत की घोषणा के रुप में हो सकता है । प्रस्तुत संकल्प राय के रूप में तैयार किया गया है । नियम 172 में कहा गया कि संकल्प लोक हित के विषय से सम्बन्धित होना चाहिये । इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि यह संकल्प लोक हित के विषय से सम्बन्धित है । नियमों 173 में इस बात कि व्याख्या की गई है कि किस प्रकार का प्रस्ताव

ग्राह्य होगा । इस नियम के अनुसार किसी संकल्प को ग्राह्य होने के लिये एक साधारण विषय से सम्बन्धित होना चाहिये; इसमें प्रतर्क अनुमान व्यंगात्मक पद लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होने चाहियें; इसमें व्यक्तियों के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या या चरित्र का निर्देश नहीं होना चाहिये और उसे किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होना चाहिये जो न्यायानिर्णयन के अधीन है ।

इसलिये में समझता हूं कि यह संकल्प पूर्णतया उपयुक्त है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित के विषय पर चर्चा को जानबूझ कर टाला जा रहा है, क्योंकि सम्बन्धित दल बुरे इरादों के कारण अपने आचरण को सार्वजनिक रुप से प्रकट करने में कतराता है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): According to Shri Masani's contention this Resolution has been drafted in the form of an opinion, but I want to point out that this Resolution in not in the form of an opinion or recommendation, rather it is in the form of an order. The Resolution says that this House is of the opinion that the Left Communist Party of India be declared unlawful. So if this Resolution is passed by this House, it will be obligatory on the part of Government to implement it. Hence it is an order and not an opinion.

Now the question is whether this Resolution can be moved under the Rules. I say that this Resolution can not be moved under the rules, because no rule can go against the Constitution. If this Resolution is adopted, the Government will have no option but to implement it. Now Article 19(1) (c) of the constitution gives a fundamental right to form Associations or Unions. But at the same time some reasonable restrictions have been placed on that right by Article 19(4), which is as follows :

"Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall effect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause."

Now under this Article, the Unlawful Activities (Prevention) Act has been enacted in which it has been defined as to what an unlawful association means and it is in this whole context that the resolution has not been drafted in a proper form and its present form is against the Rules and the Constitution. The Resolution should have been in the following form :

> "This House recommends to the Government to examine whether it is possible to declare the CPI (Marxists) unlawful on the ground that it advocates cession or secession of parts of Indian territory."

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 173 की ओर दिलाना चाहता हूं । नियम 173 (iii) इस प्रकार है :—

> "इस में प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे "

नियम 174 में किसी संकल्प की ग्राह्यता का विनिश्चयन करने की शक्ति स्पष्ट रूप से अध्यक्ष को दी गई है, जो इस प्रकार है :

"अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई संकल्प या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह किसी संकल्प अथवा उस के किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में, संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो"

नियम 173(ii) के अनुसार संकल्प में व्यंग , दोषारोपण या अपमानजनक उक्तियां नहीं होनी चाहियें , परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रस्तुत संकल्प में व्यंग और तानें वाली उक्तियां हैं। यह संकल्प दोषपूर्ण है । यदि इस संकल्प को पारित भी किया जाता है, तो आप किस दल को भारत का वामपंथी साम्यवादी दल कहेंगे ? जिस राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप उस पर प्रतिबन्ध कैसे लगा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, जो श्री बनर्जी ने कहीं हैं।

श्री हेम बरुआ : महोदय नियमों के अन्तर्गत यह विनिश्चय करने की कि यह संकल्प ग्राह्य है अथवा नहीं शक्ति आप को दी गई है । मेरा निवेदन है कि नियम 173(iii) के अनुसार यह संकल्प ग्राह्य नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रायः उन ही बातों को दोहरा रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वामपंथी साम्यवादी दल नाम की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और कुछ ने नियम 173 का उल्लेख किया है । यदि कोई माननीय सदस्य इन को छोड़ कर कोई नई बात कहना चाहे, तो मैं एक या दो मिनट के लिये सुनने को तैयार हूं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व): मैं इस बात के विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि देश में वामपंथी साम्यवादी दल नाम का कोई राजनीतिक दल है अथवा नहीं । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यह संकल्प दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा कुछ ऐसे सदस्यों को जो उचित ढंग से काम कर रहे हैं, बदनाम किया गया है । संसद् में तर्क करते समय एक दल द्वारा दूसरे दल पर आक्षेप लगाया जा सकता है, परन्तु जानबूझ कर ऐसे संकल्प पेश करना जिस से दूसरे राजनीति दल पर लांछन लगाया जाये, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । संसद के नियमों के अनुसार संकल्प में अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहियें । प्रस्तुत संकल्प में सभा का अपमान किया गया है । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को अनुचित करार दिया जाना चाहिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन किसी भी क्रियाकलाप को अवैधघोषित किया जा सकता है । यह तर्क न्यायालयों पर छोड़ दिया गया है । हम उस कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकते, जिसे स्पष्ट रूप से एक अधिनियम के अन्तर्गत , जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, न्यायालयों पर छोड़ दिया गया है । किन्तु इस संकल्प के द्वारा हम ऐसे कार्य अपने हाथ में ले रहे हैं, जो हमारे

नहीं अपितु न्यायालयों के हैं। संसद् न्यायालय के रूप में जब भी काम कर सकती है, जब संसद् के अपमान का प्रश्न अन्तग्रस्त हो, अन्यथा नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir. The form of the Resolution has been defined in Rule 171. This Rule says that a Resolution may be in the form of a declaration of opinion or a recommendations. My submission is this that the Resolution declares an opinion as wall as makes a recommendation. If it is passed by the House, it is not obligatory on the part of Government to implement it. It is for the Government to see after this Resolution is passed, whether it is necessary to bring forward a new bill to implement this Resolution and they may do so or take any action, if they so desire. Of course, you can legally bring such a resolution, but I think from the propriety point of view, it, is wrong to do so. It is only when a white paper has been circulated and this House taken into confidence that it will be appropriate to bring such a resolution.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि): नियम 173 के अन्तर्गत यह संकल्प ग्राह्य नहीं है क्योंकि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है, दूसरे इस की भाषा से यह स्पष्ट है कि यह अपमानजनक है। अतः संकल्प ग्राह्य नहीं किया जा सकता है।

फिर, इस संकल्प में कहा गया है कि वामपंथी दल की कार्यवाहियां देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिये खतरा हैं। अतः सभा की यह राय है कि इसे अवैध घोषित किया जाये। अवैध कार्यवाहियां (निवारण) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को ऐसी राय बनाने से पूर्व कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है। और जब तक ऐसा नहीं किया जाता यह सभा इस पर कोई राय नहीं बना सकती है।

नियम 29 इस प्रकार है :—

"गैर-सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उस वर्ग के कार्य के लिये नियत किये गये दिन के लिये रखा गया हो और उस दिन चर्चा की अवस्था में पहुंचा हो। किसी बाद के दिन के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक उस दिन के संबंध में की गयी शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो :

परन्तु नियम 27 तथा 28 में किसी बात के अन्तविष्ट होते हुए भी ऐसा कोई कार्य, जो उस दिन के अन्त में, चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिये नियत अग्रिम दिन के लिये रख दिया जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववत् वर्तिता दी जायेगी।

नियम 26 में स्पष्ट रूप से कहा गया है

"शुक्रवार की बैठक के अन्तिमज दिन ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत किये जायेंगे।"

अध्यक्ष महोदय को ढाई घंटे से 3 घंटे तक समय बढ़ाने की कोई भी शक्ति नियमों के अन्तर्गत प्राप्त नहीं है। अतः उस दिन साढ़े छः बजे के पश्चात् इस संकल्प का लिया जाना नियमविरुद्ध था अतः इसका पुनः बैलट होना चाहिये था।

श्री एस० पी० राममूर्ति (मदुरै): मेरे दल के ऊपर आरोप लगाये गये हैं और इस ढाई घंटे के समय में मेरे दल को केवल 10 मिनट मिले हैं। हम पर आरोप लगाने से पहले इस सभा के समक्ष सारे तथ्य रखे जाने चाहियें तब हम सिद्ध करेंगे कि हम अपराधी हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह-मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वामपंथी साम्यवादी दल के नाम से कोई दल है और यदि संकल्प पारित हो गया तो क्या सरकार के लिये इसे क्रियान्वित करना संभव होगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : तकनीकी दृष्टि से वामपंथी साम्यवादी दल के नाम से कोई दल नहीं है। दो साम्यवादी दल हैं और उन में से एक सी० पी० आई० (एम) है जिसे आम बातचीत में वामपन्थी साम्यवादी कहा जाता है।

जहां तक क्रियान्विति का सम्बन्ध है, यदि संसद् कोई निदेश देती है तो हमें उसे क्रियान्वित करने का तरीका निकालना होगा। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि दलों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये।

Shri Prem Chand Verma : Sir, this is a very important resolution and I request the hon. Members to order over the grave issue of the unity, integrity and security of our democracy and rise above party politics.

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि गृह-मंत्री ने कहा उन्हें वामपन्थी और दक्षिण-पन्थी साम्यवादी कह कर पुकारा जाता है किन्तु उन्हें सम्बोधित करने का सही तरीका भारत का साम्यवादी दल और सी० पी० आई० (मार्क्सिस्ट) है। मैं इस सुझाव को भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस संकल्प पर इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। अतः प्रस्तावक महोदय पहले इस अशुद्धि को ठीक कर लें और फिर नये सिरे से संकल्प को सभा के सामने रखें।

राष्ट्रमण्डल से पृथक् होने के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE.* QUITTING THE COMMONWEALTH

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I move :

"That this House condemns the execution of freedom fighters in South Rhodesia by illegal regime of Ian Smith and urges the Government of India to quit the Commonwealth of Nations forthwith the view of the inaction of the British Government against the illegal minority regime of Ian Smith".

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr Deputy Speaker in the Chair]

Sir this matter had been discussed in this House several times in the past. On 24th September, 1965, this issue was raised here in the wake of the Pakistani aggression upon India, but on certain legal grounds the discussion was not permitted to be completed. Prior to that this issue was raised in this House on the 12th November, 1964. At that time several assurances were given by the Foreign Minister, *viz.* full support would be given to the organisation of African unity etc. etc. Despite all these assurances, the condition of Africans in South Rhodesia has considerably deteriorated during the last two and a half

[Shri George Fernandes]

years. Five of the African freedom fighters have already been hanged and nearly 100 are in jails who have been awarded capital punishment and may be hanged at any time.

When Ian Smith set up his illegal minority Government, the people all over the world, quite naturally expected the U.K. Government to take stringent and prompt action against that illegal Government. But their hopes were belied because the British Government did not want to use force against the white minority Government. It is most unfortunate that the Indian Government did raise its voice against the atrocities perpiterated upon the coloured people and that is why the Asians are being deported from Kenya.

It is no use remaining in Commonwealth which believes in apartheid policy. Our Government must quit it forthwith and alongside extend all possible help to the people of Rhodesia in their freedom struggle. To this a conference should be convened in Delhi of all those countries who support the cause of Rhodesians. We should move a resolution in U.N.O. urging it to march its army into Rhodesia.

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I beg to move my amendment to this Resolution.

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा संशोधन सभा के समक्ष हैं । सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे पांच पांच मिनट से अधिक समय न लें क्योंकि बहुत सारे सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Mr. Deputy Speaker, Sir, had Shri Fernandes gone through my amendment, he would have noticed that all the points raised by him in his speech were covered. It is not correct to say that our Government has done nothing. Our Government had secured connections with the White Government of Ian Simith even before its unilateral declaration of freedom.

[श्री गु० सि० ढिल्लन पीठासीन हुए]
[**Mr. G. S. Dhillon** in the Chair]

In fact they deserve our congratulations for pursuing a right curse of action. Just like Korea a United Nation Force drawn from all countries should be sent to Rhodesia to throw out the White Regime there. 2 lakh Englishmen are ruling over 40 lakh Kikins. To-day United Nations is dominated by U.S.A. and their allies, who are interested to push on their business and trade by holding on to their colonies. British Government no doubt applied same economic sanctions but failed to take some direct action. Out of 110 persons arrested by Smith Government five persons have already been executed. Our Government should press the British Government to use all possible means, including total economic sanctions, to terminate this illegal Government as well urge the United Nations through a resolution to act under Chapter 7 of the U.N. Charter and impose mandatory provisions of use of army against the Smith regime in Southern Rhodesia. The approachd of United Kingdom is prejudiced by its business interests. All the countries, who have fought for freedom against the British imperialism should come forward to help the people of Rhodesia.

We have received a pamphlet from the British Information Service, wherein they have themselves admitted that while their country has constitutiona responsibility for Rhodesia, they have not been able to stop actions so clearly illegal and so brutally inhuman. They failed

to stop the execution of Africans by the Smith Government. If we continue to pursue a liberal attitude 105of our brethern will be hanged. Everyone turns a deaf ear to the weaker person but the force of might and weaponary is well reckoned. Our Government should take strong measures and treat it as a test case to judge the effectiveness of U.N.O. otherwise it should be considered as a purposeless organisation.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) ; Whatever is happening in Rhodesia deserves severest condemnation. Same is the condition in Angola, South Africa and Tibet. Still there are imperialistic forces in the world, who are persecuting the people. There can be no two opinions that India has full sympathy with the freedom fighters of Rhodesia, South Africa, Angol and Tibet.

But we have to see how far the expression of sympathy is going to help them ? U.N.O. is not going to do anything for the weaker countries. If we are strong, if these nations are strong we get things done according to our wishes. It is a matter of great regret that Mohan Ranade and his associates are still rotting in the Portuguese jail. It is really unfortunate that nobody comes forward to press his release although we cry from the house top for the cause of Africans.

Shri Bhagat has just come back from Kenya. It was only yesterday that he was saying even after independence Britishers still enjoy the real power, the persecution of Asians, which are mostly Indians, still continues there. Today India is a weak nation and has got no prestige in the world, Our position can well be compared to a bankrupt person, to whom nobody comes forward to offer credit. Might is respected in the world. If we want ourselves to be heard and be effective in the world, we must make our country strong. During the freedom struggle age the Lahore session of Congress Shri Jawaharlal Nehru had said that we wanted complete freedom and no dominion status or any link with Britain. Mahatma Gandhi represented the liberals. It was quite possible that India would have attained freedom in 1930-31, had we accepted the dominion status within the British commonwealth. But we insisted on complete independence. The country was partitioned and we forgot complete independence and became a member of the Commonwealth. Britian has done the greatest harm to us by partitioning the country. After attaining we should have secured all connections with Britain.

We enjoy no longer the benefits for which we remained in the Commonwealth. Britain's entry into E.E.C. will take away the trade preferences which we enjoy. The travel concessions in regard to vise which we enjoy has lost its significance when Britain is not prepared to take back the British passport holders from Kenya. After the treatment meted out to Kenya Asians, who held Britain passports, there is no justification in our continuing in the Commonwealth.

Instead of advantages now there are in fact many disadvantages in our remaining in the Commonwealth. Many countries see us through the eyes of Britain and do not try to assess our policies independently. Though we are an independent nation to-day, we have not been able to develop an independent personality of our own. The policy of many countries on issues concerning India for example U.S. approach at Kashmir issue—is guided by the British approach. Britain exercised pressure on Lal Bahadur Shastri to agree to arbitration on the Kutch issue, the consequences of which are well before us. Our link with the Commonwealth is responsible for British influence on us psychologically.

Whatever little benefits we had in being a member of the Commonwealth are fast declining and the disadvantages are many. The advantages of E.C.M., common citizenship etc. are no more there. Therefore, it is time for us to seriously consider the question of leaving the commonwealth. Our national interest, self-respect demand that we quit the Commonwealth and stand on our own.

Shri Vidya Dhar Bajpai (Amethi). Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the resolution before us. There can be no two opinions that India should withdraw from the Commonwealth which is a symbol of imperialism. Ever since partition the Commonwealth and England have always sided with Pakistan on major issues. Their sympathies have always been against India. We are wedded to socialism and as such we should take no conncetion with an imperialistic organisation. The freedom fighters in Rhodesia are being hanged and imprisoned and the order of Commonwealth against their execution is violated. They express their helplessness in the matter. It is a worthless organisation and by continuing in it we suffer in prestige in the world.

We should place before the world our views boldly and with full confidence. We have fought for complete freedom. why should we continued in a organisation which is headed by-the Queen of England? We should give up weak-kneed policies. We have failed to present a clear image of ourselves that is why we look to Commonwealth and U.N.O. We tried them well but still we have not opened our eyes. These very people who ignore us and our views will pay heed to us if we take a bold step and tell them that you are politically corrupt and dishonest and as such we do not wish to have link with you.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : देश भक्तों को फांसी पर चढ़ाये जाने से रोकने में ब्रिटिश सरकार की अकर्मण्यता इस संकल्प के प्रस्तुत करने का केवल मात्र कारण नहीं है अपितु 1947 से अब तक इसके कई कारण हुए हैं।

1947 में हम स्वतंत्र हुए और 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान बना। तब से हम राष्ट्रमण्डल में हैं। पहले यह कहा गया था कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने के नाते हमें व्यापार में कुछ लाभ तथा विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। अंग्रेज़ बहुत चालाक हैं। उन्हें राष्ट्र-मण्डल से पहले "ब्रिटिश" शब्द हटा दिया है परन्तु सभी जानते हैं कि यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल ही है। प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन का प्रधान मंत्री ही करता है, अफ्रीका अथवा भारत अथवा कीनिया का प्रधान मंत्री कभी भी अध्यक्ष नहीं होता है।

ग़ैर-कानूनी स्मिथ सरकार ने ब्रिटिश सरकार के आदेश के विरुद्ध लोगों को फांसी दी परन्तु ब्रिटिश सरकार उसे पहले विद्रोही कह कर चुप रह गई और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। यह तो जनता को भुलावे में डालना है। वास्तव में रोडेशिया में उनके जातिभाई अंग्रेज ही सत्तारूढ़ हैं। इस लिये हमें राष्ट्र मण्डल से अलग हो जाना चाहिये। श्री भगत हाल में कीनिया गये थे, वहां पर उन से किसी ने बातचीत भी नहीं की। यह उनका नहीं बल्कि हमारे देश का, भारत का अपमान किया गया। हमें इस पृष्ठभूमि में सोचना है कि हम राष्ट्रमण्डल में रहें अथवा नहीं।

इंगलैण्ड और अमरीका विश्व में साम्राज्यवाद को जीवित रखना चाहते हैं। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने भारत को आक्रमक बताया। आपने राष्ट्रमण्डल की किसी भी बैठक में इसका विरोध नहीं किया। प्रतिरक्षा के मामले में भी संकट के समय ब्रिटिश सरकार ने किसी भी प्रकार सहायता नहीं की। यदि राष्ट्रमण्डल से कोई लाभ हुआ है, तो ब्रिटेन को ही हुआ है, भारत को नहीं। ब्रिटिश उद्योग और पूंजी विनियोजन बराबर बढ़ा है। आसाम में तेल उद्योग, चाय उद्योग, कोयला उद्योग तथा रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी सब अंग्रेजों की ही हैं। ब्रिटेन अनुचित लाभ उठा रहा है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमें तुरन्त राष्ट्रमण्डल को छोड़ देना चाहिए।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है

(एक) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा 14 मार्च, 1968 को पारित किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1968 के बारे मे लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 1968 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1968 के बारे मे लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद): रोडेशिया की कहानी एक दुखभरी गाथा है । सारे विश्व के स्वतन्त्रता प्रेमियों ने इस बात पर जोर दिया है कि शक्ति प्रयोग द्वारा ही रोडेशिया के लोगों की सहायता की जा सकती है । श्री विल्सन ने कहा था कि प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप रोडेशिया घुटने टेक देगा । दो वर्ष हो चुके हैं परन्तु अब भी श्री विल्सन कहते हैं कि जब तक कानून और व्यवस्था भंग नहीं होती है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा । महारानी का अपमान किया जाता है और उस के आदेशों के विरुद्ध लोगों को फांसी दी जाती है । इससे अधिक कानून और व्यवस्था भंग होने का और क्या प्रमाण होगा ?

कुछ व्यक्तियों का कहना है कि राष्ट्रमण्डल में रहने से आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों से सम्पर्क स्थापित होता है । हमे ड्राइंग रूम की तलाश नहीं है। हमें राष्ट्रमण्डल में रहने के लाभ और हानि पर विचार करना चाहिए । व्यापार में हमें कुछ लाभ मिला है परन्तु यह तो यूरोपीय आर्थिक संगठन में ब्रिटेन के प्रवेश के लिये दबाव डालने के साधन के अतिरिक्त कुछ नहीं है । हम ब्रिटेन के हाथ में खिलौना बन गये हैं । मेरे विचार में तो कोई लाभ नहीं है । यदि कोई लाभ है तो उस के लिये इंगलैण्ड के साथ संधियां की जा सकती हैं ।

यदि राष्ट्रमण्डल को कुछ राष्ट्रों का परिवार समझा जाता है, तो उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि सदस्य राष्ट्रों के झगड़ों को मिटा कर मेल करायें। परन्तु 1947 से अब तक भारत का पाकिस्तान के साथ जब भी कोई झगड़ा हुआ है, तो इंगलैण्ड ने पाकिस्तान की सहायता की है । रूस ने ताशकन्द समझौता कराया न कि इंगलैण्ड ने । यदि हम आज राष्ट्रमण्डल से अलग नहीं होते हैं, तो इंगलैण्ड शीघ्र ही यूरोपीय आर्थिक संगठन का सदस्य बनकर राष्ट्रमण्डल से अलग हो जायेगा ।

अभी तक राजी से अथवा नाराजी से हम ब्रिटेन से सलाह तथा मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं । परन्तु अभी राष्ट्रमण्डल छोड़ देने से हम अपने पांवों पर खड़े होने के लिये बाध्य हो जायेंगे, जो देश के हित में है । इसका अर्थ इंगलैण्ड से शत्रुता नहीं है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करके निर्णय किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : मैं श्री जार्ज फरनेंडीज के संकल्प का समर्थन करता हूं और श्री विभूति मिश्र के संशोधन का विरोध करता हूं । प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटिश सरकार शक्ति प्रयोग करेगी । वह स्वयं स्वीकार करती है कि दक्षिण रोडेशिया में

गैर-कानूनी सरकार है, संवैधानिक शासन नहीं है, लोगों को कानूनों के विरुद्ध फांसी दी गई है और वहां पर अल्पसंख्यक सरकार सत्तारूढ़ है । वही ब्रिटिश सरकार, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर बल प्रयोग किया था विद्रोही अल्पसंख्यक सरकार के विरुद्ध शक्ति-प्रयोग से इन्कार करती है । सारे देश की एक ही राय है कि दक्षिण रोडेशिया में ब्रिटेन द्वारा बहुसंख्यकों और लोकतंत्र की रक्षा के लिये शक्ति का प्रयोग किया जाये । श्री विभूति मिश्र का संशोधन पास करके हम, भले ही अनजाने में, ब्रिटेन को शक्ति प्रयोग को टालने का अवसर प्रदान करेंगे ।

गत अक्तूबर-नवम्बर, में यूगांडा में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन करते समय एक विषय का, अर्थात् दक्षिण रोडेशिया के प्रश्न का, उल्लेख किया था । ब्रिटेन के प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य वहां उपस्थित थे जिनमें ब्रिटिश सरकार के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी थे । उन के सामने उन्होंने कहा था कि यदि आप लोकतन्त्र स्थापित करने के लिये दक्षिण रोडेशिया में बल प्रयोग नहीं करते हैं तो 'एक व्यक्ति एक बन्दूक' का सिद्धान्त 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धान्त का स्थान ले लेगा उन्होंने यह भी कहा था कि यद्यपि ब्रिटिश प्रतिनिधि उनके मेहमान हैं, लेकिन अफ्रीका में वे इस प्रश्न से किसी भी सम्मेलन में बच नहीं सकते हैं । इस बारे में अफ्रीकी लोगों की भावनाएं बड़ी तीव्र हैं । ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने निरर्थक तर्क रखे कि रोडेशिया बहुत दूर है और वहां पर हमारी सेना नहीं ले जायी जा सकती तथा यदि जाम्बिया में सैनिक अड्डे बनाकर आक्रमण किया जाये, तो दक्षिण रोडेशिया की सेना जाम्बिया की राजधानी लुसाका को तहस-नहस कर देगी । ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के दमन के लिये और गियाना में आन्दोलन को कुचलने के लिये सेना भेजी थी, फिर भी ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने इस तर्क का सहारा लिया । मुझे गर्व है कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता डा० संजीव रेड्डी ने इस प्रश्न पर ब्रिटेन की नीति की कटु आलोचना करने में अग्रणी भाग लिया है, जब हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, तो ऐसा संशोधन रखना गलत है । मेरा प्रस्तावक से अनुरोध है कि वे अपना संशोधन वापस लें। केवल एक ही तरीका है कि हम राष्ट्रमण्डल को छोड़ दें । अफ्रीकी लोगों के साथ हम इसी प्रकार मैत्री प्रकट कर सकते हैं ।

राष्ट्रमण्डल में रहने का एक लाभ यह बताया गया कि पासपोर्ट, वीसा आदि प्राप्त करने में कठिनाई न होने के कारण राष्ट्रमण्डल के देशों में यात्रा सुविधाजनक है । परन्तु कीनिया से आने वाले ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त ब्रिटिश नागरिकों को केवल इसलिये ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति देने से इन्कार किया गया चूंकि वे भारतीय हैं । इस प्रकार यह लाभ भी नहीं है । जहां तक दूसरे लाभ की बात है यह हमारी भ्रांति है कि राष्ट्रमण्डल में रहने से हमारे व्यापारिक हितों की रक्षा होगी क्योंकि ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने का निश्चय किया है । श्री दिनेश सिंह ने कुछ समय पहले इस सभा में स्वीकार किया है कि ऐसा होने पर हमारा वर्तमान व्यापार अव्यवस्थित हो जायेगा । वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिये एक ही मार्ग है कि हम राष्ट्रमण्डल को छोड़ दें ।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : We should be bold enough to take a decision to quit the Commonwealth. Britain has not been behaving with us as a friend. When we decided to become a member of the Commonwealth, at that time also national feeling was against becoming a member of the Commonwealth. No doubt, we were free to carve out our own independent foreign policy and we were free to take any decision that we thought was in

our national interest while remaining in the Commonwealth. But our experience during the last 15-16 years has been this that Britain never supported our cause and she acted against our interests. On the other hand, Britain's attitude towards Pakistan has always been friendly and even on the question of Kashmir, Britain's policy appears to be favourable for Pakistan Britain has overlooked our trade interests by deciding to enter in the European Common Market. Keeping all these things into consideration, we should review our stand in this matter.

Britain has passed the National Immigration Control Act and has thus slapped us in the face. She gave only 24 hr. notice to us to express our reactions We told them that we were against the passing of such an Act, still the British Government went ahead with it and passed it into a law. By the passing of this Bill Asian's living in Kenya will lose their citizenship and become homeless. It will be nothing but bankruptcy of our political understanding and also against our interest if we do not withdraw from the Commonwealth.

I am for use of force against the Smith Regime. Economic sanctions should be enforced to oust the illegal regime. We should also put pressure on the United Nations to make some move in this matter.

The treatment meted out to Shri B.R. Bhagat in Kenya is really shocking for us. We should now make bold to leave the Common wealth which has not stood up to its ideals so far.

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi Sadar) : The recent happenings in Rhodesia are not only a slur on Rhodesia and its Government but are also a challenge to the civilized world. It is a challenge to all the peace-loving nations. It is a challenge which should be accepted by all the civilised countries of the world. A minority Government should not be allowed to rule over the destiny of the majority of the Africans in Rhodesia. The UNO has not been able to terminate the illegal Smith Regime. The Government of the U.K. has also not done anything to bring the Smith regime to its knees.

A number of Asians living in Kenya and other African countries are British citizens and hold U.K. passports. By passing the Immigration Bill the British Government have deprived those Asians of their citizenship right but their obligations as British citizens continue as they were. This action of the British Government is unprecedented in the history of the world. When the U.K. Government itself practises racial discrimination it has no moral strength to take any action against the illegal Smith regime. Not only U.K. even the U.S.A. practises racial discrimination. We should not expect any effective steps from either the U.K. or U.S.A. against the Smith regime. Therefore, the Asian and African countries will have to take initiative and do something. The Government of India instead of showing lips sympathy should take effective steps in this matter. India should call a conference of Asian and African nations to deal with the Rhodesian problem.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs Shri Bhagat went to Kenya and stayed their for 6 days but he could not have a meeting with the President of Kenya. The treatment meted out to him there shows the bankruptcy of our foreign policy. Our foreign policy should be reviewed and revised keeping in view the above facts.

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargone) : Freedom fighters in Rhodesia are being treated very cruelly. We have sympathy for those freedom fighters who have been hanged recently by the Rhodesian Government. Asian and African countries should rally behind these freedom fighters and help them in liberating their motherland. We should help Africans engaged in guerilla warfare to win their freedom.

So far as Britain is concerned, it has never supported just and good causes in the world. It has always followed a policy of dividing people. India should oppose imperialism in the

world. Attitude of Britain towards Asian and African countries is very bad. We should get out of the Commonwealth. There is no other course left for us.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : यह सर्वविदित है कि भारत-पाक संघर्ष के दौरान ब्रिटेन ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। आव्रजन अधिनियम पास करके ब्रिटेन काले लोगों के विरुद्ध भेदभाव बरत रहा है। वह जातीय भेदभाव की नीति पर चल रहा है। ब्रिटेन रोडेशिया को वित्तीय तथा सैनिक सहायता दे रहा है। इस प्रकार वह स्मिथ सरकार को संरक्षण प्रदान कर रहा है।

इस देश में ब्रिटिश फर्म जातीय भेदभाव की नीति पर चल रही हैं। वे आज भारत में भी अपने कुछ क्लबों में काले लोगों को नहीं आने देती हैं। आर्थिक दृष्टि से 1957 के बाद वे इस देश को पहले से अधिक लूट रही हैं।

ब्रिटेन मलयेशिया से गोरखा ब्रिगेड इसलिये रिलीज कर रहा है ताकि यह ब्रिगेड अमरीका की ओर से वियतनाम में लड़ सके। ये सभी कार्य इस देश तथा काले लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। हमें राष्ट्रमण्डल को ही नहीं छोड़ देना चाहिये अपितु अमरीका में नीग्रो लोगों के प्रति किये जा रहे भेदभाव के विरुद्ध भी आवाज उठानी चाहिये।

**भारत सेवक समाज

BHARAT SEWAK SAMAJ

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री सोमानी का अपना मुद्रणालय है। वह यहां पर यह चर्चा उठा कर अपने बारे में प्रचार करना चाहते हैं। उन्होंने उस भाषण का जो वे यहां देने जा रहे हैं सारांश समाचारपत्रों को अपने पत्रों में प्रकाशन के लिये साइक्लोस्टाइल्ड प्रति के रूप में परिचालित किया है। क्या कोई माननीय सदस्य ऐसा कर सकता है?

सभापति महोदय : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। न ही कोई ऐसी प्रति मुझे दी गई है। इसलिये कोई निर्णय देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Has any copy been supplied to you by him?

Mr. Chairman : No.

Shri Madhu Limaye : He has no proof to produce. We should continue the proceedings.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : भारत सेवक समाज के बारे में लोक लेखा समिति के दस्तावेज तथा अन्य बातों के आधार पर जो कुछ मालूम हुआ उससे गबन दुरुपयोग भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार के घृणास्पद नाटक का पता चलता है और सरकार तथा इस सभा को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

भारत सेवक समाज अभी तक अपनी लेखे पेश नहीं कर सका है और फिर भी सरकार इसी बहाने से कुछ नहीं कर पाई है कि वह एक स्वायत्तशासी संस्था है। इस संस्था का सम्बन्ध भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के बहुत से क्रियाकलापों से है। भारत सरकार अपने इस दायित्व को अन-

---

**आधे घण्टे की चर्चा

Half-an-hour Discussion.

देखा नहीं कर सकती है कि उक्त संस्था भारत सरकार के प्रशासनिक तथा आर्थिक नियमों का उल्लंघन कर रही है।

श्री गुलजारी लाल नन्दा के अधीन जो भारत सेवक समाज के अध्यक्ष भी थे, योजना आयोग ने भारत सेवक समाज के लिये इस सरकारी धन का दुरुपयोग किया। वास्तव में भारत सरकार के सभी मंत्रालय इस मामले से सम्बद्ध थे और उन्होंने इन बड़ी बड़ी रकमों की ओर जनता का ध्यान नहीं दिलाया।

श्री अमृत नाहाटा : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य मेरी बात की ओर ध्यान देंगे परन्तु उन्होंने वही बातें कही हैं जो उनके द्वारा परिचालित प्रति में दी हुई हैं। मैं उनके भाषण के सारांश की प्रति आप को दे रहा हूं।

Shri Kanwarlal Gupta (Delhi-Sadar) : Does this resume bears the signatures of the hon. member? If it does not bear his signatures, then it cannot be treated as an authority.

Shri Madhu Limaye : We cannot take cognisance of this now. First notice should be given and then it can be raised tomorrow.

सभापति महोदय : इस दस्तावेज पर जो मुझे दिया गया है माननीय सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह केवल एक साइक्लोस्टाइल्ड प्रति है। उन्होने यहां पर जो कुछ भाषण दिया है वह इसमें दिया हुआ है। परन्तु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय सदस्य का दावा है कि वे एक धोखाधड़ी का भंडा-फोड़ कर रहे हैं। जब वे यहां पर बैठे हैं तो उन्हें यह बता देना चाहिये कि उन्होने यह दस्तावेज परि-चालित किया है या नहीं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैंने इसे नहीं दिया।

सभापति महोदय : ऐसी स्थिति में इस दस्तावेज को मान्यता नहीं दे सकता। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नन्द कुमार सोमानी : जब प्रधान मन्त्री के पास 1964-65 में सूचना और प्रसारन विभाग था तो उन्होंने इस संस्था को योजना के प्रचार के लिये बड़ी बड़ी रकमें देना ठीक समझा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार के लिये भारत सेवक समाज को बड़ी बड़ी राशियां दीं। निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने तो भारत सेवक समाज को बहुत बड़ा अनुदान दिया और उसके हिसाब के बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका है। कोसी के मामले में भारत सेवक समाज ने लाखों रुपये खर्च किये किन्तु भारत सरकार ने चुपचाप ही इस संस्था को आयकर भुगतान का प्रमाण-पत्र दे दिया।

15 सितम्बर, 1966 को नई दिल्ली में एक श्रमिक न्यायालय ने घोषणा की कि यह स्वयंसेवी संस्था जो इन पेशेवर और मुनाफे के धंधो में संलग्न है एक औद्योगिक संस्था है। फिर भी धन के दुरुपयोग और लेखे पेश न करने के बारे में इस संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत सेवक समाज के अखिल भारतीय अध्यक्ष स्वामी हरिनारायणानन्द ने 21 दिसम्बर, 1967 को इस आशय का एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि भारत सेवक समाज पर प्रभावशाली नियंत्रण न रहने के कारण पिछले कुछ वर्षों में 50 लाख रुपया बर्बाद हुआ है।

[श्री नन्द कुमार सोमानी]

गुजरात भारत सेवक समाज के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रावजी भाई पटेल के पास "मानव मूत्र चिकित्सा प्रणाली" नामक एक दस्तावेज था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपने समस्त रोगों को दूर करने के लिये अपना मूत्र पीना चाहिये और इस कार्य के लिये भारत सेवक समाज द्वारा धन दिया जाता है।

यह एक ऐसा विचित्र संगठन है जिसे भारत सरकार की ओर से स्वयंसेवी संस्था के सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अन्यथा योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भारत सेवक समाज में क्यों भेजा जाता है।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि 1952-53 से 1964-65 तक भारत सेवक समाज को केन्द्र द्वारा 2.30 करोड़ रुपये की और विभिन्न राज्यों द्वारा 96 लाख रुपये की कुल अनुदान सहायता दी गई। इस सम्बन्ध में गबन किये गये धन की जांच की जानी चाहिये। भारत सेवक समाज के संचित लेखों को प्राप्त करने के लिये तीन बार प्रयत्न किये गये परन्तु वे सफल नहीं हुए।

मैं दस्तावेज़ को प्रमाणित करने और इसे सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

जब तक भारत सेवक समाज में काम करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों और सार्वजनिक सहयोग से सम्बद्ध योजना आयोग के अधिकारियों को निलम्बित नहीं कर दिया जाता तब तक भारत सेवक समाज के मामलों की निष्पक्षक्ष जांच नहीं की जा सकेगी। उचित यह है कि इस मामले की न्यायिक जांच की जाये। इस के साथ ही भारत सेवक समाज की सारी चल और अचल सम्पत्ति तथा बैंक खाते शीघ्र ही जब्त कर लिये जाने चाहियें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक भारत सेवक समाज से धन वसूल नहीं किया जा सकेगा।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता भारत सेवक समाज से लाभ उठाते रहे हैं और सब से अधिक ठेके कांग्रेसियों को ही दिये जाते रहे हैं? क्या यह उचित नहीं तथा लोकहित में नहीं कि इस मामले की जांच करने के लिये एक स्वतंत्र न्याय आयोग नियुक्त किया जाये?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It had been admitted by the Bharat Sewak Samaj that they had received money from foreign sources. But the Government said that there was no set Government procedure for scrutinising receipts of foreign donations by private organisations in this country and they had no such information in regard to the amount received by them. This is a very serious thing which invalues the question of the security of the country. A comprehensive inquiry should be conducted not only in regard to the assistance received by the Bharat Sewak Samaj but also in regard to all other voluntary organisations which had received such assistance.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : The B.S.S. had been doing a very useful work for the country. It had been regularly submitting a certificate of expenditure. Even the consolidated account of twelve years had been submitted. Therefore it is not fair to raise the issue now. B.D.S. has awakened feeling of mass cooperation in the nation. Whether it is not a fact that it has given new aspiration to the people.

श्री कन्डप्पन (मैटूर): भारत सेवक समाज अपनी गतिविधियों के कारण देश भर में बदनाम हो गया है। मंत्री महोदय बतायें कि क्या वह अब भी भारत सेवक समाज की सभी परिसम्पदा जब्त

करने के लिए तैयार है और क्या वह जांच करेंगे और उन सब के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जो मुख्य रूप से इस गबन के लिए तैयार हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी तथाकथित सामाजिक संगठनों के क्रियाकलापों की जांच करने के लिए तैयार हैं ताकि सार्वजनिक धन के इस प्रकार के गबन को रोका जा सके ?

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : There is no mention of consolidated account in the general financial rules. In view of this, was it not against the rules when the PAC. asked for a consolidated account of the last twelve years from the Bharat Sewak Samaj ?

The charges of embezzlement and misappropriation against this organisation are highly irresponsible in view of the fact that it has been submitting proper utilisation certificate every year. If the Government wanted to institute any inquiry,it could do so but the grants should not be stopped on that basis and the organisation should be allowed to function.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) ' The history of Bharat Sewak Samaj is replete with cases of fraud and criminal wastage. The grants given by the centre and the State Governments had not been properly utilised. In view of these things, will the Government freeze its assets and stop future grants. It should also be stated whether it is proper in principle, to give grants to such voluntary organisations ? Whether Government is prepared to conduct a judicial inquiry and punish those found guilty ?

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : In the Kosi Project, there are reports of large-scale irregularities and misappropriation of money in certain quarters and the PAC report had also shown that the Bharat Sweak Samaj is a big centre of corruption where large amounts have been misappropriated. In view of all this, whether the Minister is prepared to set up a judicial Inquiry ?

It has been alleged that Shri L.N. Misra and Shri Lakhan Chaudhary have withdrawn twenty-seven lakhs of rupees from a bank from the accounts of B.S.S. which has not been accounted for. We want to know whether it is a fact ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : First of all I would like to know whether chairman State Legislature councils or Speakers of Legislative Assemblies had been conveners of BSS who were men of integrity. Secondly, Kisan leaders and non-Congressmen had been associated with it and lastly whether it ia fact that the consolidated account had been submitted to the Government and Government have certified it ?

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Had the officers of the Planning Commission, who appeared before P.A.C. not admitted that the BSS had submitted audited accounts every year which were sufficient for the purpose of giving grants ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Whether it is a fact that the Congress leaders and workers are managing the affairs of B.S.S., if not, whether the hon. Minister is prepared to place a copy of list of Directors, Leaders and workers of B.S.S. on the Table of the House.

During last year's drought and floods in Bihar, the B.S.S. had received various articles in addition to cash assistance for relief purposes. These articles were not utilised and were rotting. An inquiry should be instituted in this regard.

श्री गार्डिलिगन गौड (कुरनूल) : काफी समय से भारत सेवक समाज के कार्यों के बारे में लोगों को संदेह है ? क्या यह सही है कि जब एक राज्य में एक विपक्षी सदस्य को राज्य संयोजक के रूप में चुना गया तो यह सोच कर उसे एक कागज भी नहीं भेजा गया कि भारत सेवक समाज के सुराखों का पर्दाफाश हो जायेगा ?

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Had the users certificates submitted by the B.S.S. been verified ? Had any amount from the funds of B.S.S. been spent on the publication of a book in Gujarat?

Shri Kameshwar Singh (Khagania): The Minister should give an assurance that a judicial inquiry should be instituted into all the cases of corruption.

श्री रा० कृ० सिंह (फैजाबाद) : किसी प्रमाण के बिना श्री गुलजारी लाल नन्दा और श्री ललित नारायण मिश्र के नाम बदनाम करने के लिए इस चर्चा का दुरूपयोग किया जा रहा है। हम इस का विरोध करते हैं। क्या यह सही नहीं है कि भारत सेवक समाज 1963-64 के बाद हर वर्ष लेखों के जांचे हुये वार्षिक प्रतिवेदन पेश करता रहा है और इसने 1966 में एक समेकित रिपोर्ट भी पेश की जैसा कि उन से कहा गया। क्या भारत सेवक समाज एक गैर दलीय संस्था है जिस से विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति सम्बद्ध हैं ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri **L.N. Mishra**) : This allegation is baseless that I and some of my friend have withdrawn rupees twenty seven lakhs from a bank from the account of Bharat Sewak Samaj. I have no information about this.

Shri Tej Narain, who was a minister in the United Front Governmet in Bihar had made certain allegations against me which were all baselss.

I have been treasurer of B.S.S Whatever money belonging to B.S.S was with me was duly audited and I have a certificate to that effect. I have no money belonging to B.S.S with me.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरु-पादस्वामी): सरकार को भारत सेवक समाज के साथ कोई सांठ-गांठ नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदन के बाद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। लोक-लेखा समिति ने 63 सिफारिशें की थीं जिन में से लगभग 60 का आंशिक या पूरा उत्तर दिया जा चुका है और केवल 3 सिफारिशें बकाया हैं। सब से ज्यादा महत्वपूर्ण बकाया सिफारिश भारत सेवक समाज के गठन के बाद इस के लेखे के समेकन के बारे में है। हम इस पर लगातार ध्यान देते रहे हैं। प्रतिवेदन के बाद जब योजना आयोग ने इस मामले को उठाया तो पहले इसने एक उप-समिति बनाई इस के बाद लेखे की जांच के लिए एक विभाग बनाया गया जिसने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं।

भारत सेवक समाज में केवल कांग्रेस जन ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी हैं। इस के संविधान में सभी दलों के लोगों के लिए सदस्यता की व्यवस्था की गई है।

जहां तक भारत सेवक समाज द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से कुछ धनराशि प्राप्त करने के प्रश्न का सम्बन्ध है संगत सूचना पहले ही सभा को दी जा चुकी। हमने भारत सेवक समाज की निधियों के साधन का उल्लेख सभा में किया है। ये निधियां मुख्य रूप से राहत और पुनर्वास के लिए हैं। इन निधियों में से भारत सेवक समाज ने 25,000 डालर अपने हिसाब-किताब में दिखाये हैं।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 193 में 'समेकन' शब्द का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन वहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुदान देने से पहले अनुदान या सहायता प्राप्त करने वाले निकाय की वित्तीय स्थिति की जांच की जानी चाहिये और सरकार को समय से पहले यह जानना चाहिये कि क्या यह निकाय सहायता के योग्य है या नहीं। लोक-लेखा समिति ने कहा है कि उन्हें अपन लेखों का समेकन करना चाहिये। भारत सेवक समाज ने अपनी सभी गति-

विधियों के अलग-अलग लेखे प्रस्तुत किये हैं लेकिन वे कई वर्ष अपने लेखों का सपेकन नहीं कर सके। इसलिये जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, लोक लेखा समिति की सिफारिशों का पूरा पालन नहीं किया गया है ।

इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि क्या भारत सेवक समाज ने उन सभी निधियों का ठीक उपयोग किया है जो उन्हें दी गईं। लेकिन यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि हमारा उन निधियों से कोई सम्बन्ध नहीं है जो उन्हें अन्य निकायों ने दी हैं। हमारा सम्बन्ध केवल उस सहायता से है जो हम देते हैं। उन के लिये यह अनिवार्य है कि वे हमें इस बात से संतुष्ट करें कि हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए जो सहायता देते हैं उस का ठीक ढंग से उपयोग किया जाता है :

चूंकि एक दिन प्रश्न उठाया गया था इसलिए हमने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये हैं और राज्य सरकारों को पत्र भेज रहे हैं क्योंकि भारत सेवक समाज की गतिविधियों से उनका भी सम्बन्ध है। हमने मंत्रालयों से भी सम्पर्क स्थापित किया है और हमने उन से अनुरोध किया है कि भारत सेवक समाज को दी गई धनराशि का ब्योरा भेजा जाये और भारत सेवक समाज ने जो हिसाब किताब भेजा है वह भी भेजा जाये। इसके अलावा हम भारत सेवक सभाज से भी संगत सामग्री मांग रहे हैं ताकि हम कोई निर्णय ले सकें।

बार-बार मांग की गई है कि इस सम्बन्ध में कोई जांच की जाये। सच्चाई यह है कि भारत सेवक समाज ने स्वतः हमें एक पत्र भेजा है जिस में न्यायिक जांच करने की मांग की गई है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : लोक लेखा समिति का सम्बन्ध भारत सेवक समाज को दिये गये अनुदानों के उचित उपयोग से है तथा इस बात से है कि क्या इसने धनराशि के उचित हिसाब-किताब प्रस्तुत किये हैं या नहीं। यदि कोई न्यायिक जांच की जा रही है तो इस का उद्देश्य केवल यह देखना होगा कि क्या भारत सेवक समाज ने भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उचित हिसाब-किताब दिया है या नहीं ?

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 25 मार्च, 1968/5 चैत्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday the March 25, 1968/1890 (Saka).